खण्ड-386, अंक-6
बुधवार, 10 चैत्र, शक संवत् 1910
(30 मार्च, 1988 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 386 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

1988

मूल्य : बिना महसूल null null, महसूल सहित null null |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल null null, महसूल सहित null null |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	ग
प्रश्नोत्तर	1–76
जनपद आजमगढ़ के नगर पालिका क्षेत्र में सीवर लाइन व सफाई आदि व्यवस्था ठीक किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	76
कानपुर नगर के जाजमऊ क्षेत्र में चिकित्सालय खोले जाने तथा डाक्टरों व दवाओं का समुचित प्रबन्ध किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	77
बरेली स्थित सेमी खेड़ा चीनी मिल के प्रदूषण बीमारियों के फैलने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	77
बलिया जिले के बिजली विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार व घांधली के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	78
सीतापुर जिलान्तर्गत खैराबाद ब्लाक के खण्ड विकास अधिकारी द्वारा मनमानी व दुर्व्यवहार किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	78
जिला उन्नाव में पेयजल संकट उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	79
जिला बस्ती के इटावा क्षेत्र के सम्पर्क मार्गों के निर्माण में घोटाला तथा अवर अभियंता व खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	79
औचित्य के प्रश्नों की सूचनायें	79–80
भारत के संविधान की प्रमाणित प्रति में संविधान सभा के सदस्य के रूप में श्रीमती इन्दिरा गांधी के हस्ताक्षर होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	80–93
समितियों के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा शासन तथा उसके किसी निकायों, प्राधिकरणों एवं अधिकरणों में किसी पद को धारण करने से वैधानिक संकट उत्पन्न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	93–96
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1987 (सदन के पटल पर रखी गयी)	97
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों को वायुयान द्वारा यात्रा की सुविधा) नियमावली 1988 (सदन के पटल पर रखी गयी)	97
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का वार्षिक लेखा विवरण पत्र 1982–83 (सदन के पटल पर रखा गया)	97
झांसी जिले की मोंठ तहसील मुख्यालय पर मुन्सिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय स्थापित किये जाने विषयक श्री योगेश चन्द्र शास्त्री आदि की याचिका (उपस्थित की गयी)	97–100
कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें	100–117
कार्य स्थगन प्रस्तावो की सूचनाओं के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ।	118

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1988 के अननुमोदन का संकल्प एवं उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1988 (संकल्प अस्वीकृत तथा विधेयक पारित)	118--141
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1988 के अननुमोदन का संकल्प एवं उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1988 (संकल्प अस्वीकृत तथा विधेयक पारित)	141--159
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड अध्यादेश, 1988 के अननुमोदन का संकल्प एवं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड विधेयक, 1988 (संकल्प अस्वीकृत तथा विधेयक पारित)	159--179
मद संख्या 24 एवं 25 को पहले लिये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	179
उत्तर प्रदेश जिला परिषद (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1988 (पारित)	179--187
उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) अध्यादेश, 1988 के अननुमोदन का संकल्प एवं उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 1988	187--195
संशोधन पर भाषण हेतु समय बढ़ाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	195
उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) अध्यादेश, 1988 के अननुमोदन का संकल्प एवं उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 1988 (क्रमागत) (अननुमोदन का संकल्प अस्वीकृत, विधेयक पारित)	196--209
नियम 51 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनायें	209
महात्मा गांधी मेमोरियल डिग्री कालेज सम्भल, मुरादाबाद में पोस्ट ग्रेजुएट कक्षायें खोले जाने विषयक वक्तव्य का स्थगन	21
मेडिकल कालेज लखनऊ के इमरजेंसी वार्ड में सुई, पट्टी, ए0डी0एस0 आदि के उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में वक्तव्य	210--211
आलू के दामों में गिरावट आने एवं उसके भण्डारण की व्यवस्था न होने से किसानों में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में चर्चा	212--232
नत्थियां	233--242

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 30 मार्च, 1988

विधान सभा की बैटक सभा मण्डप लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री निमाज हसन की अध्यक्ष में आरम्भ हुई ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अकबर अहमद (डम्पी), श्री	नैनीताल	बैजनाथ, श्री	देवरिया
अब्दुल वहीद कुरैशी, श्री	मेरठ	भोला शंकर मौर्य, श्री	बदायूं
अमीर आलम खां, श्री	मुजफ्फरनगर	मुस्तमन्द अली खां, श्री	मथुरा
अलमेलु अम्माल, कुमारी	बस्ती	मैनेजर सिंह, श्री	बलिया
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री	देवरिया	राजेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद	विलायती राम कत्याल, श्री	कानपुर
अशोक सेहरा, श्री	आगरा	वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर
इम्तियाज मोहम्मद खां, श्री	बुलन्दशहर	वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़	शीनाथ सिंह, श्री	बिजनौर
किशन लाल दिलेर, श्री	अलीगढ़	शिवानन्द नौटियाल, डा०	चमोली
गोपीनाथ दीक्षित, श्री	उन्नाव	संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री	वाराणसी
दूधनाथ, श्री	जौनपुर	सखावत हुसैन, श्री	गाजियाबाद
देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री	ललितपुर	सत्यपाल सिंह, श्री	शाहजहांपुर
नरेन्द्र देव, श्री	मिर्जापुर	सत्य प्रकाश विकल, श्री	आगरा
निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर	समरपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
परमाई लाल, श्री	हरदोई	सुरेन्द्र कपिल, श्री	सहारनपुर
प्रेमीला वद्धवार मेहरा श्रीमती	बदायूं	स्वरुप कुमारी बख्शी, श्रीमती	लखनऊ
बाबू सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर	हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली
बालेश्वर, श्री	देवरिया	हरिश्चन्द्र, हरीश जी, श्री	बस्ती

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

बुधवार, दिनांक 30 मार्च, 1988 ई0

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

नये पशुपालन केन्द्र खोलने पर लगी रोक

**1–श्री राकेश धर त्रिपाठी–

क्या पशुपालन मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में नये पशुपालन केन्द्र खोलने हेतु निदेशक पशु निदेशालय, उ0 प्र0 द्वारा 2 वर्ष तक के लिये रोक लगा दी गई है ? यदि हां, तो क्या शासन स्तर से इस प्रकार का कोई आदेश निर्गत किया गया है? यदि नहीं, तो सरकार दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी पशुओं की बीमारी को ध्यान में रखते हुये नये पशुपालन केन्द्र खोलने का आदेश देंगें ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पशुधन विकास राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पूर्व से ही लगभग 500 पशुधन विकास सहायक के पद रिक्त है इसलिये और नये पशुपालन केन्द्र खोले जाने का वर्तमान में कोई औचित्य नहीं है ।

श्री राकेश धर त्रिपाठी–

मान्यवर माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि पिछले वर्ष 1986-87 और 1987-88 में इलाहाबाद में कितने पशुधन केन्द्र खोलने के लिए आपने निर्देश दिये और उन्हें न खोलने के लिए निदेशक ने जो रोक लगायी है उस पर आपने क्या कार्यवाही की है ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जहां तक इलाहाबाद के बारे में माननीय सदस्य ने जानकारी चाही है उसके लिए तो सूचना की आवश्यकता होगी क्योंकि इस समय मेरे पास जनपद विशेष की जानकारी नहीं है, पूरे प्रदेश की जानकारी मैं दे सकता हूं कि कहां-कहां यह केन्द्र खुले है । लेकिन न जाने माननीय सदस्य को भ्रमवश यह आभास हो गया कि उसमें रोक लगा दी है । रोक नहीं लगायी गई है । जो डिप्टी डाइरेक्टर कहता है, वह गलत कहता है । मान्यवर, वस्तुस्थिति यह है कि इस समय जितने पशु सेवा केन्द्र खोले है उनमें करीब 500 सेवा केन्द्र एसे है जहां पर कोई पशु सहायक नहीं है इसलिए इस बात का कोई औचित्य नहीं था कि पशु अस्पताल या पशु सेवा केन्द्र खोले जायं और वहां पर कोई पशुधन सहायक या चिकित्सक उपलब्ध न रहें । इस समय हमारे पास दो इन्स्टीट्यूशन्स प्रशिक्षण देने के लिये उपलब्ध हैं जहां हम केवल 182 लोगों को प्रशिक्षित कर पाते है । जैसे ही लोग प्रशिक्षित हो जायेंगे और जो रिक्त स्थान पड़े है उनकी पूर्ति कर देंगे तो तुरन्त ही हम यह पशु सेवा केन्द्र खोल देंगे । अन्यथा एसे ही पशु सेवा केन्द्र खोलने से क्या फायदा जब वहां पर पशु सहायक ही उपलब्ध न हों ।

(व्यवधान)

श्री गौरी शंकर भइया–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय पशुधन मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कि माननीय राकेश धर त्रिपाठी जी के प्रश्न के उत्तर में आपने दो-तीन बार "जी नहीं" "प्रश्न नहीं उठता, प्रश्न नहीं उठता" जवाब दिया है । तो क्या आप बतायेंगे कि विगत दो वर्षों में उत्तर प्रदेश के अन्दर पशुधन केन्द्र कहां-कहां खुले है ? यदि नहीं खुले है तो क्यों और आगे कहां-कहां प्रस्तावित है ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, सन् 1987-88 में 75 अस्पताल पूरे प्रदेश में खोले गये, 71 स्टोक मैन सेन्टर्स खोले गये और 18 डी0 श्रेणी के अस्पताल खोले गये । मान्यवर, इस वक्त पूरे प्रदेश में 1535 अस्पताल है और 2785 स्टीकमैन सेन्टर्स है । हम इन्हें इस साल तक भी खोलते रहे । आपको जानकारी होगी कि जो पशु सेवा केन्द्र हमने इस साल खोले है उनके लिए भी हमने मकान किराये पर ले लिए है । लेकिन 71 पशु सेवा केन्द्र ऐसे है और जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया कि 500 पहले से ही ऐसे सेवा केन्द्र पड़े है जिनमें अभी तक कोई पशु सहायक नहीं है । इसलिए यह सोचा गया कि नये पशु सेवा केन्द्र खोलने के बजाय जो पहले से ही खोल दिये गए है उनमें समुचित व्यवस्था की जाय । साथ ही साथ उसके लिये जो पैसा बचा है उससे उन जगहों पर भवनों का भी निर्माण करा दिया जाय । इससे यदि हमने किसी का मकान किराये पर ले लिया और वहां पर उन्हें अन्य सुविधायें जो दी जानी चाहिए वह हम न दे पाते । इसलिए हमने सोचा है कि पशु सेवा सहायक उपलब्ध हो जायं और भवनों का निर्माण हो जाय तो जैसे ही जिला प्लान से इस सम्बन्ध में प्रस्ताव आयेंगे, हम वहां पशु सेवा केन्द्र खोल देंगे ।

श्री राकेश धर त्रिपाठी–

हमारे यहां से दो बार जिला योजना से प्रस्ताव भेजा गया है लेकिन उन प्रस्तावों को आप ले नहीं रहे है और नये पशुधन केन्द्र खोलने की स्थिति में आप नहीं है । हमारे पूरे इलाहाबाद जनपद में 36 डाक्टरों की कमी है तो क्या इसकी वजह से भी आप नये पशुधन केन्द्र नहीं खोल रहे है ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, वही बात लगभग मैंने भी कही है । इलाहाबाद, फैजाबाद, गोरखपुर और लखनऊ मंडलों में डाक्टरों की कमी है ।तो जब तक वह कमी पूरी नहीं हो जाती है नये केन्द्र खोलने से कोई फायदा नहीं है ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

यह जो कमी आपने कही है इस कमी को अतिशीघ्र दूर करने के लिए क्या उपाय कर रहे है ?

श्री हुकुम सिंह–

इस कमी को दूर करने के लिए लोक सेवा आयोग को अभ्यावेदन भेजा हुआ है और बार-बार अनुस्मारक दे रहे हैं कि इस कमी को जल्दी दूर करें । आयोग ने आश्वासन दिया है कि जल्दी साक्षात्कार लेने जा रहे हैं, एप्लीकेशन मंगा ली है । हमने कहा है तो हमें जानकारी दे दें और हम कैबिनेट से एप्रूवल लेकर तदर्थ नियुक्ति कर लेंगे ताकि खाली स्थानों की प्रतिपूर्ति की जा सके ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

माननीय मंत्री जी ने बताया कि कुछ मंडलों में कमी है । तो मैं जानना चाहता हूं कि मेरठ मंडल में स्थान रिक्त हैं या नहीं अगर वहां रिक्त नहीं हैं तो वहां से कुछ लोगों को लेकर दूसरे मंडलों में जहां बहुत कमी है पूरा करने की कृपा करें ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जहां स्थान रिक्त हैं वहां पूर्ति करने का प्रयास हो रहा है । अब एक जगह से खाली कराकर दूसरी जगह पूरा कर दिया जायेगा तो वहां कमी हो जायेगी । इससे तो समस्या का समाधान नहीं होगा । हम तो समस्या का निदान करने का प्रयास कर रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र सिंह–

जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि कमीशन को लिखा है तो स्टाक मैन तो कमीशन से नहीं आते हैं । तो उस कमी को शासन स्तर से जल्दी पूरा करने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

जो बात मैंने कही शायद मैं माननीय सदस्य को समझा नहीं सका । 182 स्टाक मैन है जिसे हमें प्रशिक्षण देना होता है । ऐसा नहीं है कि सीधे भर्ती की और पशु सेवा में भेज दिया । 182 लोगों को प्रशिक्षण देने की सुविधा अभी तक है । अब तीसरी प्रशिक्षण केन्द्र बनारस में स्वीकृत हुआ है उसके निर्माण का कार्य चल रहा है । इस प्रकार जो कमी है वह पूरी हो जायेगी ।

नमक के आयात एवं विक्रय के लिए लाइसेंसिंग व्यवस्था

**2–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके विभाग द्वारा नमक के आयात तथा बिक्रय के लिए लाइसेंसिंग व्यवस्था लागू की गई है ? यदि हां, तो ऐसा करने का कारण क्या है ? क्या सरकार जनता की असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कि उन्हें नमक के क्रय विक्रय में असुविधा न उत्पन्न हो, इसके लिए पूर्वोक्त लाइसेंसिंग आदेश को वापस करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

नहीं बल्कि पूर्व में लागू आयोडीनयुक्त नमक हेतु उत्तर प्रदेश नमक (निर्माण, वितरण एवं लाने ले जाने की) नियंत्रण आज्ञा, 1956 के अधीन लाइसेंसिंग व्यवस्था को दिनांक 16 अक्टूबर, 1987 से आस्थगित कर दिया गया है ।

उपरोक्त के आधार पर इसके उत्तर की आवश्यकता नहीं है।

लाइसेंसिंग व्यवस्था के स्थगित होने के फलस्वरूप लाइसेंसिंग आदेश को वापस करने की आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न के इस भाग के उत्तर की आवश्यकता नहीं है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, जरा हम लोगों की व्याकरण कमजोर है पहले आपने जो अपने उत्तर में "आस्थगित" कहा है वह समझ में नहीं आया । वह स्पष्ट हो जाय तो फिर प्रश्न करें ।

श्री हुकुम सिंह–

जो जिज्ञासा आपने जाहिर की वही मैंने भी की थी तो जब डिक्सनरी देखी उसमें इसका मतलब यह है कि जैसे हम कोई एक्ट पास कर दे लेकिन लागू न करें यानी एबेयंस में रखे उसके लिए इसका प्रयोग हुआ है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, कल मैंने समाचार पत्र में पढ़ा कि हमारे मुख्य मंत्री जी मांडा में जाकर नमक बनाने का काम करेंगे । आज हमारी सरकार ने नमक के वितरण और व्यापार पर रोक लगा दी है । और जो बात 56 से लागू करने की थी उसे आज तक लागू नहीं किया । तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार की स्वास्थ विभाग की कोई समिति जांच के लिए यहां आई और उसने जांच के बाद प्रमाण पाया कि उत्तर प्रदेश में इस नमक के प्रयोग से घेंघा रोग बढ़ रहा है । साधारण नमक देने के कारण क्योंकि आयोडीनयुक्त नमक का अभाव है, जबकि संस्तुति किया कि उत्तर प्रदेश में आयोडीनयुक्त नमक ही जनता को उपलब्ध कराया जाये । इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि आयोडीनयुक्त नमक को उपलब्ध क्यों नहीं कराया गया ? दूसरी तरफ साधारण नमक पर रोक लगा दिया है, इसलिये उसको अभी तक प्रभावी न करने का क्या कारण है ? आयोडीनयुक्त नमक उपलब्ध कराने की आपने क्या व्यवस्था किया है जबकि साधारण नमक स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो पहले प्रश्न के भाग में पूछा है कि लागू न करने का क्या कारण है, तो वह किसको लागू कराना चाहते हैं, मैं नहीं समझ पाया हूं । वैसे मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि 1956 का नमक का कंट्रोल आर्डर है, उसमें प्राविधान था कि नमक कहीं भी बिना लाइसेंस के नहीं बेचा जायेगा । साथ ही यह भी रोक थी कि धारा 5 और 9, दोनों उत्तर प्रदेश के किसी जिले में लागू नहीं होगा, इसका तात्पर्य है कि बिना लाइसेंस के काम यहां कर सकते थे । 1966 में दूसरा आदेश करके 9 पहाड़ के जिलों में यह प्राविधान किया गया कि वहां आयो-

डीनयुक्त नमक बेचा जा सकता है दूसरा नहीं । बाकी 11 जिलों में 1971 में लागू किया गया और 2 अक्टूबर, 1987 से प्रदेश के 57 जिलों में यह व्यवस्था की गयी कि आयोडीनयुक्त नमक के सिवाय दूसरा नमक नहीं बेचा जा सकता है । मान्यवर, 1956 के आदेश के अंतर्गत नमक डीलर को जो आयोडीनयुक्त नमक बेचना चाहते हैं लाइसेंस व्यवस्था थी, अब वह व्यवस्था समाप्त कर दी गयी है चूंकि उसमें समय लगता था, इसलिए प्रदेश के 57 जिले इसमें कवर कर दिये गये हैं । जो नकम कंट्रोलर हैं नमक प्राप्त करके बेंच सकते हैं उत्तर प्रदेश में लेकिन शर्त यह है कि आयोडीनयुक्त नमक होना चाहिए ।

श्री मित्रसेन–

मान्यवर, एक बात का मंत्री जी ने उत्तर नहीं दिया कि आयोडीनयुक्त नमक उपलब्ध कराने की शासन क्या व्यवस्था कर रहा है ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, व्यवस्था तो है ही । कहीं आयोडीनयुक्त नमक की कमी नहीं है, यदि है तो बतायें ।नमक डीलर से नमक का काम करने वाले नमक ले आयें और बेचें । जो गतिरोध था उसको अब समाप्त कर दिया गया है और बिना लाइसेंस के पहले नहीं बेंच सकते थे, अब लाइसेंस समाप्त कर दिया गया है ।

श्री गौरी शंकर भइया–

मैं जानना चाहता हूं कि आयोडीनयुक्त विहीन नमक बेचने से कितने लोगों के बीमार होने की सूचना सरकार को प्राप्त हुई है और इससे कौन-कौन बीमारियां होती हैं ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, किन-किन जिलों से सूचना प्राप्त हुई है तो मैं बताना चाहूंगा कि सारे जनपदों में यह आवश्यक हो गया है कि आयोडीनयुक्त नमक ही बेचा जा सकता है और स्वास्थ्य विभाग ने आदेश लागू कर दिया है कि आयोडीनयुक्त नमक नहीं बेचेंगे तो उनका एक्ट के अंतर्गत चालान होगा ।

मान्यवर, आयोडीनविहीन नमक खाने से आम बीमारियां जो होती हैं उनमें घेंघा, पीलपांव और मानसिक संतुलन खराब होने की बीमारियां हैं ।इस प्रकार कई बीमारियां हैं । मैं कोई अच्छा डाक्टर नहीं हूं लेकिन यह आम बीमारियां हैं । अब 57 जनपद इससे कवर कर दिये गये हैं ।

डाक्टर दिनेश जौहरी–

मान्यवर, सबसे बुरी बीमारी प्रजनन में कमी आ सकती है और घेंघा बढ़ जाता है । मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, मेरठ गया था, एक हजार बच्चों का सर्वेक्षण किया गया था तो 40 प्रतिशत ऐसे बच्चे थे जिनमें ग्वायटर, घेंघा, की बीमारी पायी गयी । इसका मतलब यह है कि उस क्षेत्र में आयोडीन युक्त नमक नहीं मिल रहा है और यह बीमारी वहां जोरों से फैल सकती क्योंकि 40 प्रतिशत बच्चे एक ही एरिया के थे, तो क्या सरकार ऐसे कदम उठाने जा रही है, जिससे प्रदेश में केवल आयोडीन युक्त नमक का ही प्रयोग किया जाए ?

श्री हुकुम सिंह–

यह व्यवस्था कर दी गई है कि हर कोई विक्रेता आयोडिन नामक ही उपलब्ध करायेगा और बेचेगा और इसका भंडारण करेगा और जो कोई इस कानून की अवहेलना करेगा, उसके खिलाफ क़ानूनी कार्यवाही की जाएगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जानकारी दी है कि पूरे प्रदेश में नमक की कोई कमी नहीं है, लेकिन हम लोग भी बाजारों में घूमते हैं और उपभोक्ताओं से हमारे भी संबंध हैं, तो केवल एक पूंजीपति टाटा के यहां का बनाया गया नमक तो बाजार में आता है और कहीं से नहीं आता है । सरकार ने अपनी घोषणा से एक टेरर जनता में अवश्य क्रियेट कर दिया है, तो क्या आप अपने सरकारी साधनों से भी आयोडीन युक्त नमक आम जनता को सुलभ कराने की कृपा करेंगे और क्या इस पर सरकार अपनी नीति स्पष्ट करने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुम सिंह–

क्योंकि यह 37 जिले में अभी 87 में लागू किया गया है, 9 जिलों में पहले से लागू था और 11 में बाद में लागू किया गया और 2 अक्टूबर, 87 को बहुत दिन नहीं हुए हैं, यह किसी बेचने वाले पर प्रतिबन्ध नहीं है कि वह किसी खास निर्माता का नमक ही बेचे, केवल यह कह दिया गया है कि बिना आयोडीन युक्त कोई नमक आप प्रदेश में नहीं ले जा सकते हैं । इस संबंध में यदि हमें कोई शिकायत मिलेगी कि कमी है तो हम उपलब्ध कराने की व्यवस्था करायेंगे ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मंत्री जी ने कहा कि साधारण नमक की बिक्री पर रोक लगा दी गई है, अब प्रदेश में केवल आयोडीन युक्त नमक ही मिलेगा, तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के उपभोक्ताओं को प्रति वर्ष या प्रति माह कितने टन आयोडीन युक्त नमक की आवश्यकता है और सरकार ने कितने टन नमक जनता को बीमारी से बचाने के लिए उपलब्ध करवाया या व्यवस्था कराई है ?

श्री हुकुम सिंह–

पूरे प्रदेश में प्रति दिन या प्रति माह कितने आयोडीन युक्त नमक की आवश्यकता है, इसकी सूचना तो इस समय हमारे पास है नहीं, किन्तु यदि माननीय सदस्य की रूचि होगी, तो हम उपलब्ध करा देंगे । लेकिन जो नमक यह कहते हैं केन्द्र सरकार प्रदेश में उसे आबंटित करती है और जितनी आवश्यकता होती है, उतना करती है, हम उनको सूचना दे देते हैं और हमारे विभाग का और स्वास्थ्य विभाग का यह काम है कि वह मानीटरिंग करती रहे कि इसकी प्रदेश में कहीं कोई कमी न पड़ने पाए । हमें कोई माननीय सदस्य सूचना देंगे कि उनके यहां आयोडीन युक्त नमक कम आया है तो हम उसकी व्यवस्था करेंगे ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

एक फीलपांव और घेंघा जैसी बीमारियां फैल रही हैं और यह नहीं बता पा रहे हैं कि प्रदेश में कितने टन आयोडीन युक्त मंगाया गया, तो इससे साफ है कि यह आयोडीन नमक यहां नहीं मिल रहा है, इसलिए मान्यवर, आप इस प्रश्न को स्थगित कर दें, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि आयोडीन युक्त नमक के लिए यह क्या उपाय कर रहे हैं और कितना नमक आ रहा है ?

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

वर्ष 87–88 के सिंचाई शुल्क की माफी की मांग

*1–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि भयानक सूखे के कारण उत्पन्न संकट को ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने प्रदेश के किसानों का वर्ष 87-88 का सिंचाई शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो निर्णय क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मत्स्य राज्य मंत्री (श्री सीता राम निषाद)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता । सिंचाई व्यवस्था यथा सम्भव व्यापक की गई । अतः सिंचाई शुल्क माफ करना व्यवहारिक नहीं पाया गया ।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, सरकार यह मानती है कि सदी का सबसे बड़ा सूखा अबकी बार पड़ा । टी0 वी0 और रेडियों में तमाम घोषणायें की गईं । मान्यवर, सूखे से सीधा किसान प्रभावित हुआ है मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि सिंचाई शुल्क माफ करना व्यवहारिक नहीं पाया गया, तो क्या अड़चन थी कि सिंचाई शुल्क माफ करना व्यवहारिक नहीं पाया गया ?

श्री सीता राम निषाद–

सूखे की स्थिति में नहरों और नलकूपों को चलाकर व्यापक तौर पर पानी उपलब्ध कराया गया । केनाल एक्ट के 17–18 में यह नियम है कि सिंचाई शुल्क किस स्थिति में माफ किया जाता है उसमें है कि–नहरों से जल की आपूर्ति न होना अथवा जल की आपूर्ति रुक जाने के कारण या अन्य किसी कारण से नहर से जल की आपूर्ति न हो, ऐसी स्थिति में सिंचाई शुल्क माफ करने की व्यवस्था है । सूखे की स्थिति में यह निर्णय लिया गया कि 30 सितम्बर से नलकूपों से जानवरों के लिए बुआई की गई उसमें शत प्रतिशत शुल्क माफ किया गया । तोरिया बोने के लिए 50 फीसदी छूट दी गई यह व्यवस्था शासन की तरफ से की गई ।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

मान्यवर, इन्होंने बताया कि किन परिस्थितियों में शुल्क माफ किया जा सकता है। मान्यवर, तो क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि बलिया के गड़वार माईनर और बहेरी बसन्तपुर में पानी नहीं दिया गया, तो वहां पर शुल्क माफ करने की कृपा करेंगे ? केनाल एक्ट में ऐसी व्यवस्था है कि पानी न पहुंचे तो सिंचाई शुल्क माफ किया जाए, तो क्या यहां शुल्क माफ करने की कृपा करेंगे ?

श्री सीता राम निषाद–

इसमें जांच करा ली जाएगी अगर यह केनाल एक्ट के अंतर्गत आता होगा । तो जरूर छूट मिलेगी ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

माननीय मंत्री जी ने राजाज्ञा के बारे में बताया जो सबसे बड़ी रुकावट है । इन राजाज्ञाओं के वजह से सुविधा देना संभव नहीं है । राजाज्ञायें शासन जारी करता है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा यह ऐसी विषम और अभूतपूर्व स्थिति है इसको देखते हुए क्या माननीय मंत्री जी ऐसा आश्वासन देंगे कि इन राजाज्ञाओं को शिथिल करने पर शासन विचार करेगा ?

श्री सीता राम निषाद–

मान्यवर, सूखे की स्थिति में, सिंचाई प्रणाली जो प्रदेश की है उसको पहले से भी ज्यादा व्यापक किया गया था और पहले साल के मुकाबले में 34 प्रतिशत सिंचाई खरीफ और रबी की मिलाकर अधिक की गई । तो व्यापक तरीके से सिंचाई की व्यवस्था की गई है । ऐसी स्थिति में शुल्क माफ करने का प्रश्न ही नहीं उठता है । सिंचाई न की जाए तो माफ करने का प्रश्न आता है । केनाल एक्ट नियम जो है उसका आदर किया जाएगा ।

श्री भागीरथ चौधरी–

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं हमारे बुन्देलखण्ड में सूखा हर वर्ष पड़ता है । हमारे यहां पतराई बांध स्वीकृत है तो इसके लिए मेरा निवेदन है कि धन आवंटित किया जाय । बुन्देलखण्ड में मउरानी पुर इलाका है जहां पर न तो ट्यूबवेल हैं और न सिंचाई का दूसरा साधन है तो वहां पर भी सिंचाई के साधन उपलब्ध कराये जायं और उनके लिए धन का प्राविधान कराया जाय ।

श्री पारस नाथ यादव–

मान्यवर, कैनाल एक्ट में प्राविधान है कि चाहे एक दफे पानी की सिंचाई करें या दो दफे करें लगान उतनी ही देनी पड़ती है । मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि हमारे यहां किसानों ने पलेवा किया और अपनी फसल बोयी । बाद में नहर में पानी नहीं गया जिससे फसल सूख गयी । तो जिसकी फसल सूख गयी उसकी सिंचाई माफ करने की कृपा करेंगे ?

श्री सीता राम निषाद–

मान्यवर, अभी तो व्यवस्था है कि पलेवा का जो पानी है यदि वह दिया जाता है तो यह माना जाता है कि सिंचाई की गयी है । वर्तमान जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत इसकी सिंचाई देय है ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, सामान्य स्थिति में रबी के दिनों में पश्चिमी क्षेत्रों में एक हफ्ते नहर से पानी दिया जाता है और दूसरे हफ्ते नहर बंद रहती है और दूसरे क्षेत्रों में पानी जाता है । अबकी बार सूखे की स्थिति में पश्चिमी जिलों में एक हफ्ते में पानी दिया गया लेकिन उसके बाद 3 हफ्ते नहर बंद रही और चौथे हफ्ते पानी दिया गया । तो क्या ऐसी स्थिति में उसी अनुपात में सिंचाई शुल्क कम करने की कृपा करेंगे ?

श्री सीता राम निषाद–

मान्यवर, जो पानी उपलब्ध था उसे रोस्टर बनाकर कृषि विभाग की सहायता से, पानी उपलब्ध कराया गया और सिंचाई की गयी । इसलिए माननीय सदस्य जो छूट की बात कर रहे है तो चूंकि पानी उपलब्ध कराया गया है इसलिए छूट देना संभव नहीं है ।

श्री मिश्रसेन–

मान्यवर, सिंचाई से जो धनराशि पूरे उत्तर प्रदेश में मिलती है उसका आंकड़ा क्या है । क्या इसे अनुदान के रूप में मान कर माफ करने की कृपा करेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्न इससे उठता नहीं है ।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, सरकार यह मानकर चलती है कि इस सदी का सबसे भयंकर सूखा अबकी पड़ा है । 151 करोड़ केन्द्र सरकार से लेकर और कई सौ करोड़ रुपये सरकार ने अपने इस मद में लगाये ताकि किसानों को मदद मिले । लेकिन इसका फायदा किसान तक नहीं पहुंचा और सरकार ने चंद दलालों की जेब भरो के लिये करोड़ों रुपये खर्च कर दिये । तो क्या इसको देखते हुए कि किसान तक सीधा लाभ नहीं पहुंचा है सिंचाई शुल्क को माफ करने पर विचार करेंगे ?

श्री सीता राम निषाद–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाया कि यह पैसे का दुरुपयोग किया गया, तो मान्यवर, यह माननीय सदस्य का आरोप निराधार है । जो धन सिंचाई विभाग को दिया गया है, उसे नहरों की सफाई में खर्च किया गया, ट्यूबवेल चलाने के लिए खर्च किया गया और उसका परिणाम भी सामने है कि पहले से ज्यादा सिंचाई हुई है । तो मान्यवर, इससे किसानों को सिंचाई का सीधा लाभ पहुंचा है और उससे रबी की फसल अच्छी हुई है । इस प्रकार से मान्यवर सिंचाई से किसानों को सीधे लाभ पहुंचाया गया है ।

श्री अचल सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन नहरों में आपने केवल पलेवे पर पानी दिया और दुबारा नोटिस दे दिया कि सूखे की वजह से इन नहरों में पानी नहीं दिया जायगा और किसानों की फसल सूख गयी, तो उन किसानों का सिंचाई शुल्क माफ करने की कृपा करेंगे ?

श्री सीता राम निषाद–

मान्यवर, माननीय सदस्य हमें किसी विशेष नहर की जानकारी करा देंगे, तो हम उसका परीक्षण करा लेंगे और जो सहायता नियम के अंतर्गत हो सकती है, वह सहायता कर दी जायेगी ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि सिंचाई चूंकि किसानों को दी गयी, इसलिए सिंचाई का शुल्क माफ नहीं किया जा सकता है । मेरे अनुपूरक प्रश्न में माननीय मंत्री जी ने कहा कि जितना पानी उपलब्ध हो सकता था, वह पानी हम दे पाये । श्रीमन् पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सामान्य स्थिति में एक हफ्ते नहरों में पानी दिया जाता है और एक हफ्ते नहरे बंद रहती हैं, परन्तु अबकी बार सूखे की असामान्य स्थिति के कारण एक हफ्ते नहरों में पानी दिया गया और तीन हफ्ते नहरें बन्द रहीं, तो मान्यवर, उसी अनुपात में सिंचाई शुल्क में भी सुविधा दी जानी चाहिए चूंकि मान्यवर, माननीय मंत्री जी वह सुविधा नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैं अपने दल के साथ दो मिनट के लिए सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(श्री दिवाकर विक्रम सिंह अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

पावर कनेक्शन पर लगी रोक हटाने की मांग

*2–डाक्टर दिनेश जौहरी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने इस समय नए पावर कनेक्शन पर रोक लगा दी है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण है? क्या मंत्री जी प्रदेश के हजारों नए पावर कनेक्शन मांगने वालों के हित में नए पावर कनेक्शनों के दिये जाने पर लगाई गई रोक को यथा शीघ्र समाप्त करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

गत वर्ष प्रदेश में अभूतपूर्व सूखा पड़ जाने के कारण नये पावर कनेक्शन पर रोक लगायी गयी थी ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई के लिए आवश्यक विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके । जाड़े में भी वर्षा अपर्याप्त रही जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों की मांग में काफी बढ़ोत्तरी हुयी, अतएव नये कनेक्शन पर लगे प्रतिबन्ध को हटाया जाना संभव न हो सका । अब स्थिति में कुछ सुधार हो जाने के कारण 100 हार्स पावर तक के नये कनेक्शन दिये जाने के आदेश जारी कर दिये गये हैं साथ ही समस्त शीत-गृहों, बरफ फैक्टरियों एवं कोल्ड डिंक उद्योगों को नए कनेक्शन अवमुक्त करने के आदेश दे दिये गये हैं । जैसे-जैसे स्थिति में सुधार होगा अन्य उद्योगों के भी नए विद्युत कनेक्शन अवमुक्त करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

डाक्टर दिनेश जौहरी–

मान्यवर, जब से प्रमोद तिवारी जी ने बिजली विभाग सम्भाला है, बिजली विभाग में बिजली का उत्पादन घटा है और बिजली की चोरी भी बढ़ी है । मान्यवर, डामेस्टिक कनेक्शन देने के लिए इनके आदमी 1-1 हजार रुपये ले लेते हैं और जितने

पावर कनेक्शन्स होते हैं, उसमें तो 10-10 हजार रुपये लिये जाते हैं । मैं दो बातें पूछना चाहता हूं । एक तो यह है कि ऐसी चोरी जो आपके अधिकारी और कर्मचारी कर रहे हैं, इसकी जांच करेंगे और इस चोरी को रोकेंगे, दूसरा यह है बहुत सी इण्डस्ट्रीज ऐसी हैं जब डेवलर बनाने की फैक्ट्री है आटा मिल हैं, जिन्होंने बहुत बड़ा लोन ले रखा है और बिजली न देने के कारण उस पर ऋण बढ़ता चला जा रहा है, इसे देखते हुए प्रतिबन्ध हटाने की कृपा करेंगे ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैंने स्पष्ट कहा है कि सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस समय कृषकों की है । हमें कृषकों को बिजली देने के लिए उद्योगपतियों की बिजली कटाना पड़ेगा और काटने पर उद्योगपतियों की कीमत पर कृषकों को बिजली नहीं देंगे । दूसरा मान्यवर, जिसे मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं कि मेरे कार्यकाल में चोरी कम हुई है । जिस रेट का जिक्र किया है वह दिनेश जौहरी जी के माध्यम से दलाली होती होगी, मैं इससे साफ इंकार करता हूं इसमें कहीं भी सच्चाई नहीं है । मान्यवर, जिसका इन्होंने जिक्र किया इनके माध्यम से होती हो तो इसकी सारी जिम्मेदारी इनकी होगी । मैं इन्हें चुनौती देना चाहता हूं अगर इसे यह स्पष्ट कर देंगे तो मैं विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा और अगर इनमें नैतिकता है तो लगाये गये आरोप को सिद्ध करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता–

मान्यवर, डाक्टर जौहरी ने जो बात कही थी वह किसी के माध्यम से यहां कहां है । यह तो सरकार की जिम्मेदारी है । माननीय मंत्री जी को इतनी जल्दी उत्तेजित नहीं होना चाहिए । मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन्होंने 100 हार्सपावर तक के कनेक्शन को देना स्वीकार किया है क्योंकि यह कृषकों के हितों को ध्यान में रखकर देंगे मैं जानना चाहता हूं कि 100 हार्स पावर के ऊपर जो कृषि पर आधारित उद्योग हैं जिनका लाभ भी कृषकों को होना है और वह लोग बैंक से, पिकप से, सरकार से, क्योंकि पिकप भी सरकारी है, कर्जा लेकर अपना उद्योग प्रारम्भ कर रहे हैं और उनको उसका कर्ज का ब्याज देना पड़ रहा है तो ऐसे मामले में पुनर्विचार करने की कृपा करेंगे ? मान्यवर, मैंने उनके बारे में कहा कि जो कृषि पर आधारित उद्योग हैं, 100 हार्सपावर से ज्यादा बिजली चाहते हैं तो इस पर पुनर्विचार करने की कृपा करेंगे ? जिन्होंने इस्टीमेंट जमा कर दिया है, अनुबन्ध हो गया है उस पर शासन पुनर्विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैंने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार के सामने पहली खरीफ की फसल को बचाने के लिए नये कनेक्शन नहीं दिये और दूसरा यह कि वर्षा भी नहीं हुई इसलिए कटौती लागू है । मान्यवर, जो छोटे लोग हैं या जो गरीब तबके के लोग हैं उनको 100 हार्सपावर तक की छूट दी है ऐसी स्थिति में जो हमारे कृषि के ऊपर आधारित उद्योग हैं जैसे कोल्डस्टोरेज वगैरा हैं उन पर छूट दे दी गयी है । अब

जो बड़े उद्योग हैं तो सरकार के सामने दो विकल्प हैं कि नये उद्योग का कनेक्शन दें या जो उद्योग चल रहे हैं उनको बिजली दें । तो जो उद्योग चल रहे हैं उनको देने के लिए तथा कृषकों के हितों के लिए 100 हार्स पावर तक का कनेक्शन दे रहे हैं । मान्यवर, जब स्थिति सामान्य हो जायेगी और मड़ाई पूरी हो जायेगी तो उसके बाद विचार अवश्य करेंगे ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कृषकों के प्रति सहानुभूति दर्शायी है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो बिजली का उत्पादन है उसमें कितना मेगावाट आप किसानों को दे रहे हैं और कितना उद्योगों पर लगा रहे हैं ? आज कल किसी भी दिन का बता दें ?

(श्री मित्रसेन का नाम पुकारे जाने पर)

मान्यवर, जवाब तो दिलवा दें, इतने विद्वान मंत्री से जबाव नहीं दिलवा पायेगें, इनको पता तो चले कि कितना किसान को दे रहे हैं । इनके पास आकड़ा होगा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप सुने तो, मंत्री जी अपने सब गुण सामने नहीं रख रहे हैं ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, यह बहुत अच्छा सवाल था, यह विद्वान मंत्री हैं कोई मुन्शी जी की तरह तो हैं नहीं, यह बता देंगे ।

श्री मित्रसेन–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं वैसे तो माननीय माता प्रसाद जी ने बहुत सही सवाल पूछा था, मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने किसानों को यह नये कनेक्शन देने की बात किया है तो यह आदेश कब जारी किये गये हैं और प्रदेश के किन-किन जिलों के लिए जारी किये गये हैं?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह छूट का आदेश दिनांक 5 मार्च, 1988 को जारी किया गया है मैं जिले में भेदभाव नहीं करता हूं यह सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए है।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मा0 मुख्य मंत्री जी ने कोई आदेश दिया था, ऐसा मुझे मालूम हुआ है कि नये कनेक्शन दे दिये जायं, लेकिन सचिव शहजाद बहादुर ने कह दिया कि मुख्य मंत्री जी तो रोज आदेश करते रहते हैं, कहां कहां आर्डर दें। तो क्या मा0 मंत्री जी देखेंगे कि मा0 मुख्य मंत्री जी ने कितने आदेश किये हैं और किसानों का क्रियान्वयन हो पाया है?

श्री अध्यक्ष–

यह तो प्रश्न से संबंधित नहीं है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

आज सत्याग्रह कर रहे हैं, हाउस में क्या कर रहे हैं ? जवाब ही नहीं दे रहे हैं।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, इसका नाम बता दूं। एक है तिरुपति प्लाईउड प्रोडक्टस प्राइवेट लिमिटेड, लखीमपुर खीरी का 250 हार्सपावर का, जिसके आदेश दिनांक 29-2-88 को मुख्य मंत्री जी ने दिये थे और दूसरा है पशुपति विनियर मिल्स, लखीमपुर खीरी का 125 हार्स पावर का जिसके आदेश दिनांक 16-3-88 को मुख्य मंत्री जी ने दिये थे। यह दो नाम मैं बता देता हूं, जिसमें मा0 मुख्य मंत्री जी ने स्पष्ट आदेश किये हैं, जिनका आज तक क्रियान्वयन नहीं हो पाया। आप काबिल हैं, डिपार्टमेंट अच्छा चला रहे हैं, कृपया मुख्य मंत्री जी के आदेशों का अनुपालन करावें।

श्री अध्यक्ष–

मा0 मंत्री जी आपके पास हो तो बता दें।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी के आदेशों का शत प्रतिशत पालन होता है। उनके आदेशों का पालन अवश्य होगा। मा0 सदस्य ने जो कहा, मैं दिखवा लूंगा। वैसे मा0 सदस्य 5 हार्सपावर के ट्यूबवेल की चिन्ता ज्यादा कर, 250 हार्सपावर की कम करें। मैं इसको दिखवा लूंगा और पुनर्विचार करके मा0 मुख्य मंत्री जी ने निरस्त नहीं किया होगा तो अवश्य कराऊंगा। वैसे मैं माता प्रसाद जी के प्रश्न का भी उत्तर दे दूं। एक हजार मेगावाट जिस कार्य के लिए देते हैं, मान्यवर, वह बैंक का फिक्स डिपाजिट नहीं है। जिस दिन आवश्यकता बढ़ जाती है, ज्यादा दे देते हैं और जिस दिन कम आवश्यकता होती है कम कर देते हैं। लेकिन 10 घंटे से कम का तो प्रश्न ही नहीं उठता है।

डा0 दिनेश जौहरी–

मान्यवर, मा0 मंत्री जी उत्तेजित हो गये, मैंने तो एक बात कही। मैं दो लोगों के पत्र लिखे हुए दिखा सकता हूं जिनसे डोमेस्टिक लाइट के लिए पैसा मांगा गया। जैसा कि रेवती रमण सिंह जी ने कहा, मैंने भी 40 हार्सपावर के लिए चन्द्रा इण्डस्ट्रीज बरेली के लिए मुख्य मंत्री जी से लिखवाया था, सचिव ने कह दिया कि मुख्य मंत्री जी रोज लिख देते हैं, किसको किसको दें। क्या मा0 मंत्री जी इसको स्पष्ट करने की कृपा करेंगे?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह आदेश जो होते हैं, इन पर पुनर्विचार भी किया जाता है और स्थिति हम लोगों के सामने रखी जाती है कि इन कारणों से यहां पर ज्यादा देना उचित नहीं है, तो ऐसे आदेशों पर पुनर्विचार किया जाता है।

नगर महापालिका पर स्ट्रीट लाइट का बकाया

*3–कुंवर रेवती रमण सिंह तथा श्री मैनेजर सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर महापालिका पर स्ट्रीट लाइट का कुल भुगतान कितना और कब से बकाया है तथा उसकी वसूली हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त बकाया धनराशि निरन्तर बढ़ने के क्या कारण हैं? क्या मंत्री जी इसका उत्तरदायित्व निर्धारित करेंगे?

श्री प्रमोद कुमार–

लखनऊ नगर महापालिका पर स्ट्रीट लाइट के विद्युत बीजकों के बकाया के भुगतान की राशि 110.43 लाख रु0 अक्तूबर 84 से 31-12-87 तक है। इस बकाया राशि के भुगतान हेतु नगर महापालिका के अधिकारियों से निरन्तर पत्राचार तथा व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क किया गया परन्तु बकाया धनराशि का भुगतान अभी तक नहीं प्राप्त हो सका है। नगर महापालिका द्वारा विद्युत बिलों का भुगतान नियमित रूप से न किये जाने के कारण उक्त धनराशि बढ़ती जा रही है।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् का अरबों रुपया बकाया है और यह सरकार वसूल नहीं कर पाती है। मैंने पूछा था कि किसकी जिम्मेदारी है, क्यों नहीं वसूल हुआ, जिसकी जिम्मेदारी है और नहीं वसूल हुआ, उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की ? मंत्री जी ने बताया नहीं । कृपया स्पष्ट करा दें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह मैंने स्वीकार किया है कि नगर महापालिका पर बकाया है और यह धनराशि कितनी है? मैंने स्वीकार किया है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इसकी वसूली के लिए निरन्तर प्रयास किया गया। पहले लेसू के अधिकारियों और नगर महापालिका के अधिकारियों के बीच वार्ता हुई, वहां कोई निर्णय नहीं निकला तो सचिव, ऊर्जा और सचिव, नगर विकास के स्तर पर वार्ता हुई, और उस वार्ता के द्वारा अब यह तय पाया गया कि जो पैसा शासन द्वारा सीधे नगरपालिका को दिया जाता है, उसी में से हमें वह पैसा विद्युत विभाग के लिए मिल जायेगा। कड़ाई इसलिए नहीं कर सकते हैं, अगर नगरपालिका के ऊपर हम कड़ाई कर दें तो उसका परिणाम यह होगा कि बिजली काटेंगे और जिससे पूरा लखनऊ नगर अंधकार में डूब जायेगा। जनहितकारी कामों को भी देखने की हमारी जिम्मेदारी है।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, यह हो सकता है कि मैं जो बात पूछ रहा हूं वह विषयांतर हो सकती है। प्रदेश के हित में, निष्पक्षता के हित में मैं यह जानना चाहता हूं कि जो बकाया धनराशि वसूल नहीं हो रही है महापालिका की नगरपालिका की, उनको छोड़कर, ऐसे कितने फैक्ट्री मालिक हैं, जिनके ऊपर विद्युत विभाग का एक लाख रु0 से अधिक का बकाया चला आ रहा है।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, बहुत ही विनम्रतापूर्वक माननीय मुलायम सिंह जी से कहना चाहता हूं कि प्रश्न यह है कि लखनऊ नगरमहापालिका के ऊपर कितना बकाया है और उसके बारे में यहां जानकारी दी गयी। माननीय मुलायम सिंह जी ने जो बात कही है, अगर ऐसे लोगों की सूची वह प्रश्न के रूप में अलग से मांग लें, तो वह हम उपलब्ध करा देंगे। मान्यवर, मैं उनकी जानकारी के लिए यह बता दूं कि इसी सत्र में अभी पिछले दिनों इसी तरह का एक सवाल यहां आया था, और उसमें पूरी स्थिति से हमने सदन को अवगत कराया था। संभवतः उस दिन माननीय मुलायम सिंह नहीं रहे होंगे।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि नगरपालिका के साथ अधिक कड़ाई वह नहीं कर सकते। मान्यवर, जो प्राइवेट लोग हैं, छोटे किसान हैं उनका बकाया होने पर उनकी बिजली भी काट दी जाती है और जेल भी भेज दिया जाता है, देहातों में राजस्व विभाग के माध्यम से वसूली के लिए आर0 सी0 भी जारी होती है। तो मान्यवर क्या प्रदेश सरकार शहरों और देहातों में मतभेद करती है? अगर नहीं करती है, तो यह फिर दोहरी नीति क्यों है? अगर देहात में कोई बकाया हो तो तुरन्त बिजली काट दी जाती है, ट्यूबवेल बंद कर दिये जाते हैं, तो फिर उसी आधार पर बकाये की स्थिति में शहर को अंधेरे में न रहने देने का क्या औचित्य है? बकाये की स्थिति में नगरपालिका की क्यों नहीं बिजली काटी जायेगी?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैंने स्वयं अपने कार्यकाल में यह निर्देश दिये हैं कि अगर किसी अधिकारी के घर का बकाया हो, तो उसकी बिजली काट दें, किसी कार्यालय का बकाया हो, तो उसकी बिजली काट दी जाय। माननीय सदस्य को इसकी गम्भीरता को सोचना चाहिए। नगरपालिका के अन्तर्गत कितने लाख लोग आते हैं और यह स्ट्रीट लाइट से संबंधित प्रश्न है। अगर स्ट्रीट लाइट की बिजली काट देंगे तो फिर पूरा लखनऊ शहर अंधकार में डूब जायेगा, उस स्थिति में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति होगी, उसके बारे में भी माननीय सदस्य सोचें। जो बकाया है उसकी कड़ाई से वसूली कर रहे हैं। पूरे जनहित में नरमी इसलिए बरती कि लखनऊ शहर पूरी तरह अंधकार में न डूबने पाये पर वसूलेंगे जरूर।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि अक्तूबर, 1984 तक कितना बकाया था। अक्तूबर, 84 से 31-12-87 तक कितना इनका बिल हुआ और उसमें कितना नगरपालिका ने भुगतान किया यह बता दें ताकि स्पष्ट हो सके कि इनकी बकाया की वसूली की कोशिश किस तरह की रही है? मान्यवर, दूसरे नगरपालिका की बिजली इसलिए नहीं काटेंगे कि सारा शहर अंधेरे में न हो जाय। क्या माननीय मंत्री जी इसी तरह की नीति दूसरी नगरपालिका और टाउन एरिया के बारे में भी जारी करेंगे? क्योंकि हमारे क्षेत्र में टाउन एरिया की बिजली काट दी गयी है वहां की स्ट्रीट लाइट में अंधेरा रहता है। यह दोहरा मापदण्ड क्यों है। क्या वहां अंधकार से कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं पैदा होगी?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, 1984 से 31-12-87 तक आंकड़ा मेरे पास है, 1 करोड़ 10 लाख 43 हजार रु0 बकाया है, यह सम्पूर्ण धनराशि बकाया है। मान्यवर, मैंने यह नहीं कहा कि हम लखनऊ नगरमहापालिका की बिजली काटेंगे ही नहीं। मान्यवर, हम उन्हें निरन्तर समझा रहे हैं, बूझा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। अभी तक इसलिए नहीं काटी है कि लखनऊ शहर अंधेरे में न डूबे। शासन के द्वारा भी इसमें धन उपलब्ध कराने की बात आयी है, जिसका कि मैंने पहले भी जिक्र किया। मान्यवर, अगर बकाये की धनराशि नहीं वसूल होगी, तो वसूली के लिए जो भी प्रयत्न होंगे जरूर होंगे ।

श्री शारदा नन्द अंचल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एक तरफ इन्होंने कहा कि हम किसानों के हित के लिए काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ इन्होंने कहा कि हम शहर की बिजली नहीं काटेंगे। लेकिन गांव की बिजली काट देंगे। तो मान्यवर, आप शहर की ही तरह क्या यह घोषणा करेंगे, कि नलकूप का बकाया होने पर किसी की बिजली नहीं काटी जायेगी? हमारे यहां 80 फीसदी लोग खेती पर मुनस्सर करते हैं । इस बात का आश्वासन दीजिये ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, सरकार 86 पैसे में बिजली बनाती है और उपभोक्ता तक पहुंचाती है। जबकि किसान को केवल 10 या 11 पैसे में बिजली दी जाती है। इसलिए हम यह आशा करते हैं कि सभी किसान समय से बिलों का भुगतान कर देंगे। यदि कोई भी उपभोक्ता बिजली का भुगतान नहीं करेगा तो उसके खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही अवश्य की जायेगी। इसलिए मैं ऐसा कोई आश्वासन नहीं दे सकता।

श्री राजेन्द्र सिंह (अलीगढ़)–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी का कहना है कि किसान को 10 या 11 पैसे में बिजली दी जाती है, तो क्या यह अपने कथन की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए ट्यूबवेलों पर मीटर लगवाने की कृपा करेंगे। ताकि मीटर से यह जज हो सके कि 10 या 11 पैसे प्रति यूनिट बिजली दे रहे हैं?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह इस आगणन पर आधारित है कि जब किसान को हम 3 घन्टे बिजली देते हैं तो यह उसी हिसाब से पड़ता है। लेकिन इस समय हम किसान को 10 घन्टे बिजली दे रहे हैं और मीटर लगाना किसान के हित में नहीं होगा, क्योंकि तब उसे यह ज्यादा महंगा पड़ेगा और पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, इसलिए मीटर लगाना उचित नहीं होगा।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1950 के नियम 38(2) के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

तार बाबुओं की समस्याओं का निदान हेतु ज्ञापन एवं कृत कार्यवाही

*1–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि तार बाबुओं की समस्याओं के निदान हेतु प्रश्नकर्ता की ओर से कोई ज्ञापन दिनांक 9-11-87 से 12-11-87 के बीच मिला? यदि हां, तो उनकी मुख्य मुख्य समस्यायें क्या हैं तथा उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री सीता राम निषाद–

जी हां।

माननीय विधायक महोदय के माध्यम से तार बाबू संघ का दिनांक 8-11-87 का आवेदन प्राप्त हुआ, उसकी मुख्य समस्याओं पर स्थिति निम्न प्रकार है:–

1–तार बाबुओं को तकनीकी संवर्ग में सम्मिलित करके तकनीकी वेतनमान दिया जाये।

तारबाबू की नियुक्ति के लिए सेवा नियमावली में शैक्षिक योग्यता हाई-स्कूल उत्तीर्ण तथा पोस्ट एवं टेलीग्राफ डिपार्टमेण्टस से टेलीग्राफी की परीक्षा उत्तीर्ण होना निर्धारित है।

उपरोक्त योग्यता इस प्रकार की नहीं है, कि जिन्हें तकनीकी संवर्ग की योग्यताओं के समकक्ष रखा जा सके। अतः तार बाबुओं को वेतन आयोग द्वारा स्वीकृत वेतनमान दिया जा रहा है।

2–तार बाबुओं का कार्यकाल प्रातः 10 बजे से 4 बजे तक तथा सायं 7 बजे से 8 बजे तक का है इसे निरन्तर किया जाय।

सिंचाई विभाग में कार्य की आवश्यकता को देखते हुए सिंचाई मैनुअल के पैरा 281 के अंतर्गत इस प्रकार के कार्यकाल का प्राविधान किया गया है जिनको बदलना कार्यहित में नहीं होगा।

3–तारबाबुओं को अवकाश काल में कार्य करने पर अतिरिक्त धन दिया जाना ।

सिंचाई विभाग में तारबाबुओं को अतिरिक्त धन दिया जाना युक्तसंगत नहीं पाया गया।

4–तार बाबुओं को प्रोन्नति का अवसर उपलब्ध कराया जाना।

विभाग में तारबाबू (ग्रेड–1) के 136 अस्थाई पद स्वीकृत हैं। इस प्रकार तारबाबू को ग्रेड–2 से ग्रेड–1 में प्रोन्नति के अवसर उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त तार बाबुओं को नियमानुसार 10 वर्ष की नियमित सेवा पर समय-मान वेतनमान की सुविधा भी प्राप्त है।

5–तार बाबुओं को आवश्यक सेवाओं के अन्तर्गत माने जाने के कारण अति-रिक्त भत्ते के रूप में एक माह का अतिरिक्त वेतन दिया जाना।

सिंचाई विभाग में तारबाबुओं को एक माह का अतिरिक्त वेतन देना युक्तसंगत नहीं पाया गया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय सिंचाई मंत्री ने तार बाबू संघ की सभी मांगों को अस्वीकृत कर दिया। लेकिन उन्होंने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि उन्हें टेलीग्राफ डिपार्टमेंट में टेलीग्राफी परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ती है, जो एक तकनीकी ज्ञान है। इसके अतिरिक्त उन्हें अवकाश के दिनों में भी काम करना पड़ता है, समय से ज्यादा काम करना पड़ता है शासन स्वतः स्वीकार करता है कि उनकी तकनीकी प्रकार की शिक्षा है और अवकाश के दिनों में भी उन्हें काम करना पड़ता है। इन सारी चीजों पर सरकार पुनर्विचार करके उन्हें कम से कम एक महीने का एक्सग्रेशिया देने की कृपा करेंगी। दूसरा, वेतन कमेटी जो बैठी है, इसके सामने इन सारी परिस्थितियों को रखेंगी कि इनको तकनीकी कर्मचारी मान लिया जाय?

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, इनकी योग्यता बताई गई है, वह तकनीकी योग्यता के समकक्ष नहीं है। जहां तार-घर होता है, वहीं उनको आवासीय सुविधा दी जाती है। इनका जो समय निर्धारित किया गया है, वह विभाग की उपयोगिता के लिहाज से तय किया गया है जिससे सिंचाई संबंधी सूचना वह समय पर भेज सकें। माननीय सदस्य ने जो वेतन कमेटी का हवाला दिया है, उसका जो फैसला होगा, उसी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उसमें परस्पर विरोधाभास है। एक ओर तो उन्होंने स्वीकार किया है कि उन्हें अधिक से अधिक काम करना पड़ता है और हर समय उपलब्ध रहना पड़ता है, दूसरी तरफ उन्हें एक महीने का एक्सग्रेशिया देने को वह तैयार नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि एक्सग्रेशिया तो वह शासन स्तर पर दे सकते हैं, उसके लिए वेतन कमेटी की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा, यह कि उन्हें तकनीकी प्रकार की शिक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ती है, इसलिए शासन अपनी तरफ से वेतन कमेटी को यह अनुशंसा करेगी कि इन्हें तकनीकी कर्मचारी मान लिया जाय?

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, शासन ने इस पर विचार कर लिया है और उनकी योग्यता तकनीकी योग्यता के समकक्ष नहीं पाई गई।

जनपद आगरा के क्षेत्र फिरोजाबाद के ग्राम नसीलपुर में राजकीय नलकूप की ग्यारह हजार वोल्टेज की लाइन से लगी आग की क्षतिपूर्ति की मांग

*2–श्री रघुबर दयाल वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के क्षेत्र फिरोजाबाद के ग्राम नसीलपुर में दिनांक 4 जनवरी, 1988 को करीब 12 बजे दिन राजकीय नलकूप 62 की ग्यारह हजार वोल्टेज की लाइन से तार टूटने पर काश्तकारों के निजी नलकूपों की लाइन पर गिर पड़ने से श्री बाबू लाल श्री भारामल श्री कल्याण सिंह के नलकूप के

कॉबिल में आग लग गयी और श्रीमती जानकी देवी और श्रीमती शान्ति देवी एकदम जल गयी और घटना स्थल पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया तथा 10 अन्य व्यक्ति बिजली के झटकों से घायल हुए? यदि हां, तो क्या विद्युत परिषद् ने क्षतिपूर्ति की? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रमोद कुमार–

जी हां।

उक्त दुर्घटना में श्रीमती जानकी देवी एवं श्रीमती शान्ति देवी की घातक तथा ग्यारह व्यक्तियों की साधारण दुर्घटना हुई।

क्षतिपूर्ति किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् को निर्देशित कर दिया गया है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जानकी देवी व शान्ति देवी की घटना स्थल पर ही जलने के बाद मौत हो गई। माननीय मंत्री जी ने बताया कि घातक चोटें आई। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि इन दोनों महिलाओं को बिजली ने पकड़ लिया और वहीं पर ये दोनों जलकर मर गईं और उसका लड़का श्री हजारी लाल बहुत बुरी तरह से घायल हो गया, आज तक उसकी स्थिति चिन्ताजनक बनी हुई है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उन्हें अभी तक कितनी धनराशि सहायता के तौर पर दी गई है?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह सही है कि श्रीमती जानकी देवी व शान्ति देवी की मौत इसी घटना के कारण हुई है और 11 व्यक्ति इस घटना के कारण घायल हुए हैं। मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि मैं आज ही निर्देश दूंगा कि इन दोनों मृतकों को 10–10 हजार रुपए व घायल व्यक्तियों में प्रत्येक को 1-1 हजार रुपए का भुगतान दो महीने के अन्दर कर दिया जाय।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जिन लोगों की मृत्यु हुई है, ऐसे मामलों में पूर्व भी 30–30 हजार रु0 दिये गये हैं, क्या इसमें भी 30-30 हजार रु0 की राशि देंगे? जो ट्यूबवेल जल गये हैं, उसकी क्षतिपूर्ति कितनी देंगे?

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय सदस्य की भावना का ध्यान रखते हुए 15–15 हजार रु0 मृतकों को दिला देंगे।

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी–

मैं माननीय सदस्य, प्रतापगढ़ से जानना चाहता हूं कि अब तक विलम्ब का क्या कारण था?

श्री प्रमोद कुमार–

इसका उत्तर माननीय सदस्य, प्रतापगढ़ से दिलवा दूंगा, मैं तो ऊर्जा मंत्री हूं । प्रतापगढ़ से माननीय लाल प्रताप सिंह सदस्य हैं ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, उत्तर में कहा था कि विद्युत परिषद् को क्षतिपूर्ति देने के निर्देश कर दिये गये हैं और अब कर रहे हैं कि आज निर्देश जारी कर देंगे ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी भविष्य में, जो इस तरह की दुर्घटनायें हो रही हैं, तो क्षतिपूर्ति की राशि के बारे में स्पष्ट आदेश तुरन्त जारी करने की कृपा करेंगे ? दूसरी बात, जो आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं, उनको रोकने के लिये दुबारा रिपीट न हों, उसके लिये भी निर्देश जारी करने की कृपा करेंगे ?

श्री प्रमोद कुमार–

मेरे दोनों जवाब सही हैं । पहली बात, क्षतिपूर्ति के निर्देश दे दिये गये हैं अर्थात् सामान्यतः 5 हजार रु0 देते हैं, उसके निर्देश जा चुके थे । दूसरी बात, माननीय सदस्य की भावना को देखते हुए मैंने 15 हजार रु0 के निर्देश देने की बात कही है । तीसरा, माननीय सदस्य ने महत्वपूर्ण सुझाव दिया है, मैं निर्देश भिजवा दूंगा कि ऐसे मसलों में विलम्ब न किया जाय और क्षतिपूर्ति तुरन्त दी जाय।

श्री गया प्रसाद वर्मा–

मैं जानना चाहता हूं कि नत्थू राम शाक्य, बच्चे लाल शाक्य के पिता, लोहिया भवन, बसरा ब्लाक, जिला-इटावा की दो साल पहले बिजली से चिपककर मृत्यु हो गयी थी, कई बार लिखकर गया, लेकिन कोई मुआवजा देने का प्राविधान नहीं किया गया । क्या मा0 मंत्री जी इस सम्बन्ध में कोई आश्वासन देंगे ?

श्री अध्यक्ष–

यह तो नया प्रश्न कर लिया आपने ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मैं जानना चाहता हूं कि एक-एक हजार रु0 घायलों के लिये कहा, 15–15 हजार रु0 दोनों मृतकों के लिये कहा । जो 30 हजार रु0 की सम्पत्ति काश्तकारों की जल गयी, उसके बारे में क्या क्षतिपूर्ति करेंगे ? यह भी तो विद्युत परिषद् के नियमों में है कि जो सामान क्षतिग्रस्त हो जाये, उसकी भी क्षतिपूर्ति की जायगी ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इनका प्रश्न यह है कि ट्यूबवेल की क्षतिपूर्ति के लिये इन्होंने कुछ बायदा किया है, उसके अनुसार क्षतिपूर्ति दिलाने के लिये जांच कराये लेते हैं, बिना आगणन के नहीं कह सकते हैं, आगणन के बाद ही निश्चित करेंगे इसको ।

इलाहाबाद जनपद के कौशाम्बी भीठी उपरदहा चन्द्र शेखर आजाद पार्क तथा मैक्परसन झील आदि के विकास का सुझाव

*3–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या पर्यटन राज्य मंत्री को ज्ञात है कि वर्ष 86-87 के पर्यटन के बजट भाषण में प्रश्नकर्ता द्वारा इलाहाबाद जनपद के कौशम्बी, भीटी उपरदहा, चन्द्र शेखर आजाद पार्क तथा मैक्परसन झील आदि के विकास का सुझाव अपने कटौती भाषण में देने पर उन्होंने इन सुझावों पर विचार करके विकसित करने का आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो इन स्थानों के विकास हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रमोद कुमार–

जी हां ।

कौशम्बी के विकास का प्रस्ताव विभाग की सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में सम्मलित है । कौशम्बी में एक पर्यटक आवास गृह एवं एक यात्रिका का निर्माण प्रस्तावित है ।

भीटी, उपरदहा, चन्द्र शेखर आजाद पार्क के विकास की कोई योजना विभाग की सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में सम्मिलित नहीं है । मैक्फरसन लेक के विकास का कार्य महापालिका इलाहाबाद द्वारा प्रारम्भ किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, माननीय पर्यटन राज्य मंत्री जी को क्या इस बात की जानकारी है कि मैंने वर्ष 1986-87 के पर्यटन के बजट भाषण में जिन स्थानों के विकास के सुझाव अपने कटौती भाषण में दिये थे उसमें से एक स्थान कौशम्बी भी है जो कि विकास योजना में प्रस्तावित है । अभी पिछले दिनों माननीय मुख्य मंत्री जी ने 50 करोड़ रु0 बांध परिपक्व विकास योजना में देने के लिए घोषणा की है । कौशम्बी में बांध के आधात्मक और कलात्मक साक्ष्य उपलब्ध हैं तो क्या माननीय मंत्री जी कौशाम्बी को बांध परिपक्व विकास योजना में शामिल करेंगे ?

श्री प्रमोद कुमार–

कौशम्बी को भी बांध परिपक्व योजना में शामिल करने का निर्णय शासन द्वारा ले लिया जायेगा ।

श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि इलाहाबाद में कौशम्बी, भीटी, उपरदहा, चन्द्रशेखर आजाद पार्क आदि स्थल जो कि उत्तर प्रदेश की संस्कृति से जुड़े हुए हैं, उनके विकास के लिये योजना है । लेकिन सातवीं पंच वर्षीय योजना में भी अभी केवल यह प्रस्ताव के रूप में है, इसके बावजूद नेहरु पार्क जो कि नैनी गांव में है उसे नेहरु परिवार को खुश करने के लिये 50 करोड़ रु0 की योजना स्वीकृत

कर दी गयी है । इस विकास योजना में जो नीमा गांव है और उसके आस-पास का जो क्षेत्र है उसमें 50 किलो मीटर तक उसे आप उजाड़ेंगे या उसका भी विकास करेंगे ? क्योंकि पर्यटक जब उस स्थान पर आयेंगे तो उसी रास्ते से आयेंगे, इसलिये उसका विकसित करना जरूरी है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी पर्यटन केन्द्रों पर पर्यटन की सुविधानुसार जो पर्यटन के स्थल हैं उसके विकास की जिम्मेदारी है । जहां तक बस्ती के विकास का संबंध है तो इसके लिए मान्यवर आपको मालुम ही है कि इसकी जिम्मेदारी विकास प्राधिकरण की है, पर्यटन विभाग की नहीं ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मैफरस्न झील के विकास का कार्य कब से प्रारम्भ करायेंगे और यह कब तक पूर्ण हो जायेगा और इसमें कितनी लागत आयेगी ?

श्री प्रमोद कुमार–

यह विकास योजना तो प्राथमिकता के आधार पर ले ली गयी है । माननीय मुख्य मंत्री, श्री वीर बहादुर सिंह जी ने वहां का शिलान्यास भी कर दिया है । अब जमीन की शर्तें पूर्ण करने के लिये सेना के अधिकारियों से बात करके जिन शर्तों पर उस जमीन को लिया जा रहा है, उसे पूर्ण करके शीघ्रातिशीघ्र विकास कराने का प्रयास किया जायेगा ।

[बुधवार, दिनांक 30 मार्च, 1988 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

यमुना नदी पर गोकुल बैराज के निर्माण की योजना में विलम्ब के कारण

*1–श्री सरदार सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री की जानकारी में है कि यमुना नदी पर गोकुल बैराज के निर्मित होने की योजना वर्ष 1982 से चलने के बावजूद भी इसका शिलान्यास आज तक नहीं हुआ है और योजना खटाई में पड़ी है ? यदि हां, तो क्रियान्वयन में विलम्ब के क्या कारण हैं ? क्या शासन योजना पर अविलम्ब तेजी से कार्य कराने का कष्ट करेगा ?

श्री सीता राम निषाद–

यद्यपि यमुना नदी पर गोकुल बैराज बनाने का प्रारम्भिक प्रस्ताव पहले से था परन्तु निश्चित योजना वर्ष 1985 में बनाई गई जिस पर अप्रैल, 1986 में मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में हुई बैठक में विचार किया गया । परियोजना प्राक्कलन केन्द्रीय जल आयोग व नगर विकास मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया जहां यह अभी परीक्षण में है। विभिन्न आपत्तियों का उत्तर दिया जा चुका है।

नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश ने इस परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति 4-10-1986 को दी है और दो करोड़ रुपये की राशि भी मार्च, 1987 में उप-लब्ध कराई ।

इसी बीच बैराज के पीछे जलाशय के पूर्ण जलस्तर को रखे जाने हेतु मथुरा के कुछ घाटों के डूबने के विषय में इण्डियन नेशनल ट्रस्ट फार आर्ट एण्ड कल्चरल हेरीटेज (इन्टेक) द्वारा आपत्ति उठाई गई है जिस पर गहनता से अध्ययन कर रिपोर्ट देने हेतु नगर विकास विभाग द्वारा एक तकनीकी समिति (जिसमें इन्टेक के प्रतिनिधि भी हैं) का गठन 19-2-19988 को किया है । मा0 मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 6-3-1988 की बैठक में भी इस पर विचार किया गया है। समिति की रिपोर्ट अभी अपेक्षित है।

शासन परियोजना के कार्यान्वयन के लिए प्रयत्नशील है।

श्री सरदार सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, तत्कालीन सिंचाई मंत्री और वर्तमान में मा0 मुख्य मंत्री जी ने अपने वर्ष 81–82 के बजट भाषण में स्पष्ट रूप से यह घोषणा की थी कि इस गोकुल बैराज का निर्माण हम 86 तक करा देंगे, परन्तु मान्यवर, अब तो 88 आ गया और निरन्तर यह समय बढ़ाते ही जा रहे हैं, जिससे मान्यवर, मथुरा और वृन्दावन वासियों में पानी की त्राहि-त्राहि मची हुई और इस कारण वहां का सांस्कृतिक गौरव व प्राचीन सौन्दर्य समाप्त होता जा रहा है। इसलिए मैं मा0 मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि उस समिति की रिपोर्ट कब तक आ जायेगी और कब तक इस पर काम शुरू करा देंगे ।

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, समिति की रिपोर्ट जैसे ही प्राप्त हो जायेगी, उसके बाद ही निर्णय लेकर काम शुरू करा दिया जायेगा ।

श्री सरदार सिंह–

निश्चित समय तो बता दीजिए ।

श्री लक्ष्मी नारायण–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह समिति क्या इस बात पर विचार कर रही है कि इस बैराज की क्षमता घटाई जाए या बढ़ाई जाए और क्षमता के बढ़ाए जाने से पानी अधिक मिल सकेगा या कम, मान्यवर, इसी जानकारी में इतना समय लग गया और आगे न मालूम कितना समय और लगे इसलिए मैं मा0 मंत्री जी से केवल यह जानना चाहूंगा कि पानी की क्षमता गोकुल बैराज की घटाई या बढ़ाई जाए, इस विचार को छोड़कर, केवल इस बात को निश्चित रूप से बताने का कष्ट करें कि क्या वर्ष 1988 तक इस बैराज का निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा या नहीं ?

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, 166 मीटर पर इस बैराज के बनाये जाने का प्राक्कलन बनाया गया । मैंने जैसा कि अपने उत्तर में भी कहा कि इन्टेक द्वारा इस पर आपत्ति उठायी गयी कि इसके पूर्ण जलाशय से वहां के अर्थात् मथुरा के कुछ घाट डूब जायेंगे । चूंकि धार्मिक दृष्टिकोण से यह आपत्ति उठायी गयी, इसलिए इस आपत्ति पर गम्भीरता से विचार विमर्श हुआ कि यदि 165 मीटर कर दिया जाए तो उसकी क्या स्थिति

होगी और चूंकि यह पेयजल से संबंधित पूर्ण योजना है, इस पर नगर विकास विभाग ने यह उचित समझा कि इसकी एक समिति बना दी जाए और वह यह समुचित रूप से देख ले कि यदि इस स्थिति में पानी पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है तो यह रखा जाए, इसलिए इस पर तकनीकी दृष्टिकोण से विचार हो रहा है और जैसे ही यह रिपोर्ट आ जायेगी, वैसे ही काम प्रारम्भ करा दिया जायेगा ।

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, समिति के अधीन जो विचाराधीन बिन्दु हैं, वह कौन-कौन से हैं, क्या उसमें लिफ्ट सिंचाई और उसकी क्षमता भी सम्मिलित है, जिन-जिन बिन्दुओं पर विचार चल रहा है इस समिति में उसे कृपया बता दें।

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, यह सिंचाई योजना नहीं है, यह शुद्ध रूप से पेयजल की योजना है और इस संबंध में जो आपत्तियां आयी थीं उन्हीं पर मात्र विचार हो रहा है कि यदि एक मीटर कम कर दिया जाए तो इससे पेयजल समस्या जो है उसमें कोई कमी तो नहीं आयेगी, न किसी प्रकार की कमी आवे और न ही बढ़ने पाये, इसी बात को देखने के लिए केन्द्रीय जल आयोग ने एक बात यह कही थी कि इसमें जो नाले गिरते हैं, उनका क्या होगा । इसमें 17 नाले गिरते हैं तो उनके बारे में निर्णय लेकर नगर विकास विभाग को आदेश दे दिये गये हैं कि उनका डाई-वरजन किया जाय और उन नालों के डाईवरजन की कार्यवाही शुरू कर दी गयी है।

श्री विजय सिंह राणा–

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा की पानी की आवश्यकता क्या है और इस बैराज से आप कितना पानी दे पायेंगे ?

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, आगरा और मथुरा दोनों नगरों के लिए यहां से व्यवस्था की जायेगी, जिसमें आगरा के लिए 115 क्यूसेक पानी और मथुरा के लिए 30 क्यूसेक पानी की आवश्यकता है। इसके लिए मान्यवर, यह बैराज बनाया जा रहा है और इस बैराज का जल स्तर 166 मीटर प्रस्तावित है। बैराज की कुल जल संचय क्षमता 30,525 एकड़ फीट है जिसमें शुद्ध जल संचय क्षमता 22,530 एकड़ फीट अनुमानित है। इस बैराज की अनुमानित लागत 28.4 करोड़ रुपया है।

टिकट वितरण की नई प्रणाली से उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के परिचालकों में रोष

*2–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या परिवहन मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि टिकट वितरण की नई प्रणाली को लेकर उ0 प्र0 परिवहन विभाग के कंडक्टरों में रोष व्याप्त है और उन्नाव डिपो के कंडक्टरों ने इसके विरोध में माह दिसम्बर, 87 में हड़ताल कर दी थी जिससे विभाग को लाखों रुपये की क्षति हुई? यदि हां, तो नई टिकट वितरण प्रणाली की जगह पर कंडक्टरों की मंशा के अनुरूप वाली टिकट प्रणाली लागू करने में क्या कठिनाई है ?

परिवहन राज्य मंत्री (श्री राम नाथ मुंशी)–

जी हां ।

पूर्व की टिकट प्रणाली अनेक दोषों युक्त थी जिससे न केवल परिचालकों को कठिनाई होती थी बल्कि यात्रियों को भी असुविधा रहती थी।

इसके अन्तर्गत प्रत्येक मार्ग के लिए प्रत्येक ठहराव हेतु अप/डाउन दोनों तरफ के अलग-अलग टिकट मुद्रित होते थे जिसमें परिचालक को एक बड़ी तादात में विभिन्न दूरियों के टिकट रखने पड़ते थे।

इन टिकटों के साथ-साथ परिचालकों को टिकटों की रिक्त पुस्तिकायें भी रखनी होती थीं और जिस-जिस दूरी के टिकट उपलब्ध नहीं होते थे, उनके स्थान पर इन पुस्तिकाओं में पूरा विवरण अंकित कर टिकट बनाए जाते थे ।

इसी प्रकार इन विभिन्न मार्गों/दूरियों के अलग-अलग टिकट भी भारी संख्या में छपवाने पड़ते थे ।

इस प्रणाली में उक्त वर्णित कठिनाइयों के साथ-साथ परिचालकों द्वारा किराये की चोरी, अनियमितताएं अथवा भ्रष्टाचार करने की सम्भावनायें बराबर बनी रहती थीं और यात्रियों से भी प्रायः वास्तविक दूरी का टिकट न देने, किराया अधिक लेने, विवरण स्पष्ट न होने आदि संबंधी शिकायत प्राप्त होती रहती थीं।

इन तमाम दोषों/कठिनाइयों को दूर करने के लिए ही नई मूल्यांकित टिकट प्रणाली लागू की गयी है जिसमें यात्रियों को निर्धारित किराये की धनराशि के बराबर मूल्य के ही टिकट दिए जाते हैं और यह निगम तथा यात्रियों दोनों के लिए सुविधा-जनक है । नयी व्यवस्था के आरम्भ में कुछ कर्मचारियों में स्वीकार करने में कठिनाई होती ही है।

श्री हृदय नरायन दीक्षित–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में लाखों रुपये की क्षति और कंडक्टरों के रोष को स्वीकार कर लिया है, तो क्या माननीय मंत्री जी इस नयी टिकट प्रणाली को समाप्त करने पर विचार करेंगे ?

श्री रामनाथ मुंशी–

जो नई टिकट प्रणाली बनायी गयी है वह काफी सोच विचार कर बनायी गयी है। इस पर अब विचार करने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों का समय समाप्त ।

नोट :–तारांकित प्रश्न संख्या-2 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

विद्युत उत्पादन निगम के द्वारा निर्मित इकाइयों के संबंध में जानकारी

*3–कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विद्युत उत्पादन निगम का गठन इसलिए किया गया था कि तेजी से तापीय इकाइयों का निर्माण सही समय पर हो सके ? यदि हां, तो अभी कौन-कौन इकाइयों का निर्माण निगम कर रहा है और भविष्य में उसका क्या कार्यक्रम है ? उसमें नियोजित पूंजी कितनी लगी हुई है ?

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

जी हां ।

वर्तमान में उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम रायबरेली जिले के ऊंचाहार में फिरोज गांधी ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत 210 मेगावाट की दो इकाइयों (कुल क्षमता 420 मेगावाट) की स्थापना में कार्यरत है । इस परियोजना के विस्तार चरण में 210 मेगावाट की दो इकाइयां प्रस्तावित हैं, जिसके संबंध में भी कार्य इस निगम द्वारा किया जायेगा ।

दिनांक 29 फरवरी, 1988 तक निगम में कुल रु0 437·45 करोड़ की पूंजी का निवेश हुआ है।

सिंचाई निर्माण मण्डल, गोरखपुर में पत्थरों की आपूर्ति में अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ताओं द्वारा अनियमितता

*4–श्री त्रियुगी नारायण मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई निर्माण मण्डल, गोरखपुर में वर्ष 1986–87 में आवंटित धनराशि से अधिक लगभग 5 करोड़ रुपये के पत्थरों की आपूर्ति अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ताओं द्वारा अनियमित ढंग से की गयी है और टी0 ए0 सी0 तथा श्री मौजी लाल यादव, अधिशासी अभियन्ता के जांचोपरान्त ड्रेनेज खण्ड, बस्ती प्रथम में 38 लाख रुपये के घपले का मामला प्रकाश में आया है ? यदि हां, तो अब तक इस धन की वसूली एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं, वर्ष 1986-87 में इस मण्डल को विभिन्न मदों में बाढ़ कार्यों के निर्माण एवं रखरखाव हेतु 914 लाख रुपये की धनराशि आवंटित थी, जिसमें से कटाव निरोधक कार्यों हेतु 262 लाख की धनराशि थी । इसके विरुद्ध लगभग 236 लाख रुपये का बोल्डर क्रय किया जाना वांछित था । विभिन्न खण्डों के अधिशासी अभियंता/सहायक अभियन्ता द्वारा 329 लाख रुपये का बोल्डर आपूर्ति ली गयी है। इसमें कतिपय नियमों का उल्लंघन हुआ है । अधीक्षण अभियंता स्तर पर कोई आपूर्ति आदेश नहीं किया गया है।

टी0 ए0 सी0 द्वारा 10/86 में बांसी पनघटिया बांध के कि0मी0 17.5 से 18.2 के मध्य जांचोपरान्त रु0 1.96 लाख की वसूली बोल्डर आपूर्ति में प्रस्तावित की गयी थी । श्री मौजी लाल यादव, अधिशासी अभियन्ता द्वारा विभिन्न कार्य स्थलों पर की गयी जांच में 4,429.31 घनमीटर पत्थर अधिक अथवा संदिग्ध निर्गत होना उल्लिखित किया गया है जिसकी लागत 11.91 लाख है। इसके अतिरिक्त एक अन्य जांच में टी0 ए0 सी0 द्वारा जोगिया कटान स्थल पर बनाये गये डम्पनर्स में प्रयुक्त बोल्डर की मापी में संदिग्धता दर्शायी गयी है।

टी0 ए0 सी0 द्वारा प्रस्तावित वसूली की धनराशि रु0 1.96 लाख वसूल कर ली गयी है। श्री मौजी लाल यादव, अधिशासी अभियन्ता द्वारा इंगित अनियमितताओं पर संबंधित सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता के विरुद्ध आरोप पत्र देकर अनुशासनिक कार्यवाही का निर्णय लिया जा चुका है।

आवंटन से अधिक बोल्डर क्रय करने हेतु तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ड्रेनेज खण्ड, बस्ती श्री केदार नाथ तथा अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, फैजाबाद श्री रामजी लाल शर्मा प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये हैं। श्री केदार नाथ का स्थानान्तरण हो गया है तथा इनके विरुद्ध आरोप-पत्र स्वीकृत कर जांच अधिकारी की तैनाती की जा चुकी है । श्री राम जी लाल शर्मा के खण्ड से जनपद बस्ती के सभी बाढ़ कार्य अक्टूबर, 1987 से हस्तान्तरित किये जा चुके हैं । बोल्डर क्रय हेतु इनका स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा रहा है।

कानपुर स्थित तीन सितारा मेघदूत होटल में चेक मीटर लगाया जाना

*5–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर स्थित तीन सितारा मेघदूत होटल में जुलाई, 1987 के पश्चात् चेक मीटर लगाया गया ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि संविदा से कई गुना अधिक चेक मीटर की गणना आयी है ? यदि हां, तो औसतन 6 माह पूर्व में की गयी रीडिंग क्या रही और चेक मीटर में कितनी गणना आयी ? क्या यह सही है कि कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों की मिली भगत से मेघदूत होटल लाखों रुपये की विद्युत चोरी प्रतिवर्ष करता रहा है ? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों तथा संबंधित होटल के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? क्या चेक मीटर के परिणाम के अनुसार वसूली की गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

कानपुर स्थित मेघदूत होटल में जुलाई में व जुलाई, 1987 के पश्चात् कोई चेक मीटर नहीं लगाया गया । संविदा से अधिक भार अभी तक मीटर द्वारा नोट नहीं है। जुलाई, 1987 से पिछले 6 महीनों में औसतन 49,880 यूनिट बिजली

का खर्च प्रति माह हुआ है। यह कहना सत्य नहीं है कि कानपुर विद्युत सम्पूर्ति प्रशासन के अधिकारियों की किसी प्रकार की मिली भगत है । किसी भी व्यक्ति या होटल को दोषी नहीं पाया गया । चेक मीटर नहीं लगाया गया था अतः उसके परिणाम के अनुसार वसूली करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

सूखे के समय में प्रदेश के किसानों से आबपाशी का पैसा माफ करने की मांग

*6–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार प्रदेश में सूखे की भयंकरता को देखते हुए किसानों के हित में राजकीय नलकूपों व नहरों से सिंचाई करने पर आवपाशी का पैसा किसानों पर माफ करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

बलिया जनपद के उमरपुर दीयर शिवपुर दीयर एवं जबही दीयर में मिनी स्टेट ट्यूबवेल लगाने की मांग

*7–श्री मैनेजर सिंह तथा श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

क्या सिंचाई मंत्री बलिया जनपद के उमरपुर दीयर शिवपुर दीयर एवं जबही दीयर की उर्वरा भूमि को देखते हुए जहां सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, मिनी स्टेट ट्यूबवेल लगाने पर विचार करेंगे? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विभाग द्वारा मिनी स्टेट ट्यूबवेल नहीं लगाये जाते है।

*8–श्री मित्रसेन–

[7वें बुधवार के लिए स्थगित]

जनपद फैजाबाद की अकबरपुर तहसील के परगना मुख्यालय मिझौड़ा से मिझौड़ा-कानपुर नई बस सेवा को नियमित करने की मांग

*9–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या सरकार को जानकारी है कि राजकीय परिवहन निगम के फैजाबाद डिपो ने जनपद फैजाबाद की अकबरपुर तहसील के परगना मुख्यालय मिझौड़ा से मिझौड़ा-कानपुर नई बस सेवा चालू की है लेकिन केवल एक ही बस उपलब्ध कराये जाने के कारण उक्त सेवा तीसरे दिन लगती है जिससे यात्रियों को कठिनाई और अनिश्चय की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है? यदि हां, तो उक्त मार्ग पर दूसरी बस उपलब्ध कराकर उक्त सेवा को कब से नियमित कर दिया जायेगा?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां । वर्णित स्थिति 9-1-88 से 8-2-88 तक रही।

मिझौड़ा-कानपुर के लिये फैजाबाद-कानपुर की एक सेवा को फैजाबाद के स्थान पर मिझौड़ा तक बढ़ाये जाने के निर्देश दे दिये गये हैं ताकि मिझौड़ा के यात्री भी इसका लाभ उठा सकें।

उ0 प्र0 विद्युत उत्पादन विभाग द्वारा गठित परियोजनाओं पर चल रहे प्रगति कार्य के संबंध में जानकारी

*10–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 विद्युत उत्पादन निगम द्वारा गठन के बाद से अब तक किन-किन परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया गया ? उन्हें कब तक पूरा होना था तथा वर्तमान प्रगति क्या है? क्या यह सही है कि ऊंचाहार परियोजना का प्रथम चरण 1986 में पूरा हो जाना चाहिए था परन्तु अभी तक पूरा नहीं हो सका ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा गठन के बाद फिरोज गांधी ऊंचाहार तापीय विद्युत परियोजना ऊंचाहार का कार्य प्रारम्भ किया गया।

इस परियोजना को मार्च, 1987 में पूरा होना था।

वर्तमान प्रगति के अनुसार परियोजना की प्रथम इकाई मई, 1988 में तथा द्वितीय इकाई नवम्बर, 1988 में पूरी होनी है।

जी हां ।

परियोजना पर विलम्ब के मुख्य कारण निम्नवत् है :–

1–प्रारम्भ के वर्षों में आवश्यक धन के अभाव से विभिन्न निर्माण कार्य तथा उपकरणों के क्रय में विलम्ब हुआ ।

2–समय-समय पर सीमेण्ट व स्टील की उपलब्धि में कमी का कुप्रभाव भी परियोजना की प्रगति पर पड़ा है।

3–मेसर्स हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कन्स्ट्रक्शन लि0 जो परियोजना के लिए शीतलीकरण जल प्रणाली से सम्बन्धित सिविल कार्य कर रहे हैं तथा मेसर्स-इन्स्ट्रमेंटेशन जो कि कन्ट्रोल एवं इन्सट्रमेन्टेशन का कार्य कर रहे हैं, के कार्यों में देरी ।

4–अक्टूबर 1987/नवम्बर, 1987 के बाद मैसर्स-वर्थिंगटन पम्पस् इण्डिया लि0 जो परियोजना के लिए बहुत आवश्यक पम्पों की आपूर्ति कर रहे हैं, के यहां तालाबन्दी होने से परियोजना की प्रगति पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ।

5–परियोजना के लिये सहायक ब्वायलर श्री इसजेक जांन थांमसन द्वारा लगाया गया है। इसमें बराबर कुछ न कुछ त्रुटि आती पा रही है जिस कारण कमीशनिंग कार्यों के लिये आवश्यक भाप उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इस सहायक ब्वायलर के विभिन्न उपकरणों को ठीक करने का कार्य प्रगति पर है ।

*11–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

[7वें बुधवार के लिए स्थगित]

*12–श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

सघन मूंग उत्पादन क्षेत्रों को प्राथमिकता से नहरी पानी दिये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

*13–श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी–

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि माह अप्रैल-मई में प्रदेश के पश्चिमी जनपदों की गन्ना की फसल के लिए जिस प्रकार प्राथमिकता से नहरों का पानी सिंचाई के लिए उपलब्ध कराया जाता है उसी प्रकार जायद में उत्पादित होने वाली मूंग की फसल को आधार मानकर अलीगढ़ व एटा जनपदों के सघन मूंग उत्पादक क्षेत्रों को दलहन उत्पादन में प्रोत्साहन देने के लिए प्राथमिकता से नहरी पानी दिये जाने की नीति का निर्धारण करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

16 मार्च, से 10 मई तक की अवधि में प्रदेश के पश्चिमी जनपदों में गन्ने के प्रस्तावित क्षेत्र एवं वास्तविक सींच के औसत के आधार पर विभिन्न नहर प्रणालियों को जल उपलब्ध कराया जाता है। गन्ना इस अवधि की मुख्य फसल है।

जायद में गंगा नदी में उपलब्ध जल, नहरों की कुल शीर्ष क्षमता के लिये अपर्याप्त होता है, इसलिए नहरों के प्रस्तावित क्षेत्रों के आधार मानकर विभिन्न नहर प्रणालियों के जल उपलब्ध कराया जाता है ।

पृथक-पृथक जनपदों में वहां की आवश्यकतानुसार अलग-अलग फसलों के आधार पर जल उपलब्ध कराना व्यवहारिक नहीं है ।

तत्कालीन मुख्य अभियन्ता श्री एस0 पी0 बहादुर के विरुद्ध रिपोर्ट के सम्बन्ध में जानकारी

*14–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि एस0 पी0 बहादुर मुख्य अभियन्ता ता0 31-8-84 को सेवा निवृत्त हो गये है? यदि हां, तो मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता की रपट शासन में ता0 31-1-83 को आ गयी थी और इस रपट में मुख्य अभियन्ता को दोषी पाया था? यदि हां, तब सेवा निवृत्त के समय तक इस रपट के आधार पर श्री सिंह के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं की गयी, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

इस प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट में प्रश्नगत अधिकारी को विवेकपूर्ण निर्णय न लेने का दोषी बताया गाया था।

इस संबंध में श्री एस0 पी0 बहादुर तत्कालीन मुख्य अभियन्ता का स्पष्टीकरण मांगा गया जो प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग द्वारा उनके स्टाफ अधिकारी (पूर्वी नहर) के अर्धशासकीय पत्र सं0 3019/जां0/अ0/3019 दिनांक 14-9-84 द्वारा उनकी आख्या के साथ शासन को प्राप्त हुआ । इसका परीक्षण शासन स्तर पर किया गया और इनके विरुद्ध आरोप सिद्ध न होने के कारण शासन के ज्ञाप सं0 8532/86-23-सि-10-34/83 दि0 26-12-1986 द्वारा इन्हें दोषमुक्त किया गया।

प्रश्न नहीं उठता ।

*15–श्री राम सजीवन–

[7वें बुधवार के लिए स्थगित]

होटल मालिकों द्वारा खाने-पीने की चीजों के दामों में वृद्धि किये जाने के संबंध में जानकारी

*16–श्री अनुग्रह नारायण सिंह

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि माह अक्टूबर, 1987 से जनवरी, 1988 के बीच उत्तर प्रदेश में खाद्यान्नों के खरीद दाम में बेतहाशा वृद्धि होने के कारण होटल व रेस्टरां मालिकों ने खाने पीने की चीजों के दामों में काफी वृद्धि कर दी है ? क्या उ0 प्र0 सरकार होटल और रेस्तरां मालिकों पर खाने पीने की चीजों में बेतहाशा दाम वृद्धि पर अंकुश लगाने पर कोई कदम उठा रही है? यदि हां, तो वह क्या है?

श्री हुकुम सिंह–

प्रदेश में व्याप्त सूखा के कारण माह अक्टूबर, 1987 से जनवरी, 1988 के बीच खाद्यान्नों के मूल्यों में कुछ वृद्धि हुई है। प्रदेश के होटल एवं रेस्तरां मालिकों को किसी भी प्रकार से कोई भी खाद्यान्न का आवंटन शासन द्वारा नहीं किया जाता है। होटल एवं रेस्तरां में खाने पीने की वस्तुओं के मूल्यों पर शासन का कोई नियंत्रण नहीं है। फिर भी शासन द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को यह निर्देश दे दिये गये हैं कि वे जनपद के होटल एवं रेस्तरां के मालिकों की बैठकें बुलाकर खाने पीने की बस्तुओं के मूल्यों को कम कराने हेतु प्रभावी कार्यवाही करें ।

बस्ती जनपद के उस्का-लखनापार बन्धे के गैप भरने व रेगुलेटर निर्माण की मांग

*17–श्री धनराज यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 86-87 में बस्ती जिले में भूमि हीन रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत उस्का-लखनापार बन्धे के गैप भरने एवं रेगुलेटर बनाने हेतु दस लाख बानवे हजार रुपया (10 लाख 92 हजार रुपया) ड्रेनेज खंड प्रथम बस्ती के लिए स्वीकृत हुआ था? यदि हां, तो क्या बांध के गैप को पूरा किया गया तथा बांध में पड़ने वाले रेगुलेटर का निर्माण किया गया ? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि स्वीकृत धनराशि किन कार्यों पर व्यय की गयी और बंधे को पूरा कराने तथा रेगुलेटर का निर्माण का आदेश देंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां। जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, बस्ती द्वारा भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत वर्ष 86-87 एवं 87-88 हेतु उस्का-लखनापार मुगलहा त्रिमोहानी बांध के किमी0 0.0 से 0.50 के गैप निर्माण तथा किमी0 7.60 से 10.150 तक बांध के विस्तार की योजना रुपया 10.92 लाख की स्वीकृत हुई थी। इस योजना में एक रेगुलेटर का निर्माण भी प्रस्तावित है।

बांध के किमी0 0.0 से 0.50 के गैप का निर्माण कर दिया गया है। किमी0 7.60 से 10-150 तक का विस्तार कार्य प्रगति में था कि ग्राम छितरापार एवं तर-कोलिया में कुछ रीचों में न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण कार्य रोक देना पड़ा तथा अधूरा है। रेगुलेटर का निर्माण भी अभी नहीं हुआ है।

रुपया 10.92 लाख स्वीकृत धनराशि में से केवल रुपया 0.802 लाख ही व्यय मिट्टी के कार्य पर हुआ है ।

स्थगन आदेश के निरस्त (स्टे वैकेट) होने पर बांध के अधूरे कार्य को पूर्ण कराया जाना सम्भव होगा। रेगुलेटर का कार्य प्रारम्भ कराया जा रहा है।

गाजीपुर जनपद में अफीम फैक्ट्री तथा शहर को गंगा नदी की कटान से बचाने हेतु योजना

*18–श्री अमिताभ अनिल दुबे–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद में अफीम फैक्ट्री तथा शहर को गंगानदी की कटान से बचाने हेतु योजना जो लगभग 171.00 लाख की है तथा तकनीकी सलाहकार समिति से भी अनुमोदित है अनुसंधान एवं नियोजन मंडल, मिर्जापुर द्वारा उक्त योजना तकनीकी सलाहकार समिति की संस्तुतियों के आधार पर पुनरीक्षित कर गंगा बाढ़ नियंत्रण परिषद् को प्रेषित की गयी है? यदि हां, तो अब तक कार्य शुरू न करने का क्या कारण है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

गाजीपुर जनपद में अफीम फैक्ट्री तथा शहर को गंगा नदी के कटान से बचाने हेतु लगभग रु0 171.00 लाख अनुमानित लागत की एक योजना उत्तर प्रदेश राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् की तकनीकी सलाहकार समिति की दिनांक 12-6-86 को हुयी 81वीं बैठक में प्रस्तुत हुई थी । तकनीकी सलाहकार समिति के निर्णय के अनुसार उक्त योजना को 2 चरणों में बनाया जाना था जिसमें प्रथम चरण की योजना को जिसकी अनुमान्ति लागत 120 लाख रु0 है गंगा बाढ़ नियन्त्रण आयोग पटना को प्रेषित कर दी गई है । अभी वहां से स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है । स्वीकृति प्राप्त होने एवं धन आवंटित होने पर कार्य आरम्भ करना सम्भव हो सकेगा।

द्वितीय चरण की योजना माडल अध्ययन के आधार पर प्रस्तावित की जानी है। यह अध्ययन अभी पूर्ण नहीं हुए हैं।

हिन्डालकों को विद्युत आपूर्ति की दरों के सम्बन्ध में जानकारी

*19–श्री गौरी शंकर भइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रति यूनिट विद्युत की आपूर्ति आम जनता को किस रेट से दी जाती है और बिरला के रेनूकोट स्थित हिन्डालको प्रतिष्ठान को विद्युत की आपूर्ति प्रति यूनिट किस रेट से दी जाती है ? क्या हिन्डालको को दी जाने वाली विद्युत की आपूर्ति के रेट में सरकार बढ़ोत्तरी करके आम जनता के बराबर दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति के रेट के बराबर करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

हिण्डालकों प्रतिष्ठान का स्वीकृत भार 75 किलोवाट से अधिक है 75 किलोवाट से अधिक विद्युत भार के उपभोक्ताओं पर एच0 वी0 2 टैरिफ लागू होता है जो दरें अबिरल विद्या के उपभोक्ताओं के लिए निम्न प्रकार है:–

डिमान्ड चार्ज रु0 66 प्रति के0वी0ए0 प्रति

यूनिटचार्ज: 70 पैसे प्रति यूनिट

उपरोक्त में विद्युत शुल्क व ईंधन अधिभार अतिरिक्त लगाया जाता है।

बिरला के रेनूकूट स्थित हिन्डालकों प्रतिष्ठान को सामान्य विद्युत आपूर्ति निम्न दर से की जाती है:–

डिमान्ड चार्ज: रु0 66 प्रति के0वी0ए0 प्रतिमाह

यूनिट चार्ज: 70 पैसे प्रति यूनिट

उपरोक्त में विद्युत शुल्क व ईंधन अधिभार अतिरिक्त लगाया जाता है ।

हिन्डालको को दी जाने वाली आपात कालीन विद्युत की आपूर्ति के रेट उपर्युक्त दरों से 6 पैसे प्रति यूनिट अधिक है । हिन्डालको को दी जाने वाली सामान्य विद्युत आपूर्ति के रेट आम जनता को दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति के रेट के बराबर है।

बरेली जनपद के परसाखेडा व भोजपुरा में लगे नये उद्योगों के संबंध में जानकारी

*20–डाक्टर दिनेश जौहरी–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत 10 वर्षों में बरेली जनपद में औद्योगिक पट्टी परसाखेड़ा व भोजीपुर में कितने नये उद्योग लगाये गये हैं, इनमें कितने घाटे में चल रहे हैं व बन्द होने की स्थिति में आ गये हैं या बन्द हो गये हैं? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इन उद्योगों द्वारा घाटा उठाए जाने के क्या कारण हैं? क्या मंत्री जी ने बीमार इकाइयों को स्वस्थ बनाने हेतु कोई योजना बनाई है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

अतारांकित प्रश्न

बस्ती जिले की कौआताल ड्रेन योजना के निर्माण के संबंध में जानकारी

1–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले की बांसी तहसील में कौआताल ड्रेन योजना कब स्वीकृत हुई और स्वीकृत योजना क्या थी ? उस पर कितना धन स्वीकृत था और अब तक कितना धन व्यय हो चुका है ? क्या उक्त ड्रेन का निर्माण पूरा हो गया ? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

कौआताल ड्रेन के निर्माण की योजना वर्ष 1976 में स्वीकृत हुई थी । इस योजना के अन्तर्गत एक 18.4 किलोमीटर लम्बी ड्रेन पुरबौला ताल, बगहा एवं कौआताल को जोड़ती हुई बरार नाले तक बनाने का प्रस्ताव था । साथ ही इस ड्रेन पर विभिन्न स्थानों पर सात अदद काज-वे के निर्माण का भी प्राविधान था उक्त योजना रु0 5.50 लाख की स्वीकृत थी तथा इस पर अब तक रु0 4.40 लाख व्यय हो चुका है । उक्त ड्रेन के निर्माण का कार्य अभी अधूरा है । पुनः सर्वेक्षण कर योजना को पुनरीक्षित किया जा रहा है जिसे मुख्य अभियन्ता समिति व राज्य बाढ़ नियन्त्रण परिषद् की तकनीकी सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा । योजना स्वीकृत होने एवं धन उपलब्ध होने पर कार्य पूर्ण कराया जाना संभव हो सकेगा ।

बस्ती जनपद के ऐतिहासिक स्थल कोपामाफी के संरक्षण के सम्बन्ध में जानकारी

2–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में कोपामाफी (कोपिया) जो कि खलीलाबाद तहसील में स्थित है, कोई ऐतिहासिक स्थान रहा है ? यदि हां, तो उसकी सुरक्षा तथा रख रखाव के संबंध में सरकार का क्या प्रबन्ध है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां । जनपद बस्ती के खलीलाबाद तहसील में कोपिया नामक एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है ।

उक्त स्थल उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों का परिरक्षण अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्राचीन स्थल के रूप में संरक्षित घोषित है एवं उसके रख-रखाव के लिए उ0 प्र0 राज्य पुरातत्व संगठन द्वारा वहां एक स्मारक परिचर भी तैनात है ।

पशुओं द्वारा चलित वाहनों पर भार सीमा का निर्धारण

3–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बैलों, घोड़ों, भैसों और ऊंटों द्वारा चालित गाड़ियों पर कोई भार सीमा निर्धारित है ? यदि हां, तो किसके लिए कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

दि प्रावेन्सन आफ क्रुआलटी टू डाउट एण्ड पैक एनीमल रूल्स, 1965 के नियम 3 के अनुसार विभिन्न पशुओं द्वारा चालित वाहनों के लिये निर्धारित उच्चतम भारित मात्रा संलग्न तालिका में उल्लिखित है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 233 पर)

औद्योगिक पावर कनेक्शन प्रतिबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

4–श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत बोर्ड लखनऊ द्वारा औद्योगिक पावर कनेक्शन को अगले आदेश तक प्रतिबन्धित कर दिया है ? यदि हां, तो औद्योगिक पावर कनेक्शन के लिए कितने प्रार्थना पत्र दिसम्बर, 1987 तक विद्युत बोर्ड लखनऊ को प्राप्त हुये है ? कितने औद्योगिक कनेक्शन परिषद् ने दिया है और कितने औद्योगिक कनेक्शन मुख्य मंत्री ने सीधे स्वीकृत कर दिया है ? क्या पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां, परन्तु अब स्थिति में सुधार को देखते हुये शासकीय आदेश संख्या-841 पी-3/88-23-145पी/88, दिनांक 19-2-88 द्वारा प्रथम चरण में 15 हार्स पावर तक के औद्योगिक कनेक्शन तथा द्वितीय चरण में शासकीय आदेश संख्या-1307 पी-3/88-23-145 पी/87, दिनांक 5-3-88 द्वारा 100 हार्स पावर तक के औद्योगिक कनेक्शनों पर से प्रतिबन्ध हटाया जा चुका है । इसके अतिरिक्त कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड डिन्क उद्योग एवं आइस फैक्ट्रीज पर से भी प्रतिबन्ध दिनांक 15-3-88 से समाप्त कर दिया गया है । अगस्त 87 से दिसम्बर 87 तक विद्युत परिषद् में नये विद्युत कनेक्शनों हेतु कुल 105 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये थे जिनका विवरण निम्न प्रकार है :-

1–उद्योग निदेशक से संस्तुत	6
2–पिकप से संस्तुत	33
3–उ0 प्र0 वित्तीय निगम से संस्तुत	31
4–अन्य श्रोतों से प्राप्त	35
कुल प्रार्थना पत्र	105

उक्त अवधि में शासकीय एवं कतिपय सीजनल तथा कृषि पर आधारित इकाइयों को विशेष परिस्थितियों में 36 कनेक्शन विद्युत परिषद् स्तर पर स्वीकृत किये गये जिसकी सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है । विद्युत कनेक्शन की मूल स्वीकृति विद्युत परिषद् द्वारा दी जाती है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 234 पर ।)

गंडक नहर निर्माण खण्ड-15 के कार्यालय का स्थानान्तरण

5–श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गंडक नहर निर्माण खण्ड 15 गोरखपुर जो बस्ती में कार्य कर रहा है, विभाग का कार्यालय गोरखपुर स्थानान्तरण करके बस्ती के अपने कार्य क्षेत्र में करने का प्रस्ताव डी0 आर0 डी0 ए0 तथा जिला अधिकारी एवं प्रश्नकर्ता द्वारा शासन को जनवरी, 1986 से दिसम्बर, 1987 तक कितने पत्र एवं प्रस्ताव भेजे गये तथा उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? उक्त कार्यालय के स्थानान्तरण न करने

के लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मा0 विधायक जी के मा0 मुख्य मंत्री/सिंचाई मंत्री/राज्य मंत्री सिंचाई/मुख्य सचिव एवं सचिव, सिंचाई विभाग को सम्बोधित दिनांक 4-11-86, 12-11-86, 17-12-86, 13-2-87, 10-4-87, 4-5-87, 15-6-87, 19-7-87 एवं 27-10-87 के पत्र तथा जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, बस्ती का सचिव, सिंचाई को सम्बोधित पत्र दिनांक 1-5-87 प्राप्त हुये ।

प्राप्त पत्रों एवं प्रस्तावों पर परीक्षणोपरान्त गण्डक नहर निर्माण खण्ड 15, गोरखपुर का मुख्यालय बस्ती किया जाना वर्तमान परिस्थितियों में संभव नहीं पाया गया । कार्यालय स्थानान्तरण न करने के लिए किसी के दोषी होने का प्रश्न नहीं उठता ।

मांट ब्रांच के आधुनिकीकरण की मांग

6–श्री रघुबर दयाल वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हाथरस फिरोजाबाद माइनर एवं उसकी फिरोजाबाद क्षेत्र में फैली शाखाओं में पानी बनाये रखने के लिये क्या मांट ब्रान्च का आधुनिकीकरण कर पानी की सप्लाई बढ़ाकर नहर के आखिरी छोर के किसानों को सिंचाई के लिये पानी उपलब्ध करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

रबी फसल में फिरोजाबाद क्षेत्र में हाथरस ब्रांच की फिरोजाबाद राजबहा एवं उसकी प्रणाली में आखिरी छोर के किसानों को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने हेतु मांट शाखा का आधुनिकीकरण करके अधिक पानी उपलब्ध करना संभव नहीं है ।

खरीफ फसल में हाथरस ब्रांच में अधिक जल उपलब्ध कराने हेतु निर्माणाधीन मध्य गंगा नहर परियोजना के अन्तर्गत समानान्तर नहर बना कर 650 क्यूसेक अधिक जल दिया जाना प्रस्तावित है ।

गंगा नदी में रबी में प्रयाप्त पानी उपलब्ध नहीं है । खरीफ में अतिरिक्त पानी देने के लिये कार्य प्रगति में है ।

देवरिया के ग्राम बलुवही, एवं सगाहर में विद्युतीकरण के संबंध में पत्र

7–श्री रणजीत तथा श्री मैनेजर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बलुवही, ब्लाक देसही जनपद देवरिया के विद्युतीकरण के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 10-7-87 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में उल्लिखित तथ्यों पर अब तक शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां । ग्राम बलुवही ब्लाक देसही जनपद देवरिया को वर्ष 1987-88 में विद्युतीकरण हेतु जिला स्तरीय समिति द्वारा चयन नहीं किया गया है । इस विकास खण्ड में स्वीकृत आर0 ई0 सी0 स्कीम संख्या-200596 दिनांक 31-3-88 को समाप्त हो रही है । अतएव ग्राम बलुवही के विद्युतीकरण पर नई योजना स्वीकृत होने पर ही विचार करना सम्भव हो सकेगा ।

8–श्री रणजीत तथा श्री मनेजर सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास क्षेत्र देसही के अन्तर्गत ग्राम बलुवही एवं समागर गांव के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 10-7-87 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में उल्लिखित तथ्यों पर शासन स्तर से अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां । केवल मा0 सदस्य श्री रणजीत सिंह का पत्र दिनांक 10-7-87 प्राप्त हुआ है और जिसमें केवल ग्राम बलुवही के विद्युतीकरण का उल्लेख है । जहां तक उक्त दोनों ग्रामों के विद्युतीकरण का प्रश्न है, स्थिति निम्न प्रकार है–

ग्राम बलुवही का विद्युतीकरण, जिला स्तरीय समिति द्वारा वर्ष 1987-88 में चयन न किये जाने के कारण एवं इस विकास खण्ड के लिये स्वीकृत आर0 ई0 सी0 योजना के मार्च, 1988 में समाप्त होने के कारण अभी संभव नहीं है ।

ग्राम समागर का विद्युतीकरण वर्ष 1987-88 में प्रस्तावित था परन्तु अभी केवल इस ग्राम की हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण हो पाया है । ग्राम के विद्युतीकरण का कार्य चल रहा है ।

आबकारी निरीक्षकों का स्थानान्तरण

9–श्री शारदा नन्द अंचल–

क्या सरकार तीन साल से अधिक दिनों से एक ही स्थान पर कार्यरत आबकारी निरीक्षकों का अविलम्ब स्थानान्तरण सुनिश्चित करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

स्थानान्तरण के संबंध में शासन की कार्मिक नीति के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों को सामान्यतया एक स्थान पर तीन वर्ष तथा विशेष परिस्थितियों में पांच वर्ष तक रखे जाने का प्राविधान है । आगामी वार्षिक स्थानान्तरण के समय उक्त कार्मिक नीति के अनुसार आबकारी निरीक्षकों के स्थानान्तरण किये जायेंगे ।

बलिया जनपद में शराब की दुकानों की संख्या व उससे प्राप्त आय की जानकारी

10–श्री शारदा नन्द अंचल–

क्या आबकारी मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद में देशी शराब, अंग्रेजी शराब व ताड़ी की कितनी-कितनी दुकानें विकास खण्ड वार चल रही हैं तथा उनसे आबकारी विभाग को वर्ष 1984-85, 1985-86, 1986-87 में कितनी-कितनी आय हुई है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि विकास खण्ड सीयर व नगरा में कहां-कहां वैध दुकाने कार्यरत हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आबकारी के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र

11—श्री राम गोविन्द चौधरी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का आबकारी के सम्बन्ध में पत्र सं0 29 दिनांक 21-11-87 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर आज तक क्या कार्यवाही हुयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

उक्त शिकायती पत्र जांच हेतु आबकारी आयुक्त को भेज दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

12—श्री मोहम्मद रिजवानुल हक—

[7वें बुधवार के लिए स्थगित]

नैनीताल जनपद के बोर डैम सूखने से हुई हानि के लिए संबंधित व्यक्तियों को दण्डित करने की मांग

13—श्री मोहम्मद रिजवानुल हक—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि बोर डैम जिला नैनीताल जिसका क्षेत्रफल 1250 है0 है माह जुलाई, 87 में सूख गया था जिसमें इस समय लगभग एक करोड़ रुपये की गेहूं, सरसों तथा मसूर की फसलें खड़ी हैं ? यदि हां, तो यह फसलें किन व्यक्तियों द्वारा बोयी गयी ? क्या जांच कराकर दोषियों को दंडित किया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

बोर डैम के लगभग 1500 हेक्टेयर भूमि में, डैम से निकलने वाली नहरों द्वारा सिंचाई हेतु वर्ष भर पानी एकत्रित किया जाता रहता है । डैम से पानी सिंचाई हेतु निकाले जाने एवं बीच-बीच में वर्षा होने के फलस्वरूप उसकी उक्त भूमि क्रमशः शनैः-शनैः खाली होती एवं भरती रहती है । वर्ष 1987 में लगातार सूखे के कारण डैम से पानी सिंचाई हेतु दिया जाता रहा, जिसके फलस्वरूप डैम के आंशिक भाग-की भूमि सूख गयी । ऐसी लगभग 200 हेक्टेयर भूमि में अवैध रूप से व्यक्तियों ने गेहूं, लाही व मसूर की फसलें बोयी । डैम में जलस्तर बढ़ने के कारण उक्त फसलों के आंशिक भाग क्षतिग्रस्त भी हो गये हैं । ऐसी खड़ी फसलों का मूल्यांकन आवश्यकता न होने के कारण नहीं किया गया है ।

उक्त अवैध कार्यवाही करने वाले व्यक्तियों की सूची संलग्न है । इनके विरुद्ध कैनाल एवं ड्रेनेज एक्ट की धारा-70 के अन्तर्गत विभाग द्वारा दायर किये गये मुकदमें विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय हल्द्वानी में विचाराधीन हैं ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 235-236 पर)

14—श्री राम आसरे वर्मा—

[7 वें बुधवार के लिए स्थगित]

फैजाबाद के अकबरपुर डिपो की बसों में चालकों एवं परिचालकों की कमी

15–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में राजकीय परिवहन निगम के अकबरपुर डिपो में 37 बसें उपलब्ध होने के बावजूद चालकों और परिचालकों के अभाव के कारण जनवरी, 88 में केवल 35 बसें चलाई जा सकीं ? यदि हां, तो सही स्थिति क्या है तथा चालक और परिचालक उपलब्ध कराकर एक नई बस सेवा अकबरपुर से गोसाईंगंज होकर परगना मुख्यालय मिझौड़ा तक चलाने में क्या कठिनाई है और आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह कार्य कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं ।

अकबरपुर डिपो में जनवरी 88 में 33 बसों का संचालन निर्धारित था इसलिये 33 बसें ही चलाई गयीं । इस डिपो में चालक/परिचालकों की कोई कमी नहीं थी ।

सही स्थिति यह है कि अकबरपुर डिपो की कुल आवश्यकता को देखते हुये वहां चालक और परिचालक वांछित संख्या में उपलब्ध है ।

मिझौड़ा-गोसाईंगंज-अकबरपुर एक त्रिकोणी मार्ग है । बसों की कमी के कारण मिझौड़ा-अकबरपुर एक प्रथक बस सेवा चलाना संभव नहीं है।

मिझौड़ा से गोसाईंगंज 16 किलोमीटर का मार्ग अराष्ट्रीयकृत है फिर भी यात्रियों की सुविधा के लिये फैजाबाद-मिझौड़ा के मध्य प्रतिदिन एक अप-एक डाउन ट्रिप संचालित है जिससे मिझौड़ा के यात्री गोसाईंगंज आकर सुगमतापूर्वक वहां से अकबरपुर के लिये बस सेवा प्राप्त करते है ।

16–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

[5 वें शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 86 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ग्राम शाहपुर जनपद सीतापुर में बिजली के तारों से भैंस की मृत्यु तथा उसको क्षतिपूर्ति की मांग

17–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जुलाई, 1987 में ग्राम शाहपुर, ब्लाक खैराबाद थाना कमलापुर में बिजली के खुले तारों से छू कर श्री गोकरन, निवासी उपरोक्त ग्राम की जो भैंस मर गयी उसकी क्षतिपूर्ति अब तक न किए जाने के क्या कारण हैं ? हर्जाना कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां, दिनांक 27-7-87 को श्री गोकरन निवासी ग्राम शाहपुर, पो0 बरुई जलालपुर, थाना कमलापुर, जिला सीतापुर की एक भैंस विद्युत स्पर्शाघात से मर गई।

क्षतिपूर्ति के संबंध में राज्य विद्युत परिषद् द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

हैण्डलूम उद्योग को प्रोत्साहन

18–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हैण्डलूम उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार की कौन सी योजनायें है ? क्या हैण्डलूम कपड़े, दरी व कालीन आदि चुंगी से मुक्त है ? यदि हां, तो कब से तथा शासन के किस आदेश के अन्तर्गत ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रदेश में हथकरघा उद्योग को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से आर्थिक सहायता, (नेबार्ड) योजना के अन्तर्गत कार्यशील पूंजी पर ब्याज उपादान, बुनकर सहकारी समितियों की हिस्सा पूंजी ऋण, कार्यशाला निर्माण तथा रंगाई धरने की स्थापना हेतु ऋण, करघों के आधुनिकीकरण हेतु ऋण तथा अनुदान, समितियों द्वारा सचिवों की नियुक्ति हेतु प्रबन्धकीय अनुदान, कच्चे माल का वितरण, आवासीय एवं कार्यशाला निर्माण, कर्मचारियों की प्रशिक्षण सुविधा, सघन हथकरघा कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्पादन कार्यक्रम को प्रोत्साहन, प्रोसेसिंग सुविधाएं, विपणन प्रोत्साहन हेतु विज्ञापन प्रचार, मेलों तथा प्रदर्शनियों का आयोजन एवं हथकरघा वस्त्रों की बिक्री पर छूट तथा प्राथमिक समितियों की निजी बिक्री केन्द्रों की स्थापना हेतु ऋण एवं अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है । इसके अतिरिक्त बुनकर कल्याणकारी कार्यक्रम के अन्तर्गत बुनकर बहबूदी फण्ड, सामूहिक सीमा योजना तथा थ्रिफ्ट फण्ड आदि योजनाएं भी क्रियान्वित की जा रही हैं ।

जी हां । हथकरघा से बनी समस्त वस्तुयें चुंगीकर मुक्त हैं ।

25 अक्टूबर, 1977 से शासनादेश संख्या–4054 बी/11-6-77-435/77, दिनांक 25 अक्टूबर, 1977 के अन्तर्गत ।

19–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

राजकीय प्रेस राम नगर, वाराणसी के कर्मचारियों के फण्ड के रिकार्ड

19–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय प्रेस रामनगर, वाराणसी के कर्मचारियों को उनके फण्ड से संबंधित पास बुक सबको मिल गयी? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक मिलेंगी? क्या यह सही है कि वहां के कर्मचारियों के फण्ड से संबंधित कोई लेजर रजिस्टर तथा रेकार्ड भी नहीं है ? यदि हां, तो क्यों तथा कौन उत्तरदायी हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं ।

वर्ष 1987-88 की समाप्ति पर ब्याज लगाने के उपरान्त कर्मचारियों को पास-बुक उपलब्ध करा दी जायेगी ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

20–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

ग्राम उहरमावा जनपद गाजीपुर से पानी निकासी के सम्बन्ध में व्यवस्था

21–श्री राम सजीवन–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि गाजीपुर जिले के ग्राम उहरमावा उर्फ कौड़ा ताल में शारदा सहायक नहर का पानी गिराया जाता है, जिससे ताल में बाढ़ की विभिषिका और अधिक बढ़ जाती है तथा गांव चारों ओर से पानी से घिर जाता है? यदि हां, तो क्या बाढ़ से फसलों को बचाने के लिए पानी निकास की व्यवस्था में सुधार किया जायेगा?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद गाजीपुर, तहसील सेदपुर में शारदा सहायक परियोजना की धमऊर कलां माइनर के टेल का पानी ग्राम डहर मांवा (उहरमावा नहीं) उर्फ कौड़ा ताल में गिरता है। इस ताल का पानी प्यारेपुर ड्रेन एवं हाजीपुर कटिया ड्रेन से होता हुआ खरारी प्राकृतिक नाला में खारिज होता है। प्यारेपुर एवं हाजीपुर कटिया ड्रेन की सफाई गत वर्षों में सीमित संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में धनाभाव के कारण न हो सकने के कारण जल निकास में अवरोध था। इस वर्ष उपरोक्त ड्रेनों की सफाई का कार्य कराया जा रहा है एवं वर्षा से पूर्व इसे पूरा किया जाना प्रस्तावित है ड्रेनों की सफाई का कार्य पूर्ण हो जाने पर कौड़ा ताल से जल निकास हो सकेगा।

ओहन फीडर की सफाई में भ्रष्टाचार

22–श्री राम सजीवन–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि ओहन फीडर में फरवरी, 1987 में गैज रजिस्टर में लगातार नहर चलती दिखायी है और खेतों की सिंचाई भी हुई है जबकि उसी अवधि में जूनियर इंजीनियर एवं सहायक अभियन्ता द्वारा करीब एक लाख बीस हजार रुपयों का भुगतान नहर की तली सफाई के लिए कर लिया गया है? यदि हां, तो नहर में पानी चलते तली सफाई कैसे सम्भव हुई ? सरकारी धन के दुरुपयोग के लिए कौन-कौन दोषी है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

ओहन फीडर माह फरवरी, 87 में गेज रजिस्टर के अनुसार दिनांक 11-2-87 से 28-2-87 तक चलती रही। इस अवधि में अभिलेख के अनुसार तली सफाई का कोई कार्य नहीं कराया गया और न कोई भुगतान किया गया । अतः किसी के दोषी होने व उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

आगरा के सकहरा केन्द्र पर कार्यरत पशुधन सहायक के विरुद्ध शिकायत

23–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के क्षेत्र फिरोजाबाद के सामुदायिक केन्द्र भटसेना के उद्घाटन के अवसर पर फिरोजाबाद के पशुधन विकास अधिकारी और ए0 डी0 एम0 फिरोजाबाद और खण्ड विकास अधिकारी के समक्ष उपस्थित सैकड़ों काश्तकारों ने शिकायत की कि सकहरा केन्द्र पर कार्यरत पशुधन

सहायक (श्री नरेश चन्द्र शर्मा) भैंस, गाय, बैल के बीमार होने पर देखने को जाने से पहले दस रुपया और 50 रु0 दवा के नाम जबरन किसानों से लेने के बाद ही जाते हैं और निशुल्क लगने वाले टीका को दो रुपया लेने पर लगाते हैं? यदि हां, तो उनके खिलाफ कार्यवाही न करने का क्या कारण है?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां।

कथित पशुधन विकास सहायक के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी। इसकी जाच करायी गयी। जांचोपरान्त पशुधन विकास सहायक को निम्न दण्ड दिये गये:–

(अ) एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी गयी।

(ब) एक चेतावनी दी गयी ।

उनका सकहरा केन्द्र से अन्यत्र स्थानान्तरण भी कर दिया गया।

वाराणसी के ग्राम बरहन का राजकीय नलकूप बन्द होने की शिकायत

24–श्री राजित प्रसाद यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी में नलकूप प्रखण्ड (द्वितीय) के अन्तर्गत ग्राम बरहन, ब्लाक–थानापुर में सन् 1979 में छिद्रित किया गया राजकीय नलकूप मात्र एक वर्ष तक चलने के बाद बन्द पड़ा है? यदि हां, तो सरकार उस नलकूप को चलाने की क्या व्यवस्था कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

नलकूप वर्ष 1979-80 से वर्ष 82-83 तक चलने के बाद असफल हो गया।

इस क्षेत्र में विश्व बैंक द्वारा नलकूप सं0 129 एम0 जी0 का निर्माण हो चुका है अतः उस नलकूप को चलाये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

तालरतोय दाहा नाला जनपद आजमगढ़ की सफाई के सम्बन्ध में जानकारी

25–श्री विष्णु देव–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि प्रथम सत्र 1986 के पहले बुधवार के दि0 12-2-86 को विधान सभा में प्रश्नकर्ता द्वारा ताल रतोय जनपद आजमगढ़ के जल निकासी के विषय में पूछे गये तारांकित प्रश्न सं0 3 के सम्बन्ध में श्री रघुवर दयाल वर्मा, विधायक द्वारा पूरक प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि वर्षा ऋतु से पहले इसे साफ करा दिया जायेगा ? यदि हां, तो पिछली वर्षा ऋतु बीत जाने और फिर नयी वर्षा ऋतु आने के समय तक उसे साफ न कराये जाने के क्या कारण हैं तथा कब तक उसे साफ करा दिया जायेगा?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां, फाटक खुलने के पूर्व जो सिल्ट जम जाने से तल ऊंचा हो जाता है उसे साफ कराने का आश्वासन दिया गया था। तालरतोय से निकलने वाली हाहा नाले की सफाई हेतु सर्वेक्षण कराया गया। परन्तु सीमित वित्तीय संसाधन के कारण बाढ़ के पूर्व यह कार्य न हो सका। अब इस नाले की सफाई हेतु सूखा व रख-रखाव मद से धन की व्यवस्था कर दी गई है तथा कार्य आरम्भ करा दिया गया है। सफाई का यह कार्य 1988 के बाढ़ के पूर्व पूर्ण कराने का हर सम्भव प्रयास किया जायेगा।

जनपद आजमगढ़ के रसड़ी आदि ग्रामों की सफाई के सम्बन्ध में पत्र

26–श्री विष्णु देव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन्हें जनपद आजमगढ़ में ग्राम रसड़ी, माछिल, जमीन, गाछिन, सरया गनेश आदि ग्रामों से संबंधित ताल के जल निकासी के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 27-3-87 प्राप्त हुआ? यदि हां, तो उसके सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां, पत्र दिनांक 27-3-87 में इन ग्रामों के ताल के पानी की निकासी हेतु खुदाई का कार्य आरम्भ होने की बात कही गई है तथा इस योजना के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों के बारे में कुछ सूचना चाही गई है।

पत्र प्राप्त होने पर अधिशासी अभियन्ता द्वारा मौके पर जांच कराई गई। यह ज्ञात हुआ कि पत्र में वर्णित ग्राम रसड़ी, रखोली, माछिल, जमीन माछिल के तालों की पानी के निकासी के लिए दो नाले भाउर-भोज तथा चंवर ताल ड्रेन बने हैं। परन्तु 1987 की बाढ़ से पूर्व इन पर कोई भी मिट्टी का कार्य सिंचाई विभाग द्वारा नहीं कराया गया है। न ही इस क्षेत्र में सिंचाई विभाग द्वारा किसी नये नाले की योजना स्वीकृत कराई गई है। एक लिंक ड्रेन पर जिला प्रशासन द्वारा खुदाई की सूचना मिली है अतः अब यह पत्र जांच करा हेतु जिलाधिकारी को भेज दिया गया है।

दोहरी घाट पम्प कैनाल की उपशाखा सेमरी माईनर आदि में पानी की कमी

27–श्री विष्णु देव–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि दोहरीघाट पम्प कैनाल की उपशाखा सेमरी माईनर व लखनी माईनर व काठतराब माईनर (टेल) व लोहनरा माईनर में जमीन की सतह ऊंची होने के कारण संबंधित ग्रामों में सिंचाई के लिए पानी नहीं पहुंच पाता है? यदि हां, तो उक्त उप शाखाओं में समय से भरपूर पानी पहुंचाने के सम्बन्ध में शासन की क्या योजना है तथा उस पर कब तक अमल हो जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

इन ग्रामों में जहां खेतों की जमीन ऊंची है वहां पानी नहीं पहुंचता लेकिन जहां जमीन नीची है वहां सींच होती है।

उपशाखाओं में समय से भरपूर पानी चलाने का प्रयास किया जाता है परन्तु कभी-कभी बिजली की खराबी के कारण भरपूर पानी नहीं चल पाता है।

इस कार्य हेतु किसी योजना की आवश्यकता नहीं है ऊंची जमीन की सींच कृषक गूल से पानी उठाकर कर सकते हैं।

जनपद आजमगढ़ में तालरतोय के जल निकासी के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

28–श्री विष्णु देव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त सचिव, सचिव विभाग के म0 शा0 पत्र सं0 443 एम0 एम0/87/23 सिंचाई-6/127 वाद/87 उ0 प्र0 शासन

सिंचाई-6 अनुभाग लखनऊ दिनांक 13-7-87 के अन्तर्गत जनपद आजमगढ़ में ताल-रतोय के जल निकासी के सम्बन्ध में (जिसकी प्रति प्रश्नकर्ता को भेजी गयी है) अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद आजमगढ़ में ताल रतोय से निकलने वाले हाहा नाले की सफाई हेतु सर्वेक्षण कराया गया । सीमित वित्तीय संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में सफाई का धनाभाव के कारण नहीं हो सका। धन की व्यवस्था होने पर वर्ष 1988 की बाढ़ के पूर्व सफाई कार्य कराये जाने का प्रयास है।

राज्य सड़क परिवहन निगम के संयुक्त प्रबन्ध निदेशक श्री के0 एस0 वर्मा की कार्य मुक्ति

29–कुंवर रेवती रमण सिंह तथा श्री मैनेजर सिंह–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य सड़क परिवहन निगम उ0 प्र0 लखनऊ के संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (श्री के0 एस0 वर्मा) की अवधि 31 मार्च, 1987 का, गुजरात कैडर के होने के नाते समाप्त हो चुकी है? यदि हां, तो वे निगम में उक्त पद पर किस आधार पर कार्य कर रहे हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह–

यह सही है कि श्री के0 एस वर्मा, संयुक्त प्रबन्ध निदेशक परिवहन निगम की प्रतिनियुक्ति की अवधि दिनांक 31-3-87 को समाप्त हुई। परन्तु श्री वर्मा के स्थान पर किसी अधिकारी की नियुक्ति नहीं हो पायी थी । अतः निगम के हित में इन्हें तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जा सका। श्री वर्मा को दिनांक 15-6-1987 को कार्य-मुक्त किया गया।

परिवहन विभाग, आगरा द्वारा कांग्रेस रैली में दी गयी बसों के सम्बन्ध में जानकारी

30–श्री रघुबर दयाल वर्मा–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में परिवहन विभाग द्वारा दिनांक 15-5-87 को कितनी बसें इंदिरा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिल्ली रैली में जाने हेतु प्रदान की गयी और क्या उनका पूरा भुगतान हुआ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

दिनांक 15-5-87 को उ0 प्र0 कांग्रेस कमेटी (आई) को दिल्ली रैली हेतु आगरा क्षेत्र से परिवहन निगम की 66 बसें उपलब्ध करायी गई थी ।

आगरा क्षेत्र के अतिरिक्त कुछ अन्य निकटवर्ती क्षेत्रों से भी परिवहन निगम की बसें उक्त अवसर पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (आई) को दी गयी थी। दी गई बसों के रु0 24,61,671·50 के चार्जेज के भुगतान के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (आई) से रु0 5·00 लाख के अग्रिम धनराशि प्राप्त हुई थी। उसका समायोजन करने के उपरान्त शेष धनराशि रु0 19,61,671·50 के देयक उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (आई) को प्रेषित कर दिये गये हैं जिसका भुगतान अभी नहीं प्राप्त हुआ है।

भुगतान प्राप्त करने हेतु उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (आई) से बराबर सम्पर्क स्थापित किया जा रहा है।

जनपद आगरा के ग्रामों का विद्युतीकरण

31–श्री विजय सिंह राणा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के वर्ष 1985-86 व 1986-87 में कुल कितने ग्रामों का विद्युतीकरण प्रस्तावित था और इनमें से कितने गांव को विद्युत आपूर्ति दे दी गयी है? जो शेष रह गये हैं उन्हें कब तक विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कर दी जायेगी? तहसील आगरा में अभी तक कितने गांव का विद्युतीकरण कर दिया गया है और कितने शेष रह गये हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह–

आगरा जनपद में वर्ष 1985-86 व 1986-87 में क्रमशः 55 व 36 ग्रामों का विद्युतीकरण एल0 टी0 लाइन बिछाकर प्रस्तावित था और क्रमशः 37 व 36 ग्रामों का विद्युतीकरण कर दिया गया है।

जो ग्राम शेष रह गये हैं उनका विद्युतीकरण आने वाले वर्षों में उपलब्ध संसाधनों व निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार किया जा सकेगा।

तहसील आगरा में अब तक 52 गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है तथा 82 ग्राम शेष रह गये हैं।

आगरा फीडर तथा बिचपुरी फीडर से कतिपय ग्रामों का विद्युतीकरण

32–श्री विजय सिंह राणा–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि आगरा फीडर से अकोला मनकेड़ा गामरीखेड़ा झगेरे जारुवा, कटारा, गांवों को जाने वाली विद्युत लाइन को एक अलग से ट्रांसफार्मर लगा कर पृथक किया जा रहा था और साथ मलपुरा, धनौली आदि गांव को बिचपुरी फीडर से संलग्न किया जा रहा है? इसे अभी तक पूरा क्यों नहीं किया गया और अब यह दोनों कार्य कब तक पूरे कर दिए जायेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह–

आगरा जनपद में अकोला मनकेड़ा गामरीखेड़ा झगेरे जारुवा, कटारा ग्रामों को 33/11 के0 वी0 उपकेन्द्र कागारौल के 11 के0 वी0 बरारा फीडर द्वारा विद्युत आपूर्ति की जा रही है। इस उपकेन्द्र पर 3 एम0 वी0 ए0 क्षमता का एक नया ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा है जिसका कार्य अप्रैल 1988 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

मलपुरा, धनौली आदि गांव को 33/11 के0 वी0 बिचपुरी उपकेन्द्र से जोड़ने का कार्य बिचपुरी उपकेन्द्र की क्षमता बढ़ाने के पश्चात् ही सम्भव है जिसको वर्ष 1988-89 में प्रस्तावित किया जा रहा है।

आगरा में ट्रांसफार्मरों की आवश्यकता व आपूर्ति

33–श्री विजय सिंह राणा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में वर्ष 1986-87 में कुल कितने ट्रांसफार्मरों की आवश्यकता थी और उसके विपरीत कुल कितने ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराये जा सके ? शेष की आपूर्ति कब तक कर दी जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

आगरा नगरमहापालिका में सम्मिलित ग्रामों का विद्युतीकरण

34—श्री विजय सिंह राणा—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर महापालिका में सम्मिलित किये गये ग्रामों में से कितने गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है? शेष रह गये ग्रामों के नाम क्या हैं और उन्हें कब तक विद्युतीकृत कर दिया जायेगा?

श्री वीर बहादुर सिंह—

आगरा नगर महापालिका में सम्मिलित किये गये 27 ग्रामों में से 13 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

शेष रह गये ग्रामों का नाम इस प्रकार है :—

(1) सूरजपुर
(2) गैलाना
(3) मोहम्मदपुर (भीलई)
(4) सोहल्ला
(5) मऊ
(6) ककरैठा
(7) जगनपुर (दयालबाग व स्वामीबाग को छोड़कर)
(8) घटवासन
(9) धंधूपुरा
(10) उरवारी
(11) चकचार
(12) बोंदला
(13) सेवला
(14) नगला अलवतिया

उक्त ग्रामों का विद्युतीकरण सामग्री व धन की उपलब्धता पर यथाशीघ्र करने का प्रयास किया जायेगा।

स्योहरा माइनर, मांट ब्रांच नहर जनपद बुलन्दशहर में कुलाबे लगाये जाने की मांग

35—श्री इम्तियाज मोहम्मद खां—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्योहरा माइनर मांट ब्रांच नहर जनपद बुलन्दशहर में कुलाबे नं0 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 20 से 29 स्वीकृत होने के बावजूद कई वर्षों से माइनर में सहायक अभियन्ता द्वारा नहीं लगवाने से कृषकगण को विशेष कठिनाई सिंचाई हेतु उत्पन्न हुई है ?क्या किसानों की सिंचाई में रुकावट डालने वाले सहायक अभियन्ता के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही करते हुये तत्काल स्वीकृत कुलाबे लगवायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मांट शाखा गंगा नहर प्रणाली की माइनर सिवारा (स्योहारा नहीं) जनपद बुलन्दशहर में स्वीकृत स्थानों पर कुलाबे माह जून 1987 तक लगे थे । किन्तु क्षेत्र की चकबन्दी हो जाने से गूल के स्थान में परिवर्तन के फलस्वरूप कृषकों द्वारा कुलाबा नं0 2, 5, 6, 9 एवं 20 से 29 उखाड़ लिये गये । शेष कुलाबे ठीक स्थान पर हैं । कुलाबे न होने के कारण सींच में कठिनाई उत्पन्न होना स्वाभाविक है ।

सभी स्थानों पर स्वीकृत कुलाबे दिनांक 25-2-88 को लगवा दिये गये हैं । संबंधित सहायक अभियंता का स्पष्टीकरण प्राप्त कर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

जिला पूर्ति अधिकारी, बलिया के विरुद्ध काला बाजारियों की साजिश

36–श्री शारदा नन्द अंचल–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद के थाना क्षेत्र उभांव के गांव बीबीपुर निवासी एक व्यक्ति ने राशन की दुकान से वितरित की जाने वाली वस्तुओं के काले बाजार में बेचे जाने सम्बन्धी अनियमितता पर अंकुश लगाने वाले जिला पूर्ति अधिकारी के विरुद्ध नाजायज गोल बनाकर अनेक अनर्गल आरोप लगाया, धमकी दिया, पर्चे बंटवाया तथा उनके विरुद्ध अदालत में इस्तगासा दिया जिसके संबंध में प्रश्नकर्ता ने शासन को वर्ष 1986-87 में ही अवगत कराया है ? यदि हां, तो काले बाजारियों के मद्दगार गिरोह के विरुद्ध सरकार कौन सी कार्यवाही करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

बलिया जनपद के थाना क्षेत्र उभांव के गांव बीबीपुर निवासी श्री गिरिजा शंकर दुबे की कथित नाजायज गिरोह बन्दी तथा इस गिरोह द्वारा सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के अंतर्गत वितरण हेतु उचित दर की दूकानों को दी गयी सामग्रियों की काला बाजारी कराये जाने तथा इसका विरोध किये जाने पर अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनशन करने, पर्चापोस्टर बंटवाने आदि के बारे में माननीय प्रश्नकर्ता द्वारा शासन को वर्ष 1987 में अवगत कराया गया है ।

गिरोहबन्दी करके सामग्रियों की काला बाजारी कराने की शिकायतों के परिप्रेक्ष्य में उभांव थानान्तर्गत बिल्थरारोड निवासी श्री जयचन्द्र के यहां छापा मार कर जांच की गयी । जांचोंपरांत श्री जयचन्द्र तथा अन्य 11 सरकारी सस्ते गल्ले/मिट्टी तेल के फुटकर विक्रेताओं के विरुद्ध पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करायी गयी तथा मामला पुलिस के विवेचनाधीन है । जांच में पायी गयी अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप 11 सरकारी सस्ते गल्ले/मिट्टी तेल के विक्रेताओं के लाइसेंस अनुबन्ध-पत्र निलम्बित किये गये हैं ।

गोड़उर जनपद गाजीपुर में विद्युतीकरण की मांग

37–श्री अफजाल अंसारी–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर की मुहम्मदाबाद तहसील के ग्राम गोड़उर जिसकी वर्तमान समय में आबादी लगभग 8000 है किन कारणों से आजतक इस बड़े गांव का विद्युतीकरण नहीं हो सका है ? कब तक ग्राम गोड़उर में विद्युतीकरण कर दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

ग्राम गोड़उर का केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की परिभाषा के अनुसार विद्युतीकरण किया जा चुका है इस ग्राम का एल0 टी0 लाइन बिछाकर विद्युतीकरण पर्याप्त संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त न होने एवं वांछित वार्षिक प्रतिलाभ न मिलने के कारण

नहीं हो सका है ।

जब पर्याप्त संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त हो जायेंगें तब विद्युतीकरण की कार्यवाही सम्भव हो सकेगी ।

जनपद गाजीपुर की हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण की मांग

38–श्री अफजाल अंसारी–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर में दि0 6-9-87 को जनपद की हरिजन बस्ती व ग्रामों में एल0 टी0 मेन्स बिछाकर ग्रामों का विद्युतीकरण करने हेतु अधिशासी अभियन्ता द्वारा सांसदों एवं विधायकों की एक बैठक करायी गयी थी ? इस बैठक में किन-किन हरिजन बस्तियों और किन-किन ग्रामों में एल0 टी0 मेन्स बिछाकर विद्युतीकरण किये जाने का प्रस्ताव किया गया था और उनमें से अब तक किन-किन ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य किया गया ? कब तक प्रस्तावित सभी ग्रामों में विद्युतीकरण कर दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

इस बैठक में 82 हरिजन बस्ती तथा 82 ग्रामों में एल0 टी0 मेन्स बिछाकर विद्युतीकरण किये जाने का प्रस्ताव किया गया था जिनकी सूची संलग्न है । इनमें से 7 ग्रामों तथा 11 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया जा चुका है । संलग्न सूची में इंगित है । शेष ग्रामों का विद्युतीकरण वर्ष 1988-89 के अंत तक होने की सम्भावना है ।

[देखिये नत्थी (घ) आगे पृष्ठ 237-239 पर]

टिहरी बांध के निर्माण के लिये नया संगठन

39–श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी बांध के निर्माण के लिए मित्र देश सोवियत रूस द्वारा आर्थिक सहायता दिये जाने के बाद टिहरी बांध के निर्माण के लिए क्या कोई नया संगठन बनाये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह संगठन कब तक बन जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

टिहरी बांध के निर्माण हेतु टिहरी हाइड्रो कारपोरेशन के गठन का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश एवं भारत सरकार के मध्य विचाराधीन है । प्रस्तावित कारपोरेशन के गठन के प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसमें समय लगेगा, परन्तु निश्चित समय बताना संभव नहीं है ।

टिहरी बांध कंट्रोल बोर्ड को पुनर्गठित करने की मांग

40–श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

क्या सिंचाई मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी बांध कंट्रोल बोर्ड को पुनर्गठित करने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ?यदि हां, तो क्या इसमें जन प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया जायेगा ? यदि नहीं तो इसके क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं ।

अतः शेष प्रश्न के संबंध में प्रश्न नहीं उठता ।

टिहरी बांध के विस्थापितों को पुनर्वास हेतु भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने की मांग

41–श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी बांध से विस्थापित होने वाले निवासियों को नये टिहरी नगर में किस आकार के भूखण्ड निर्माण हेतु उपलब्ध कराये जायेंगे ? इन भूखण्डों का मूल्य अलग-अलग श्रेणियों में कितना निर्धारित किया गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

टिहरी बांध के निर्माण के फलस्वरूप विस्थापित होने वाले नगर वासियों के लिए भूखण्डों का आकार 60, 150, 200, 250 एवं 300 वर्गमीटर हैं जो निम्नानुसार मूल्य पर भवन निर्माण हेतु उपलब्ध कराये जायेंगे :–

(1) 150 वर्ग0 मी0 तक के भूखण्डों का मूल्य 5 रु0 प्रति वर्ग मी0।

(2) 150 से 200 वर्ग0 मी0 तक, पहले 150 वर्ग मी0 के लिए उल्लिखित (1) के अनुसार तथा उससे अधिक क्षेत्रफल के लिए 50 रु0 प्रति वर्ग0 मी0 ।

(3) 200 से 250 वर्ग मी0 तक, पहले 200 वर्ग मी0 के लिए ऊपर उल्लिखित (2) के अनुसार तथा उससे अधिक क्षेत्रफल के लिए 100 रुपये प्रति वर्ग मी0 ।

(4) 250 से 300 वर्ग मी0 तक, पहले 250 वर्ग मी0 के लिए ऊपर उल्लिखित (3) के अनुसार तथा उससे अधिक क्षेत्रफल के लिए 150 रु0 प्रति वर्ग मी0 ।

42–श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

क्या मंत्री जी को विदित है कि टिहरी बांध परियोजना पुनर्वास निदेशक द्वारा सन् 1985 में प्रकाशित एक पैम्फलेट द्वारा घोषणा की थी कि नये टिहरी नगर में प्लाट का साईज 50 वर्ग मीटर, 150 से 200 वर्ग मीटर, 200 से 250 वर्ग मीटर तथा 250 से 300 वर्ग मीटर तक किया जायेगा तथा उक्त प्लाट्स की मूल्य की दरें क्रमशः 5 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये तथा 150 रुपये होगी ? यदि हां, तो क्या पुर्नवास निदेशालय टिहरी बांध उपरोक्त दरों को बदल रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

वर्ष 1985 में पुनर्वास निदेशक द्वारा प्रकाशित पम्पलेट में भूमि के प्लाटों के मूल्य की दरें शासनादेश संख्या 1578 संख-23-1-सिं-3 दिनांक 8-5-84 के अनुरूप हैं । जिनका विवरण उपरोक्त प्रश्न 41 के उत्तर में दिया गया है ।

टिहरी नियन्त्रण परिषद् द्वारा उपरोक्त दरों में कोई संशोधन नहीं किया है और न ही पुनर्वास निदेशालय द्वारा दरों को बदला गया है।

43—श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

[7वे बुधवार के लिए स्थगित]

उन्नाव जनपद में ग्रामीण विद्युतीकरण का प्रस्ताव तथा लक्ष्य

44—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 86-87 में उन्नाव जिले में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए कुल कितने ग्राम प्रस्तावित थे ? क्या पुरवा विधान सभा क्षेत्र की 87-88 की सूची में कई ग्राम वही हैं जो 86-87 के लक्ष्य में थे ?वर्ष 86-87 में लक्ष्य से कम विद्युतीकरण के क्या कारण थे ? वर्ष 87-88 में कितने प्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति हुई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वर्ष 1986-87 में उन्नाव जिले में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए 60 ग्राम प्रस्तावित थे ।

पुरवा विधान सभा क्षेत्र की वर्ष 1987-88 में विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित ग्रामों की सूची में केवल तीन ग्राम वहीं हैं जो वर्ष 1986-87 के लक्ष्य में थे । वर्ष 1986-87 में लक्ष्य के अनुसार 60 ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया । वर्ष 1987-88 में फरवरी, 1988 तक जिले में लगभग 60 प्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति हुई है ।

श्री रणजीत विश्वकर्मा ग्राम जोरा, जनपद पिथौरागढ़ में सुरिंगगाड वन विद्युत योजना के निर्माण में धांधली संबंधी पत्र पर कार्यवाही

45—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या ऊर्जा मंत्री को प्रश्नकर्ता के पत्रांक 894/86 दिनांक 2-6-86 द्वारा जनपद पिथौरागढ़ में तहसील मुनस्यारी अंतर्गत सुरिंगगाड वन विद्युत योजना के निर्माण कार्यों में अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार किये जाने तथा उसकी उच्चस्तरीय गुप्त जांच कराने हेतु श्री रणजीत विश्वकर्मा ग्राम जोरा (गांधी नगर) पत्रालय मडकोट जनपद पिथौरागढ़ का संलग्न पत्र प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो इस पर जांच करने तथा दोषियों का दण्ड निर्धारित करने हेतु दिनांक 19 अक्टूबर, 1987 तक क्या कदम उठाये गये ? इस हेतु श्री विश्वकर्मा से कब-कब किन-किन स्तरों से सम्पर्क स्थापित किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

शिकायती पत्र की जांच हेतु उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् द्वारा मुख्य क्षेत्रीय अभियंता, नैनीताल को भेजा गया, जिन्होंने परिषद् को यह सूचित किया कि पिथौरागढ़ जनपद में तहसील मुनस्यारी के अंतर्गत सुरिंगगाड पनं बिजली योजना के निर्माण कार्यों की जांच उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान द्वारा की जा रही है । अतः संबंधित अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण उनके द्वारा शिकायती पत्र पर विभागीय जांच करना संभव नहीं है ।

अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, पिथौरागढ़ तथा उपखण्ड अधिकारी विद्युत वितरण उपखण्ड, डीडीहाट को श्री विश्वकर्मा अपने निवास स्थान ग्राम जोरा में उपलब्ध नहीं हो सके तथा निकटस्थ ग्राम मडकोट के ग्राम प्रधान से सम्पर्क करने पर उनसे यह जानकारी मिली की श्री विश्वकर्मा लम्बी अवधि से घर पर नहीं है और उन्हें उनका वर्तमान पता भी मालूम नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री नवीन चन्द्र कर्नाटक का सुरिंगगाड विद्युत परियोजना के कर्मचारियों को पुलिस द्वारा प्रताड़ित किये जाने के संबंध में पत्र

46–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्रांक 340/85 दिनांक 31-8-85 के साथ श्री नवीन चन्द्र कनार्टक, मंडलीय अध्यक्ष, विद्युत मजदूर परिषद् नैनीताल का मूल प्रार्थना पत्र सुरिंगगाड विद्युत परियोजना के कर्मचारियों को पुलिस द्वारा प्रताड़ित किये जाने के संबंध में उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो इस संबंध में दिनांक 19 अक्टूबर, 87 तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

47–श्री राम सजीवन–

[7वें बुधवार के लिए स्थगित]

मथुरा के औद्योगिक क्षेत्र से जल निकासी की मांग

48–श्री सरदार सिंह–

क्या उद्योग मंत्री की जानकारी है कि जय गुरु देव आश्रम मथुरा के आस-पास औद्योगिक क्षेत्र में पानी भरा रहता है जिससे औद्योगिक इकाईयों को भारी हानि उठानी पड़ती है ? यदि हां, तो शासन जल निकास के लिए क्या उपाय कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

औद्योगिक क्षेत्र मथुरा साइट (ए) में पानी भरा रहता है क्योंकि इस क्षेत्र में साड़ी छपाई की इकाईयों द्वारा जल अत्यधिक मात्रा में बहाया जाता है, जिससे औद्योगिक क्षेत्र में जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गयी है ।

जल निकासी की समस्या के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश जल निगम एक बृहद योजना (यमुना एक्शन प्लान) तैयार कर रहा है जिससे इस औद्योगिक क्षेत्र की जल भराव की समस्या का समाधान होने की आशा है ।

मथुरा में यू0 पी0 एस0 आई0 डी0 सी0 व बाबा जय गुरुदेव में भूमि संबंधी बाद

49–श्री सरदार सिंह–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद में यू0 पी0 एस0 आई0 डी0 सी0 ने बाबा जय गुरुदेव की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा कर रखा है जिसके बाद विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन है ? यदि हां, तो कुल कितने वाद न्यायालयों में

विचाराधीन है और कितने वादों का न्यायालयों में फैसला हो चुका है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि विभिन्न न्यायालयों में निष्पादित वादों में फैसले किस-किस के हक में हुये हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

बाबा जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संघ के किसी भी भूमि पर यू0 पी0 एस0 आई0 डी0 सी0 का अनाधिकृत कब्जा नहीं है । इस संदर्भ में न्यायालयों में कोई वाद विचाराधीन अथवा निर्णीत नहीं है ।

गरोठा से लखनऊ वाया खिरिया घाट बस चलाने की मांग

50–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जिले की गरोठा विधान सभा क्षेत्र के मुख्यालय गरौठा से लखनऊ वाया खिरिया घाट सीधी परिवहन निगम की बस चलाये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है और क्या मंत्री जी ने अपने झांसी प्रवास के दौरान भी इस प्रकार का आश्वासन झांसीवासियों को दिया था? यदि हां, तो उक्त बस कब से चलाई जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय प्रेस निदेशालय में घपलों की जांच की मांग

51–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 8 सितम्बर, 87 का राजकीय प्रेस निदेशालय में घपलों की जांच की मांग विषयक पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी तथा कार्यवाही कब तक पूर्ण हो जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

पत्र में उल्लिखित मामले की जांच चल रही है जिसके शीघ्र पूर्ण हो जाने की संभावना है ।

केन नहर की बांदा ब्रांच के कुलाबा नं0 20 से माइनर निकालने की मांग

52–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 18-8-87 का पत्र संख्या घ, 020934 बांदा जनपद के ब्लाक महुआ के ग्राम प्रेमपुर के ग्राम प्रधान श्री माखनलाल आदि के पत्र के साथ केन नहर की बांदा ब्रांच के कुलाबा सं0 20 से माइनर निकलवाने के संबंध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ? क्या प्रश्नकर्ता की उपस्थिति में किसी अधिशासी अभियन्ता स्तर के अधिकारी से किसानों को सिंचाई सुविधा हेतु उपरोक्त स्थान पर माइनर की आवश्यकता का सर्वे करवाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक और माइनर का कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

पत्र में उल्लिखित तथ्यों की जांच कराये जाने पर विदित हुआ कि बांदा ब्रांच के कुलावा नं0 20 का सी0 सी0 ए0 533 एकड़ है तथा खरीफ में 179 एकड़ तथा रबी में 150 एकड़ सींच प्रस्तावित है जिसके विरुद्ध पिछले पांच वर्षों में औसत सींच खरीफ में 446 व रबी में 304 एकड़ हुई है जो प्रस्तावित सींच से कहीं अधिक है और संबंधित कृषकों को पर्याप्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध है । इस कुलावे से माइनर निकालने का कोई प्रस्ताव नहीं है । ऐसी स्थिति में कुलावे से माइनर के सर्वेक्षण कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

आगरा के ग्राम दंवडीह गोपाल पट्टी सरहद पर नहर में साइफन लगाने की मांग

53–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद के मुख्य टाण्डा नहर के कि0 मी0 61-594 पर ग्राम दंवडीह-गोपाल पट्टी सरहद पर साइफन माह अप्रैल मई, 1987 में बनाना प्रस्तावित था ? यदि हां, तो क्या उक्त साइफन बनाने हेतु कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

जनपद आजमगढ़ में (आगरा में नहीं) मुख्य टांडा नहर के कि0मी0 61-594 पर स्थित ग्राम दंवडीह एवं गोपाल पट्टी की सरहद पर एक साइफन का निर्माण प्रस्तावित था । साइफन का कार्य शुरू करने हेतु आर0 सी0 सी0 पाइप स्थल पर पहुंचाई गई थी परन्तु स्थानीय जनता के अवरोध के कारण कोई निर्माण कार्य आरम्भ किया जाना सम्भव नहीं हो सका।

नहर के दोनों ओर की जनता में साइफन के निर्माण में गम्भीर मतभेद है अतः निर्माण कार्य रोक दिया गया है ।

त्योहारों के लिये अतिरिक्त चीनी कोटा

54–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि होली, दीवाली, ईद, बकरीद जैसे त्योहारों के लिए चीनी का अतिरिक्त आवंटन न करने का क्या कारण है ? क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने इन त्योहारों पर चीनी का अतिरिक्त कोटा आवंटित करने के लिए भारत सरकार को लिखा है ? यदि हां, तो किन तिथियों में और किस वर्ष में ?

श्री हुकुम सिंह–

भारत सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार सितम्बर तथा अक्टूबर में पड़ने वाले त्योहारों के अतिरिक्त अन्य त्योहारों के लिए लेवी चीनी का आवंटन नहीं किया जाता है, परन्तु राज्य सरकार द्वारा जनपद के वर्तमान कोटे से ही उपलब्धता के आधार पर उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण त्योहारों पर यथा सम्भव अतिरिक्त चीनी उपलब्ध कराने के आदेश समय-समय पर दिये जाते हैं । वर्ष 1986 में होली के त्यौहार पर अतिरिक्त चीनी आवंटित करने हेतु टेलेक्स दिनांक 1-3-1986 द्वारा भारत सरकार ने

अपने टेलेक्स दिनांक 7-3-86 द्वारा सूचित किया था कि उनके द्वारा त्यौहारों के लिए चीनी का आवंटन नहीं किया जाता है । पुनः इस वर्ष भी होली के त्योहार पर अतिरिक्त चीनी आवंटित करने हेतु टेलेक्स दिनांक 3-2-88 द्वारा भारत सरकार से अनुरोध किया गया । भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक 11-2-88 द्वारा सूचित किया किया उनके द्वारा सितम्बर तथा अक्टूबर में पड़ने वाले त्योहारों को छोड़कर अन्य त्योहारों के लिए अतिरिक्त चीनी का आवंटन नहीं किया जाता ।

राजकीय प्रेस, राम नगर, वाराणसी के कर्मचारियों को ओ0 टी0 एरियर

55–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जुलाई सन् 1979 से गए वेतनमान लागू होने के आदेश देर से पारित होने के कारण राजकीय मुद्रणालय राम नगर वाराणसी के कर्मचारियों को उस अवधि में किये गये अतिरिक्त काल भत्ता (ओ0 टी0) का एरियर क्या अब तक मिल गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त को जल्द से जल्द दिलवाने की कृपा करेंगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आजमगढ़ के अंबरा नाले की जल निकासी

56–श्री विष्णु देव–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद आजमगढ़ में अंबरा नाले की जल निकासी की योजना जिले की सिंचाई समिति द्वारा स्वीकृति करके स्टीमेंट भेज दिया है और यह स्वीकार किया है कि अंबरा नाले की जल निकासी से तहसील घोसी के बहुत बड़े भू-भाग की फसल डूबने से बचाई जा सकेगी ? यदि हां, तो वह स्टीमेंट कब तक स्वीकृत होकर अंबरा नाले की खुदाई प्रारम्भ हो जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जिले की सलाहकार समिति द्वारा कोई योजना स्वीकृत नहीं की गई । प्रश्नगत अंबरा नाले की जल निकासी की योजना राज्य बाढ़ नियन्त्रण परिषद् की तकनीकी सलाहकार समिति की 83 वीं बैठक में मार्च, 1987 में अनुमोदित की जा चुकी है । वित्तीय संसाधनों के परिपेक्ष्य में धन उपलब्ध होने पर कार्य कराया जाना सम्भव होगा ।

57–श्री विष्णु देव–

[7वे बुधवार के लिए स्थगित]

लखनऊ में कुकरैल बांध पर पड़ने वाले भवन/भूमि का मुआवजा

58–श्री विष्णु देव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में कुकरैल बांध (रेलवे लाइन की ओर) पर पड़ने वाले भवन/भूमि का मुआवजा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा मूल्यांकन कराने के बाद भी अभी तक क्यों नहीं दिया गया है ? क्या सार्व0 निर्माण विभाग द्वारा किये गये मूल्यांकन को अधिशासी अभियन्ता शारदा नहर खण्ड लखनऊ द्वारा देने से इन्कार किया जा रहा है ? यदि हां, तो इसका क्या आधार है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

लखनऊ में कुकरैल तटबांध के निर्माण में रेलवे लाईन के निकट तटबांध में पड़ने वाले भवनों का मूल्यांकन सार्वजनिक निर्माण विभाग से कराने हेतु भेजा गया इसमे भूमि का सम्मिलित नहीं है । इस का परीक्षण कर अंतिम निर्णय नहीं हो सका है। अधिशासी अभियन्ता, लखनऊ डिवीजन शारदा नहर, लखनऊ द्वारा मुआवजा देने से इन्कार नहीं किया गया है ।

दोहरी घाट कैनाल, आजमगढ़ से माइनर निकालने का प्रस्ताव

59–श्री विष्णु देव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें दोहरी घाट कैनाल जनपद आजमगढ़ की उपशाखा सरया गनेश माइनर की शाखा ग्राम माछिला जमीन माछिल होते दरोधा माधोपुर तक निकालकर संबंधित ग्रामों की हजारों एकड़ भूमि की सिंचाई की व्यवस्था के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 30-10-86 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसके संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

पत्र दिनांक 28-10-86 प्राप्त हुआ है । वांछित माइनर के निर्माण का प्रस्ताव शारदा सहायक परियोजना के अंतर्गत दोहरीघाट समानान्तर नहर उपयोजना में शामिल है, परन्तु सीमित वित्तीय संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में इस उपयोजना के कार्य बहुत धीमें चल रहे है । वर्तमान नहर में अतिरिक्त पानी अभी उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण वर्तमान नहर के पानी के आधार पर तत्काल नई माइनर का निर्माण संम्भव नहीं है ।

नलकूप निगम लिमिटेड के कार्यालय अधीक्षक श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव का स्थानान्तरण

60–श्री विष्णु देव–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 6774/ई-4-7बी-228 मिस/नलकूप निगम लखनऊ दिनांक 26-8-86 द्वारा की गई स्थापना के आधार पर किसी कार्यालय अधीक्षक को उत्तर प्रदेश नलकूप निगम लि0 लखनऊ से कार्यालय, अधीक्षक अभियन्ता, नलकूप मंडल झांसी को स्थानान्तरित किया गया था ? यदि हां, तो उक्त कार्यालय अधीक्षक ने झांसी में कब कार्यभार ग्रहण किया ? यदि नहीं, तो आदेशों की अवहेलना के आरोप में उक्त अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

उत्तर प्रदेश नलकूप निगम लिमिटेड, लखनऊ से वापसी पर श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव कार्यालय अधीक्षक (स्तर-2) की स्थापना ज्ञाप दिनांक 26-8-86 द्वारा नलकूप मण्डल, झांसी की गयी थी परन्तु इनकी अस्वस्थता के कारण झांसी में किए गये इनके स्थानान्तरण को संशोधित कर इन्हें केन्द्रीय सज्जा एवं आपूर्ति मण्डल-2 लखनऊ में स्थानान्तरित किया किया गया जहां इन्होंने 25-5-87 को कार्यभार ग्रहण कर लिया । अतः इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

यूपिका में कर्मचारियों का नियमितीकरण

61–श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि "यूपिका" के पूर्व प्रबन्ध निदेशक द्वारा श्रम अनु0-6 द्वारा जारी शासनादेश 735/36-6-151 (टी)-79 दिनांक 12 नवम्बर, 1979 को नजरन्दाज करते हुए मनमाने ढंग से दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को फर्जी मस्टररोल के आधार पर नियमितीकरण किया और एक वर्ष की ट्रेनिंग प्राप्त कर्मचारियों को न तो प्रथम बरीयता दी गई न ही विनियमितिकरण किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, मुरादाबाद के फर्जी बिलों के संबंध में प्राप्त पत्र

62–श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 28-1-88 अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड मुरादाबाद को, ग्राम पीपलसाना तथा टाउन भोजपुर के उपभोक्ताओं के फर्जी बिलों के संबंध में मिला है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

63–श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध जांच आदेश

64–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई सचिव शाखा उत्तर प्रदेश शासन के तत्कालीन संयुक्त सचिव (श्री राजीव रत्न शाह) के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 5867/एक/78-23-सिं0-1-450 (451) 76 दिनांक 11-8-78 द्वारा सिंचाई विभाग के विभागाध्यक्ष से किसी अधिशासी अभियन्ता से संबंधित जांच आख्या एक माह के अन्दर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था ? यदि हां, तो 20 अक्टूबर, 1987 तक उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही हुई तथा क्या संबंधित अधिशासी अभियंता को प्रोन्नति भी प्रदान कर दी गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

चूंकि मामला अधिक पुराना हो गया है और विभागाध्यक्ष के कार्यालय में प्रश्नगत जांच से संबंधित पत्रावली उपलब्ध नहीं हो पा रही है, अतः यह सुनिश्चित नहीं

किया जा सका कि प्रश्नगत जांच हुई या नहीं ? अत: प्रमुख अभियंता सिंचाई विभाग द्वारा पुन: जांच करायी जायेगी ।

जी हां । संबंधित अधिशासी अभियंता को अधीक्षण अभियंता (सिविल) के पद पर प्रोन्नति प्रदान कर दी गयी है ।

प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, सिंचाई विभाग लखनऊ के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा भवन निर्माण के बावजूद सरकारी आवास में रहने के संबंध में शिकायत

65–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, सिंचाई विभाग, लखनऊ में कितने ऐसे अधिकारी/कर्मचारी हैं जिन्होंने भवन निर्माण अग्रिम लेते समय निर्धारित प्रपत्र भरते समय यह लिखित रूप से दिया है कि भवन निर्माण के उपरांत वे सपरिवार उसी में रहेंगे, किन्तु भवन निर्माण के उपरांत भी वे उसमें न रहकर किराये पर उठाये हुए हैं तथा स्वयं सपरिवार राजकीय कर्मचारी आवासों में रह रहे हैं ? क्या ऐसे सभी अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध शासन को धोखा देने के आरोप में कार्यवाही की जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रमुख अभियंता कार्यालय, सिंचाई विभाग, लखनऊ में 2 राजपत्रित अधिकारी तथा 5 कर्मचारी ऐसे हैं, जिन्होंने भवन निर्माण/क्रय अग्रिम हेतु आवेदन करते समय नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र पर यह उल्लेख किया है कि भवन निर्माण के उपरांत वे सपरिवार उसी में रहेंगें परन्तु भवन निर्माण कराने के उपरान्त वे स्वयं उसमें न रहकर अपनी सुविधानुसार राजकीय आवासों में रह रहे हैं । वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुसार ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनका अपना निजी आवास है उन्हें सरकारी आवास की सुविधा भी अनुमन्य है ।

अत: ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

आगरा जनपद के बिहारीपुर व फतेहपुर माइनर के निर्माण से संबंधित भू-प्राकरणों की जानकारी

66–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूमि अध्याप्ति निदेशालय, सिंचाई विभाग में वर्ष 1982 में आगरा मण्डल में संबंधित बिहारीपुर माइनर के निर्माणार्थ भूमि अध्याप्ति के कितने प्रकरणों में कुल कितनी पत्रावलियों (फाईल नम्बर सहित) खोली गयी तथा वर्ष 1983 में फतेहपुर माइनर के निर्माणार्थ भूमि अध्याप्ति के प्रकरणों में कुल कितने पत्रावलियां (फाइल नम्बर सहित) खोली गयी ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि पत्रावली खुलने के पश्चात किस सहायक को प्रस्तुत की गयी तथा संबंधित सहायक द्वारा उपरोक्त प्राप्त प्रकरणों में से कुल कितने प्रकरणों का गजट नोटिफिकेशन कराया गया तथा कितने प्रकरण संबंधित सहायक के स्तर विलुप्त हो चुके हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

आगरा मण्डल से संबंधित वर्ष 1982 में बिहारीपुर माइनर के निर्माण से संबंधित 6 भू-प्रकरण प्राप्त हुए जिनकी निम्नलिखित पत्रावलियां खोली गईं :–

1–अलीगढ़/437/82
2–अलीगढ़/438/82
3–अलीगढ़/439/82
4–अलीगढ़/440/82
5–अलीगढ़/441/82
6–अलीगढ़/442/82

वर्ष 1983 में फतेहपुर माइनर के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित 7 पत्रावलियां खोली गईं :–

1–अलीगढ़/445/83
2–अलीगढ़/499/83
3–अलीगढ़/500/83
4–अलीगढ़/501/83
5–अलीगढ़/502/83
6–अलीगढ़/503/83
7–अलीगढ़/504/83

बिहारीपुर माइनर से संबंधित 6 प्रकरणों में श्री बी0 के0 श्रीवास्तव, तत्कालीन वरिष्ठ सहायक को क्रमांक 1 से 4 तक तथा श्री मुन्नीलाल, वरिष्ठ लिपिक (तत्कालीन) को 5 एवं 6 के प्रकरण प्रस्तुत किये गये थे । उक्त सभी प्रकरणों में धारा 16 के अंतर्गत 6(1) का नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है ।

फतेहपुर माइनर से संबंधित 7 प्रकरण में से प्रथम प्रकरण श्री ए0 पी0 सिंह, वरिष्ठ सहायक को व श्री के0 एस0 पचौरी, तत्कालीन वरिष्ठ सहायक को शेष 6 प्रकरण प्रस्तुत किये गये थे । उक्त 7 प्रकरणों में क्रमांक 1, 4 व 5 पर अंकित तीन प्रकरणों में नोटिफिकेशन जारी हो चुका है । क्रमांक 7 का प्रकरण विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी को दिनांक 9-2-84 को आपत्ति के साथ वापस किया जा चुका है । क्रमांक 2, 3 व 6 के प्रकरण की स्थिति की छानबीन की जा रही है ।

पिथौरागढ़ की तहसील डीडीहाट में गोल नहर के टूटे मुख्य भाग की मरम्मत

67–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या सिंचाई मंत्री प्रश्नकर्ता के पत्रांक 548/85 दिनांक 16-12-85 द्वारा जनपद पिथौरागढ़ की तहसील डीडीहाट में गोल नहर के मुख्य भाग टूटे होने की सूचना प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो इस नहर के टूटने की प्रथम सूचना विभाग/शासन को प्रथम बार कब किन सूत्रों से प्राप्त हुई ? इस नहर की मरम्मत करने हेतु कितनी धनराशि सुनिश्चित कर ठीक कराये जाने की योजना बनाई गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

नहर के टूटने की प्रथम सूचना विभागीय श्रोतों से 6-9-84 को प्राप्त हुई । रु0 41,986 की योजना बनायी गयी । नहर की मरम्मत करा दी गई तथा नहर सुचारु रूप से चल रही है।

68–श्री नरेन्द्र सिंह यादव–

[7वें बुधवार के लिए स्थगित]

मोहन मीकिन लि0 द्वारा शराब की तस्करी

69–श्री कौशिक रमा शंकर, श्री राम शरण दास, कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री भगवती सिंह तथा श्री बलराम यादव–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मोहन मीकिन लि0 विगत चार वर्षों से सरकार को राजस्व दिए बिना शराब तस्करी के माध्यम से दूसरे प्रदेशों को बेच रहा है जिसे सरकार ने पकड़ा भी है ? यदि हां, तो क्या इस कम्पनी का लाइसेंस निरस्त कर सरकार मालिकों पर तस्करी का मुकदमा चलाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

अन्य प्रदेशों को जो विदेशी मदिरा निर्यात की गई उसकी निकासी उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार देय निर्यात शुल्क की अग्रिम वसूली करने के बाद ही दी गई । परन्तु बाद में यह तथ्य प्रकाश में आया कि वर्ष 1982-83 में मिजोरम राज्य सरकार तथा 1983-84 में उड़ीसा राज्य सरकार से प्राप्त कतिपय आयात परमिट फर्जी थे । ऐसे फर्जी परमिटों पर उड़ीसा राज्य को निर्यात विदेशी मदिरा पर उत्तर प्रदेश में लागू आबकारी अभिकर की दर से वसूली की कार्यवाही की गई जिसके विरुद्ध आसावती ने माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर दी है और स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है । मिजोरम राज्य संबंधी फर्जी परमिटों की जांच चल रही है ।

जौनपुर के ग्राम सुरेरी में विद्युत सब स्टेशन का निर्माण

70–श्री पारस नाथ यादव–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला जौनपुर के विकास खण्ड–रामपुर के ग्राम सुरेरी में विद्युत लोड को देखते हुए एक छोटे सब स्टेशन के बनाने की स्वीकृति दी जा चुकी थी ? यदि हां, तो उसका निर्माण हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

सब-स्टेशन के लिए भूमि उपलब्ध न होने के कारण निर्माण नहीं हो सका है । भूमि उपलब्ध होते ही निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा ।

71–श्री राम नरेश यादव–

[दिनांक 1-7-87 को अता0 प्र0 सं0 45 द्वारा उत्तारित]

कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई अथारिटी में कतिपय अधिशासी अभियंताओं के स्थानान्तरण की मांग

72–श्री राज किशोर सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि केसा (कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई अथारिटी) में कतिपय अधिशासी अभियंता 7 वर्ष से भी अधिक समय से एक ही पद व स्थान पर कार्यरत है ? यदि हां, तो क्या इनके स्थानान्तरण के संबंध में कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि किसी का स्थानान्तरण हो गया है तो इन्हें कार्यमुक्त करने में विभाग को क्या कठिनाई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

केसा, कानपुर में वर्तमान में निम्नलिखित अधिशासी अभियंता 7 वर्ष से अधिक समय से तैनात है:–

1–श्री अमरनाथ श्रीवास्तव
2–श्री त्रिभुवन नाथ अग्रवाल
3–श्री राज नारायण मिश्रा
4–श्री राम किशोर शुक्ल
5–श्री चन्द्र मौलेश्वर दयाल

इनमें से श्री राज नारायण एवं श्री अमरनाथ श्रीवास्तव का स्थानान्तरण केसा से अन्यत्र कर दिया गया है ।

परन्तु परिषदीय कार्यहित को ध्यान में रखते हुए स्थानान्तरण आदेशों का कार्यान्वयन 30-4-88 तक स्थगित कर दिया गया है अतः इन्हें नये तैनाती स्थल पर कार्यभार हेतु अवमुक्त नहीं किया जा सका है ।

शेष तीन अधिशासी अभियंता जिनमें श्री चन्द्र मौलेश्वर दयाल, परिचालन विभाग में श्री त्रिभुवन नाथ अग्रवाल, वाणिज्य विभाग में तथा श्री राम किशोर शुक्ल रिवर साइट पावर हाउस कानपुर में अधिशासी अभियंता के पद पर भिन्न-भिन्न पदों पर कार्यरत रहे हैं। इनका कोई स्थानान्तरण नहीं हुआ है अतः कार्यमुक्त का प्रश्न ही नहीं उठता ।

मुहल्ला हुकुलगंज, वाराणसी में भूमि पर अवैध कब्जेदारों को विद्युत कनेक्शन

73–श्री राज किशोर सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम के तहत शासन को प्राप्त वाराणसी नगर महापालिका संख्या 10/6 आराजी सं0 8/1 स्थित मुहल्ला हुकुलगंज, वाराणसी की करोड़ों रुपये मूल्य की भूमि पर सक्षम प्राधिकारी, नगर भूमि सीमारोपण एवं सचिव वाराणसी विकास प्राधिकरण के मना करने एवं नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 14 की अवहेलना कर वाराणसी के विद्युत अधिकारियों ने अवांछनीय तथा अनधिकृत व्यक्तियों के संगठन गिरोह को विद्युत कनेक्शन सं0 105006 से 105010 देकर विद्युत पोलों को गड़वाकर अवैध कब्जा कराने का कार्य किया है ? यदि हां, तो जिलाधिकारी वाराणसी व नगर महापालिका अधिकारियों के लिखने के बाद भी संदर्भित कीमती जमीन को बचाने के लिए वाराणसी विद्युत विभाग को उनके कनेक्शन निरस्त कर पोलों को हटाने में क्या कठिनाई हो रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां, भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 के शिड्यूल के प्रस्तर 6 के अनुसार परिषद् किसी भी स्थान के स्वामी अथवा रहने वाले को विद्युत आपूर्ति करने के लिए वैधानिक रूप से जिम्मेदार है जब तक कि किसी न्यायालय के स्थगन आदेश न हों । हुकुलगंज, वाराणसी के उपभोक्ताओं को इन्हीं प्राविधानों के अंतर्गत कनेक्शन दिये गये तथा इन्हें निरस्त करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

74–श्री सुखपाल पाण्डेय–

[दिनांक 23-3-88 को अता0 प्र0 सं0 17 द्वारा उत्तरित]

75–श्री सुखपाल पाण्डे–

[7वें बुधवार के लिए स्थगित]

76–श्री यदुनाथ सिंह–

[मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

राजकीय मुद्रणालय, रामनगर, वाराणसी में मशीनों की चोरी

77–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय मुद्रणालय रामनगर वाराणसी में जनवरी, 1980 से दिसम्बर 1981 तक किन-किन मशीनों की चोरी हुई और उनकी अलग-अलग क्या कीमत थी ? क्या सरकार यह बतायेगी कि उक्त चोरी हुई मशीनों के संबंध में अब तक कोई एफ0 आई0 आर0 दर्ज करायी गयी ? यदि हां, तो उसमें उक्त मशीनों की चोरी के लिए किन-किन व्यक्तियों को आरोपित किया गया अथवा स्पष्टीकरण मांगा गया ? जांच में कौन-कौन व्यक्ति दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनवरी 1980 से दिसम्बर 1981 तक एक प्रिन्टो हैण्ड नम्बरिंग मशीन एवं आठ संख्या टाइप हाई नम्बरिंग मशीनें चोरी हुई थी । इन मशीनों की कीमत क्रमशः रु0 191·20 एवं रु0 2800·00 (4 प्रतिशत सी0 एस0 टी0) थी ।

प्रिन्टो हैण्ड नम्बरिंग मशीन की चोरी की एफ0 आई0 आर0 दर्ज नहीं कराई गयी जबकि आठ संख्या टाइप हाई नम्बरिंग मशीन की चोरी की एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराई गई थी ।

प्रिन्टो हैण्ड नम्बरिंग मशीन के संबंध में सर्वश्री प्रभात कुमार, कैलाश पति त्रिपाठी एवं श्याम सुन्दर सिंह से स्पष्टीकरण मांगा गया था तथा सर्वश्री प्रभात कुमार व श्याम सुन्दर सिंह को कारण बताओ नोटिस दिया गया है । कार्यवाही चल रही है । आठ संख्या हैण्ड नम्बरिंग मशीन के संबंध में विस्तृत जांच एक जांच समिति द्वारा करायी गई थी । जांच समिति ने किसी व्यक्ति को दोषी नहीं पाया ।

प्रथम मामले में उपर्युक्त दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है जबकि द्वितीय मामले में कोई दोषी नहीं पाया गया है अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

खाद्य विभाग में कार्यरत श्री राम प्रसाद के स्थायीकरण की मांग

78–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 29-10-87 जो कि खाद्य विभाग में चौदह वर्षों से सेवारत एक कर्मचारी (श्री राम प्रसाद पुत्र श्री लक्ष्मी प्रसाद) की सेवाओं को स्थायी करने के संबंध में है, उन्हें मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां ।

श्री राम प्रसाद खाद्यान्न क्रय योजना के अंतर्गत सीजनल लिपिक के पद पर विभिन्न वर्षों में थोड़े-थोड़े समय के लिए कार्यरत रहे । चूंकि वे सीजनल कर्मचारी थे, इसलिए उनको स्थायी किया जाना सम्भव नहीं पाया गया ।

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्डों में जनता कनेक्शन

79–श्री विष्णु देव–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1985-86 में विकास खण्ड फतेहपुर मंडाव व धोसी व दोहरीघाट जनपद आजमगढ़ में किन-किन व्यक्तियों को जनता कनेक्शन दिये गये हैं और उनका आधार क्या है ? क्या मंत्री जी उक्त विकास खण्डों में वर्ष 1985-86 में जनता कनेक्शन दिये जाने वाले व्यक्तियों की सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत करने का कष्ट करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

वर्ष 1985-86 में जनपद आजमगढ़ के ब्लाक-फतेहपुर भंडाव, धोसी व दोहरी-घाट में क्रमशः 338, 101 व 59 व्यक्तियों को जनता कनेक्शन दिये गये हैं। इन व्यक्तियों को जनता कनेक्शन देने का आधार यह है कि ये कनेक्शन हरिजन एवं भूमिहीन मजदूर किसान, जिनके पास एक एकड़ अथवा एक एकड़ से कम भूमि है, भूतपूर्व तथा सेवारत सैनिकों एवं युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की विधवाओं एवं ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के हथकरघा बुनकरों के मकानों में दिये जाते हैं।

जनता कनेक्शन उक्त जिले में जिन व्यक्तियों को दिया गया है, उनकी सूची विकास खण्डवार सदन के पटल पर रख दी गयी है।

[देखिए नत्थी (ङ) आगे पृष्ठ 240-241 पर]

80–श्री रणजीत तथा
श्री मैनेजर सिंह–
[7वें बुधवार के लिए स्थगित]

विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना का निर्माण

81–श्री बलराम यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में निर्माणाधीन विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ? क्या निर्माण कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ? क्या निर्माण कार्य निर्धारित समय से पूर्ण हो जायेगा और निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य वर्ष 1996-97 तक पूर्ण हो सकता है, यदि आगामी वर्षों में धन की आवश्यकता की पूर्ति होती रहे। निर्माण कार्य पूरे होने पर निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति अवश्य हो जायेगी।

फैजाबाद जनपद के विकास खण्ड अकबरपुर में नये पशु चिकित्सालय की मांग

82–श्री अकबर हुसैन बाबर–

क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद की विकास खण्ड अकबरपुर में वर्तमान में, कितने पशु चिकित्सालय हैं ? क्या सरकार विकास खण्ड, अकबरपुर की जनसंख्या को देखते हुए कुछ नये पशु चिकित्सालय खोलने जा रही है ? यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर ?

श्री हुकुम सिंह–

फैजाबाद जनपद में विकास खण्ड अकबरपुर में वर्तमान में एक पशु चिकित्सालय है। वर्ष 1988-89 में उक्त विकास खण्ड में नये पशु चिकित्सालय खोलने का जिला योजना में कोई प्रस्ताव नहीं है।

जनपद बहराइच में सरजू नहर परियोजना का निर्माण

83–श्री मूल चन्द्र–

क्या सरकार को जानकारी है कि बहराइच जनपद में सरजू नहर परियोजना रही है ? यदि हां, तो किस वर्ष से शुरू की गई और कितनी धनराशि खर्च हो चुकी

क्या सरकार को जानकारी है कि बहराइच जनपद में सरजू नहर परियोजना चल है तथा इस योजना को पूर्ण होने में कितना समय और कितनी धनराशि खर्च होगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

परियोजना वित्तीय वर्ष 1977-78 में प्रारम्भ की गई तथा जनवरी, 1988 तक लगभग रु0 219.30 करोड़ इस परियोजना पर व्यय हो चुका है । वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार योजना को पूर्ण करने का वर्ष 1992-93 है तथा अप्रैल, 1985 के मूल्यों के आधार पर इस योजना की लागत रु0 696 करोड़ आंकी गई है ।

84–श्री मूल चन्द्र–

[7वें बुधवार के लिए स्थगित]

इलाहाबाद जनपद में प्रस्तावित उद्योग इकाइयां

85–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद जनपद में शिक्षित, अशिक्षित, कुशल, तथा अकुशल बेरोजगारों की बेरोजगारी दूर करने हेतु कोई भारी या लघु उद्योग स्थापित करने की योजना शासन के पास प्रस्तावित या विचाराधीन है? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्या शासन ऐसी कोई योजना बनाने की कृपा करेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद इलाहाबाद में बेरोजगारी दूर करने के लिये 20 वृहत् एवं माध्यम उद्योग कार्यरत हैं एवं 5 इकाइयां प्रस्तावित हैं। लघु एवं लघुत्तर उद्योगों के लिये वर्ष 1987-88 में 610 इकाइयों का लक्ष्य निर्धारित किया गया ।

सिंचाई विभाग के सांख्यकीय संवर्ग में सांख्यकीय सहायकों के स्थायीकरण के संबंध में जानकारी

86–श्री अफजाल अंसारी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग उ0 प्र0 के सांख्यकीय संवर्ग में उ0 प्र0 शासन द्वारा सन् 1974 व सन् 1977 में दो-दो पद स्थाई घोषित किये गये थे ? यदि हां, तो किन कारणों से इन पदों पर अब किसी सांख्यकीय सहायक को स्थायी नहीं किया गया ? कब तक इन रिक्त पदों पर उन कर्मचारियों को जो पात्रता की परिधि में आते हैं, नियुक्त कर दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां । वर्ष 1974 में दो पद तथा वर्ष 1979 में 2 पद सांख्यकीय सहायक के स्थायी घोषित किये गये थे ।

सांख्यकीय सहायक के पद पर नियुक्ति दो स्रोतों से की जाती है। एक स्रोत अन्वेषक-कम-संगणक से प्रोन्नति द्वारा तथा दूसरा स्रोत सीधी भर्ती द्वारा है। तदर्थ रूप से प्रोन्नत सांख्यकीय सहायकों के नियमितीकरण का प्रकरण लोक सेवा आयोग को संदर्भित किया जा चुका है, परन्तु उनसे अभी तक निर्णय अप्राप्त है। इस कारण उक्त दोनों स्रोतों से नियुक्त सांख्यकीय सहायक की पारस्परिक ज्येष्ठता को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है। सांख्यकीय संवर्ग की प्रस्तावित वरिष्ठता सूची पर भी निदेश याचिका सं0 85/एफ/चतुर्थ/85 श्री वंश नारायण राय एवं दिनेश चन्द्र गर्ग बनाम् उत्तर प्रदेश सरकार तथा अन्य, लोक सेवा अधिकरण में विवादग्रस्त है। सांख्यकीय सहायक की वरिष्ठता को अन्तिम रूप न दिये जाने के कारण स्थायीकरण नहीं किया जा सका है। लोक सेवा आयोग द्वारा तदर्थ रूप से प्रोन्नत सांख्यकीय सहायक के अनुमोदन के प्रकरण पर निर्णय के पश्चात् एवं उपर्युक्त निर्देश याचिका के निर्णयोपरान्त ही स्थायीकरण की कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा।

उत्तर प्रदेश की कतिपय विद्युत परियोजनाओं के पूरा होने में विलम्ब के सम्बन्ध में जानकारी

87—कुंवर रेवती रमण सिंह तथा श्री मैनेजर सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ऊंचाहार, टाण्डा एवं आनपारा विद्युत परियोजनाएं कब तक तैयार होनी थी और अब कब तक तैयार होंगी ? समय बढ़ने से कितना अधिक व्यय हुआ इस विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

2×210 मेगावाट क्षमता की फिरोज गांधी ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना के लिये केन्द्रीय योजना आयोग की दिसम्बर 1980 में दी गयी मूल स्वीकृति के अनुसार परियोजना की पहली इकाई सितम्बर 1986 में तथा दूसरी इकाई मार्च, 1987 तक तैयार होनी थी। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के साथ की गई नवीनतम समीक्षा के अनुसार वर्तमान में अनुमान है कि परियोजना की पहली इकाई मई, 1988 तक तथा दूसरी इकाई नवम्बर, 1988 तक तैयार होगी।

छठी पंच वर्षीय योजना के अनपारा "ए" (3×210 मेगावाट) व टाण्डा (4X110 मेगावाट) की परियोजनाओं की इकाइयां निम्नलिखित तिथि तक चालू करने का लक्ष्य रखा गया था जिसमें से आनपारा "ए" की तीन इकाईयां क्रमशः 3/86, 2/87 एवं 3/88 को चालू हो गई हैं, शेष इकाइयों को उनके आगे अंकित तिथि तक चालू करने का लक्ष्य है :—

	इकाई	निर्धारित तिथि	चालू होने की तिथि
आनपारा "ए"	प्रथम	6-83	3-86 चालू है।
	द्वितीय	12-83	2-87 चालू है।
टाण्डा	प्रथम	12-83	3-88 चालू हो गई।
	द्वितीय	6-84	9-88 लक्ष्य है।
	तृतीय	12-84	3-89 लक्ष्य है।
	चतुर्थ	6-85	9-89 लक्ष्य है।

ऊंचाहार परियोजना के कार्यों के लिये क्रय तथा आदेश पहले ही दिये जा चुके हैं। अनुमान है कि परियोजना के चालू होने में विलम्ब के कारण कोई विशेष अतिरिक्त व्यय नहीं होगा ।

समय बढ़ने से "एस्केलेशन" वेतन कर एवं भाड़े में वृद्धि के कारण अनपारा "ए" एवं टाण्डा परियोजनाओं की अनुमानित लागत में क्रमशः लगभग रु0 274 करोड़ एवं रु0 176 करोड़ की वृद्धि का अनुमान है ।

ऊंचाहार परियोजना के तैयार होने में जो विलम्ब हुआ है उसके प्रमुख कारण निम्न हैं :-

1-प्रारम्भिक वर्षों में आवश्यक धनराशि उपलब्ध न कराई जा सकी जिससे विभिन्न उपकरणों के क्रय तथा निर्माण कार्य में विलम्ब हुआ ।

2-समय-समय पर सीमेण्ट व स्टील की उपलब्धि में कमी के कारण परियोजना की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा ।

3-सामान आपूर्ति करने वाली कम्पनियों में तालाबन्दी होने के कारण उपकरण आपूर्ति में बाधा ।

टाण्डा तथा आनपारा परियोजना में हुए विलम्ब के प्रमुख कारण निम्न हैं :-

1-अध्यापित भूमि के किसानों एवं मालिकों द्वारा कड़ा विरोध करने के कारण प्रारम्भिक देरी ।

2-प्रारम्भ में रीइनफोर्समेण्ट व स्ट्रक्चरल स्टील की आपूर्ति में कमी ।

3-परियोजना को प्रस्तावित धन से कम धन उपलब्ध होना ।

4-बी0 एच0 ई0 एल0 द्वारा मेन इक्यूपमेण्ट की आपूर्ति में देरी तथा इक्यूपमेण्ट की क्रमबद्ध आपूर्ति न कर पाना ।

5-आनपारा में मेसर्स ई0 पी0 आई0 एवं एम0 ए0 एम0 सी0 द्वारा कोल हैण्डलिंग की स्प्लाई व इरेक्शन में देरी ।

6-आनपारा में वन विभाग की भूमि का अधिग्रहण न होना ।

7-आनपारा परियोजना को कोयले की आपूर्ति में देरी ।

फैजाबाद के भीटी ब्लाक की जनता को बिल जमा करने की सुविधा की मांग

88-श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद फैजाबाद के भीटी ब्लाक की जनता को भीटी में ही बिजली का बिल जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु माननीय प्रमोद तिवारी, राज्य मंत्री, ऊर्जा एवं पर्यटन को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का दिनांक 8 जनवरी, 87 का पत्र शासन को मिल गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी और उक्त सुविधा उपभोक्ताओं को कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह-

जी हां, जनपद फैजाबाद के भीटी ब्लाक मुख्यालय पर प्रत्येक माह की दो तिथियों पर विद्युत बिल जमा करने की सुविधा उपलब्ध करा दी गयी है, जिसके अन्तर्गत एक तिथि पर बत्ती पंखों एवं दूसरी तिथि पर औद्योगिक उपभोक्ताओं के बिलों की वसूली की जाती है।

बलिया जनपद के रसड़ा आदि सब डिवीजनों में बिजली की चोरी

89–श्री शारदा नन्द अंचल–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद में सब डिवीजन नगर बलिया, नगर रसड़ा, नगर बिल्थरा रोड, नगर सिकन्दरपुर में वर्ष 1985-86 व 1986-87 में कितनी-कितनी बिजली की चोरी पकड़ी गयी और उसके लिये जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

बलिया जनपद के सब डिवीजन नगर बलिया नगर रसड़ा, नगर बिल्थरा रोड नगर सिकन्दरपुर में वर्ष 1985-86 व 1986-87 में पकड़ी गई बिजली की चोरी का वर्षवार विवरण निम्नवत् है :–

क्रम	नगर का नाम	वर्ष	
		85–86	86–87
1	बलिया	14	10
2	रसड़ा	0	4
3	बिल्थरा रोड	0	0
4	सिन्कदरपुर	0	0

परिषदीय प्रवर्तन दल ने उपरोक्त चोरी के प्रकरणों में से वर्ष 86-87 में बलिया नगर तथा रसड़ा में दो-दो चोरियां रोड के दौरान पकड़ी । शेष चोरियां परिषद् के अधिकारियों द्वारा पकड़ी गई । प्रवर्तन दल द्वारा पकड़े गये मामलों में मुकदमें कायम किये गये एवं इनसे सम्बन्धित व्यक्तियों के ऊपर आरोप पत्र लगा दिये गये हैं जो न्यायालय में विचाराधीन है । चोरी में पकड़े गये उपभोक्ताओं पर मूल्यांकन करके उनसे वसूली भी की गई ।

बांदा जिले में सोनेपुर लिफ्ट कनाल के बन्द होने से फसल को नुकसान

90–श्री राम सजीवन–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले में सोनेपुर लिफ्ट कनाल में जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर, 1987 में पानी न चलने से धान की रोपाई न होने पर कितनी फसल का नुकसान हुआ ? नहर नियमित और पूरी क्षमता से न चलने के क्या कारण थे ? क्या यह सही है कि विद्युत ट्रांसफार्मर की क्षमता कम होने के कारण कई बार विद्युत मोटर जल गयी थी ? क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री के बांदा आगमन पर विधायकों ने उक्त नहर के न चलने की शिकायतें की थी ? क्या मुख्य मंत्री जी के मौखिक आदेश के बावजूद आज तक नहर सही ढंग से नियमित रूप से नहीं चलायी जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? उसके लिए कौन दोषी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

बांदा जिले में सोनेपुर लिफ्ट कैनाल जिसकी क्षमता 5 क्यूसेक है, माह जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर 1987 में क्रमशः 109 घण्टे, 186 घण्टे, 103 घण्टे व 20 घन्टे चली थी । सूखे के कारण धान की काश्तकारों द्वारा कम रोपाई की गई । परिणाम स्वरूप धान के कम बोये, रोपे जाने से फसल के नुकसान का सही आंकलन नहीं लगाया जा सकता है । नहर टूटने, नदी में बाढ एवं यांत्रिक दोषों तथा विद्युत विभाग का ट्रान्सफार्मर जल जाने के कारण नहर बन्द रही ।

मोटर जलने के संबंध में ट्रान्सफार्मर की क्षमता का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि इस पम्प कैनाल पर ट्रान्सफार्मर सही क्षमता का लगा हुआ है ।

जी हां ।

सोनेपुर पम्प नहर माह अक्टूबर 1987 के अंतिम तिथि से नियमित रूप से पूर्ण क्षमता से चल रही है । नहर से वर्तमान रबी 1395 फसली में दिनांक 25-2-88 तक 142 हेक्टेयर की सिंचाई हो चुकी है ।

सिंचाई विभाग में अनुसूचित जाति के अभियन्ताओं की प्रोन्नति के सम्बन्ध में जानकारी

91–श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में अनुसूचित जाति के कितने अधिशासी अभियंता/सहायक अभियंता एवं अवर अभियंता हैं, जिनकी सेवायें उक्त पदों पर क्रमशः 5 वर्ष, 7 वर्ष एवं 10 वर्ष पूर्ण हो चुकी हैं और उनकी शासनादेशानुसार पदोन्नति अभी तक नहीं की गयी और क्यों तथा सरकार पदोन्नति कब तक करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सिंचाई विभाग के अन्तर्गत सिविल संवर्ग में अनुसूचित जाति के 20 अधिशासी अभियन्ता, 9 सहायक अभियन्ता तथा 169 अवर अभियन्ता तथा यांत्रिक संवर्ग में 1 अधिशासी अभियन्ता, 5 सहायक अभियंता तथा 39 अवर अभियन्ता ने अपने पदों पर क्रमशः 5 वर्ष, 7 वर्ष तथा 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है । अधिशासी अभियंता से अधीक्षण अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति हेतु कुल सेवा 15 वर्ष की, जिसमें कम से कम 6 वर्ष प्रभारी सहायक अभियंता/अधिशासी अभियंता के पद पर कार्य करने का अनुभव हो, अनिवार्य है । अधीक्षण अभियंता यांत्रिक के पद पर प्रोन्नति हेतु अधिशासी अभियंता (यांत्रिक) के पद पर स्थाईकरण भी आवश्यक है । शासनादेश में मात्र निर्धारित सेवा अवधि पूरी करने वाले अनुसूचित जाति के समस्त अभियंताओं की उच्च पदों पर प्रोन्नति करने का प्राविधान नहीं है । नियमानुसार पात्रता क्षेत्र में आने वाले अनुसूचित जाति के सर्वथा अर्ह एवं पात्र अभियन्ताओं की प्रोन्नति के संबंध में आरक्षण का लाभ देते हुये यथासमय विचार किया जायेगा । पदोन्नति के लिये पात्रता तथा उपयुक्तता अनिवार्य है ।

92–श्री सुख पाल पाण्डे–

[मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

देवरिया जनपद में कसया हवाई पट्टी को वायुदूत सेवा से जोड़ने की मांग

93–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद तें स्थित महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में आने वाले विदेशी पर्यटकों और बौद्ध तीर्थ यात्रियों की भारी संख्या को देखते हुए उनकी सुविधा के लिए कसया हवाई पट्टी को वायुदूत सेवा से जोड़े जाने का निर्णय राज्य सरकार ने लेकर केन्द्रीय सरकार को प्रस्ताव भेजा है और रक्षा मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी है ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या प्रगति हुई है और कब तक कसया वायुदूत सेवा से जोड़ दिया जायेगा ?

श्री प्रमोद कुमार–

जी हां ।

जी नहीं ।

स्वीकृति अपेक्षित है ।

प्रदेश सरकार द्वारा इस संबंध में कोई आश्वासन दिया जाना सम्भव नहीं है।

देवरिया जनपद के गौरी बाजार निर्वाचन क्षेत्र की हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण

94–श्री रणजीत–

क्या ऊर्जा मंत्री को यह जानकारी है कि निर्वाचन क्षेत्र गौरी बाजार, जनपद देवरिया के अन्तर्गत ग्राम गौनरिया, करज, बडहरा ऊधौपुर आदि ग्रामों की हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण हेतु लगभग 10 वर्ष पूर्व बिजली के खम्भे व तार लगाये गये थे और लगभग 3 वर्ष बिजली जलने के बाद अब खम्भे आदि उखाड़ लिये गये हैं तथा विद्युत आपूर्ति बन्द है ? यदि हां, तो दोषी अधिकारी व कर्मचारी के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां, प्रश्नगत हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण लगभग 10 वर्ष पूर्व हुआ था । इनमें से चार बस्तियों की आपूर्ति बन्द है और एक को आपूर्ति दी जा रही है। किसी हरिजन बस्ती के खम्भे उखाड़े नहीं गये हैं बल्कि कुछ खम्भे क्षतिग्रस्त हो गये प्रत्येक बस्ती के सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार है:–

(1) गौनरिया:–इस हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण एक निजी नलकूप के ट्रांसफार्मर द्वारा किया गया था । नलकूप उपभोक्ता द्वारा स्थाई रूप से विद्युत विच्छेदन कर लेने पर विद्युत चोरी के डर से एवं हरिजन बस्ती में कोई कनेक्शन न होने के कारण ट्रांसफार्मर को हटा दिया गया व एल0 टी0 लाइन उखाड़ दी गई । निकटतम एल0 टी0 लाइन से अधिक दूर होने के कारण व विद्युतीकरण में अधिक खर्च आने के कारण इसका पुनः विद्युतीकरण अभी सम्भव नहीं है ।

(2) करज :–उपरोक्तानुसार ।

(3) बडहरा :–इस हरिजन बस्ती की लाइन के खम्भे क्षतिग्रस्त होने के कारण बस्ती में विद्युत आपूर्ति बन्द है । हरिजन बस्ती में कोई कनेक्शन नहीं है । तीन खम्भों को बदलकर लाइन को पुन: चालू करना विचाराधीन है ।

(4) मदरसन :–इस हरिजन बस्ती में विद्युत आपूर्ति हो रही है ।

(5) उधोपुर :–इस हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण एक निजी नलकूप के ट्रांसफार्मर द्वारा किया गया था। नलकूप उपभोक्ता द्वारा स्थाई रूप से विद्युत विच्छेदन करा लेने पर विद्युत चोरी के डर से व हरिजन बस्ती में कोई विद्युत कनेक्शन न होने के कारण ट्रांसफार्मर को हटा दिया गया ।

5 के0 वी0 ए0 का छोटा ट्रांसफार्मर लगाकर व 120 मीटर क्षतिग्रस्त एल0 टी0 लाइन ठीक करके इस हरिजन बस्ती को पुन: विद्युत आपूर्ति दिया जाना विचाराधीन है ।

जिलाधिकारी, फैजाबाद को सिंचाई मांगों से सम्बन्धित 20 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन

95–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा श्री मैनेजर सिंह–

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 25-9-87 को जिलाधिकारी, फैजाबाद को एक पत्र लिखकर 20 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन दिया था? यदि हां, तो उक्त ज्ञापन में सिंचाई विभाग से संबंधित मांगें क्या हैं और उन्हें पूरी करने में शासन और सरकार के सामने क्या कठिनाई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

उक्त पत्र के मांग संख्या 11 व 16 सिंचाई विभाग से संबंधित है जिसमें निम्नलिखित मांग की गयी है :–

1–विधान सभा क्षेत्र कटेहरी में स्थित सभी राजकीय नलकूपों की नालियों एवं अन्य निर्माण कार्यों का सर्वेक्षण करा कर भ्रष्टाचार में दोषी पाये जाने वाले ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट किया जाये व उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाये ।

2–कटेहरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत खोदे गये नालों व उन पर निर्मित पुलियों की जांच कराई जाये ।

सामान्य रूप से सभी निर्माण कार्यों का विभागीय अधिकारियों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है । उपरोक्त मांगों में किसी विशिष्ठ ठेकेदार अथवा नाले का उल्लेख न होने के कारण विशिष्ठ जांच करना सम्भव नहीं है ।

मैनपुरी की सोहार माइनर की सफाई में घपला

96–श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि सिंचाई खण्ड मैनपुरी के अन्तर्गत विकास खण्ड संकीट (एटा) की माइनर सोहार की विधिवत सफाई न कराकर सिंचाई कार्य कागजों पर दर्शा कर पूर्ण कर दिया गया ? क्या मंत्री जी इसकी जांच कराकर सहायक अभियन्ता (एटा) के विरुद्ध कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं । सिंचाई प्रखण्ड, निचली गंगा नहर, मैनपुरी के अन्तर्गत विकास खण्ड सकीट (एटा) में सोंहार माइनर का सिल्टेड लम्ब छिन्नक बनाकर विधिवत सफाई कराई गई जिसका निरीक्षण शासन द्वारा गठित तीन सदस्यों की समिति द्वारा किया गया । अन्य किसी जांच की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता ।

भारत सरकार द्वारा उ0 प्र0 में भारी उद्योग लगाने हेतु प्रदत्त लाइसेंस

97–श्री अमिताभ अनिल दुबे–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 85-86 व 86-87 व 87-88 में भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में भारी उद्योग लगाये जाने के कितने लाइसेन्स दिए गए? इसके कितने लाइसेन्स केन्द्र सेक्टर के लिए, कितने लाइसेन्स राज्य सरकार एवं उसके विभिन्न एजेन्सियों के लिए तथा कितने लाइसेन्स निजी क्षेत्र के लिए हैं ? इसमें किन-किन उद्योगों के लिए लाइसेन्स थे तथा प्रत्येक सेक्टर में कितने-कितने उद्योग लगे जो नहीं लगे उसके क्या कारण थे ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

वर्ष 85-86, 86-87 व 87-88 में (दिसम्बर, 1987 तक) भारत सरकार द्वारा 374 आशय पत्र दिये गये। इसमें से 12 केन्द्र सेक्टर, 37 राज्य सेक्टर तथा उसकी विभिन्न एजेन्सियों हेतु एवं 325 निजी क्षेत्र के लिये थे । यह लाइसेन्स मुख्यतः इलेक्ट्रानिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, केमिकल इंजीनियरिंग, रसायन उद्योग, चीनी उद्योग, टैक्सटाइल उद्योग इत्यादि के लिए थे। प्राप्त सूचना के अनुसार उपरोक्त सेक्टर्स में 125 लाइसेंस क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। उद्योग न लग पाने का मुख्य कारण उद्यमकर्ताओं में साहस एवं जोखिम उठाने की कमी, कार्यशील पूंजी की अनुपलब्धता, आधुनिक तकनीकी ज्ञान का अभाव, विपणन समस्या, विद्युत कटौती आदि रहा है।

जनपद गाजियाबाद के चिरोड़ी गांव में ट्रांसफार्मर जलने आदि के संबंध में जानकारी

98–श्री रिछपाल सिंह वंसल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के विकास खण्ड लोनी के गांव चिरौड़ी में 87-88 के अन्तर्गत कितने बार ट्रान्सफार्मर फंका है और कुल कितने दिन गांव में बिजली की आपूर्ति दी गयी है ? उक्त ग्राम को बिजली की आपूर्ति न हो पाने के लिए दोषी अधिकारी को दण्डित करने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

विकास खण्ड लोनी के गांव चिरोड़ी में वर्ष 1987-88 में अब तक कुल 5 बार ट्रान्सफार्मर जला है। इस ग्राम को 1 अप्रैल, 87 से 29 फरवरी, 88 तक के 335 दिनों में से 308 दिन बिजली की आपूर्ति की गयी है। शेष 27 दिन विद्युत आपूर्ति ट्रान्सफार्मर जलने के कारण नहीं दी जा सकी जिसका कारण ग्रामवासियों द्वारा लाइन पर अनधिकृत रूप से तार डालकर बिजली की चोरी का प्रयास है

जिसमें कभी-कभी दोनों फेज जुड़ जाते हैं और शार्ट होने के कारण ट्रान्सफार्मर ओवर-लोड होकर जल जाता है। इसके लिए कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

बस्ती जिले में वाहनों का चालान

99—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में 1 अप्रैल, 87 से 15 जून, 1987 तक कितने वाहनों का चालान मोटर वेहिकिल्स एक्ट के अन्तर्गत किया गया? उन वाहनों को छोड़ने के लिए न्यायालय के आदेश होने के बावजूद कितनी ऐसी बसें हैं जिन्हें 3-4 दिन तक या इससे ऊपर थाने में खड़ी रखा गया और उसे छोड़ा नहीं गया । इसके लिए कौन-कौन से अधिकारी एवं कर्मचारी जिम्मेदार हैं उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने के लिए सोच रही है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

बस्ती जिले में दिनांक 1-4-87 से 15-6-87 तक मोटर वेहिकिल्स एक्ट के अंतर्गत कुल 1051 वाहनों का चालान किया गया । इनमें से केवल 2 वाहनों को न्यायालय द्वारा छोड़ने के आदेश की तिथि को अवमुक्त नहीं किया गया क्योंकि संबंधित थाने में न्यायालय के आदेश विलम्ब से प्राप्त हुए । प्रश्न के शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

बरेली क्षेत्र के प्रतीक्षारत परिचालकों की नियुक्ति के संबंध में कार्यवाही

100—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि बरेली क्षेत्र की प्रतीक्षा सूची परिचालकों की नियुक्ति प्रदान किए जाने विषयक जो पत्र डा0 दिनेश जौहरी, स0 वि0 सभा के उपरिपत्र के साथ 31-8-86 के आस पास किसी दिन प्राप्त हुआ था तथा जिसे मंत्री जी द्वारा क्षेत्रीय प्रबन्धक, बरेली क्षेत्र को भेज दिया गया था उस पर अब तक की गई कार्यवाही का विवरण क्या है ? प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित श्री दिनेश कुमार दीक्षित जिन्हें प्रशिक्षण मिला है तथा जिससे धरोहर की धनराशि भी जमा करा ली गयी थी, की नियुक्ति न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

डा0 दिनेश जौहरी, माननीय सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 31-8-86 तत्कालीन माननीय परिवहन मंत्री जी के माध्यम से प्राप्त हुआ था जिसको आवश्यक कार्यवाही हेतु क्षेत्रीय प्रबन्धक, बरेली को 16-10-86 को भेज दिया गया था ।

तत्कालीन उप प्रधान प्रबन्धक, उत्तरी जोन, बरेली के आदेशों द्वारा श्री दिनेश कुमार दीक्षित लिपिक शिशुक्षु को भी परिचालक पद का प्रशिक्षण दिया गया था तथा उनसे भी परिचालक पद की प्रतिभूति धनराशि जमा करायी गयी थी । लिपिक शिशिक्षुओं को परिचालक पद का प्रशिक्षण देना तथा प्रतिभूति की धनराशि जमा कराना अनियमित कार्य था । इस संबंध में दोषी अधिकारी का स्पष्टीकरण प्राप्त करने तथा प्रतिभूति की राशि लौटाये जाने के संबंध में कार्यवाही की जा रही है।

101–श्री अचल सिंह–

[7वें मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 61 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिलाधिकारी, फैजाबाद को सिंचाई विभाग से संबंधित शिकायती पत्र तथा कृत कार्यवाही

102–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिलाधिकारी, फैजाबाद को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का दिनांक 20-10-87 का शिकायती पत्र संलग्नकों सहित शासन को मिल गया है? यदि हां, तो उनमें से सिंचाई विभाग से संबंधित शिकायतों पर कार्यवाही का दायित्व किसे सौंपा गया है तथा उस पर जनवरी, 88 तक की कृत कार्यवाही का विवरण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र दिनांक 20-10-87 नहीं । अपितु सिंचाई विभाग से संबंधित कतिपय संलग्नक प्राप्त हुए हैं।

सिंचाई विभाग से संबंधित शिकायतों पर कार्यवाही का दायित्व अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, फैजाबाद, अधिशासी अभियन्ता, पब्लिक नलकूप निर्माण खण्ड, फैजाबाद व अधिशासी अभियन्ता, पब्लिक नलकूप परिचालन एवं अनुरक्षण खण्ड, फैजाबाद को सौंपा गया है।

माह जनवरी, 88 तक कृत कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है :—

1–ग्राम फतेहपुर, भारीडीहा ब्लाक माइनर की खुदाई पूर्ण कराने का कार्य कृषक के अवरोध के कारण अवरुद्ध है।

2–भीटी एवं कटेहरी ब्लाक का सर्वेक्षण कराने पर ज्ञात हुआ कि वहां ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, जहां 25 नलकूपों का क्लस्टर लगाया जा सके विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत केवल एक ग्राम (दहेमा) में राजकीय नलकूप नहीं लगाया जा सकता ।

3–ग्राम सुभाखरपुर में लगे विश्व बैंक परियोजना के नलकूप के आउटलेट तथा सर्विस रोड की मरम्मत सम्बन्धी शिकायत अधिशासी अभियन्ता, पब्लिक नलकूप परिचालन एवं अनुरक्षण खण्ड, फैजाबाद द्वारा जांच करने पर सही नहीं पायी गयी ।

बुनकरों को पावरलूम लगाने हेतु ऋण सुविधा

103–श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुनकरों को पावरलूम लगाने हेतु ऋण दिलाने की व्यवस्था उ0 प्र0 शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

बुनकरों को पावरलूम लगाने हेतु ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था पहले से ही लागू है।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मोती लाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद के इण्डस्ट्रियल शेड का एलाटमेंट

104–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मोती लाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद के इण्डस्ट्रियल शेड में किन-किन लोगों को कब शेड एलाट किया गया था और उन पर 15 जनवरी, 87 तक अलग-अलग कितना किराया है? क्या इन शेडों को हायर पर्चेज नीति के अनुसार कम करने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है और कब तक लागू कर दी जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद के इण्डस्ट्रियल शेड में जिन-जिन लोगों को शेड एलाट किये गये हैं, उसका विवरण, शेड में कब्जा लेने की तिथि सहित संलग्नक-''क'' में इंगित सूची में दर्शाया गया है। औद्योगिक आस्थान के उद्यमियों के ऊपर किराया, बिजली एवं पानी के मद में मार्च, 1987 तक बकाये का विवरण संलग्नक-''ख'' में इंगित सूची† में दर्शाया गया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बाराबंकी के जैतपुर के निवासियों द्वारा हथकरघा उत्पादन केन्द्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में पत्र

105–श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 7 नवम्बर, 1985 को जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत कस्बा जेतपुर के निवासियों द्वारा हथकरघा उत्पादन केन्द्र में हो रहे भ्रष्टाचार के संबंध में कोई शिकायती पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस शिकायती पत्र के आधार पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री आर0 पी0 सुमन, सांसद के 26-7-87 के पत्र पर कार्यवाही

106–श्री शेर बहादुर सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री आर0 पी0 सुमन, सांसद का दिनांक 26 जुलाई, 1987 का पत्र जो विधान सभा 1987 के प्रथम सत्र के प्रथम

†छपी नहीं गयी ।

शुक्रवार को निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 50 मा0 नत्थू लाल विकल, विधायक के प्रश्न पर दिए गए उत्तर के संबंध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र को सदन के पटल पर रखते हुए सम्बन्धित विषय मे शासन ने क्या कार्यवाही की है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्न में सदर्भित पत्र सदन की पटल पर रख दिया गया है। इस संबंध में कार्यवाही किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् को निर्देशित कर दिया गया है।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 242 पर)

बुनकर हथकरघा सहकारी समितियों के काटे गये रिबेट धन के भुगतान के सम्बन्ध में जानकारी

107–श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1984-85 में बुनकर हथकरघा सहकारी समितियों के काटे गये रिबेट धन का भुगतान समिति के कर्ज की अदायगी हेतु बैंक में अभी तक क्यों नहीं भेजा गया है तथा उ0 प्र0 हथकरघा निगम, कानपुर में जमा रिबेट धन ब्याज सहित दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रदेश में चकधान प्रथा पर सिंचाई कर वसूलने की व्यवस्था को समाप्त करने की मांग

108–श्री नरेन्द्र पाल सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन-किन जनपदों में चकधान प्रथा पर सिंचाई कर वसूलने की व्यवस्था है ? क्या इस प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त करने का कष्ट करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सिंचाई विभाग के अन्तर्गत बरेली, पीलीभीत, नैनीताल एवं बिजनौर जनपदों के कुछ भाग में चकधान नियम के अन्तर्गत सिंचाई कर वसूलने की व्यवस्था है।

वर्तमान में इस प्रथा को समाप्त करना प्रस्तावित नहीं है।

हथकरघा निगम में कार्यरत उत्पादन पर्यवेक्षकों को वेतनमान देने की मांग

109–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हथकरघा निगम में कार्यरत उत्पादन पर्यवेक्षक सन् 1982 से 20 जनवरी, 1988 तक 300 रुपये मासिक छात्रवृत्ति पर ही रखे जा रहे हैं ? क्या नियुक्ति पत्र की शर्तों के अनुसार तीन मास पश्चात् उन्हें 230—385 का वेतन अनुमन्य हो जाना चाहिए था? क्या यह सही है कि परीक्षा भी सम्पन्न हो चुकी है फिर भी वेतनमान नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं ।

जी हां ।

जी हां । परीक्षा सम्पन्न हो चुकी है और सभी को 1-8-86 से नियमित वेतन दे दिया गया है।

श्री फजलुल बारी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

मैं नियम 300 के बाद व्यवस्था दूंगा ।

जनपद आजमगढ़ के नगरपालिका क्षेत्र में सीवर लाइन व सफाई आदि व्यवस्था ठीक किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

(समय 12 बजकर 20 मिनट पर)

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 301 के अन्तर्गत 35 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें 7 सूचनायें शलाका द्वारा स्वीकृत की गई हैं। पहली सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की, दूसरी माननीय मनोहर लाल जी की, तीसरी श्री जयदीप सिंह बरार जी की, चौथी श्री शारदा नन्द अंचल जी की, पांचवीं श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की, छठी श्री हृदय नरायन जी की तथा सातवीं श्री माता प्रसाद पाण्डेय जी की है।

इन सब को पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

(सदन की सहमति से निम्नलिखित सूचनाओं को पढ़ा हुआ मान लिया गया ।)

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । शहर आजमगढ़ में सीवर पाइप लाइन लगभग 20 सालों से अपूर्ण पड़ी है जिससे पाइप लाइन सड़ गई है। पाइप लाइन सड़ जाने से जहां करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ वहीं शहर में मोहल्लों का पानी गढ़हियों में जमा होकर सड़ रहा है। म्यूनिस्पल बोर्ड के कर्मचारियों और अधिकारियों की लापरवाही से पूरे शहर में पानी के रुकने से तथा शहर में सुलभ शौचालय न होने की वजह से यहां गन्दगी का साम्राज्य बना हुआ है। गन्दगी की वजह से बेपनाह मच्छर पैदा हो गये हैं तथा अनेकों बीमारियां फैल रही हैं, जन-जीवन बिल्कुल असामान्य हो गया है तथा जीना दुर्लभ है। सूचना देने पर भी सफाई और पानी के निकासी आदि का कोई प्रबन्ध नहीं होता तथा झूठ वादा करके टाल दिया जाता है, जिससे जनता में काफी रोष एवं क्षोभ व्याप्त हो गया है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि सीवर पाइप लाइन बिछाई गई उसको जल्द चालू कराया जाय, शहर आजमगढ़ में जो पानी जमा हुआ है उसके निकासी का पूरा बन्दोबस्त मुस्तकिल रूप से किया जाय, नालियों की सफाई कराने की पूरी व्यवस्था कराई जाय ।]

नोट :–[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

कानपुर नगर के जाजमऊ क्षेत्र में चिकित्सालय खोले जाने तथा डाक्टरों व दवाओं का समुचित प्रबन्ध किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मनोहर लाल–

[मान्यवर, जाजमऊ कानपुर में राज्य कर्मचारी बीमा योजना के अन्तर्गत दो करोड़ रुपयों की लागत से बना चिकित्सालय किसी मंत्री के द्वारा उद्घाटन की चिर प्रतीक्षा में पुराना होने लगा है। जाजमऊ क्षेत्र में चमड़ा तथा अन्य कारखानों में काम करने वाले लगभग 20 हजार मजदूर रहते हैं लेकिन सरकार की तरफ से दवा के नाम पर विगत 40 वर्षों से कोई भी प्रबन्ध नहीं किया गया । जाजमऊ में इस चिकित्सालय के बन जाने से मजदूरों में एक आशा की किरण जागृत हुई थी कि अब उन्हें चिकित्सा का कोई अभाव नहीं होगा किन्तु अस्पताल बन जाने के बावजूद भी न वह चालू हुआ और न ही वहां डाक्टरों तथा दवाओं की समुचित व्यवस्था ही हुई । जिससे वहां के मजदूरों में घोर असंतोष व रोष व्याप्त है और मजदूरों में चिकित्सा के अभाव से भयंकर बीमारियां फैल रही हैं।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार तथा सदन का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करते हुए उपरोक्त चिकित्सालय को प्रारम्भ करने तथा वहां डाक्टरों व दवाओं की समुचित व्यवस्था किए जाने की मांग करता हूं ।]

बरेली स्थित सेमी खेड़ा चीनी मिल से प्रदूषण व बीमारियों के फैलने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जयदीप सिंह बरार–

[महोदय, बरेली जनपद में किसान सहकारी चीनी मिल सेमीखेड़ा द्वारा अपने प्रदूषित उत्प्रवाह को सड़क के किनारे खुला छोड़ दिया गया है। यह उत्प्रवाह सड़क के किनारे से होकर ग्राम सेमीखेड़ा के पास एक बड़े तालाब में भरता रहता है । यह उत्प्रवाह रिस कर भूमिगत जल में भी मिल गया है और सेमीखेड़ा तथा उसके आस-पास के 15–20 ग्रामों का भूमिगत जल प्रदूषित होकर मानव प्रयोग के अयोग्य हो गया है। गन्दे उत्प्रवाह पर सारा साल भारी संख्या में मच्छरों के पैदा होने से बीसियों ग्राम मच्छरजनित रोगों की चपेट में हैं । हजारों गरीब ग्रामीण तथा पशु प्रदूषित भूमिगत जल को पीकर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को शासन के संज्ञान में लाकर अपेक्षा करता हूं कि शासन अविलम्ब मिल द्वारा प्रदूषित उत्प्रवाह को रोकने, क्षेत्रीय ग्रामीणों को बीमारियों से बचाने तथा जिन ग्रामों का भूमिगत जल प्रदूषित हो गया है उनके लिए स्वच्छ जल का प्रबन्ध करायें ।]

नोट :–[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बलिया जिले के बिजली विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार व धांधली के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शारदा नन्द अंचल–

[मान्यवर, बलिया जनपद में बिजली विभाग की घोर लापरवाही, अकर्मण्यता और धांधली के साथ-साथ किसानों को कम से कम बिजली देने तथा बिलों में व्यापक गड़बड़ी से जनपद के किसान परेशान हैं।

सीयर विधान सभा क्षेत्र में विकास खण्ड सीयर, नगराव रतनपुरा में ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य भी प्राक्कलन व शासन को मंशा या राजाज्ञा के विपरीत हुआ है। बहुत से इन खण्डों के गांवों में अधूरा विद्युतीकरण करके पूर्ण दिखला दिया गया है। बिजली के अभाव में क्षेत्र का विकास अवरुद्ध है। विल्थरा रोड सब स्टेशन के अन्तर्गत पुराने व सड़े विद्युत तारों को बदलने की मांग को पूर्व विद्युत मंत्री ने मान कर आदेश किया था लेकिन उक्त लोक महत्व का कार्य अब तक पूर्ण नहीं हुआ। विल्थरा रोड की उद्योग, इकाइयां, नहरों, नलकूपों और लिफ्ट कैनालों को पूर्ण बिजली दिये बिना जनता में व्याप्त रोष एवं क्षोभ समाप्त नहीं हो सकता।

अस्तु इस लोक महत्व के मामले को आपके माध्यम से माननीय सदन के संज्ञान में लाते हुए अविलम्ब समाधान की मांग करता हूं।]

सीतापुर जिलान्तर्गत खैराबाद ब्लाक के खण्ड विकास अधिकारी द्वारा मनमानी व दुर्व्यवहार किए जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

[महोदय, ब्लाक खैराबाद, सीतापुर क्षेत्र विकास अधिकारी की मनमानी, अनुभवहीनता, नियम विरुद्ध आचरण तथा समिति के निर्णयों की अवहेलना से समिति के सदस्यों में भीषण असंतोष एवं विकास तथा 20 सूत्री कार्यक्रम में अवरोध शासन के संज्ञान में लाना चाहता हूं।

इन्दिरा आवास बनने के लिए समिति द्वारा चयनित ग्रामों से भिन्न उस ग्राम के लिए धन निर्गत कर दिया जिसके चयन का प्रस्ताव समिति ने नहीं किया। उन बायोगैस संयंत्रों को जो लागू नहीं है उन्होंने चालू दिखा कर फर्जी आंकड़े बनाया। 4 सामुदायिक विकास केन्द्रों का रुपया उपलब्ध है परन्तु बनवाया नहीं। सूखा राहत कार्यों में दिखाया।

यह नव आई0 ए0 एस0 हैं। ट्रेनिंग हेतु ब्लाक में आए। परन्तु नियमित बी0 डी0ओ0 न होने से उन्हें ट्रेनिंग कौन दे रहा है? आई0 ए0 एस0 द्वारा अहंकार में प्रमुख तथा प्रधानों का असम्मान आम बात है। समिति की विगत बैठक में अपने को सचिव न समझना तथा प्रधानों की पूछताछ से उत्तेजित हो गए। जिसके विरोध स्वरूप प्रधानों ने प्रस्ताव कर बैठक स्थगित कर दी।

जांच तथा उन्हें तात्काल हटाने की मांग करता हूं।]

नोट :–[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिला उन्नाव में पेयजल संकट उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री हृदय नरायण दीक्षित–

[मान्यवर, सूखे के कारण उन्नाव जनपद में कुओं का जलस्तर गिर रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की विकट समस्या उठ खड़ी हुई है। पुरवा विधान सभा क्षेत्र के दोनों कस्बों पुरवा, मौरावां, असोहा ब्लाक, हिलौली ब्लाक, पुरवा ब्लाक के सभी गांवों में पेयजल संकट पैदा हो गया है। कुएं सूख रहे हैं ऐसी परिस्थितियों के आसार हैं कि माह मई तक पुरवा क्षेत्र में बाहर से पानी मंगाकर पेयजल की समस्या का समाधान करना पड़ेगा। अविलम्बनीय लोक महत्व की इस समस्या को आदरणीय सदन के संज्ञान में लाकर आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जिला बस्ती के इटावा क्षेत्र के सम्पर्क मार्गों के निर्माण में घोटाला तथा अवर अभियन्ता व खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

[मान्यवर, जनपद बस्ती के मेरे निर्वाचन क्षेत्र इटवा के इटवा, खुनियांव भनवापुर क्षेत्र समिति द्वारा वर्ष 86-87 में बलुआ से झुरिया (इटवा विस्कोहर मार्ग) तथा इटवा खड़सरी मार्ग से महदानी तथा मैना से बैरवा मुड़िला से पिपरी बुजुर्ग, कमदा से कमिया-सेमरा सम्पर्क मार्ग विकास खण्ड इटवा में व धोबहा से गौरा बाजार तथा बेलवा से मिश्रौलिया होते हुए करौंदा खुनियांव ब्लाक तथा बुढ़उ से बड़हरा बिशुनपुर, मनकापुर सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराया गया है जिसमें काम मानक से निम्न स्तर का है और उस पर अभी तक मजदूरों की मजदूरी अवशेष है। इन पर जो पुलियों का निर्माण हुआ है और सम्पूर्ण धनराशि निर्मित दिखाकर धन आहरित किया गया है जबकि काम नहीं हुआ है। उल्लेखनीय है कि इन सम्पर्क मार्गों पर विगत तीन वर्षों में आर0 ई0 एस0 विभाग ने भी काम दिखाकर भुगतान ले लिया है।

अतएव मैं शासन से मांग करता हूं कि इसकी उच्चस्तरीय जांच कराकर दोषी अवर अभियन्ता व खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।]

औचित्य के प्रश्नों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 300 के अन्तर्गत कुल 10 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। राम शरण दास जी आप कैसे खड़े हैं ?...(व्यवधान)

*श्री राम शरण दास–

मान्यवर, मेरा एक निवेदन है कि जो लाटरी सिस्टम से नियम 301 की सूचनाएं निकली जाती हैं उसमें मैं समझता हूं कि कहीं 420 तो नहीं हो रहा है ? मैं 5-6 दिन से रोज देता हूं मेरी लाटरी नहीं निकलती है। क्या मैं इतना अभागा हो गया हूं कि मैं 5-6 दिन से रोज लाटरी डाल रहा हूं, मेरी नहीं निकलती और

नोट:–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरे लोग उसी दिन डालते हैं, उनकी उसी दिन निकल आती है । मैं किसी पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं लेकिन मेरी किस्मत इतनी खराब तो नहीं है . . . (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

शलाका में आपको बुला लिया जायेगा ।

इन 300 की सूचनाओं में पहली सूचना सर्वश्री शतरुद्र प्रकाश, रवीन्द्र नाथ तिवारी, गौरी शंकर भइया, माता प्रसाद पाण्डे, रामचन्द्र बख्श सिंह, राज किशोर सिंह, कौशिक रमा शंकर तथा श्री जयदीप सिंह बरार की है जो संविधान में हस्ताक्षर के बारे में है । दूसरी सूचना श्री बृहमदत्त द्विवेदी की इसी सिलसिले में है । तीसरी श्री जयदीप सिंह बरार की इस सदन के कर्मचारियों और अधिकारियों के बारे में है । चौथी श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की विभिन्न विभागों के करोड़ों रुपयों को पी0 एल0 ए0 में जमा करने के सिलसिले में है । पांचवीं श्री सूर्य प्रताप शाही की असरकारी दिवस के बारे में है । छठी सर्वश्री अचल सिंह, पारसनाथ यादव, राम गोविन्द चौधरी तथा श्री मित्र सेन की नियम 56 की सूचनाओं पर ध्यान आकृष्ट करने के संबंध में, श्री राम नरेश यादव की पैदल यात्रा के संबंध में और इसी तरह से श्री शारदानन्द अंचल की है . . . . (व्यवधान)

माननीय शतरुद्र प्रकाश जी, आपको क्या कहना है । मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग दो-दो मिनट से ज्यादा समय न लें ।

भारत के संविधान की प्रमाणित प्रति में संविधान सभा के सदस्य के रूप में श्रीमती इन्दिरा गांधी के हस्ताक्षर होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, भारतीय संविधान का जो मूल स्वरूप है उसकी प्रामाणिक प्रतिलिपि हमारे पुस्तकालय में रखी हुई है और वह जो प्रामाणिक प्रतिलिपि है वह किसी सदस्य को नहीं दी जाती है । आज भी मैंने प्रयास किया कि उसे मैं यहां लेकर सदन में पेश करूं लेकिन मुझे बताया गया कि आपने निर्देश दिए हैं कि कोई माननीय सदस्य इसको पेश नहीं कर पायेगा । मैं नहीं समझता हूं कि यह पता नहीं क्यों हुआ है ? यह तो हमारा विशेषाधिकार भी है । उसके बावजूद भी हैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि उस प्रामाणिक प्रतिलिपि की 8वीं अनुसूची में भाषाओं के संबंध में उल्लेख किया गया है कि किन-किन भाषाओं में संविधान संवैधानिक स्वीकृति प्रदान की जायेगी । उसके बाद संविधान सभा के सदस्यों के हस्ताक्षर किए गए हैं ।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश से जहां तक हमारी जानकारी है उसमें 47 सदस्य थे और मुस्लिम लीग के 8 सदस्य थे । मैंने यह देखा कि उस लिस्ट में जो 8वीं अनुसूची के संबंध में था, उसमें श्रीमती इन्दिरा गांधी के भी हस्ताक्षर हैं । मैं उस पन्ने का फोटो स्टेट भी करवा लाया हूं । उसमें ऊपर फिरोज गांधी और एक लाइन है बीच में उसमें इंदिरा गांधी के दस्तखत किए हुए हैं । मेरी जानकारी यह है कि यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि संविधान सभा की सदस्य इंदिरा गांधी नहीं थीं। जब वह सदस्य नहीं थीं तो उनके दस्तखत भी नहीं होने चाहिए थे । मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा लेकिन मैं समझता हूं कि इस ऐतिहासिक संविधान के दस्तावेज

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

की विकृत करने का प्रयास किया गया है । जो ऐतिहासिक तथ्य है उस तथ्य को तोड़-मरोड़ कर पेश करने का प्रयास किया गया है । इंदिरा जी जिस संविधान सभा की सदस्य नहीं थीं उनके दस्तखत उसमें कैसे हो गए? मुझे नहीं मालूम यह क्यों हुआ है ? कोई पाठक जो संविधान की इस प्रामाणिक प्रति को पढ़ेगा वह यही समझेगा कि वह उसकी सदस्य रही होंगी। मैं एक ऐतिहासिक तथ्य के बारे में कहना चाहता हूं कि जब वह संविधान सभा की सदस्य नहीं थीं तो उनका नाम इसमें नहीं होना चाहिए इसलिए इसको हटा दिया जाना चाहिए । मैं इस संबंध में किसी पर शक नहीं करता हूं लेकिन कहना चाहता हूं कि एक सिलसिला चला था देश के अंदर कि "इण्डया इज इन्दिरा" यानी इंदिरा गांधी इण्डिया है । अगर उस सिलसिले का यह नतीजा है, उनको खुश करने के लिए यह किसी की साजिश का परिणाम है तो मैं चाहता हूं कि भारत के संविधान की रक्षा करने की उसे अक्षुण्ण बनाए रखने की शपथ हम लोगों ने ली है । इसलिए जिसने यह साजिश की है उसे हम नाकाम करें यह हमारा कर्तव्य है । इसी आशय से मैंने यह औचित्य का प्रश्न दिया है जिसे आप गम्भीरता से लें । हो सकता है यह फर्जी प्रविष्टि हो या किसी साजिश का परिणाम हो तो इसे आप समाप्त कराने की भी व्यवस्था करें ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

माननीय, माननीय शतरुद्र जी ने जो बातें कही हैं उनको मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा । मैं आपके माध्यम से पूरे सदन से और आपसे अनुरोध करता हूं कि संविधान की पवित्रता एवं उसकी मौलिकता बनाए रखने का दायित्व हम सब पर है । इसके साथ ही उसके इतिहास को भी तोड़ा मरोड़ा न जाय, बिगाड़ा न जाय यह भी दायित्व हम सबका है । हम सब लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से 47 सदस्य संविधान सभा में थे और उन्हीं के उसमें हस्ताक्षर हो सकते हैं । अगर उसमें श्रीमती इन्दिरा गांधी के हस्ताक्षर बनाए गए हैं तो वह किन परिस्थितियों में बनाए गए । यह मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहूंगा । लेकिन मैं एक बात निवेदन करना चाहूंगा कि जब श्रीमती इंदिरा गांधी संविधान सभा की सदस्य नहीं थीं तो उनके सदस्य के रूप में हस्ताक्षर होने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों का कहना यह है कि उनके यह हस्ताक्षर नहीं हैं । मैंने तो इसे लाइब्रेरी में देखा इंदिरा जी को मैंने निकट से लिखते पढ़ते तो देखा नहीं । अगर वह किसी दूसरे आदमी ने बनाए हैं तो यह और भी गम्भीर बात हो जाती है । हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी कह देंगे, वह कह सकते हैं कि यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है । लेकिन मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि यह गम्भीर मामला है संविधान सभा की सदस्य के रूप में इंदिरा गांधी के दस्तखत जो कराये हैं क्या प्रधान मंत्री के रूप में किसी विशेष अवसर पर उन्होंने दस्तखत किए हैं ? यदि ऐसा है तो वह अलग चिट पर होना चाहिए था ताकि आगे आने वालों को किसी प्रकार की गलतफहमी न हो कि वह भी संविधान सभा की सदस्य थीं। और यदि वह किसी ने फर्जी हस्ताक्षर किए हैं तो फिर यह और भी अपराध है । इसकी विवेचना कराकर उसे दण्डित करने का काम होना चाहिए और यह साफ होना चाहिए कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने हस्ताक्षर नहीं किए । यदि किए हैं तो किस कैपेसिटी में किस स्तर पर किए इसका स्पष्ट उसमें उद्धरण हो जाना चाहिए ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय शतरुद्र प्रकाश ने जो औचित्य का प्रश्न रखा है उसको आपको गम्भीरता से लेना है । मैं चाहता हूं कि उसे पूरा सदन गम्भीरता से ले। जो बातें कही गयी हैं उनको दोहराऊंगा नहीं और केवल दो बातें आपके सम्मुख रखना चाहूंगा । पहली बात यह है कि इंदिरा गांधी के इसमें हस्ताक्षर होना हमारे संविधान की पवित्रता को मिटाना और इतिहास को मिटाना है । आने वाले 50 सालों के बाद हमारी संतानें जब संविधान को पढ़ेंगी तो वह समझेंगी कि इन्दिरा गांधी संविधान सभा की सदस्य थीं। दूसरी बात जैसा माननीय तिवारी जी ने कहा और हम जानते हैं कि यहां से 47 लोग संविधान सभा के सदस्य थे कुछ का कहना है कि 8 मुसलिम लीग के भी सदस्य थे तो कुल मिलाकर 55 होते हैं तो जो प्रतिलिपि दी गयी संविधान की, जिन माननीय सदस्यों से मुझको जानकारी मिली है, जो संविधान सभा के सदस्य थे जैसे श्री कपूर साहेब और श्री सिब्बन लाल सक्सेना जो आज नहीं हैं, उनकी प्रतिलिपि को देखने से पता चला है कि उस पर इन्दिरा जी के हस्ताक्षर नहीं हैं, तो यह जो प्रतिलिपि पुस्तकालय में है जिसकी फोटो स्टेट प्रति अभी दिखाई गयी थी उसमें उनके दस्तखत कहां से आ गए ?

मान्यवर, दूसरी चीज इसके पीछे जो साजिश एक चल रही है वह है इस देश को एक परिवार के हवाले करना । स्वास्थ्य मंत्री जी को मेडिकल इंस्टीट्यूट का नाम रखना है तो संजय गांधी के नाम से रखेंगे . . .

(व्यवधान के मध्य)

श्री हाफिज मोहम्मद उमर–

मान्यवर, यह नियम के अन्तर्गत बोलें । नियम 300 में औचित्य के विषय में बोलें . . .

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, संविधान के सबसे वरिष्ठ नेता और निर्माता डा0 अम्बेदकर साहेब छात्रावास जो लखीमपुर खीरी में गोला गोकरन नाथ में था उसका नाम मिटाकर संजय गांधी रखा गया । यही नहीं दिल्ली में एक पालम गांव था जिसके नाम से पालम हवाई अड्डा था उसका एक इतिहास था लेकिन उसका नामोनिशान मिटाकर इंदिरा गांधी के नाम से हवाई अड्डा कर दिया गया, तो यह हिन्दुस्तान में एक साजिश चल रही है, तो यह एक दस्तखत का सवाल नहीं है बल्कि आगे आने वाले इतिहास में जिन्होंने देश के लिए कुरबानी दी उनको मिटाकर एक खानदान को कायम करने की साजिश है ।

इसलिए इस पर गम्भीरता से आपको विचार करना चाहिए । अब सवाल उठता है कि संसदीय कार्य मंत्री जी जानते होंगे, जैसा श्री तिवारी जी ने कहा कि मुझे पता नहीं है सरकार जाने कि किस तरह संविधान की प्रतिलिपि पर इंदिरा जी के दस्तखत हैं, इसलिए इसको आप गम्भीरता से लें । हिन्दुस्तान एक खानदान का नहीं है । चापलूस लोग लाइब्रेरी, हवाई अड्डा, अस्पताल, छात्रावासों के नाम एक खानदान के नाम पर रख सकते हैं और कह सकते हैं कि "इन्दिरा इज इण्डिया" और "इण्डिया इज इन्दिरा" । तो ऐसे चापलूसों ने देश के इतिहास को झुठलाने की कोशिश किया, इसमें आप हमको संरक्षण प्रदान करें ।

*श्री कौशिक रमा शंकर–

मान्यवर, जिस समय संविधान बनकर तैयार हुआ उस समय इस ऐतिहासिक दस्तावेज को ऐतिहासिक बनाने के लिए उस समय जितने भी प्रदेश हमारे देश में थे उन सबको एक-एक प्रमाणित प्रतिलिपि संविधान की भेजी गयी थी । उस हर प्रतिलिपि में जो संविधान सभा के सदस्य थे उनके हस्ताक्षर अंकित कराये गये थे और इतना ही नहीं संविधान सभा में जो माननीय सदस्य थे उन सबको जो प्रतिलिपियां दी गयीं उनमें भी सभी संविधान सभा के माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर अंकित थे । इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारे उत्तर प्रदेश के विधान सभा में और पुस्तकालय में एक प्रतिलिपि यहां आयी और उसमें सभी संविधान सभा के सदस्यों के हस्ताक्षर अंकित हैं । कल मैंने भी आपके कक्ष में उसको देखा तो निश्चित रूप से जो श्रीमती इंदिरा गांधी के हस्ताक्षर के रूप में इंदिरा गांधी अंकित किया गया है वह एक साजिश लगती है, उसको देखने से ही यह साजिश लगती है और ऐसा लगे देखने वालों को इतिहास की जो जानकारी करना चाहते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी उस संविधान सभा की सदस्या थीं। जो कि एक ऐतिहासिक सत्य है। श्रीमती इन्दिरा गांधी उस संविधान सभा की सदस्या नहीं थीं और कुछ लोगों ने जो सम्मानित सदस्य हमारी विधान सभा के हैं, उनके हस्ताक्षर को देखा है और उनमें से कई लोगों का कहना था कि यह इन्दिरा गांधी के दस्तखत नहीं हैं । यदि ऐसा है कि यह उनके दस्तखत नहीं हैं तो यह मामला और भी गम्भीर हो जाता है और यह एक साजिश रची गई है । जो उनके हमदर्द हैं या उनके नाम को चलाना चाहते हैं और इतिहास को तोड़ना-मरोड़ना चाहते हैं, उन्होंने उनके नाम के यह जाली दस्तखत किए हैं । तो इस संबंध में पूरी तत्परता से अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए जांच करायें, जांच ही न करायें तत्काल यह कार्यवाही होनी चाहिए कि उस जाली दस्तावेज में जो उनके जाली दस्तखत अंकित हैं, उनको समाप्त कराया जाये ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

अभी माननीय शतरुद्र प्रकाश, माननीय मुलायम सिंह और अन्य सदस्यों ने भारत के संविधान और उसकी पवित्रता के संबंध में जो औचित्य का प्रश्न उठाया, वैसा मैंने भी एक प्रश्न दिया था और मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत का संविधान एक ऐसा पवित्र दस्तावेज है, जिसमें भरत की आत्मा और भारत की चैतन्यता और चेतना का समावेश किया गया है और हमारे लिए दिशा निर्देशन भी किया गया है । चाहे हम इस सदन में कार्यवाही करें, चाहे संसद में कोई कार्यवाही हो। नियमावली और हमारी प्रक्रिया भी हमारे इन्हीं अनुच्छेदों के संविधान में वर्णित के अनुसार होगी। जब हम यहां चुनकर आते हैं तो उसी संविधान की पवित्रता के प्रति सत्यनिष्ठा की शपथ लेते हैं और यदि हम यह शपथ न लें तो यह सदन ही कांस्टीट्यूट नहीं हो सकता है। कल आपके कक्ष में मूल प्रति मंगाकर देखी गई, वहां मैं भी उपस्थित था और आपने देखा कि जो हमारी संविधान निर्मात्री परिषद् थी, उसके सदस्यों के हस्ताक्षर उसपर थे और उनके बाद श्रीमती इन्दिरा गांधी की हस्ताक्षर हुआ है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अब एक प्रश्न यह भी है कि जो हमने संविधान के प्रति शपथ ली है और जिस की निर्मात्री परिषद् की सदस्या इन्दिरा गांधी थीं? यदि हां, तो ऐसा कोई संविधान शपथ के तहत यह सदन कांस्टीट्यूट हुआ है, क्या यह वही संविधान है जिस संविधान नहीं था जिस कान्सुवेन्ट असेम्बली की सदस्य श्रीमती इन्दिरा गांधी रही हों। वह संविधान इसी विधान सभा के पुस्तकालय में रखा है, उसके नियन्त्रक आप हैं और उसके मुख्य पुस्ताकाध्यक्ष सचिव हैं। जब यहां पर कोई रिफरेन्स आएगा तो हम इसी को देखेंगे, उनके हस्ताक्षर है तो यही है कि यह एक कुकृत्य हुआ है और भारत के संविधान की पवित्रता के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया गया है और ऐसा किया गया है कि भारत के संविधान की, पवित्रता और उसके प्रति लोगों की आस्था और विश्वास समाप्त हो जाए और पूरे इतिहास को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत करने की चेष्टा की गई है।

श्री अध्यक्ष–

द्विवेदी जी अब आप समाप्त कर दें। बहुत लम्बा खिंच रहा है।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

(व्यवधान) आप हमें सुन लें। एक मिनट। उनके यदि हस्ताक्षर नहीं हैं तो यह मामला और भी गम्भीर हो जाता है। ऐसे भी तत्व हैं जो संविधान के प्रति खिलवाड़ करते हैं, उसके साथ जाल-फरेब और फोरजरी करते हैं। ऐसा न हो जाए कि आपकी विद्वता के प्रति भी लोगों को सन्देह हो जाए कि आपके अधीन एक पुस्तकालय है, जिसमें उनके हस्ताक्षर हैं जो कभी भी उसके सदस्य नहीं रहे। . . .(व्यवधान) इसलिए मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में इस सदन की एक समिति बनाई जाए, जो उसकी जांच करे और यह मामला इतना मामूली नहीं है, इसलिए इसको या तो राष्ट्रपति महोदय को या संसद को सन्दर्भित करें और वह पूरे तथ्यों की जांच करा ले और दोषी लोगों के साथ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए. . . (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठिये, बैठिये, मैं आपसे बार-बार बैठने को कह रहा हूं।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जिन लोगों के हस्ताक्षर हैं उनको कठोर सजा दी जाए।

(व्यवधान)

सहकारिता मंत्री (श्री अरुण कुमार सिंह)–

सम्मानित सदस्यों ने, श्री शतरुद्र प्रकाश जी ने, श्री तिवारी जी ने तथा अन्य साथियों ने अपने विचार व्यक्त किए, उनको मैंने सुना। हम जनता के प्रहरी हैं। उसकी मर्यादा संविधान में अक्षुण्य है। जो प्रकरण उठाया गया है, जितनी दुहाई यह उसकी रक्षा की दे रहे हैं, जैसा तिवारी जी तथा अन्य सदस्यों ने कहा कि हस्ताक्षर भ्रमित हैं वह सभा की सदस्य नहीं रहीं, तो कैसे दस्तखत हो गये? हम भी चाहते हैं कि इसकी जांच हो। लेकिन मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि इनके शासन के जमाने में जब कैप्सूल खोला गया तो इनको यह आशा थी कि शायद इतिहास को तोड़ मरोड़ कर उस कैप्सूल में लिखवाया गया होगा, लेकिन इतिहास ज्यों का त्यों पाया गया। श्रीमती गांधी और उनका परिवार, उनके कृतित्व से उनके व्यक्तित्व से, उनकी सेवाओं से, उनके आचरण से जाना जाता है। इस देश के अन्दर उनके कृतित्व

और सेवा के लिए स्तुति की जाती है । श्रीमती गांधी ने निर्बल वर्ग, गरीब बेसहारा लोगों को सहकारिता और बैंकों से जोड़ा है ।

(व्यवधान)

उनकी कृतियां देश में सुरक्षित हैं जिससे देश का जनमानस जुड़ा हुआ है । जो प्रकरण उठाया गया है उसकी जांच होनी चाहिए, किस प्रकार उनके दस्तखत संविधान में आ गये ?

*श्री गौरी शंकर भइया–

मान्यवर, जो यह प्रकरण चल रहा है उसके संबंध में कहना चाहूंगा । मान्यवर, पूरे प्रदेश की राजधानी में संविधान की एक-एक प्रति रखी है । उत्तर प्रदेश में जो कापी है उसमें श्रीमती इंदिरा गांधी के हस्ताक्षर, जब स्वतंत्रता का रजत जयन्ती वर्ष मनाया गया था तो दिल्ली ले जाकर संविधान में इन्दिरा गांधी के हस्ताक्षर करा लिए गये हैं । मान्यवर, जो अन्य प्रान्तों और जिलों में कापी रखी हुई हैं उनको देख लिया जाए । क्या उनमें भी इन्दिरा गांधी के हस्ताक्षर हैं ? क्या अन्य प्रान्तों में भी ऐसी साजिश की गई है ? अगर की गई है तो यह संविधान को बिगाड़ने की साजिश है और दस्तखत कराकर ले आकर यहां रखा गया और इतिहास को बिगाड़ने की साजिश की गयी । जैसा कि अभी सहकारिता मंत्री जी कर रहे थे । श्रीमती इंदिरा गांधी संविधान सभा की सदस्य नहीं थीं तो फिर उनके हस्ताक्षर कैसे इसमें आ गये ?

यह एक गम्भीर मामला है और यह जांच का विषय बनता है । आप इस संबंध में दो निर्देश दें एक तो सरकार जांच करायें कि यह हस्ताक्षर असली हैं या नहीं और दूसरे अन्य प्रान्तों में भी हस्ताक्षर हैं या नहीं । जो कापी आपके पुस्तकालय में रखी हुई है और उसके कवर जिस पर सबके हस्ताक्षर हैं उसको हटवा दें और जिन-जिन लोगों के हस्ताक्षर होने चाहिये उससे युक्त कापी संविधान की यहां पर रखवाने की कृपा करें ।

जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)–

मान्यवर, मेरा अनुरोध है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अभी माननीय सदस्य गौरी भइया ने यह उल्लेख किया अपने भाषण में कि सन् 1972 में जब देश की आजादी का रजत जयन्ती वर्ष मनाया गया था तो उत्तर प्रदेश से संविधान की प्रति दिल्ली भेजी गयी और इंदिरा गांधी के दस्तखत कराये गये और उसी प्रकार हर प्रदेश से वहां भेजी गयीं । तो जहां तक उत्तर प्रदेश का ताल्लुक है, मेरी पूरी जानकारी को सत्य मानते हुये कि ऐसा नहीं किया गया है, और गौरी भइया ने जो यह कहा कि संविधान की प्रति दिल्ली भेज कर इंदिरा गांधी के हस्ताक्षर कराये गये इसको अपने कार्यवाही से निकलवा दें ।

श्री गौरी शंकर भइया–

यही तो जांच का विषय है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मुझे भी मौका दें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

जिनके हस्ताक्षर सूचना पर हैं उनको पहले बुलवा रहा हूं ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

माननीय अध्यक्ष जी, यह जो औचित्य का प्रश्न आपके सामने विचाराधीन है इसके महत्व पर बल देने के लिये मैं भी खड़ा हुआ हूं । मुझसे पहले बहुत से विद्वान साथियों ने सारे पहलुओं पर प्रकाश डाल दिया है । मैं आपका ध्यान 2-3 बातों की ओर ले जाना चाहता हूं । सबसे पहले बात तो यह है कि संविधान की प्रतियां बहुत सी हो सकती हैं । प्रेस में छपती हैं, सरकारी प्रेस से छपती हैं परन्तु यह संविधान की प्रति जो लाइब्रेरी में रखी गयी थी उसकी पवित्रता दूसरी प्रतियों से ज्यादा है और यह प्रति दूसरी प्रतियों से भिन्न है क्योंकि संविधान सभा के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर उसमें थे । जो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह हैं चाहे वह ध्वज हो, चाहे संविधान हो उसका किसी तरह से अपमान होना इस सदन का और देश का तथा सारी जनता का अपमान है । यह लज्जा की बात है कि आज इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की जा रही है । यह प्रमाणिक प्रतिलिपि थी और उसमें फर्जी हस्ताक्षर बनाये गये । आज इतिहास को तोड मरोड कर पेश करने की कोशिश की जा रही है जैसे हमारे सहकारिता मंत्री जी अभी कोशिश कर रहे थे । उधर के लोगों का यह षडयंत्र है । इंदिरा जी के फर्जी हस्ताक्षर उस पर बनाकर इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है । इसी के साथ-साथ मैं इस औचित्य के प्रश्न पर बल देता हूं ।

श्री राज किशोर सिंह–

मान्यवर, भारतीय संविधान एक पवित्र दस्तावेज है और इसी से हमारे देश की करोड़ों जनता अनुशासित होती है और देशवासियों के जीवन के समस्त कार्यकलाप इसी से जुड़े हुए हैं और उसी से संचालित होते हैं ऐसे पवित्र दस्तावेज विकृत करना बहुत बड़ा अपराध है । ऐसे पवित्र दस्तावेज का जो बिगाड़ने का कार्य किया गया है, वह बहुत गम्भीर है और बहुत ही निन्दनीय है और अपराध है । मुझे अच्छी तरह से जानकारी है कि स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी कभी भी संविधान सभा की सदस्या नहीं थीं और उनका इस दस्तावेज के अन्दर अचानक दस्तखत हो जाना एक बहुत ही गम्भीर बात है जिसने भी किया हो, जहां से भी हुआ हो, जिस तरीके से भी हुआ हो, इसकी छानबीन होनी बहुत ही आवश्यक है और हमारी भारतीय आकांक्षाओं के अनुकूल होगा । हमारे माननीय सदस्य ने जो विचार व्यक्त किये हैं, मैं उससे अपने को आबद्ध करता हूं और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इसको गम्भीरता से लें और इसे स्वीकार करें और इसकी जांच करा कर इसमें जो भी दोषी पाये जायं, उन्हें दंडित किया जाय ।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, जितने लोग इस वक्त मौजूद हैं माननीय सदन में और पूरे देश के लोग एक चीज जानते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी संविधान सभा की सदस्य नहीं थीं । मेरा पहला अनुरोध है कि जिस प्रति पर उनसे हस्ताक्षर कराये गये हों, उसको कटवा दें और उसमें लिख दें कि यह साजिश के तहत दस्तखत किये गये हैं ।

मान्यवर, यह बहुत गम्भीर मामला है । यह संविधान को नष्ट करना बहुत गम्भीर मामला है । मान्यवर आप इसकी इन्क्वायरी कर लें कि खाली उत्तर प्रदेश को विधान सभा पुस्तकालय में ही यह हस्ताक्षर कराये गये हैं या कि पूरे देश के विधान सभा पुस्तकालय में हस्ताक्षर कराये गये हैं ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त के खड़े होने पर)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपका नाम इसमें नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आप देखिये कि मेरा नाम उसमें है कि नहीं । आप मान्यवर, [xxx] मेरा उसमें नाम है।

राजस्व एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

नाम है, लेकिन इनके मान्यवर हस्ताक्षर नहीं है ।

(व्यवधान)

मान्यवर, यह विषय जो माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने उठाया है, यहां इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन जब यह बात उन्होंने उठा ही दी है, तो यह आवश्यक हो गया है कि इसके बारे में पूरे तथ्य और पूरी बात आपके माध्यम से सम्मानित सदन को बताया जाय । मान्यवर, कंस्टीटूयंट असेम्बली की प्रोसीडिंग्स थी की मुतल्लिक उस महत्वपूर्ण दिन की कार्यवाही की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

साइनिंग आफ दि कांस्टीट्यूशन

मिस्टर प्रेसीडेन्ट सेड दैट दि ओनली थिंग दैट नाव रिमेइन्स इज दि साइनिंग आफ दि कापी आफ दि कांस्टीट्यूशन बाई दि मेम्बर्स । जो चीज़ बाकी रहती है, अध्यक्ष जी ने कहा वह केवल डाकूमेन्ट पर, संविधान पर हस्ताक्षर करना बाकी रहता है ।

दैयर आर थ्री कापीज रेडी । वन इज इन इंगलिश कम्पलीटली हैंड रिटेन एंड इल्यूमिनेटेड बाई आर्टिस्ट्स ।

तीन कापियां तैयार हैं । एक अंग्रेजी में है, जोकि हाथ से लिखी हुई है और जिसकी आर्टिस्ट द्वारा तस्वीर बनाने की बात है ।

दि सेकेन्ड कापी इज इन प्रिन्ट इन इंगलिश दि थर्ड कापी इज आलसो हैंड रिटेन इन हिन्दी ।

दूसरी कापी छपी हुई अंग्रेजी में है और तीसरी कापी हाथ की लिखी हुई हिन्दी में है ।

आल दि थ्री कापीज आर लेड आन दि टेबुल एण्ड मेम्बर्स विल बी रिक्यूस्टेड वन बाई टू कम एण्ड साईन दि कापीज। दि आईडिया इज टू काल दैम इन दि आडर इन विच दे आर सिटिंग इन दि हाउस ।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

ये तीनों प्रतियां सदन के पटल पर माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर करने के लिए रखी हुई हैं । तीनों कापियां मेज पर रखी हुई हैं । माननीय सदस्य जिस आर्डर में वह बैठे हुए हैं, उस आर्डर में वह हस्ताक्षर करेंगे । मान्यवर, यह एक महत्वपूर्ण बिन्दु उठा है इसके ऊपर सारी बात साफ हो जानी चाहिए ।

बट एेस दि हानेरेबुल दि प्राइम मिनिस्टर हैज टू गो आन पब्लिक ड्यूटी । आई विल रिक्यूवेस्ट हिम फस्ट टू साइन देम ।

जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी को जाना है पब्लिक ड्यूटी के लिए कुछ आवश्यक कार्यों से इसलिए उनसे अनुरोध यह है कि वह पहले दस्तखत कर दें ।

दि आनरेबिल श्री जवाहर लाल नेहरू देन साइन्ड दि कापीज आफ दि कांस्टीट्यूशन।

तब सबसे पहले जवाहर ली जी के दस्तखत हुए ।

उसके बाद अलगू राय शास्त्री उत्तर प्रदेश के जो जनरल थे उन्होंने यह प्रश्न उठाया—

मिस्टर प्रेसीडेन्ट । आई वान्ट टू सबमिट दैट । सिन्स दि कांस्टीट्यूएन्ट असेम्बली हैज एकामप्लिस्ड इट्स टास्क; इट्स आफिस विल नाव बी क्लोज्ड ।

उन्होंने यह कहा कि मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कांस्टीट्यूशन असेम्बली संविधान सभा ने अपना कार्य पूरा कर लिया है इसलिए इसका कार्यालय बन्द हो जायेगा ।

आई विश दैट दि सर्विस आफ दि स्टाफ वार्किंग इन दिस आफिस शुड कन्टीन्यू इन सम फार्म आर अदर ।

मैं यह चाहता हूं कि जो लोग यह काम कर रहे हैं, उनकी सेवा किसी न किसी तरह से यहां बाकी रहे ।

इट शुड नाट बी दैट आन दि 26थ आफ जनवरी, वेन दि होल कन्ट्री विल बी इंगेज्ड इन फैस्टीविटीज दीज आफीशियल्स मे नाट फील लाईक पार्टीसिपेटिंग इन देम, आलदो दे डिजर्व देयर शेयर ।

मैं यह चाहता हूं कि जब 26 जनवरी को पूरा देश इस महत्वपूर्ण चीज, इस महत्वपूर्ण बात को सेलीब्रेट कर रहा है तब यह लोग जो काम कर रहे हैं, उनका भी हिस्सा होना चाहिए ।

मिस्टर प्रेसीडेन्ट सेड, आई वुड लाईक टू से इन दिस कानेक्शन दैट आई हैव पेड अटेन्शन टू दिस क्वेश्चन एण्ड हैव कारस्पान्डेड विद दि लेजिस्लेटिव डिपार्टमेन्ट एण्ड अदर डिपार्टमेन्ट्स आफ दि गवर्मेन्ट फार एकोमोडेटिंग, सो फार एज पासिबल दि परसन वर्किंग इन आवर आफिस ।

उन्होंने कहा कि मैंने लेजिस्लेटिव डिपार्टमेन्ट से इस बारे में पत्राचार किया है कि जहां तक हो सके इनकी सेवाएं बरकरार रखी जाय ।

एफर्ट्स आर बीइंग मेड फार इट । आई होप दैट मोस्ट आफ दि पीपुल, इफ नाट आल, विल फाइन्ड इम्पलायमेन्ट एफर्ट्स विल बी मेड टू फाइन्ड इमप्लायमेन्ट फार दोज आल सो हू आर लेफ्ट आउट।

मान्यवर, यह बहुत सब से सुनना पड़ेगा क्योंकि किसी पर आक्षेप लगा देना आसान है ।

उसके बाद कहते हैं कि जब यह खत्म हुआ तो उन पर हस्ताक्षर शुरू होते हैं ।

आई वुड सजेस्ट टू आनरेबिल नेम्बर्स जस्ट टू टेक प्लेसेज एण्ड साइन एज दि नेम्स आर काल्ड । दैट वुड, आई थिंक बी बेटर, इट विल सरटेनेली लुक नाइसर मि0 खन्ना विल काल आउट दि नेम्स आफ दि मेम्बर्स, वन आफ्टर एनअदर ।

मैं चाहता हूं कि एक के बाद दूसरे लोग आयें, मिस्टर खन्ना नाम को पुकारेगें, उसके बाद वह नाम के अनुसार आयेंगे और दस्तखत करेंगे ।

दि रिमेनिंग मेम्बर्स प्रेजेन्ट दैन साइन्ड दि कापीज आफ दि कान्स्टीट्यूशन आफ्टर विच मि0 प्रेसीडेन्ट साइन्ड दि कापीज ।

उसके बाद मान्यवर, सारे लोगों ने दस्तखत किए और फिर अध्यक्ष महोदय ने दस्तखत किए । जवाहर लाल जी के दस्तखत से पहले । मान्यवर, उसके बाद अध्यक्ष जी ने कहा–

इज़ देयर एनी मेम्बर्स हू हैज नाट यट साइन्ड ? इफ एनी ही मे साइन लेटर आन इन दि आफिस ।

क्या कोई ऐसा मेम्बर यहां पर है जिसने साइन नहीं किये हैं अगर कोई ऐसा मेम्बर है तो वह कार्यालय में दस्तखत कर दे । यह हस्ताक्षर की सारी कार्यवाही यहां से मान्यवर, सारी बात लिखित रूप में अंकित है । मान्यवर, उसके बाद सबसे आखिरी दस्तखत सच्चिदानन्द सिन्हा जी के थे । यह संविधान सभा के प्रोविजनल अध्यक्ष थे । (व्यवधान) उसके बाद बी0एन0 राव के दस्खत थे, उसके बाद फिर एच0वी0आर आयंगर के दस्तखत थे, उसके बाद सुधेन्द्र नाथ मुखोपाध्याय के दस्तखत थे । उसके बाद मान्यवर, दूसरा पेज आता है । दूसरे पेज में जो लोग देर से पहुंचे उसमें डी0 सोजा साहब थे, मान्यवर, 5 लोग देर से आये थे जिन्होंने कार्यालय में दस्तखत किये । उसमें फिरोजगांधी जी के आखिरी दस्तखत हैं । फिर कोई और दस्तखत नहीं हुआ तो यह सारी कहानी जिसे पहाड़ बनाकर हटाने की कोशिश की गयी लेकिन पहाड़ को हटाने की कोशिश तो बहुत की गयी जिस तरह से सहकारिता मंत्री जी ने कैप्सूल के बारे में कहा ।

मान्यवर, वहां पर पेंसिल से लाइन खींची जाती है कोई व्यक्ति बना देता है और रोशनाई से बाद में कोई दस्तखत कर देता है और उसके बाद वही नहीं बल्कि कोई कनौजिया साहब हैं, उनके दस्तखत बना दिये जाते हैं । कांस्टीट्यूशन की किताब पुस्तकालय में जाकर लोग पढ़ते हैं ।

मान्यवर, कोई भी किताब ले सकता है । वहां जाकर पढ़कर आपके दस्तखत बना दें, शतरुद्र प्रकाश जी के बना दे तो कहां से आपका या शतरुद्र प्रकाश जी के ऊपर दोष आता है ? मैं किसी के दस्तखत बना दूं तो आप पर कैसे आंच आती है ? इंदिरा जी ने संविधान की पवित्रता को सदैव बचाया है, उस पर शक नहीं किया जा सकता । जो कापी वहां पर लाइब्रेरी में, आरकाइव्ज में है, उस पर उनके केवल दस्तखत हैं जो कान्सटीट्यूशन असेम्बली के सदस्य थे और किसी

के नहीं है । यहां पर एक कान्ट्रोवर्सी इंदिरा जी के नाम पर उठाना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है । कुछ लोग इस बात के पीछे हैं, मा0 मुलायम सिंह जी ने कहा कि एक परिवार की बात की जा रही है । एक परिवार की बात कहना गलत है लेकिन कान्स्टीट्यूशन असेम्बली में जवाहर लाल जी थे, उनके दस्तखत हैं । कोई भी गांधी लाल जी की कुर्बानी से इन्कार कर सकता है । इंदिरा जी ने चाहे अमेरिका का फ्लीट रहा हो, हिन्दुस्तान की स्वतंत्रता को बाकी रखने की बात रही हो, देश की अखण्डता रही हो, किसी ने गांधी जी के बाद इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दी । इनको कहते हुए लाज महसूस नहीं होती है । एक परिवार की बात करते हैं । कान्स्टीट्यूशन में दस्तखत उन्हीं के रहेंगे जो संविधान सभा के सदस्य थे, लेकिन भारत के इतिहास से, इस धरती से न इंदिरा जी का नाम मिटाया जा सकता है, न जवाहर लाल जी का नाम मिटाया जा सकता है, न इस कांग्रेस का और न तिरंगे झण्डे का नाम मिटाया जा सकता है ।

मेरा अनुरोध है इस सदन के माध्यम से कि कृपया इसकी जांच करावें । इसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया है, संविधान की कापी सभी लोग पढ़ते और देखते हैं, लेकिन शतरुद्र प्रकाश जी को ही क्यों यह नजर आया ? हम चाहते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाय । मेरा आरोप है कि जानबूझ कर उन्होंने अपने हाथ से किया है ताकि इंदिरा जी का नाम कन्ट्रोवर्सी में पड़ जाय । इसलिये इसकी उच्चस्तरीय जांच करावें और जो लोग संविधान की पवित्रता को खण्डित करने का प्रयास राजनीति से प्रेरित कर रहे हैं, उस पर नियंत्रण लगाया जाय । अगर नहीं लगाएंगे तो राजनीति को साबित करने के लिये, राजनीतिक स्वार्थ को सामने लाने के लिये तथा अपने पक्ष का मतलब साधने के लिये ये प्रदेश की जनता ही नहीं भारत की जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं । लेकिन आज सारी चीजें बेनकाब हो गयी हैं । क्यों शतरुद्र जी को ही यह दस्तखत नजर आए ? आज तक किसी और को क्यों नहीं नजर आए ? इसमें इनका हाथ है । मेरा आरोप है कि इसकी जांच करावें ।

(थपथपाहट)

श्री देवेन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, शतरुद्र प्रकाश जी और मुलायम सिंह जी संविधान के पन्ने फाड़ना चाहते थे, लाइब्रेरियन की वजह से बच गये । ये प्रतियां फाड़ देना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठें ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

अध्यक्ष महोदय, मैंने इंदिरा जी के हत्या के बाद, यह मानकर कि वह एक कुर्बानी हुई, इसलिये मैंने इंदिरा जी पर कोई किसी तरह से लांछन नहीं लगाया । लेकिन यह संविधान की पवित्रता का प्रश्न था और जब यह आरोप लगा, सहकारिता मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री ने जब आरोप लगाया, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं नहीं चाहता कि इंदिरा जी के व्यक्तित्व पर यहां पर चर्चा हो, लेकिन जहां तक राजनीतिक मूल्यों का प्रश्न है कांग्रेस सरकार ने हत्या की है ।

(घोर व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, ये इस प्रश्न को नहीं उठा सकते (घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य श्री अम्मार रिजवी तथा श्री मुलायम सिंह यादव एक साथ बोलते रहे, जो घोर व्यवधान के कारण सुना नहीं जा सका ।)

ये इस तरह से इंदिरा जी का नाम नहीं ले सकते । इस तरह की कन्ट्रोवर्सी में उन्हें नहीं डाल सकते । उनका नाम सम्मान के साथ लेना पड़ेगा । स्वर्गीय इंदिरा जी का नाम इस तरह से नहीं लिया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष–

मैं देखकर कार्यवाही से निकाल दूंगा ।

(व्यवधान के मध्य)

आप लोग बैठें, आप लोग कृपा करके बैठें ।

मैं इस मामले की जांच करने के बाद फैसला दूंगा ।

(पक्ष एवं विपक्ष दोनों पक्षों द्वारा नारे लगाये जाने से घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

माननीय बरार जी आपको कुछ कहना है । नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता–

मान्यवर, हमें भी सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने निर्णय दे दिया कि इस मामले की जांच के बाद, मैं फैसला दूंगा ।

(पक्ष एवं विपक्ष द्वारा निरन्तर नारे लगने से सदन में व्यवधान होता रहा)

श्री देवेन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, आज इन्होंने संविधान का अपमान किया है, फिर भी यह लोग यहां पर बैठे हुए हैं ।

श्री अध्यक्ष–

आप सब लोग बैठें ।

मैंने निर्णय दे दिया कि इस मामले का परीक्षण कराने के बाद फैसला दूंगा ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

आप सब बैठें, कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । माननीय बरार जी आपको कुछ कहना है ?

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मैं तो बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

(नारे लगते रहे)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, चोर की दाढ़ी में तिनका । इसमें माननीय संसदीय कार्य मंत्री का हाथ है, वीर बहादुर सिंह की सरकार का हाथ है ।

(घोर व्यवधान के मध्य श्री जयदीप सिंह बरार का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप सब लोग बैठें । बरार जी आपको क्या कहना है, आप कहिये ?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

[x x x]

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैं किसी को इजाजत नहीं दे रहा हूं । माननीय शतरुद्र प्रकाश जी जो बोल रहे हैं, कुछ नहीं लिखा जायेगा । कुछ नहीं लिखा जायेगा । आप सब बैठें ।

मैंने फैसला दे दिया कि इस मामले का परीक्षण करने के बाद निर्णय दे दूंगा ।

(नारे लगते ही रहे)

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, इन्होंने तथ्यों को छिपाया है, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने तथ्यों को छिपाया है, संविधान की पवित्रता को मिटाया है ।

श्री अध्यक्ष–

आप सब बैठें ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करता है ।

(श्री मुलायम सिंह यादव अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

(नारे की गूंज से शोर होता रहा)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, हम भी सदन का बहिष्कार करते हैं ।

(श्री शतरुद्र प्रकाश भी अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, हम श्री सदन का बहिष्कार करते हैं ।

(श्री कौशिक रमाशंकर भी अपने समुदाय के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

(श्री राजकिशोर सिंह भी अपने समुदाय के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

(विपक्ष के अन्य सदस्य भी सदन त्याग कर चले गये)

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, हम लोग भी सदन का बहिष्कार कर रहे हैं ।

(कुंवर रेवती रमण सिंह भी अपने दल की सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, इसमें श्रीमती इंदिरा गांधी का नाम किसी साजिश के तहत आ गया है । पहले आप उस प्रति से उनका नाम कटवायें, उनका नाम उस प्रति से कटवाने का आदेश दीजिये

(नारों की गूंज से व्यवधान होता ही रहा)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठें । मैंने कह दिया कि इस मामले का परीक्षण कराने के बाद निर्णय दे दूंगा । अब उसके बाद क्या बात रह गयी ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, हम भी थोड़ी देर के लिये सदन से बहिर्गमन करते हैं ।

(घोर व्यवधान)

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

(नारे निरन्तर लगते ही रहे)

समितियों के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा शासन तथा उसके किसी निकायों, प्राधिकरणों एवं अधिकरणों में किसी पद को धारण करने से दैधानिक संकट उत्पन्न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

माननीय बरार जी आपको क्या कहना है ? माननीय सदस्य शांति बनाये रखें ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मेरा जो औचित्य का प्रश्न है, जो संविधान और यहां की नियमावली, जिससे इस विधान सभा का कार्य विनियमित होता है, उसी के संबंध में है । मेरे औचित्य के प्रश्न में कुछ ऐसी बातें भी अन्तर्निहित हैं, लेकिन उसके संबंध में नहीं कहना चाहता हूं, आपकी अध्यक्ष पीठ का जो सम्मान है, उसको मद्देनजर रखते हुए, इस सदन में वह बातें नहीं कहना चाहता हूं, किसी का नाम भी मैं नहीं लेना चाहता हूं ।

(इस समय 1 बजकर 8 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, हमारे संविधान में इस बात की व्यवस्था की गई है, कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका इसके तीन अंग हैं। मान्यवर, जो कार्यपालिका है, वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। संविधान के आर्टीकिल 164(2) में स्पष्ट दिया हुआ है कि मंत्रिमंडल जो हमारी कार्यपालिका का शीर्ष है वह सदन, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी और उसके जितने भी कर्मचारी हैं, वह सदन के उत्तरदायी होंगे। मान्यवर, संसदीय प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण, कार्यपालिका पर अंकुश

रखने का, उस पर नियंत्रण रखने का हमारे पास संविधान तथा नियमावली में अधिकार दिया हुआ है। चाहें हम प्रश्न पूछें, चाहे हम ध्यान आकृष्ट करें और चाहे हम विशेषाधिकार उठायें। यह सूचनायें हम रोज यहां पर देते हैं। कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने के लिए प्रभावी नियम बने हुए हैं लेकिन मान्यवर, अगर ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाये, जिसमें कार्यपालिका के अन्तर्गत जो लोग काम कर रहे हैं, उनके ऊपर नियंत्रण करने के लिए, उनकी आलोचना करने के लिए, उनके भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने के लिए, हम इस नियमावली के नियमों के माध्यम से कुछ न कर सकें, तो इस नियमावली के निर्वचन और प्रवर्तन का प्रश्न पैदा हो जाता है। अगर कोई आदमी ऐसा हो, जो विधायिका में किसी पद पर हो और इस सदन में पदाधिकारी हो, विधान सभा की किसी समिति का भी पदाधिकारी हो और उसके बाद इस विधान सभा सचिवालय का कर्मचारी भी हो, जो आपके नियंत्रण में है। उनके बारे में हम यहां पर कुछ नहीं कह सकते क्योंकि तब उनकी आलोचना करना आपकी पीठ के प्रति अवमान माना जाता है। क्योंकि आपकी आलोचना करना आपके प्रति असम्मानजनक बात कहना, न तो हमें शोभा देता है और न हम नियमों की अवहेलना कर सकते हैं।

अगर हमें आपकी आलोचना करनी है तो हमें आपको हटाने का संकल्प लाना होगा। मान्यवर, अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाये कि आपके नियंत्रण में जो कर्मचारी हैं, वह कार्यपालिका के नीचे काम करने लग जायें, इसी सदन के कुछ पदाधिकारी हों, सदन की समितियों के अध्यक्ष हों और वह कार्यपालिका के नीचे काम करने लग जायें, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को, जो वहां पर भ्रष्टाचार करते हैं, जो बेईमानी करते हैं, तो हम उनकी आलोचना कैसे करेंगे? क्योंकि मान्यवर, हम आपका सम्मान करते हैं और कल को जब आप किसी ऐसी जगह पर बैठ जायें, जो कार्यपालिका के नियंत्रण में हो, जहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपको आदेश दे सकता हो, शासन का कोई सचिव, आपको आदेश दे सकता हो, तो मान्यवर, यह आपका अपमान नहीं होगा, यह इस विधायिका का अपमान होगा। इसलिए मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि भारतवर्ष के पार्लियामेन्टरी संसदीय इतिहास में आपकी कृपा से आज तक कभी किसी सदन में इस तरह का प्रश्न नहीं उठ पाया है और उस पर कोई व्यवस्था नहीं हुई है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसे गम्भीरता से सुनें और तब अपना निर्णय दें। सिर्फ मंत्रिमंडल के सदस्य ऐसे लोग हैं, जो विधायिका के सदस्य होते हैं और वह कार्यपालक भी होते हैं। ऐसा सिर्फ संसदीय प्रणाली के लोकतंत्र में है। लेकिन जो अन्य प्रणालियां हैं, जहां पर विधायिका और कार्यपालिका अलग-अलग हैं, वहां वह उसके सदस्य नहीं होते हैं और न ही उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। लेकिन हमारे संसदीय लोकतंत्र में यह एक ही है। अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाये कि हमारे सदन के कर्मचारी जो हैं, अगर वह कार्यपालिका के नियंत्रण में चले जायेंगे तो संविधान में की गई व्यवस्था खराब हो जायेगी।

मान्यवर, अगर आप कार्यपालक के पद पर चले जायेंगे तो आप पर कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा देगा और हमारी नियमावली धरी की धरी रह जायेगी। तो मान्यवर, आज ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं। इस सम्बन्ध में मान्यवर, मैं

आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, जो प्रीसाइडिंग आफीसर्स कान्फ्रेन्स हुई जो एजेन्डे में आईटम नम्बर-तीन था उस पर चर्चा हुई। सारे भारतवर्ष के पीठासीन अधिकारी तथा लोक सभा के स्पीकर व राज्य सभा के उपाध्यक्ष भी उसमें मौजूद थे। चर्चा के आखिर में डिप्टी स्पीकर राज्य सभा ने क्या कहा है? इसे मैं इस आदरणीय सदन में बताना चाहता हूं।

एक्सेप्ट फार टू आर थ्री डीसेन्टिंग वाइसेस आई थिंक दियर इज यूनानीमिटी आन दिस सब्जेक्ट दैट स्पीकर/प्रसाइडिंग आफीसर शुड नाट अन्डरटेक एनी ओबलीगेशन नाट कनेक्टेड विथ हिज फक्शन्स एज प्रेसाडिंग आफीसर एण्ड सुड नाट अन्डरटेक सच रिसपान्सविलिटीज विच में बी ओपिन टू क्रीटीसीजम ।

उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि सब लोग इस पर पूर्णतया सहमत हैं। अध्यक्ष पीठ से कोई ऐसे दायित्व को स्वीकार नहीं करना चाहिए जो उसके पीठासीन अधिकारी होने के फलस्वरूप उसके दायित्वों से संबंधित न हो । ऐसी कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करनी चाहिए, जिससे उसकी आलोचना हो सकती है। आज मान्यवर, ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं और आपका निर्देश जानना चाहता हूं क्या अगर हमारे कर्मचारियों ने सदन के पदाधिकारियों ने कार्यपालिका . .

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, माननीय श्री बरार जी ने जिस विषय को उजागर किया है, उसका संबंध [xxx]

(श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी व श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी के खड़े होने पर, व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

सम्भवत: माननीय श्री बरार जी ने जो औचित्य का प्रश्न उठाया है, [xxx]

श्री उपाध्यक्ष–

अध्यक्ष जी के बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मैं तो आपका निर्देश चाहता हूं कि जब ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गईं और जो कर्मचारी सचिवालय के हैं, या सदन के पदाधिकारी हैं या सदन की समितियों के सभापति हों । क्या उनके वह कृत्यों की जो वह कार्यपालिका के नियंत्रण के अधीन पदों पर जाकर कर रहे हैं, क्या हम आपके खिलाफ अविश्वास या हटाने का संकल्प लाये बिना कम से कम उन कृत्यों व भ्रष्टाचारों को यहां सदन में उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते हैं । संविधान में जो हमें अधिकार दिया गया है कि कार्यपालिका के ऊपर अंकुश लगाने का व भ्रष्टाचार के ऊपर चर्चा करने का जो हमारा अधिकार है, उसे हमें आप कैसे दिलवा पायेंगे ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं निर्णय सुरक्षित करता हूं ।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय श्री बरार जी ने जो बात कही है उससे मैं अपने को सम्बद्ध नहीं करता हूं । माननीय श्री बरार जी कुछ ऐसा भाषण कर रहे थे, जैसे कोई कार्यपालिका का सबार्डिनेट नहीं हो सकता है आदि-आदि । मैं उनकी बात नहीं समझ पाया । वह एक काल्पनिक बात कर रहे थे । मैं स्वयं बरार जी से जानना चाहता हूं . . . [xxx]

(शोर व्यवधान के मध्य)

श्री उपाध्यक्ष–

कुछ नहीं लिखा जायगा, आप बैठें ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

[x x x]

(शोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

जो कुछ बोला है, नहीं लिखा जायेगा ।

राजस्व एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

इस विषय पर चर्चा नहीं हो सकती, इसे कार्यवाही से खारिज करें ।

(शोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

जो असंगत बातें हुई हैं, सबको निकलवा दूंगा ।

(शोर व्यवधान)

नियम 300 के अंतर्गत जो सूचनायें प्राप्त हुई हैं, वह नियम 300 के अंतर्गत नहीं आती हैं, उन्हें अस्वीकार करता हूं ।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा "मद संख्या-3" पुकारा गया । इसी समय श्री मूलचन्द सदन के फ्लोर पर आकर बैठ गये)

माननीय मूल चन्द जी आप अपनी सीट पर वापस जायं ।

(श्री मूल चन्द सदन के "फ्लोर" पर बैठे रहे ।)

नोट :–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1987†

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्री प्रवीण कुमार शर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से शिक्षा अनुभाग-5 की अधिसूचना संख्या 4898/15 (5) 87-288-1987 दिनांक 12 जून, 1987 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1987 को विलम्ब के कारणों सहित उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 की धारा 19 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

(कई सदस्यों द्वारा खड़े होकर बोलने का प्रयत्न करने से घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों को वायुयान द्वारा यात्रा की सुविधा) नियमावली, 1988 †

संसदीय कार्य एवं राजस्व मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से संसदीय कार्य अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 487 सं/17-1-88-34 सं-87, दिनांक 15 फरवरी, 1988 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों को वायुयान द्वारा यात्रा की सुविधा) नियमावली, 1988 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम 1904 की धारा-23-क की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

(कई सदस्यों द्वारा पुनः खड़े होकर बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग बैठें, मैंने इस पर रूलिंग रिजर्व कर दी है ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का वार्षिक लेखा विवरण पत्र 1982-83††

संसदीय कार्य एवं राजस्व मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का वार्षिक लेखा विवरण पत्र 1982-83 को इलेक्ट्रीसिटी (सप्लाई) एक्ट, 1948 की धारा-69 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

झांसी जिले की मौंठ तहसील मुख्यालय पर मुन्सिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय स्थापित किये जाने विषयक श्री योगेश चन्द्र शास्त्री आदि की याचिका †

कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से झांसी जिले की मौंठ तहसील मुख्यालय पर मुन्सिफ मैजिस्ट्रेट न्यायालय स्थापित किये जाने विषयक सर्वश्री योगेश चन्द्र शास्त्री, अशोक केशरवानी तथा जवाहर लाल राजपूत निवासीगण पोस्ट-मौंठ, जिला झांसी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

(शोर)

---

†छापी नहीं गयी ।

††छापा नहीं गया ।

श्री उपाध्यक्ष–

मा0 मूलचन्द जी, आप अपने आसन पर जाइये ।

श्री मूल चन्द–

जब आप मेरी व्यवस्था की बात को नहीं सुनेंगे तो मैं और क्या करूं?

श्री उपाध्यक्ष–

यदि मैं किसी को न सुनूं व्यवस्था पर तो क्या आप ''वेल'' में बैठ जायेंगे ? यह हमारा अधिकार है, आप हमें मजबूर नहीं कर सकते हैं कि सब व्यवस्था सुननी ही होंगी । मैं चाहूंगा तो सुनूंगा अन्यथा नहीं सुनूंगा । आप अपने स्थान पर जाइये 'वेल' से ।

(श्री गोपाल दास यादव के प्रयास से श्री मूलचन्द्र जी अपनी सीट पर चले गये।)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है और वह प्रश्न यह है कि नियम 300 में आपने सारे औचित्य के प्रश्नों को अस्वीकार कर दिया लेकिन आपने मा0 बरार जी को उनकी सूचना पर सुना ।

(घोर व्यवधान)

श्री मूल चन्द–

(बिना आज्ञा के बोलते हुए) डाक्टर भीमराव अम्बेदकर ने संविधान बनाया और आज उसी की अवहेलना हो रही है । हमारा मूल अधिकार जो बोलने का है उस पर हमारी सदन में व्यवस्था नहीं सुनी जा रही है । आज संविधान के विपरीत यहां बातें हो रही हैं । आज आप लोग देश की अखण्डता और एकता की बातें करते हैं लेकिन असली अखण्डता और एकता के प्रतीक स्वयं डाक्टर भीमराव अम्बेदकर थे और उन्हीं का बनाया हुआ संविधान है जिस पर देश चल रहा है, लेकिन आप उसको भी नहीं मान रहे हैं और अब बताइये कि ऐसे देश में अखण्डता और एकता कैसे रह सकती है जब आप हर आदमी को अपनी बात को कहने का अधिकार ही नहीं देंगे ? आप इस पीठ पर बैठ कर हम लोगों की व्यवस्था को नहीं सुनते हैं इसलिये मजबूर होकर हमें उग्र रूप धारण करना पड़ता है ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय तिवारी जी, आप बोलिये ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मैं कह रहा था कि आज जिस बात को औचित्य के प्रश्न के रूप में माननीय बरार जी ने दिया है और आपने कृपा करके उसे सुन लिया, जबकि यह स्पष्ट भी नहीं था कि किस बारे में है और किसके लिये है । परसों जब इसी विषय पर मैंने स्वयं तथा माननीय हर्षवर्धन जी ने इस पर सूचना दी थी, मैं आपसे सीखने के लिये यह बात पूछ रहा हूं, आपकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं यह जानना चाहता हूं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ऐसे कौन से कारण थे, कौन सा ऐसा इन्सीडेन्ट था कि आज आपने उसे ले लिया, कौन से कारण हैं जिसमें कि परसों इसी सूचना को आपने अस्वीकार कर दिया था और आज फिर उसी विषय को आपने ले लिया । आज आपने काल्पनिक सूचना को ले लिया इस पर सन्देह के बादल घिर गये हैं ।

मान्यवर, अगर नियमावली, संविधान और संसदीय परम्पराओं के विपरीत हम आचरण करें, आप आचरण करें या मा0 अध्यक्ष जी आचरण करें तो उसके विरुद्ध जब हम प्रश्न उठाना चाहेंगे तो यहां नहीं उठा पायेंगे तो फिर कहां उठायेंगे ? यदि किसी आदमी को कह दिया कि वह कारपोरेशन का चेयरमैन है और अगर उसकी रिपोर्ट आती है तो उस रिपोर्ट को क्या हम यहां डिसकस कर सकते हैं ? हमारी सदस्यता के नाते, आपके पद के नाते उस रिपोर्ट पर यहां उसके भ्रष्टाचार पर डिसकस करने का जो हमारा अधिकार है, उससे हम वंचित रहते हैं तो फिर उसको किस रूप में उठायें ? इस पर हम आपसे जानकारी चाहते हैं और इस पर आपकी हम व्यवस्था चाहते हैं ।

(श्री फजलूल बारी के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है । हां, मा0 बारी साहेब आप क्या कह रहे हैं ?

श्री फजलूल बारी–

मान्यवर,------

श्री उपाध्यक्ष–

मा0 राम गोविन्द जी आप क्यों खड़े हैं ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

नियम 300 में हमारी भी दो दिन से पड़ी हुई है ।

श्री उपाध्यक्ष–

वह हो चुका है । नियम 300 समाप्त हो गया अब ।

(व्यवधान के मध्य)

*श्री फजलूल बारी–

मान्यवर मैं आपको एक गम्भीर मसले पर व्यवस्था चाहता हूं इसी सदन में 5 जनवरी को मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने एक आश्वासन दिया था कि उत्तर प्रदेश के बुनकरों जो भुखमरी के शिकार हैं, की समस्त समस्याओं के समाधान के लिए एक अलग से बैठक करनी होगी और इस बैठक में इनकी समस्त समस्याओं पर जैसे सूत के दाम कम करने के बारे में, इन्हें राहत पहुंचाए जाने के बारे में, जिसमें कुछ वित्तीय मसले भी सम्मिलित हैं, इसलिए यह सारी बातें मा0 मुख्य मंत्री जी के सामने ही तय हो सकती हैं....

श्री उपाध्यक्ष–

4 तारीख को इस पर चर्चा लगी है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री फजलुल बारी–

मान्यवर, पूरी बात को तो सुन लीजिए, जब मौका आपने दे दिया है, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी के इस आश्वासन पर हम लोग इंतजार करते रहे कि नेता सदन के साथ वह कोई बैठक बुलायेंगे शीघ्र ही, लेकिन मान्यवर 2-3 महीने हो गये, मार्च भी पूरा बीता जा रहा है, बुनकरों की समस्याएं दिन पर दिन और जटिल से जटिलतम होती जा रही हैं और वह भूखमरी के शिकार हैं, उनके परिवार वालों की हालत भी बड़ी दयनीय हो रही है, इसलिए कृपया आप इन्हें निर्देश दें कि जो आश्वासन आदरणीय सदन में दिया गया है, उसे कम से कम शीघ्र ही पूरा कर दें. आप मान्यवर, कहला दें कि यह बैठक मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी कब तक बुलवा . . . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप कृपया अब बैठें, यह 4 तारीख को चर्चा लगी है, उसमें सारी बातें आ जायेंगी ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

आज नियम 56 के अन्तर्गत 32 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें–

पहली सूचना सर्वश्री काशी सिंह ऐरी, राम आसरे वर्मा, हरि शंकर तिवारी तथा श्री राम पाल वर्मा की 11-3-88 को नैना पीक में हुई भारी भूस्खलन से नैनीताल नगरवासियों में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में है ।

दूसरी सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की हरिजन तथा समाज कल्याण निदेशालय द्वारा जारी किये गये अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में है ।

तीसरी सूचना श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी की जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा मेरठ में सती की महिमा खंडित करने के लिये किये जा रहे प्रयास से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है ।

चौथे सूचना सर्वश्री गौरी शंकर भइया, विक्रमादित्य पाण्डेय, शारदानन्द अंचल तथा श्रीमती विजय लक्ष्मी की बलिया जनपद में सहकारी साधनों द्वारा स्थापित सिंचाई क्षमता से कम सिंचाई होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है ।

पांचवी सूचना सर्वश्री आसान सिंह, किशनलाल दिलेर, महाराज सिंह, जौहरी लाल त्रिवेदी तथा श्रीमती राम नन्दिनी वर्मा की इटावा में आगामी चार माह तक नहरें बन्द रखे जाने से किसानों में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में है ।

छठी सूचना श्री बेनी प्रसाद वर्मा की ग्राम बक्शा मठ जिला नानपारा बहराइच के 150 भूमिहीन हरिजनों को गांव सभा की भूमि का पट्टा न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है ।

सातवीं सूचना श्री अचल सिंह और श्री बेनी प्रसाद वर्मा की दिनांक 23 मार्च, 1988 को जनपद फतेहपुर तहसील बिन्दकी के किसानों की खड़ी फसल को उजाड़ कर वन विभाग द्वारा कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

आठवीं सूचना श्री सूर्य प्रताप शाही की देवरिया जनपद की बरहज कस्बे की मीरा अग्रवाल को उसके परिवार जनों द्वारा जला कर हत्या किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ।

नवीं सूचना श्री सरदार सिंह की दिल्ली द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के पांच सौ क्यूसेक पानी को प्रतिदिन चोरी किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

दसवीं सूचना श्री महेन्द्र सिंह भाटी की गाजियाबाद स्थित थानों में बढ़ते अपराधों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है ।

ग्यारहवीं सूचना श्री राज किशोर सिंह की लखनऊ नगर के थाना बाजार खाला के मोहल्ला त्रिवेणी गंज के हरिजनों व अल्प संख्यकों की बस्ती असामाजिक तत्वों द्वारा पक्के कुएं को बन्द कर देने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ।

बारहवीं सूचना श्री हर्ष वर्धन की बैंक के प्रदेशीय कार्यालय पर प्रदेश के उन्नीस जिलों के कार्याधिकारी द्वारा धरना दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है ।

तेरहवीं सूचना श्री कौशिक रमा शंकर की सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश से आये और धरने पर बैठे बुनकरों की समस्या का निदान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है ।

चौदहवीं सूचना श्री राकेशधर त्रिपाठी की वर्तमान सरकार द्वारा लोक सभा का उपचुनाव जीतने के लिये सरकारी धन का दुरुपयोग किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

पन्द्रहवीं सूचना सर्वश्री जयदीप सिंह बरार, डा0 संजय सिंह और नरेन्द्र पाल सिंह की प्रदेश सरकार द्वारा उपचुनाव को स्थगित कराने हेतु किये जा रहे प्रयास से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है ।

सोलहवीं सूचना सर्व श्री कुशल पाल सिंह, लक्ष्मी नारायण चौधरी, जगवीर सिंह और मुस्तम्मद अली खान की मथुरा जनपद में किसानों से की जा रही जबरिया वसूली से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है ।

सत्रहवीं सूचना श्री मनोहर लाल की उन्नाव जनपद की पुलिस द्वारा बांगरमऊ के दुकानदारों की पिटाई से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है ।

अठारहवीं सूचना श्री शारदा प्रताप की लखनऊ जनपद में पेयजल समस्या से उत्पन्न संकट के सम्बन्ध में है ।

उन्नीसवीं सूचना श्री फजलुल बारी की हिवेट इन्जीनियरिंग कालेज लखनऊ में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है ।

बीसवीं सूचना श्री विष्णु देव की जनपद ललितपुर में नवनिर्मित दज्नम बांध के भराव से वहां के निवासियों में व्याप्त असुरक्षा के सम्बन्ध में है ।

इक्कीसवीं सूचना श्री राम सजीवन की बुन्देलखण्ड सम्भाग में नई लिफ्ट सिंचाई योजना निर्मित में किये जाने से उत्पन्न पेय जल समस्या के सम्बन्ध में है ।

बाईसवीं सूचना श्री राम चन्द्र बख्श सिंह और श्री मित्रसेन की आलू किसानों की लखनऊ में गिरफ्तारी से प्रदेश के किसानों में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में है ।

तेइसवीं सूचना श्री अकबर हुसैन बाबर की साकेत महाविद्यालय फैजाबाद के छात्रों की गिरफ्तारी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है ।

चौबीसवीं सूचना श्री सुखपाल पाण्डेय की लखनऊ जिले के एस0एस0पी0 द्वारा एक इन्सपेक्टर को निलम्बित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है ।

पच्चीसवीं सूचना श्री सैयद अली अशरफी की जनपद पीली भीत में आठ वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है ।

छब्बीसवीं सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह और श्री गोपाल दास यादव की इलाहाबाद जनपद में उत्पन्न गन्दगी के सम्बन्ध में है ।

सत्ताइसवीं सूचना श्री यदुनाथ सिंह की सा0 नि0 वि0 के प्रमुख अभियन्ता द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है ।

अट्ठाइसवीं सूचना श्री किरन पाल सिंह की मेरठ मण्डल में नलकूपों के ट्रांसफार्मरों के अभाव में उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है ।

उनतीसवीं सूचना सर्वश्री डा0 दिनेश जहिरी, अवनीश कुमार सिंह, श्याम बिहारी, किशनलाल, और नरेश पाल सिंह की प्रदेश में चलाये जा रहे फर्जी स्कूलों के माध्यम से लाखों रुपये के गमन से उत्पन्न स्थिति के सम्दन्ध में है ।

तीसवीं सूचना श्री हृदय नारायण दीक्षित की उन्नाव जनपद की असोहा पुलिस द्वारा रोडवेज ड्राइवर की पिटाई किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ।

इकतीसवीं सूचना मो0 रिजवानुल हक की जिला मुरादाबाद स्थित ग्राम मिलकमेषासी में हरिजन महिला कु0 सन्तोष का अपहरण एवं उसके पिता की गोली मारकर हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है ।

बतीसवीं सूचना श्री अवधेश प्रसाद की भूमि संरक्षण इकाई खण्ड-53 शारदा सहायक समावेश फैजाबाद द्वारा किसानों की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है ।

*श्री काशी सिंह ऐरी–

मैं निवेदन कर रहा था कि उस सूचना से साबित होता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और उसके प्रशासनिक अधिकारी जनता की तकलीफ से वास्ता नहीं रखते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि नैनीताल के अस्तित्व पर खतरा आ गया है और सरकार उसके प्रति सजग नहीं है। यह मान्यवर लोक महत्व की घटना है। मान्यवर, 11 मार्च को नैना पीक जिसके नीचे सारा नैनीताल बसा हुआ है, वहां पर भू-स्खलन होने के कारण तमाम मकान, छात्रावास, तथा अन्य तमाम चीजों को खतरा उत्पन्न हो गया है, लेकिन सौभाग्य है कि किसी की मृत्यु नहीं हुई है। वहां पर म्युनिसिपैल्टी का और जिला प्रशासन का उदासीनतापूर्ण रवैया है। इस सम्बन्ध में जिला प्रशासन बिलकुल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मौन बैठा हुआ है, लोगों ने आपसी सहयोग से इस दुर्घटना को बचाया है। 11 मार्च से आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है । भू-स्खलन से 2-2 फिट चौड़ी और 150 फिट लम्बी दरार पड़ गयी है और कभी भी नैनीताल पूरा का पूरा तबाह हो सकता है और जिला प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है।

वहां के नागरिकों का जीवन खतरे में है । उसके नीचे आपका सेक्रेटेरियट है, मंडलीय कार्यालय है, आपका नैनीताल क्लब है और ब्रुक हिल छात्रावास है, इसलिये यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसको स्वीकार कर ले और इसके अलावा पूरा नैनीताल और नैनीताल झील उसके प्रभावित क्षेत्र में है । इतना बड़ा भू-स्खलन हुआ लेकिन सरकार की ओर से प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से अभीतक कोई कार्यवाही नहीं की गई है और वहां के लोगों में इतना रोष, क्षोभ और आतंक व्याप्त है कि अगर किसी दिन कोई बूंदा बांदी होगी तो कोई भयंकर दुर्घटना हो सकती है और उससे सारा नैनीताल नीचे आ जायेगा और कोई बच नहीं पायेगा।

इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इसके सम्बन्ध में समस्त कार्य रोककर चर्चा करा दें और इस बात को सुनिश्चित कर दें कि आज जो नैनीताल का अस्तित्व खतरे में है तो उसके क्या कारण है, क्या उसमें अवैधानिक निर्माण किये जा रहे है या नगर पालिका, प्रशासन या सामान्य प्रशासन की लापरवाही के कारण है, इसको कैसे ठीक किया जाय । इसको सुनिश्चित करने के लिए मान्यवर, आपसे निवेदन है कि आप इस विषय पर चर्चा स्वीकार कर लें ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, नैनीताल का जो क्षेत्र है वहां पर लैण्ड स्लाइड्स हमेशा होता रहता है । इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पी0 डब्लु0 डी0 द्वारा यहां पर एक बांध बनाया गया था एक बड़ा सा नाला बनाया गया था जिससे उसको कन्ट्रोल किया जा सके । लेकिन माननीय काशी सिंह जी ने जो समस्या उठायी है वह सही बात है । वहां के पहाड़ का हिस्सा काफी खतरनाक है। उसका प्रयास किया जा रहा है। कुछ और भी फन्ड्स भेजे गये है। जिलाधिकारी को भी बताया गया है कि वह समुचित व्यवस्था करें । लेकिन मान्यवर, यह इतना बड़ा काम है कि यह तुरन्त नहीं हो सकता है कि उस सारे को रोक दिया जाय लेकिन कुछ अंशों में जहां ज्यादा खतरा था वहां पर पहले से ही और अब भी प्रयास किया जा रहा है। माननीय एेरी जी इस सम्बन्ध में अपने कुछ सुझाव दे सकते है तो जो प्रोजेक्ट उसको रोकने के लिये बनाया जा रहा है, उसको उसमें शामिल किया जा सके । मान्यवर, यह 11 तारीख की घटना है। तात्कालिक कोई घटना नहीं है इसलिए यह कार्य स्थगन में नहीं आ सकता है लेकिन जो प्रश्न उन्होंने उठाया है वह काफी गम्भीर है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, अभी एक महीने तक हम लोग बजट पास करते रहे । यहां पर रोज किसी न किसी बात पर बहस होती थी। उस समय जब भी मंत्री जी खड़े होते थे वे यहां पर हरिजनों के उत्थान के बारे में घोषणायें करते थे । लेकिन दूसरी ओर गम्भीर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

साजिश की गई है जिसके तहत हरिजनों के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा गया जिससे इनकी हरिजन विरोधी नीति उजागर हो गई। मैं एक ऐसे प्रश्न को आपके सामने रखना चाहता हूं। मान्यवर, जब बजट पास हो रहा था उस समय हरिजन समाज कल्याण निदेशालय की ओर से एक परिपत्र जारी किया गया जो सभी जिला कार्यालयों में आपने भेजा। उसमें बताया गया कि जो हरिजन बच्चे स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते हैं उनको वजीफे के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है। अब तक दर्जा 6 से 8 तक के बच्चों को वजीफा दिया जाता था। वह अब आपने ऐसा कर दिया है कि केवल कक्षा 6 में ही दिया जायेगा। दूसरे आपने यह आदेश कर दिया कि एक विद्यालय में मात्र 5 बच्चों को वजीफा दिया जायेगा। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि कोई एक विद्यालय है जिसमें कक्षा 6 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 50 बच्चे हैं तो उनको आप केवल 5 बच्चों को ही वजीफा देंगे और यदि कहीं पर 10 बच्चे हैं तो वहां पर भी 5 बच्चों को ही मिलेगा। तो इस तरह से सरकार नीति विरोधी कार्य कर रही है।

इसके अतिरिक्त यह सरकार पिछड़े वर्ग के उत्थान की भी बात करती है उनको वजीफा देती है। उसमें आपने कहा है कि एक विद्यालय में केवल 2 बच्चों को वजीफा दिया जायेगा। मैं जानना चाहता हूं कि वे कौन से कारण थे जिससे आपने ऐसा किया है। सरकार ने जो वित्तीय प्राविधान पिछले बजट में सन् 1987-88 में किया था उसमें आपने वित्तीय संसाधनों के नाम पर भारी कटौती कर दी, नान-प्लान एक्सपेंडिचर में कटौती कर दी। इस तरह के काम की जितनी निन्दा की जाय, वह कम है। इसका परिणाम यह हुआ कि आज पूरे प्रदेश में हरिजन कार्यालयों में हरिजन बच्चों की भीड़ लगी हुई है।

चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। लोग समझते थे कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे और मेहनत मजदूरी करके बच्चों को वह पढ़ाते थे और आशा लगाये थे कि सत्र का अन्त हो रहा है उनके बच्चों को वजीफा मिलेगा लेकिन उनकी साल भर की आशाओं पर तुषारापात हो गया है। मान्यवर, मैं दो बातें कह कर समाप्त करता हूं। कार्यस्थगन प्रस्ताव के लिए दो तीन शर्तों का पूरा करना जरूरी होता है तो मेरा प्रस्ताव उनको पूरा करता है। उसमें एक तो अविलम्बनीय महत्व का होना चाहिए। यह अभी की घटना है जिससे पूरे प्रदेश में क्षोभ है हम सब लोग जो कहते हैं कि हरिजनों के उत्थान के लिये विशेष अवसर देने चाहियें उनको इनके इस आदेश से क्षोभ है, आक्रोष है और यह अविलम्बनीय लोक महत्व की घटना है क्योंकि इससे पूरे प्रदेश का संबंध है, यह सरकार की नीति का सवाल है जिसके विरोध में हम अपना मत प्रकट करना चाहते हैं इसलिए उस पर चर्चा होना जरूरी है। मेरी प्रार्थना है कि आप इस पर चर्चा कराने की कृपा करेंगे?

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, माननीय राजेन्द्र गुप्त जी ने हरिजन छात्रों की चिंता व्यक्त की उनको बहुत-बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जितनी चिंता उनको है उससे कहीं अधिक सरकार को है। मान्यवर, इसमें उन्होंने छात्रों के बारे में कुछ प्रश्न उठाये

है। इस समय मेरे पास इसकी सूचना प्राप्त नहीं है, मैंने सूचना मंगाई है उसके आने के बाद ही विस्तृत रूप से उत्तर दे सकेगा लेकिन बताना चाहूंगा कि जहां तक छात्रों के भविष्य का सवाल है, उनके वेलफेयर का सवाल है उसमें सरकार पूरा प्रयास करेगी और इसमें किसी तरह से कमी नहीं आयेगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । यह इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका पूरे प्रदेश से संबंध है । यह सूचना यहीं दो कि0 मी0 दूर हरिजन समाज कल्याण निदेशालय से आनी है यह सूचना माननीय मंत्री जी को लानी चाहिये थी और हमारे समाज कल्याण मंत्री यहां पर हैं उनको यह सूचना देनी चाहिये । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठें, मैं निर्णय दूंगा।

श्री अम्मार रिजवी–

माननीय, माननीय समाज कल्याण मंत्री का कैटरैक्ट का आपरेशन माननीय श्री गुप्ता जी की कांस्टीट्यूंसी में जो आई हास्पिटल है उसमें होना है वह कल से वहां मौजूद हैं। माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी वहां के विधायक हैं उनको यह मालूम होना चाहिये था।

श्री कौशिक रमाशंकर–

माननीय, मेरा बुनकरों का मामला था....

श्री उपाध्यक्ष–

उस में चर्चा लगी हुई है उसमें आ जायेगा।

*श्री कौशिक रमाशंकर–

एक मिनट कहना चाहूंगा जब चर्चा लगी थी तब समस्यायें दूसरी थी लेकिन आज पूरे प्रदेश के बुनकर यहां आये हुये हैं। सरकार पिछले चार महीनों से लगातार वादा कर रही है, आश्वासन दे रही है कि उनकी समस्या निपटायेंगे लेकिन वह भुखमरी के कगार में पहुंच गये हैं। इससे वह आंदोलित हैं और पूरे 57 जिलों में आंदोलन उनका चल रहा है। ऐसा लगता है कि सरकार की नियत ठीक नहीं है। चार महीने से जो अभाव था उसे दूर कर सकते थे लेकिन यह चाहते नहीं हैं। अंग्रेजों की नीति के अनुसार यह चल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

4 ता0 को चर्चा लगी हुई है उसमें यह बातें आ जायेंगी।

श्री कौशिक रमाशंकर–

इस सरकार का पोलियस्टर के मिल मालिकों से गठबंधन हो गया है जो बुनकरों का हित नहीं चाहते हैं, बुनकरों की मांगें पूरा करने के लिये यह तैयार नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 4 ता0 की चर्चा अपनी जगह पर है लेकिन जो तात्कालिक समस्या है, पूरे प्रदेश के बुनकर यहां आये हैं उसके संबंध में अनुरोध करना चाहता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष–

चर्चा में निर्देश दे रखा है उस समस्या पर।

श्री कौशिक रमाशंकर–

4 ता0 को क्या होगा जब पूरे प्रदेश के बुनकर यहां इकट्ठा हो गये हैं इस लिये आज कुछ घोषणायें कर दें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता–

जो माननीय कौशिक जी ने बात कही वह जरूरी है। आज बुनकर आंदोलित है कल पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बुनकर दिवस मनाने जा रही है ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी आप कुछ कह रहे हैं?

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, जहां तक बुनकरों की समस्या का प्रश्न है माननीय कौशिक जी जानते हैं हम क्या कर रहे हैं । माननीय फजलुल बारी साहब चले गए वह हमेशा आग दिखाकर पानी लाने दौड़ते हैं। तो जब प्रश्न आया था तो मैंने बताया था (व्यवधान) उसके बाद एक बैठक बुलाई गयी थी।

श्री फजलुल बारी–

मैं यही हूं यह सरकार आश्वासन ही देती है लेकिन उसे कभी पूरा नहीं करती है आप इस सदन की कार्यवाही उठा कर देख लें बुनकरों के संबंध में मंत्री जी आश्वासन दें ।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, मैं बता रहा था कि एक बैठक बुलाई गयी थी जिसमें श्री बारी जी स्वयं, राज्य मंत्री उद्योग और संबंधित अधिकारी मौजूद थे, बैठक में कुछ निर्णय लिये गये उसके बाद यह हुआ कि मुख्य मंत्री जी के सामने बातें जायेंगी, वहां सारे विधायक थे, इस समुदाय से संबंधित लोग थे जिनसे काफी विचार विमर्श हुआ । बहुत सी सुविधायें दी गयीं और बराबर प्रयास किया जा रहा है कि बुनकरों की समस्या का समाधान किया जाये लेकिन कुछ समस्यायें ऐसी पैदा हो गयी हैं जिनको न तो बारी जी और न श्री कौशिक जी ही मना कर सकते हैं । जैसे कर्नाटक से रेशम यहां आना बन्द हो गया है, तो उसको कहीं न कहीं से रेशम मंगाना पड़ेगा क्योंकि फारेन न तो रेशम के कीड़े पैदा किये जा सकते हैं और न शहतूत के पेड़ ही, इसलिये इसमें थोड़ा समय लगेगा । लेकिन सरकार पूरी तरह से इस समस्या के समाधान का प्रयास कर रही है । मान्यवर, बुनकरों को श्री बारी और श्री कौशिक जी भ्रमित कर रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है ! मान्यवर, सदन के बाद चर्चा कराने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री फजलुल बारी–

सेल्स टैक्स तो माफ कर दें ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप बैठ जायें, मंत्री जी ने जवाब दे दिया है ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, मैंने जो कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण और अविलम्बनीय लोक महत्व का है । मान्यवर, इस कांग्रेस सरकार की घोषित नीति कुछ भी हो लेकिन व्यवहार में मालूम पड़ता है कि जो समाज की एक जबरदस्त कुरीति सती प्रथा है उसको यह सरकार मौन समर्थक और पोषक है । केन्द्र सरकार ने कानून बनाया, पूरे देश के लिये, इसलिये यह प्रथा ऐसी थी जिसे सदियों से दूर करने का प्रयास किया गया । अभी राजस्थान में जो घटना हुई थी उसके बाद पूरा देश आंदोलित हो गया था । खासतौर से महिलायें जिनको जबरदस्ती पकड़कर बलि चढ़ा दी जाती है और कहा जाता है कि सती हो गयी । लेकिन इतना बड़ा कानून बनाने के बाद भी प्रदेश सरकार हमारी क्या कर रही है । इनकी आंखों के तले मेरठ से 30 किलोमीटर दूर पुरी महादेव मन्दिर है वहां एक महायज्ञ 28 मार्च से शुरू हुआ था जो 2 अप्रैल तक चलेगा, उसके द्वारा बराबर सती प्रथा की महिमा मंडित करने का काम किया जा रहा है और कांग्रेस सरकार उसको मूक समर्थन दे रही है ।

मान्यवर, कुछ दिन पहले ललितपुर में एक कांड हो गया और वहां एक महिला की जान ले ली गयी और सती प्रथा के नाम पर उसको मार दिया गया लेकिन प्रदेश सरकार ने कुछ नहीं किया । इसलिये समाज में जो सती प्रथा रूपी कैंसर बढ़ रहा है उसको दूर करने की सरकार की जिम्मेदारी है । मान्यवर, प्रदेश की महिलायें और समाज सुधारक एवं अन्य तमाम लोग इस संबंध में आंदोलित हैं और सरकार महायज्ञ का समर्थन कर रही है जिसका वहां से प्रचार हो रहा है । इसलिये मेरा सुनिश्चित मत है कि मेरठ में महायज्ञ जो 28 मार्च से प्रारम्भ हुआ है और दो तारीख तक यह महायज्ञ चलेगा और यह उसका समर्थन कर रहे हैं और जो भारत की सर्वोच्च और स्वतंत्र संस्था है, जिसने यह कानून बनाया है और जिस कानून में यह है कि सती प्रथा का प्रचार-प्रसार करना, उसके लिए कन्वेसिंग करना, उसे महिमा मंडित करना, उसके लिए धन आदि जमा करना अपराध है, और वहां पर आज लाउड स्पीकर लगाकर उसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है, क्योंकि यह सरकार निस्सहाय, पंगु, अपंग और नकारा हो गई है । इसलिए मेरा अनुरोध है कि सरकार सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायें।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, माननीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ने जो प्रश्न उठाया है, जहां तक सती प्रथा की बात है जो कांग्रेस की पालिसी है, वह आपको सबको मालूम है, इसका घोर विरोध कांग्रेस की तरफ से है और कांग्रेस ही नहीं मैं समझता हूं कि जो भी तमाम सोशल आर्गनाईजेशन हैं सबकी तरफ से हो रहा है । लेकिन कहीं पर कोई यज्ञ हो रहा है तो उसमें सरकार कैसे आ जाए । कुछ जनप्रतिनिधियों और जनता की भी जिम्मेदारी है । यह जहां पर जुलूस निकालते हैं, कुछ वहां के लोगों की पब्लिक ओपीनियन भी आप अपने साथ करें और जनता को बतायें कि यह ठीक नहीं हो रहा

है । कोई यज्ञ मन्दिर या मस्जिद में कराये तो सरकार कैसे उसमें हस्तक्षेप कर दें और जहां तक सती प्रथा का सवाल है सरकार इसके खिलाफ सदा प्रयास करती रही है और करती रही है और करती रहेगी ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, इनको इसकी जानकारी है और सती प्रथा का खुलकर प्रयास भी किया जा रहा है । अधिनियम में प्रचार करना भी अपराध है तो मंत्री जी यह तो घोषणा कर दें कि प्रचार रोकने के लिए वह क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष–

आपने अपनी बात कह दी, अब वह कार्यवाही करेंगे । अब आप बैठिये ।

श्री अम्मार रिजवी–

इसे दिखवा लिया जाएगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

गौरी शंकर भइया को मैंने बुलवाया है । आप कितने भी उदाहरण दें, आपका काम तो देने का है । (व्यवधान)

श्री गौरी शंकर भइया–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बलिया जनपद के एक अविलम्बनीय और लोक महत्व के प्रश्न की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । श्रीमन् बलिया जनपद में जो सरकारी संसाधनों की अधिष्ठापित क्षमता है, कमाण्ड एरिया है, वह पूरे जिले की, जिसमें नहरें, राजकीय नलकूप और लिफ्ट इरिगेशन की गूलें भी शामिल हैं मात्र 20 प्रतिशत से भी कम भूभाग की सिंचाई कर रही हैं । इस बारे में मैंने एक काम रोको प्रस्ताव सन्दर्भित करके आपके पास भेजा है । उसी के बारे में कुछ बिन्दुओं की ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं..

श्री उपाध्यक्ष–

आप समय का ध्यान रखें ।

***श्री गौरी शंकर भइया–**

हमारे यहां एक शारदा सहायक परियोजना 75-76 से बन रही हैं, एक करोड़ रुपया इस पर व्यय किया जा चुका है । सन् 85 में इसे जनता को पानी दे देना चाहिए था, लेकिन आज तक इतना रुपया खर्च करने के बाद और किसानों की जमीन ले लेने के बाद उनको पानी नहीं दिया गया है । इतना ही नहीं उनकी जमीन का मुआवजा भी उन्हें नहीं अब तक दिया गया है । यह चूंकि कमाण्ड एरिया है, इस-लिए यहां कोई सिंचाई की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है । वहां पर निजी नलकूप लगाने की रोक लगा दी गई है । इसी तरह दोहरीघाट, सहायक कैनाल जनपद के आधे से अधिक भाग व जल साप्लाई करती है। इसकी जल आपूर्ति हेतु 9 पम्पस लगाये गये हैं, जबकि 4 पम्प से ज्यादा वहां अभी तक पानी नहीं दे पाये हैं । इसके बारे में हमने जिला प्लान समिति की बैठक में, रामनाथ मुंशी जी बैठे हुए हैं, मामले का उठाया था, किन्तु इस मामले में अबतक कोई ध्यान नहीं दिया गया ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

इस मामले पर ध्यान नहीं दिया गया । नलकूप के बारे में कहना चाहता हूं । जिला प्लान की मीटिंग में हमारे मंत्री जी बैठे हुए थे रामनाथ मूंशी जी, हमारे ट्यूब-बैल के इंजीनियरों ने कहा कि कमांड एरिया में मात्र दस प्रतिशत सिंचाई होती है । मान्यवर, लिफ्ट इरीगेशन के बारे में कहना चाहूंगा वह अपनी क्षमता के मुताबिक काम नहीं करते हैं । मान्यवर, दो वर्ष हो गये । बलिया पम्प नहर, सुरहा पम्प नहर से गंगा नदी का पानी पांच किलोमीटर दूर चला गया है । दो वर्ष से कोई काम नहीं हो रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री गौरी शंकर भइया–

बार-बार मंत्रियों से कहा गया, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है । इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर, आप चर्चा तो करायेंगे नहीं, लेकिन आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप इस विषय पर सरकार को निर्देशित करें कि वह वक्तव्य दे ।

श्री शारदा नन्द अंचल–

मान्यवर, यह कार्य-स्थगन प्रस्ताव मजबूर होकर हम लोगों ने दिया है । पूरे बलिया जनपद में सिंचाई व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है । पानी नहीं मिल रहा है । बिजली नहीं मिल रही है जो लिफ्ट कैनाल हैं वह खराब रहती हैं । दोहरी घाट पम्प नहर योजना जो हैं यह बेन्सरा से निकलकर जाती है इससे आजमगढ़ और बलिया के हिस्सों में पानी दिया जाता है । मान्यवर, रामपुर अरोख अहरौला, औराई आदि जो रजवाहे हैं वहां पानी नहीं जा पाता है । किसान पैसा देता है और उसको पानी नहीं मिलता है । इस संबंध में सैकड़ों दरख्वास्त सिंचाई विभाग में दी हैं, लेकिन वहां के मंत्री और अधिकारियों के कानों पर जूं नहीं रेंगती है । बिजली नहीं मिलती है । निजी नलकूप नहीं चल पाते हैं लिफ्ट कैनाल खराब पड़ी रहती है । जिससे पूरी सिंचाई व्यवस्था खराब हो गई है । 20 सूत्री कार्यक्रम का पहला बिन्दु सिंचाई का है । मान्यवर मेरा आरोप है, श्री वीर बहादुर सिंह की सरकार को सिंचाई विभाग.....

श्री उपाध्यक्ष–

ग्राह्यता पर बोलें ।

श्री शारदा नन्द अंचल–

सिंचाई विभाग को सुधारने का काम नहीं किया जा रहा है । पूरा बलिया जनपद में सिंचाई की व्यवस्था खराब है । मैं निवेदन करूंगा कि सदन की पूरी कार्यवाही को रोककर इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा करायें ।

श्री उपाध्यक्ष–

कृपा करके खत्म करें ।

*श्रीमती विजय लक्ष्मी–

मान्यवर, मैं बलिया जनपद की सिंचाई से संबंधित कुछ बिन्दुओं पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मान्यवर, यह कृषि प्रधान देश है, लेकिन यहां सिंचाई की व्यवस्था सब अस्त व्यस्त है । मान्यवर, हमारे यहां शारदा सहायक नहर परियोजना है, दोहरी घाट सहायक परियोजना है । मान्यवर, सुरहा ताल पम्प कैनाल जो 54 क्यूसेक की नहर है इस बारे में मैं पहले भी कह चुकी हूं कि विद्युत के अभाव में यह बन्द पड़ी रहती है । परिणाम स्वरूप नहर के किसी भी माइनर जैसे देवडीह माइनर, कैथवली माइनर, खरौनी माइनर केवरा माइनर तथा चांदपुर माइनर में पानी या तो बहुत कम मात्रा में जाता है या कभी जाती ही नहीं है । चांदपुर माइनर में तो पानी कभी जाती ही नहीं है ।

दोहरी घाट सहायक परियोजना को रतसड़ माइनर की टेल से सुरहाताल पम्प कैनाल के कैथवली माइनर के टेल से जोड़ दिया जाय इससे सिंचाई क्षमता में वृद्धि हो जायगी । वहां पर 60 प्रतिशत ट्यूबवेल खराब हैं। कृषि के अलावा वहां पर कोई उद्योग धंधा नहीं है अगर कृषि खत्म हो जायेगी तो एक तरफ से वहां पर विनाश हो जायगा । इस पर एक बात और कहूंगी कि 75-76 से शारदा सहायक परियोजना में पानी पहुंचाने के लिए एक करोड़ से भी ज्यादा खर्च हो जाने के बाद भी जनता तथा किसानों को सिंचाई की सुविधा नहीं मिल रही है तथा जिन किसानों की भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है उनको मुआवजा भी नहीं दिया गया है । इसलिए इस गम्भीर मामले पर कार्यवाही को रोककर चर्चा कराने की मांग करती हूं ।

श्री आसान सिंह–

मान्यवर, मैंने जिस प्रश्न के संबंध में कार्य-स्थगन रखा है वह बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखें कि 14 फरवरी को जो रोस्टर प्राप्त हुआ है कानपूर मण्डल का जिसमें 3 डिवीजन आते हैं, कानपुर प्रखण्ड, इटावा प्रखण्ड, भोगनीपुर प्रखण्ड तो जो रोस्टर मिला है उससे स्पष्ट हो गया है कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई में एक बूंद भी पानी नहीं मिल पायेगा । आप देख लें सारी जायद की फसल बरबाद हो जायगी जो किसान ने बोयी है क्योंकि उसकी सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पायेगा । इस भीषण गर्मी में पशु पक्षी भी मारे जायेंगे और खरीफ की फसल में मक्का, ज्वार, बाजरा और धान की बुवाई नहीं हो सकेगी । यह केवल कानपुर मण्डल का सवाल नहीं है पूरे प्रदेश की 15 करोड़ जनता का सवाल है। मैं अभी माननीय अध्यक्ष जी के कक्ष में मिला था तो अध्यक्ष जी ने स्वयं स्वीकार किया था और कहा था कि वह भी तबाह हैं इससे ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप सार्थकता पर बोलें, अध्यक्ष जी पर आक्षेप न करें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री औसान सिंह–

मेरा सुझाव है कि अगर विकास कार्य हो रहे हैं तो किसानों की सुविधा को देखते हुए कोई काम करना चाहिए । अगर कोई क्लोजर होता है तो उसमें काम कराया जा सकता था । अभी दो महीने पहले नहर बन्द हुई थी तो उस समय निर्माण कार्य कराया जाना चाहिए था। यह सरकार अंधी है। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर चर्चा करा दें । सदन का सत्रावसान होने जा रहा है। प्रदेश का किसान, प्रदेश की जनता, प्रदेश का मजदूर तबाह हो जायगा अगर सिंचाई के लिए पानी न मिला । मेरी सूचना सुनिश्चित है, तात्कालिक है और लोकमहत्व की है इसलिए इस पर काम रोक कर चर्चा करायें ।

श्री जौहरी लाल त्रिवेदी–

मान्यवर, गंगा नहर, निचली गंगा नहर और भोगिनीपुर लोअर गगा के अन्तर्गत इसमें 8 जिले आते हैं, मैनपुरी, इटावा, कानपुर नगर, कानपुर देहात, फर्रुखाबाद, इलाहाबाद आदि तो इनके लिए जो नया रोस्टर दिया गया है उसके अनुसार जुलाई तक पानी नहीं दिया जायगा । अभी इसके पहले 2 महीने पानी नहीं आया है। आज स्थिति यह है कि किसान ने जो फसलें बोयी हैं उनको पानी नहीं मिला है जिससे फसलें चौपट होंगी तथा जानवरों को पानी नहीं मिल पायेगा । सिंचाई मंत्री जी कह रहे हैं कि नहरों द्वारा पानी की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन कहीं पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। अभी आपने जो क्लोजर बनाया था तो 2 महीने सिंचाई विभाग के अधिकारी क्या करते रहे । अगर यह काम करना जरूरी था तो पहले पानी दिया जाता और उसके बाद मई या जून में नहरें बन्द करके निर्माण कार्य कराया जाता । इस वक्त पानी दिया जाय नहीं तो खरीफ की फसल चौपट हो जायगी । इसलिए मेरा अनुरोध है कि आज की कार्यवाही को रोक कर इस पर कम से कम 1 घंटे की चर्चा कराने का कष्ट करें ।

*श्री सरदार सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष जी, आप देख रहे हैं कि प्रदेश में पानी की कमी चल रही है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। ऐसी स्थिति में दिल्ली प्रदेश सरकार हमारे पानी की चोरी कर रही है। ताजवाला हेडवर्क्स और ओखला बैराज के मध्य जिन-जिन स्थानों पर हमारे प्रदेश का 500 क्यूसेक पानी प्रति दिन चोरी जा रहा है, आपके अधिकारी जानते हैं कि चोरी हो रही है, लेकिन वह मजबूर हैं और वह रोक नहीं पा रहे हैं। जब प्रदेश के अधिकारियों ने, दिल्ली यूनियन टेरीटरी के अधिकारियों से कहा तो उन्होंने साफ कह दिया कि यू0 पी0 का आदमी दिल्ली में बहुत आता है, इसलिए उन्हें पानी पिलाने की जरूरत के लिए यह पानी लिया जा रहा है, इससे हमारे प्रदेश की जनता को भारी नुकसान हुआ है, पेय जल का संकट है, हमारी अपर आगरा कैनाल और लोवर आगरा कैनाल को पानी नहीं मिल पा रहा है और ओखला के बाद में भी जमुना में भी पानी नहीं आ रहा है। जमुना एक गंदा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नाला बनी हुई है। यह अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर मान्यवर, सदन में चर्चा कराने की कृपा करें और मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि सरकार विधान सभा में आश्वासन दे कि यह चोरी रोकने के लिए क्या-क्या उपाय कर रही है ?

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, यह जो हमने कार्य-स्थगन का सवाल दिया है, यह डेढ़ सौ परिवारों के जीवन-मरण का सवाल है । पहले यह परिवार तहसील कैसरगंज, जिला बहराइच के गांव मजारा तौकली में आबाद था । जिलाधिकारी, बहराइच ने नानपारा तहसील के गांव बंगलचक में इस आश्वासन के साथ आबाद करवाया कि उनका वहां की 80 एकड़ ग्राम समाज की भूमि आवंटित कर दी जायगी । दो वर्ष बीत गये, लेकिन अब तक इन भूमिहीनों को एक बिस्वा जमीन भी नहीं आवंटित की गयी । इस तरह से डेढ़ सौ परिवार भुखमरी के साथ-साथ खानाबदोशी की स्थिति में पहुंच गये हैं और इधर-उधर मारे-मारे फिर रहे हैं।

मान्यवर, वहां के स्थानीय अधिकारियों से जब मांग करते हैं, तो वहां के संभ्रान्त लोग उनको पट्टा नहीं होने देते हैं, जबकि यह शासन की नीति है कि इनको पट्टा हो जाना चाहिए । मान्यवर, डेढ़ सौ लोगों का जीवन बर्बाद हो रहा है। मान्यवर, डेढ़ सौ परिवार हरिजनों के बर्बाद हो रहे हैं। मान्यवर, इनको वहीं की जमीन जो ग्राम समाज की पड़ी हुई है, उसका पट्टा दिलवायें और इस पर चर्चा करावें ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री राम शरण दास–

यह हरिजनों का मामला है, कहीं पर तो न दबाओ ।

श्री किरनपाल सिंह–

मेरे विषय को भी सम्मिलित कर लीजिए मान्यवर ।

(संसदीय कार्य मंत्री को पुकारे जाने पर)

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, अगर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी चाहें, तो हमारे साथियों को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आप ऐसा उत्तर दें कि जिससे हम लोगों को बोलने की जरूरत ही न पड़े ।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, माननीय मुलायम सिंह जी हमारी तरफ से उत्तर दे दें । वह जो उत्तर देंगे, उसे मैं अपनी तरफ से उत्तर मान लूंगा ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, मैं किसी की दया पर ऐसा नहीं करूंगा मैं जबरदस्ती उधर जाऊंगा, हो जवाब दूंगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, जबरदस्ती की बात ये ही कर रहे हैं। मान्यवर, जबरदस्ती इनकी इधर आने की नियत मालूम पड़ रही है। मान्यवर, जो औचित्य का प्रश्न माननीय गौरी शंकर भइया, माननीय विक्रमादित्य पाण्डेय, माननीय विजय लक्ष्मी जी, आसान सिंह जी और सरदार सिंह जी ने, सरदार सिंह जी को कैसे भूल सकता हूं ? तो इन्होंने जो प्रश्न उठाये हैं तो इससे पहले तो पानी के बारे में प्रश्न आ चुका है। मान्यवर, गया प्रसाद वर्मा जी ने भी उठाया.....

श्री उपाध्यक्ष–

सभी के नाम हैं।

श्री अम्मार रिजवी–

जितने माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में, इस तरह से चर्चा हो गयी, इसे कार्य-स्थगन के रूप में आपके सामने पेश किया । कल या परसों मुझे ख्याल आता है कि यह प्रश्न आया था इसी तरह का और एक सुझाव आया था, विरोध पक्ष की तरफ से एक सुझाव आया था कि जिन-जिन जगहों पर, स्थानों पर इस प्रकार की समस्याएं हैं वहां के सम्मानित विधायकगण और वहां के संबंधित अधिकारी जो हैं सिंचाई विभाग के उनको बुला लिया जाय डिवीजन हेडक्वार्टर पर और इस बारे में बातचीत कर ली जाय और समस्या के समाधान का प्रयास किया जाय । मैं उस बात को दोहराना चाहता हूं कि आपको भी उसमें शामिल कर लेंगे और इस बारे में बात करेंगे कि किस तरह से रास्ता निकल सकेगा । इसको कार्य-स्थगन के रूप में किसी प्रकार से लाना उचित नहीं है।

(श्री राम चन्द्र बख्श सिंह सहित कई अन्य सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

राम चन्द्र बख्श जी आलू की चर्चा तो शाम को लगी है। आप लोग बैठें ।

(व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, एक सूचना दे दूं । अभी बेनी प्रसाद वर्मा जी ने बहराइच के नानपारा तहसील में कुछ जमीन के बारे में और कुछ वहां के भूमिहीन हरिजन भाई हैं, उनके बारे में कहा है। मान्यवर, हम इस मामले में दिलवा लेंगे और जो आवश्यक कार्यवाही होगी, वह की जायेगी ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, इस पर वक्तव्य दिलवा दीजिए ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

राम चन्द्र बख्श जी, आलू की चर्चा शाम को लगी है। आप बैठें ।

(व्यवधान)

(श्री सूर्य प्रताप शाही का नाम पुकारे जाने पर)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, शाही जी के ऊपर बहुत मेहरबान हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

शाही जी हमारे भाई हैं।

(व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी–

माननीय उपाध्यक्ष जी ने कारण तो बता दिया था, अगर आपको याद हो ।

*श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, यह जो कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया है यह एक बहुत ही हृदय विदारक घटना है। मान्यवर, एक 14 वर्षीय युवती को देवरिया जिले के बरहज थाने के बरहज कस्बे में गनेश प्रसाद नाम के व्यक्ति ने अपने घर में बन्द कर बलात्कार करने की कोशिश की और उसके बाद उसको जला कर मार डाला और फिर अपनी गाड़ी के पीछे लादकर उसको देवरिया अस्पताल लाया, और उसका नाम मीरा की जगह सुनीता दर्ज कराया गया । मान्यवर, उसकी मृत्यु हो गयी और सुनीता के नाम से उसका पोस्टमार्टम कराया गया । मान्यवर, उसकी लाश को फेंक दिया गया । आज तक उस घटना की कोई एफ0 आई0 आर0 नहीं दर्ज हुई और न तो गनेश प्रसाद और उसके परिवार वालों को गिरफ्तार किया गया है । मान्यवर, 27 मार्च को भारतीय जनता पार्टी, लोक दल और कांग्रेस के कई लोगों ने एक सर्वदलीय सभा आयोजित किया था और पूरे बरहज कस्बे की जनता ने मांग किया था कि उनको गिरफ्तार किया जाय । अब मान्यवर, मैं इसकी ग्राह्यता पर आना चाहता हूं, मान्यवर, कानून व्यवस्था को तोड़कर पूंजीपति और थैलीशाही इस तरह की हत्या करने पर अमादा हैं । हमारी पुलिस क्या कर रही है न तो वह एफ0 आई0 आर0 दर्ज कर रही है और न उनको गिरफ्तार कर रही है। इस घटना पर आप शासन का वक्तव्य अवश्य ही दिलवायें ।

श्री अचल सिंह–

मान्यवर, मेरा कार्य-स्थगन प्रस्ताव बहुत ही महत्वपूर्ण और अविलम्बनीय है। फतेहपुर जनपद में बिन्दकी तहसील में वन विभाग काश्तकारों की जमीन पर जबर्दस्ती कब्जा कर रहा है। मान्यवर, अभी पिछली 23 तारीख को इससे पहले जब बजट पर चर्चा के दौरान मैंने वहां पर जो ट्यूबवेल लगे हैं, और फसल खडी है उसकी फोटो कापी आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी को पेश की । मा0 मंत्री जी ने कहा कि इसकी जांच करायेंगे, लेकिन इसी 23 को वन विभाग ने पी0 ए0 सी0 ले जाकर सैकडों बीघा खेत उजाड दिये और जबर्दस्ती कब्जा कर रहे हैं। मान्यवर, इतना आतंक व्याप्त है कि लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं और गांव भावपुर,

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

गलाता, थड़रिया, पौंड़िया आदि कई गांवों का यह मसला है। सैकड़ों बीघा जमीन पर वन विभाग कब्जा कर रहा है। वहां की वह जमीन उन काश्तकारों के नाम चली आ रही है, जिनके नाम नहीं है वे भी सन् 52 से पहले वहां पर काबिज रहे हैं। वहां की जनता जबर्दस्ती भुखमरी के कगार पर पहुंचा दी गयी है। मैं इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं कि वहां कम से कम एक हजार परिवार, केवल एक गांव या एक परिवार का सवाल नहीं है, उनमें से 80 परसेंट हरिजन हैं और 20 परसेंट पिछड़ी जाति के हैं, कोई बड़ा काश्तकार नहीं है। सब छोटे-छोटे काश्तकार हैं, 5 से 10 बीघा वाले। वन विभाग उनकी लहलहाती फसल को उजाड़ रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पर चर्चा करावें।

डा0 संजय सिंह–

माननीय, मेरा प्रदेश से सम्बन्धित मामला है।

श्री उपाध्यक्ष–

यह केन्द्र सरकार का मामला है।

*श्री किरन पाल सिंह–

मा0 उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरठ मण्डल की एक अविलम्बनीय लोक महत्व की समस्या की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। माननीय, मेरठ मण्डल में सिंचाई की व्यवस्था मुख्य रूप से निजी और सरकारी नलकूपों द्वारा होती है। माननीय, पिछले कुछ दिनों से मेरठ मण्डल में ट्रान्सफार्मर्स की बहुत बड़ी कमी चल रही है। अकेले बुलन्दशहर जिले में साढ़े चार सौ ट्रान्सफार्मर की आज की तारीख में आवश्यकता है। वे ट्रान्सफार्मर हों तो उन पर साढ़े पांच हजार ट्यूबवेल जो उनसे चलते हैं, ट्रान्सफार्मर न होने से... माननीय, विद्युत मंत्री से कहें कि सुनें, विद्युत मंत्री बैठे हैं, सौभाग्य की बात है। केवल बुलन्दशहर जनपद में साढ़े चार सौ ट्रान्सफार्मर डैमेज हैं जिससे साढ़े पांच हजार ट्यूबवेल बन्द पड़े हैं। यहां पी0 के0 शर्मा जी बैठे हैं, या किसी भी सत्ता पक्ष के विधायक से पूछ सकते हैं, वहां पर वर्कशाप में 1500 ट्रान्सफार्मर डैमेज्ड रिपेयर के लिए पड़े हैं और विद्युत परिषद् जो कान्ट्रैक्ट करता है, उसमें आज तक कमीशन तय न होने से पिछले अनेक महीनों से कान्ट्रैक्ट नहीं हो पाया है, इसलिए रिपेयर नहीं हो रही है। कुल 1800 लोग नये प्रार्थना-पत्र लेकर लाइन में लगे हैं, लेकिन वहां ट्रान्सफार्मर नहीं मिल रहे हैं। वहां के लोग रिश्वत खा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार को वक्तव्य का निर्देश दें जिससे कि समस्या का समाधान हो सके।

डा0 संजय सिंह–

माननीय, मैंने जो सूचना दी है, वह उत्तर प्रदेश का मामला है जो मैं इस सदन के सामने लाना चाहता हूं। आप इसे सुन लें और फिर संतुष्ट न हों तो रिजेक्ट कर दें, लेकिन सुनने का मौका अवश्य दिया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मा0 सदस्य ने जो कहा, मैं इसको अवश्य दिखवा लूंगा ।

श्री उपाध्याय–

यह बिजली वाला मामला है । मा0 मंत्री जी इसको दिखवा लें । प्राब्लम बहुत ज्यादा है। इसको दिखवा लें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मा0 सदस्य ने जो कहा, मैं इसको दिखवा लूंगा और जो भी उचित कार्यवाही होगी, अवश्य करेंगे ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप सब बैठें । माननीय काशी सिंह एरी व अन्य की जो नैनीताल के संबंध में सूचना है, उसको वक्तव्य के लिए स्वीकार करता हूं। श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की सूचना पर वक्तव्य स्वीकार करता हूं । माननीय बेनी प्रसाद वर्मा की सूचना पर वक्तव्य स्वीकार करता हूं । श्री गौरी शंकर भइया व अन्य तथा श्री औसान सिंह व अन्य की जो सूचना है . . .

(डाक्टर संजय सिंह व श्री जयदीप सिंह बरार के खड़े होकर बोलने पर)

आप लोग बैठें ।

(श्री शारदा प्रताप शुक्ल, श्री हृदय नरायन दीक्षित तथा श्री कुशलपाल सिंह सदन के फ्लोर पर आकर जोर-जोर से बोलने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

आप लोग अपने-अपने आसन पर जायें । जो मामले पेयजल के हैं, सिंचाई से संबंधित हैं, वह सब चर्चा में जोड़ दिये जायेंगे । पेयजल, सिंचाई–इनसे संबंधित जो मामले हैं, उसमें पूरे प्रदेश की स्थिति की चर्चा होनी है, वह एक साथ स्वीकार कर लिया है।

(व्यवधान)

श्री सूर्य प्रताप शाही की सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं, (व्यवधान) श्री सरदार सिंह की सूचना पर भी शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं। श्री महेन्द्र भाटी की सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं। श्री राज किशोर सिंह व श्री हर्षवर्धन की सूचना पर भी शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

(व्यवधान)

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, मेरी मेरठ मण्डल में नलकूपों के सम्बन्ध में सूचना थी, उस पर वक्तव्य स्वीकार कर लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

पेयजल सिंचाई आदि की जो एक साथ चर्चा स्वीकार की है, उसमें आपकी बात आ जायेगी । आप लोग बैठें।

(श्री हृदय नरायन दीक्षित सदन के फ्लोर पर खड़े होकर बोलते रहे)

आप लोग अपने आसन पर जाइये । माननीय हृदय नरायन जी की सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

(व्यवधान)

श्री गौरी शंकर भइया–

मान्यवर, हम लोगों की इतनी महत्वपूर्ण सूचना थी, उस पर क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग बैठें । माननीय गौरी भइया जी चर्चा तो आपकी मान ली है, सिंचाई पेयजल आदि सब की एक साथ स्वीकार कर ली है। बैठें।

बाकी सब अस्वीकार करता हूं। अब मद संख्या–12 लेता हूं।

श्री राकेशधर त्रिपाठी–

मान्यवर, यह आपका कैसा मापदण्ड है, आप किसी को सुनते हैं, किसी को नहीं सुनते हैं। आपका सुनने का क्या तरीका है, उसे कृपया बता दें ?

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

यह सब मेरा काम है देखना । आप बैठें ।

(श्री शारदा प्रताप शुक्ल, श्री हृदय नरायन दीक्षित तथा श्री कुशलपाल सिंह सदन के फ्लोर पर खड़े रहे तत्पश्चात् श्री फजलुल बारी तथा डा0 संजय सिंह भी सदन के फ्लोर पर आ गये)

आप लोग अपने-अपने आसन पर वापस जायं । मैं सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित करता हूं।

(तत्पश्चात् 2 बजकर 28 मिनट पर सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी गयी । 2 बजकर 49 मिनट पर अधिष्ठान श्री खान गुफरान जाहिदी के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही गणपूर्ति के अभाव में 6 मिनट विलम्ब से पुनः आरम्भ हुई।)

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त का नाम पुकारे जाने पर)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है, सुन लीजिए ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं राजेन्द्र कुमार गुप्त जी का नाम पुकार चुका हूं और मेरे आने तथा उनका नाम पुकारने के बीच में कौन सी अव्यवस्था हो गयी ? जो आप व्यवस्था की बात कर रहे हैं । अब आप बैठें आप तो सीनियर आदमी हैं ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाओं के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं, आप इसे सुन लें ।

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं । मान्यवर, रोज यहां पर अव्यवस्था हो जाती है । मान्यवर, मेरा निवेदन है कि आप नियमों का कड़ाई से पालन कीजिए और जो सूचनाएं नियम-56 में आती हैं, उनको सुनने में कोई एतराज नहीं है । लेकिन आप 3-4 सूचनाओं को सुन लेते हैं और जिन्हें हम लोग समझते हैं कि यह नियम के अन्तर्गत नहीं आती, उनको भी आप सुन लेते हैं । लेकिन जिसका नियम–56 के अन्तर्गत आता है, उसको आप नहीं सुनते हैं । तो इससे लोगों को बड़ी मानसिक पीड़ा होती है और यही अव्यवस्था का मुख्य कारण होता है । मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं । श्री राकेश धर त्रिपाठी जी का यह कभी भी नियम–56 की सूचना नहीं देते थे, लेकिन आज जब उन्होंने नियम–56 में सूचना दिया, तो उनकी सूचना को नहीं सुना गया । मान्यवर, आप इस पर अपनी निश्चित रूप से व्यवस्था दें और नियम–56 के अन्दर जो सूचना आवें उनको ही सुनें और नियमों का कड़ाई से पालन करें । मैं इसी बात पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं आपकी बात को माननीय अध्यक्ष तक पहुंचा दूंगा ।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1988 के अननुमोदन का संकल्प एवं उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1988

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं । यह सदन उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1988 का अननुमोदन करता है ।

मान्यवर, यह अननुमोदन का संकल्प मुझे देने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि वैसे तो यह सरकार का अधिकार है, जब कभी यह चाहेंगे, कोई विधेयक यहां ले आयेंगे, उस पर बहस होगी, दोनों तरफ चर्चा होगी । लेकिन जो हमारे संविधान में अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति दी गई है, राज्यपाल को सुझाव देने की जो शक्ति है, उसका यह सरकार दुरूपयोग कर रही है । मेरी समझ में नहीं आया कि ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि यह अध्यादेश लाने की जरूरत पड़ गई ? यह काफी गम्भीर बात है और अनेक वित्तीय समितियों की सिफारिश है कि जहां टैक्सेशन मेजर एडाप्ट किया गया हो, जनता पर कोई शुल्क बढ़ाया जाता है, ऐसे मामलों के बारे में आर्डीनेन्स पहले से जारी होना चाहिए । लेकिन सरकार ने अपना आर्डीनेन्स जारी कर दिया । जबकि इन्हें यह मालूम था कि बजट सेशन होने वाला है और 10 दिन आगे बढ़ा सकते थे, या सत्र प्रारम्भ होने पर यह बात आ जाती । जो संसदीय आस्थायें हैं, उनके ऊपर इस सरकार ने अपनी अनास्था व्यक्त कर दी है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, आप नियमों को देखें । नियमावली के नियम–118 को देखने की कृपा करें, इसमें दिया हुआ है कि अगर कोई मनी बिल आयेगा, जिसमें वित्तीय प्राविधान है, उस समय उस वित्तीय विधेयक के साथ आवर्तक और अनावर्तक व्यय का भी प्राक्कलन प्रस्तुत किया जायेगा । अब सदन अपना मत व्यक्त करना चाहेगा, तो लोगों को जिज्ञासा होगी, कि इससे कितनी आमदनी होगी, कितनी आय होगी, कितना नुकसान होगा आदि । उसमें नियम–118 में स्पष्ट दिया हुआ है कि आवर्तक तथा अनावर्तक व्यय का भी प्राक्कलन दिया जायेगा । मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आर्डीनेन्स एक विधेयक के रूप में पारित हो जाये, एक कानून बन जाये, उस समय रिकरिंग और नानरिकरिंग क्या खर्चा है, इसका पूरा इस्टीमेट होना चाहिए । मान्यवर, आप वित्तीय ज्ञापन देखने की कृपा करें । वित्तीय ज्ञापन में दर्शाया गया है कि जिसने एक बार देय कर का भुगतान कर दिया है, उसको निम्न शर्तों के अधीन कर वापसी का उपलब्ध किया जा रहा है, परन्तु उक्त उपबन्धों के कारण राज्य की संचित निधि से व्यय अन्तर्ग्रस्त है जिसका सम्प्रति अनुमान लगाना सम्भव नहीं है । जबकि हमारे नियम–118(7) में प्राविधान किया हुआ है कि रिकरिंग और नान रिकरिंग की व्यवस्था होनी चाहिए । मैं समझता हूं कि यह विधिसम्मत नहीं है और यह विधिक प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लंघन है उसका उल्लंघन है ।

मेरी तीसरी आपत्ति यह है कि हमारे उत्तर प्रदेश में अन्य प्रदेशों की तुलना में सबसे ज्यादा रोड टैक्स लिया जा रहा है । क्योंकि शासन की तो केवल एक ही बात पर नजर है कि कौन-कौन से रास्ते अपनाए जायं, जिनसे हम आमदनी बढ़ा सकते हैं । आप आमदनी बढ़ाएं, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसके लिए जो रास्ते निकाले जाते हैं, उन्हें भी हमें देखना चाहिए कि कहीं जनता पर तो इसका बुरा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है । अगर जनता को असुविधा होगी और प्रतिगामी असर पड़ेगा, तो स्वाभाविक है कि आलोचना करनी पड़ेगी । पहले एक-एक साल का टैक्स लिया जाता था, अब आपने पूरे जीवन का एक साथ कर दिया । अब आपने यह नहीं देखा कि मोपेड की लाइफ कितने साल होती है । एक मोपेड की लाईफ 2 साल, स्कूटर की लाईफ 5 या 6 साल होती है, लेकिन आपने यह न देखकर पूरी लाईफ का रोड टैक्स जमा कराने की बात कह दी । विभाग में जो आज इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है उसकी चिन्ता आपने नहीं की कारण आपने यह बताया कि सवारियां बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से रजिस्ट्रेशन करने के लिए आने वाले लोगों को बड़ी असुविधा होती है, इस लिए यह किया गया । लेकिन आपने यह नहीं किया कि आर0 टी0 ओ0 के कार्यालय के स्टाफ को बढ़ा दिया जाय, वह आपने किया नहीं । जनता की सुविधा का नाम लेकर आपने उनकी हत्या कर दी ।

आपको आप्शन देना चाहिए था । वह आपने किया नहीं । आपको यह करना चाहिए था कि जो चाहे तो वह एक साल का जमा करे और जो एक साथ जमा करना चाहते हैं तो वह वैसा काम करें । परन्तु आपने एकमुश्त जमा करना अनिवार्य कर दिया । एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से आपने यह एक टैक्स बढ़ाया । बजट में तो आपने कह दिया कि हम टैक्स नहीं बढ़ायेंगे । भारत सरकार की तरह आप लोग भी

बिजली, बस का किराया आदि पर पैसा बढ़ाये जा रहे हैं । इन्हीं शब्दो के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस अध्यादेश का यह सदन अननुमोदन करे, क्योंकि परम्परा के अनुसार, परिपाटी के अनुसार व मर्यादा के अनुसार इस अध्यादेश को निर्गत करने का अधिकार सरकार के पास नहीं था । उसने अपनी शक्ति का दुरूपयोग किया है जनता के हित के खिलाफ । मैं पुन: अपने संकल्प पर बल देता हूं ।

आबकारी, परिवहन एवं गन्ना विकास राज्य मंत्री (श्री रामनाथ मुंशी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1988 पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, अभी हमारे विद्वान साथी ने अनुनमोदन की बात कही । मैं समझता हूं कि उन्होंने इसकी उपयोगिता व इससे होने वाले लाभ का पूर्ण रूप से विवेचन नहीं किया । यह तो एक बहुत ही सामान्य सा विधेयक है । बढ़ते हुए वाहनों की बेतहासा संख्या, आज से 4 वर्ष पहले जहां साढ़े 4 लाख वाहन थे, इसमें 5 प्रकार के वाहनों का जिक्र है–हल्के मोटर, मोटर-कार, मोटर साइकिल, स्कूटर व मोपेड, आज इनकी संख्या 9 लाख हो गयी है । प्रत्येक वर्ष 1 से लेकर सवा लाख तक इनकी संख्या बढ़ रही है । मान्यवर, जब आर0 टी0 ओ0 दफ्तर में 15 जनवरी के पहले लाइसेन्स की प्रक्रिया शुरू होती है ।

वहां उपभोक्ताओं को या मोटर स्वामियों को क्या कठिनाइयां होती हैं, इसको देखते हुए सरकार ने सोचा कि कोई ऐसी सरल व्यवस्था कर दी जाय जिससे इनका श्रम बचे, इनकी मानसिक और शारीरिक शक्तियों का ह्रास न हो, इनका समय बचे और टैक्स भी योग के आधार पर अधिक न देना पड़े, इसलिए भारत सरकार ने इसको उचित समझकर अपने यहां पास किया और सारे राज्यों को निर्देश दिया कि इस प्रकार का अधिनियम पास करके इस प्रक्रिया का सरलीकरण कर देना चाहिए । हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक और महाराष्ट्र आदि अनेक प्रान्तों ने संशोधन कर लिया है और "वन टाइम" टैक्स के आधार पर जो वाहन स्वामी हैं, प्रसन्न हैं, जैसा अनुभव किया गया है अध्यादेश जारी होने के बाद । जैसा आपने कहा कि इसमें कोई सुविधा नहीं दी गयी है, तो बताना चाहूंगा कि नई गाड़ियों के लिए यह संशोधित टैक्स अनिवार्य कर दिया गया है, पुराने वाहनों के लिए एच्छिक कर दिया गया है, यदि उनकी लाइफ शेष है और वे सम्पूर्ण जमा करना चाहते हैं तो कर दें नहीं तो 15 जनवरी से पहले प्रति वर्ष जमा कर सकते हैं । कार, स्कूटर या जितने छोटे वाहन हैं, उनके उपभोक्ताओं की क्या दुर्दशा होती होगी, उसका भी अनुभव माननीय गुप्त जी को होगा और जो माननीय सदस्य हैं जिनके पास यह वाहन हैं उन्होंने भी अनुभव किया होगा । इसके बाद और भी इस विभाग में कितना सरलीकरण कर दिया है, उसकी ओर भी माननीय सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।

इसमें व्यवस्था है कि ऐसे वाहन स्वामी, जिन्होंने जनवरी, 88 या उसके किसी अनुवर्ती वर्ष के लिए वार्षिक कर का भुगतान कर दिया हो और "वन टाइम" टैक्स के भुगतान का विकल्प चयनित करे तो वह ऐसे वार्षिक कर की धनराशि के समायोजन का हकदार होगा, बशर्ते कि वह इसे 5-2-88 से दो माह के भीतर कर दे ।

इसमें निम्नलिखित परिस्थितियां भी दिखलायी गयी हैं, जिनमें वाहन स्वामियों को कर की वापसी की व्यवस्था की गयी है :-

1—जहां परिवहन गाड़ी से भिन्न ऐसी मोटर गाड़ी का, जिसके संबंध में अधिनियम के अधीन एक बार देय कर का भुगतान कर दिया गया है, उसका स्वामी नियत रीति से यह सिद्ध कर दे कि ऐसी मोटर गाड़ी का एक महीने से अन्यून लगातार अवधि में प्रयोग नहीं किया गया है, वहां वह उक्त अवधि के लिए विनिर्दिष्ट दरों पर ऐसे कर की वापसी का हकदार होगा ।

2—अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में स्थायी रूप से ले जाने के फलस्वरूप ऐसे राज्य में देय कर का भुगतान यदि किया गया है तो अपने प्रदेश में जो कर जमा किया है, वह वापस कर दिया जायगा ।

3—जहां किसी परिवहन गाड़ी से भिन्न ऐसी मोटर गाड़ी को जिसके संबंध में एक बार देय कर का भुगतान कर दिया गया है, परिवहन गाड़ी के रूप में चलाया जाय, वहां परिवहन गाड़ी के रूप में उसे जो शुल्क देना है, उसमें उसके द्वारा पूर्व भुगतान किया गया शुल्क समायोजित कर दिया जायगा ।

4—अगर रजिस्ट्रेशन रद्द करा दिया गया है, तो भी जमा धनराशि वापस कर दी जायगी ।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और इस विषय में तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, इसलिए राज्यपाल द्वारा 5 फरवरी, 1988 को उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1988 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 1988) प्रख्यापित किया गया था ।

तद्नुसार उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1988 पुनः स्थापित किया जाता है ।

मैं समझता हूं कि मा0 गुप्ता जी इन बिन्दुओं से पूरी तरह सहमत होंगे और अपना अननुमोदन का प्रस्ताव वापस ले लेंगे ।

इसके लिए मैं पूरे सदन को और उनको धन्यवाद देता हूं ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1988 को राय जानने के लिए 31 जुलाई, 1988 तक परिचालित किया जाय ।

मान्यवर, अध्यादेश और विधेयक को तो कोई बाधा नहीं है । अध्यादेश तो विधेयक के रूप में बन कर सामने रखा जा चुका है । अभी जैसा कि मा0 गुप्ता जी कह रहे थे कि सरकार विधान सभा की विधायिनी शक्ति से उसके अधिकार अपने तात्कालिक फायदे के लिए ले रही है । इस विधेयक पर कार्यवाही तो हो ही रही है, यदि इस पर कार्यवाही न हो रही होती तो ऐसी कोई बात नहीं थी और कहा जा सकता था कि उससे नुकसान होने जा रहा है । यह विधेयक यदि आप यहां लाते तो उसके बाद यह कानून बन जाता तब भी सरकार को धन टैक्स के रूप में मिल जाता ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बतलाना चाहता हूं कि यह सही है कि आर0 टी0 ओ0 के दफ्तर में, जहां गाड़ियों का वार्षिक टैक्स जमा किया जाता है, बड़ी भीड़ रहती है और लोग बड़ी लम्बी लाइन में लगे रहते हैं लेकिन वहां जब तक 10 रु0 घूस के रूप में न दे दें तब तक टैक्स जमा होना मुश्किल रहता है । अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि इसमें प्राविधान कर दिया गया है कि अगर आदमी यह साबित कर दे कि उसने इतनी अवधि तक गाड़ी नहीं चलायी है या वह गाड़ी दूसरे प्रदेश में चली जाय तो उसका टैक्स रिफण्ड कर दिया जाता है । तो मैं माननीय मंत्री जी को बतलाना चाहता हूं कि अव्वल में तो आपके यहां से टैक्स रिफण्ड होता नहीं है । जब टैक्स जमा हो 10 रु0 घूस देने पर होता है तो वहां से रिफण्ड होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि मा0 मंत्री जी आप देखें कि सरकारी खजाने में जहां पैसा दिया जाता है वहां का स्टाफ ऐसा पहरा लगाकर वहां बैठा रहता है कि जब तक उसे 10 रु0 घूस के न दे दो तब तक वह टैक्स नहीं लेता है ।

हां, यदि वास्तव में आप इसमें सुधार लाना चाहते हैं तो मोटर गाड़ी टैक्स के संबंध में, तो इसमें ऐसा कर देते कि ड्राफ्ट के जरिये, चेक के जरिये, सरकारी ट्रेजरी में जहां सहूलियत हो, टैक्स जमा कर दिया जाय । यदि ऐसी व्यवस्था टैक्स जमा करने की आप इस विधेयक में लाते तो जरूर में इसका समर्थन करता कि आपने लोगों के समय की बचत करके उनकी मुशकिलें हल करने के बारे में सोचा है । लेकिन आपने ऐसा नहीं सोचा है क्योंकि आज स्थिति यह है कि यह सरकार दिवालिया हो गयी है या दिवालिया जैसी स्थिति में आ गयी है, उसके पास पैसा खर्च करने के लिए है नहीं इसलिए आपने सोचा कि तत्काल वार्षिक टैक्स की बजाय एक मुश्त टैक्स जमा करा लें इससे सरकार के खजाने में रकम आ जायेगी और उसका दुरूपयोग जैसा कि आप करते रहे हैं, आगे भी कहने का आपको मौका मिलेगा ।

नयी गाड़ियों पर आपने एक मुश्त टैक्स जमा करने का प्राविधान अनिवार्य कर दिया है । यह वर्ष ऐसा है जबकि शताब्दी का भयंकर सूखा पड़ा लोग परेशान हैं उसमें आपने एक और बाधा खड़ी कर दी कि एकमुश्त टैक्स जमा करना होगा । यद्यपि आपने पुरानी गाड़ियों पर इसे ऐच्छिक कर दिया है, ऐसे ही इसे आप नयी गाड़ियों के लिए भी कर देते ऐच्छिक तो भी कोई बात थी, लेकिन आपने ऐसा न करके उपभोक्ता को केवल दो महीने का टाईम दिया है जिसके लिए आपने इसकी धारा 7 में स्पष्ट लिखा है कि "बशर्ते कि वह ऐसे एक बार देय कर का भुगतान उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधार (संशोधन) अधिनियम, 1988 के प्रारम्भ से दो मास के भीतर कर दे ।" यद्यपि अभी तक इसके संबंध में बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको ज्ञात ही नहीं है कि एक मुश्त टैक्स जमा करना है । मेरा मा0 मंत्री जी आपसे अनुरोध है कि इसे दो मास के बजाय इस वर्ष के अन्त तक कर दें, इसमें इतना समय और बढ़ा दें तो इससे आपको भी फायदा होगा और टैक्स भी जमा हो जायेगा । जो दरें वार्षिक इन्होंने रखी हैं और एकमुश्त धनराशि के लिए जाने का प्राविधान किया है, इसके लिए इन्होंने गाड़ियों के हिसाब से वर्गीकरण भी किया है कि किससे कितनी धनराशि ली जायेगी मोटर साइकिल, स्कूटर, मोपेड के लिए 350, कुछ विशेष प्रकार की मोटर साइकिल के लिए 750 तथा कार के लिए 2500 । यह वर्गीकरण मान्यवर, किस प्रकार से

किया गया है । अगर आपने एक कार खरीद ली तो आपसे 2500 लेंगे और अगर यही कार आपने अपनी पत्नी के नाम और लड़कों के नाम से कर दी तो उनसे उसी कार पर 5,000 रु0 टैक्स देना होगा तो यह व्यवस्था की है आपने, जहां पर किसी गाड़ी का एक स्वामी है तो उससे इतने रु0 और उसी गाड़ी पर यदि घर के दो आदमियों के नाम रजिस्ट्रेशन है, तो उससे जस्ट डबुल देना पड़ेगा, तो मान्यवर इस प्रकार से टैक्स को थोपना जनता पर घोर अन्याय है । इसलिए यदि आप इन त्रुटियों की ओर ध्यान दिए होते और इनकी दरों में यदि संशोधन किए होते तब यह विधेयक लाते तो हम सब उससे अवश्य सहमत होते . . . (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

बरार साहब आप कृपया बैठें ।

*श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1988 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे । श्रीमन् यह बड़े आश्चर्य का विषय है कि मा0 मंत्री जी ने इस संबंध में आज यहां जो विधेयक प्रस्तुत किया है और मेरी समझ में नहीं आता है कि इसकी उपयोगिता क्या है, उपयोगिता इसकी तब होती जब मा0 मंत्री जी ऐसा विधेयक ले आते मोटर साइकिल, स्कूटर और मोपेड जो कम आमदनी वाले आदमी ही रखते हैं, ऐसी गाड़ियों पर हम कोई टैक्स नहीं लेंगे तब मालूम पड़ता कि आप कम आमदनी वालों की हिमायत में यह विधेयक ले आए हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने मोपेड पर भी कर लगाया है, जो साधारण से साधारण आदमी इसको खरीदता है और इस पर चलता है और एक दूसरी बात मान्यवर आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इन गाड़ियों का एक बार आपने एक मुश्त टैक्स जमा कर लिया और यह जमा हो जाए, लेकिन इन गाड़ियों की जिन्दगी कितनी है, इसका उल्लेख आपने कहीं नहीं इसमें किया है कि किस गाड़ी की कितनी जिन्दगी पर कितना टैक्स लिया जाया जायेगा और आजकल की गाड़ियों का कोई भरोसा नहीं कि कब खराब हो जाए एक साल में उसका गुर्दा फेल हो जाए तो उस पर क्या कार्यवाही आप करेंगे, उसका पैसा किस प्रकार से आप लौटायेंगे । इस संबंध में जैसा कि मा0 बरार जी ने कहा कि आपके आर0 टी0 ओ0 आफिस में यदि एक बार पैसा किसी का जमा हो जाए और फिर उसे वापिस हो जायेगा यह बिल्कुल असम्भव बात है, यह हो ही नहीं सकता है । आपके विभाग से तो यह आना था कि आर0 टी0 ओ0 विभाग में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, वह दूर हो जाए, लेकिन यह विधेयक आप नहीं लाए अगर इस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को ही आप दुरुस्त कर दें तो इस प्रकार के दूसरे विधेयक लाने की आपको जरूरत न पड़ती । दूसरी बात आपने कही कि अगर जीप का एक बार में हम एक मुश्त जमा कर ले लेंगे तो इससे इन टैक्सी वालों को क्या फायदा होगा जो बेचारे अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए, अपने परिवार के गुजारे के लिए दिन रात चलाते हैं उनकी सुविधा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन् जो लोग टैक्सी जीप या बस जो चलाते हैं, प्राइवेट रूटों पर, उनसे जितना पैसा परिवहन विभाग लेता है, उससे कई गुना पैसा पुलिस वाले लेते हैं। एक तो आपने अधिकांश रूटों को अधिग्रहीत ही कर लिया है, कुछ रूट बचे हैं, जिन पर प्राइवेट लोग बसें चला सकते हैं। उन पर पूरा नियंत्रण पुलिस का है, अगर पुलिस वालों को वह पैसा नहीं देते हैं, तो उनको थाने में बन्द कर देते हैं, कह दिया कि गाड़ी तेज चला रहा था या कह दिया कि सवारियां अधिक लिये जा रहा था, तो मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जितना कन्ट्रोल इनका नहीं है, उससे अधिक पुलिस वालों का है। आप इस बात का भी प्राविधान करें कि जो भी आपकी गाड़ियां हैं, उन पर पुलिस विभाग का कोई कन्ट्रोल नहीं रहेगा, वह सारी की सारी परिवहन विभाग के कन्ट्रोल में रहेगी। इस कारण मान्यवर, जनता में असन्तोष की भावना है। मान्यवर, अभी बलिया का मामला यहां पर आया था, जिलाधिकारी ने बिना परिवहन विभाग से पूछे ही, वहां का जो टैक्सी स्टैण्ड था उसको हटवा दिया और उसको शहर से काफी दूर करा दिया। इन चीजों का कहीं पर भी विधेयक में प्राविधान नहीं रखा गया है, जबकि नगरपालिका एक्ट है कि कहां पर बस स्टैण्ड होगा, कहां पर टैक्सी स्टैण्ड होगा, लेकिन जिलाधिकारी ने मनमानी करके वहां पर जो स्टैण्ड था उसको हटवा दिया, जब कि प्राविधान यह है कि अगर इस प्रकार की कोई चीज करनी आवश्यक ही हो तो आयुक्त की परमीशन लेना आवश्यक है, लेकिन बलिया के जिलाधिकारी ने ऐसा कुछ नहीं किया है।

मुख्य मंत्री जी ने यह आदेश किया जो आदेश किये गये हैं उनको निरस्त कर दिया जाये, लेकिन उनके आदेशों के बावजूद भी उन आदेशों को निरस्त नहीं किया गया है, और आप यह विधेयक लाकर सदन का समय नष्ट कर रहे हैं। मान्यवर, मोपेड वालों की कितनी आमदनी होती है, लेकिन उस पर भी टैक्स लगाया है। मान्यवर मैं कहना चाहता हूं कि रोड टैक्स उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, और इस कारण लोग वाहन खरीदकर उनका रजिस्ट्रीकरण दिल्ली में कराते हैं, एम0पी0 में करवाते हैं, तो इससे आपको कोई लाभ नहीं होता है, इसलिये मेरी माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि आप टैक्स कम करें, जिस प्रकार से दूसरे प्रदेशों में है। तो इस प्रकार की तमाम विसंगतियां इस विधेयक में हैं और आपको दूर करना चाहिये। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इसको आप प्रवर समिति को सुपुर्द कर दें और प्रवर समिति इस पर विचार कर ले और अपनी रिपोर्ट दे फिर आप यहां इस विधेयक पर विचार कर लें।

श्री अधिष्ठाता–

इस विधेयक के लिये आधे घन्टे का समय रखा गया था, और कोई बोलने वाला नहीं है, इसलिये राजेन्द्र गुप्त जी बोलें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार और उगाही की बात अपनी जगह पर है लेकिन शासन को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि यात्रियों को सुख सुविधा मिले, उसमें काम किया जायेगा लेकिन यह उसका कहना बहाना मात्र है, दूसरी विसंगति यह है कि 4 अप्रैल को दो महीने पूरे हो रहे हैं और अब उसके बाद आप तिथि एक्सटेन्ड नहीं करेंगे तो इस सुविधा का लाभ किसी को नहीं मिल पायेगा। इस बारे में माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में कुछ नहीं बताया। वे अन्त में इसके बारे

में कुछ प्रकाश डालें और स्पष्ट करना चाहें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात पर पुनः बल देता हूं।

श्री जयदीप सिंह बरार–

श्रीमन्, मैं ज्यादातर बातें पहले ही कह चुका हूं। अब मैं फिर दो-एक बातों पर बल देना चाहूंगा। जो चर्चा हुई है और माननीय गुप्ता जी ने तथा माननीय राम गोविन्द जी ने भी कहा है कि जो आर0 टी0 ओ0 के दफ्तर हैं उनमें काफी भ्रष्टाचार व्याप्त है। अगर माननीय मंत्री जी यह बता दें कि किस तरह से रुपया रिफन्ड दिया जायेगा। इसकी वह व्यवस्था कर लें, उसकी घोषणा कर दें और उसे विधेयक में शामिल कर लें कि किसी व्यक्ति के प्रार्थना पत्र देने के 30 दिन के अन्दर उनको रुपया रिफन्ड हो जायेगा नहीं तो मान्यवर, ऐसा होगा कि मैं किसी गांव में रहता हूं, मैंने कार का रिफण्ड एप्लाई किया और 10 दफे में वहां पर जाऊंगा और वहां जाने में उससे रिफण्ड में भी ज्यादा खर्च हो जायेगा। इसलिये मंत्री जी रिफण्ड की प्रक्रिया की व्यवस्था कर दें कि प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के एक महीने के अन्दर रिफण्ड दिया जायेगा अन्यथा सम्बन्धित अधिकारी को दण्डित करेंगे।

दूसरी बात मैंने यह कही है कि दोनों ही वर्गों की चाहे वह पुरानी गाड़ी हो या नई हों, क्योंकि आज की स्थिति में लोगों की फाइनेन्शियल पोजीशन ऐसी नहीं है, इसके लिये आवश्यक है कि उसे आप ऐच्छिक रखें कि वह एक मुश्त में वार्षिक देना चाहें या अगले वर्ष देना चाहें उसका एक चार्ट बना दें। इस तरह की व्यवस्था कर दें।

एक बात और कहना चाहता हूं कि मूल प्रस्ताव में एकल स्वामी की जो दर रखी है और जब उसकी ज्वाइन्ट औनरशिप हो जायेगी तो उसकी दर दुगुनी हो जायेगी। इससे बड़ी अन्याय की और कोई बात नहीं हो सकती है। इसलिये आप ऐसा कर दें कि चाहे एक स्वामी हो, दो स्वामी हो या तीन स्वामी हों उन सबको एक दर टैक्स कर दें। मान्यवर, इसीलिये मैंने इसे लोगों की राय जानने के लिये प्रस्ताव किया है क्योंकि सरकार की नीति रहती है कि वह अपने हित को देखती है और उसे पैसा इकट्ठा करना है और नाम लेती है लोगों की सुविधा का। इसलिये इस संबंध में जब तक हम लोगों की राय नहीं जान लेंगे तब तक कोई सही काम उनके लिये नहीं कर पायेंगे। यहां पर तो हमारे लिये कहा जाता है कि हम राजनीति की वश में कोई संशोधन ला रहे हैं या किसी दल से सम्बद्ध हैं, इसलिये मैंने यह कहा है। जैसा कि गुप्ता जी ने और माननीय राम गोविन्द चौधरी ने कहा है कि लोग ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि इतना टैक्स उनके ऊपर लगे, उसको घटाया जा सकता था। इसलिये या तो आप इस विधेयक को यथा संशोधित करके पास करवा लें अन्यथा जो विधेयक है उससे भ्रष्टाचार और घूस को ही बढ़ावा मिलेगा, रिफण्ड के लिये लोग मारे-मारे घूमेंगे, गरीब लोग उसको नहीं दे पायेंगे। इसलिये इसको परिचालित किया जाय लोगों की राय जानने के लिये।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता जी, इस विधेयक की अहमियत इसी से मालूम होती है कि माननीय मंत्री जी के भाषण के बाद एक भी आदमी उनके पक्ष में समर्थन में बोलने के लिये खड़ा नहीं हुआ। पूरी कांग्रेस पार्टी का एक भी आदमी यह बात नहीं कह सका कि यह अच्छा विधेयक है। बाबू लाल प्रताप सिंह हमेशा बोलते थे. . (व्यवधान) पक्ष में बोलते थे। श्रीमन्, आप तो पीठासीन हो गये नहीं तो कुछ न कुछ आप भी बोलते। लेकिन एक भी

आदमी इस विधेयक के पक्ष में मंत्री जी के पक्ष में नहीं बोला कि यह सही है। हम लोगों ने कहा है कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय। इसलिये माननीय मंत्री जी आपको इस बात से अवगत हो जाना चाहिए कि इस विधेयक को आप प्रवर समिति में भेज दें, नहीं तो आप आश्वासन दीजिये . . . (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया शान्ति बनाये रखें।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

अब यह बात बिल्कुल सही हो गयी है कि इसे प्रवर समिति को भेज दिया जाय नहीं तो स्पष्ट आश्वासन दे दीजिये कि एक बार टैक्स जमा कर देने के बाद कोई भी पुलिस का आफिसर चाहे गाड़ियां प्राइवेट हों या टैक्सी हो या पैसेंजर ढोती हैं उनको कहीं पर, नहीं रोकेगा, इललीगल पैसे की वसूली नहीं करेगा और यह सारी गाड़ियां परिवहन विभाग के कन्ट्रोल में रहेंगी और पुलिस कन्ट्रोल समाप्त कर देंगे तो हम फिर कुछ सोचेंगे कि इस व्यवस्था के बारे में अब क्या किया जाय।

दूसरी बात जो मैंने पहले भी कही थी कि स्कूटर मोटर साइकिल मोपेड या अन्य हल्की गाड़ियां जो निम्न आमदनी वाले ही लेते हैं पर से टैक्स समाप्त कर दिया जायेगा। यदि ऐसा नहीं है तो आप जानते हैं आर0टी0ओ0 दफ्तर में टैक्स जमा करने में कितना भ्रष्टाचार होता है आप 7 सौ रूपया जमा करेंगे तो दिखायेंगे दो सौ, जमा करते समय आपसे 20 रु0 अपना अलग ले लेंगे । ड्राइविंग लाइसेंस देने में क्या होता है कि दो सौ चार सौ रूपया देने पर जो ड्राइविंग जानता भी नहीं उसे भी लाइसेंस दे दिया जाता है। तो इसी तरह से यह कार्यक्रम भी आपका ढकोसला बन कर रह जायेगा। इसलिये मैं अपने प्रस्ताव को वापस न लेकर बल देता हूं कि इसे प्रवर समिति को सौंप दिया जाय।

श्री रामनाथ मुन्शी–

श्रीमन्, बहुत से आपने सुझाव दिये। मैं समझता था कि विधेयक को पारित होने में किसी प्रकार के सुझाव की जरूरत नहीं होगी और इसके पास होने में कोई समय नहीं लगेगा क्योंकि यह विधेयक अपने में पूर्ण है, जनहित में है । जहां तक माननीय बरार साहब ने कहा कि इस विधेयक को लाने से पहले क्या पता लगा लिया गया कि जनता की क्या राय है? तो मैं माननीय बरार साहब को बताना चाहता हूं कि इस माननीय सदन में 12 करोड़ जनता के मुखर व्यक्ति बैठता है जो जनता की हर समस्या को जानते हैं, विवेचना करते हैं और उनके हित अनहित को पहचान कर बिल लाते हैं। यह सरकार जनता के बीच में रहने वाली सरकार है, उनकी कठिनाईयों को जानती है और उनके निवारणार्थ इस तरह की व्यवस्था सरकार करती रहती है और आज भी कर रही है।

माननीय गुप्ता जी ने एक बात कही कि वह अवधि 5 अप्रैल को समाप्त हो जायेगी तो मैं इस पर विचार कर लूंगा कि क्या उसमें हो। उसमें कोई संशोधन नहीं है। आप इसे पास करें मैं देख लूंगा।

दूसरी चीज आपने कही कि पैसा बैंकों में जमा करते समय ही टैक्स जमा करा लें तो यह सुझाव अच्छा है इस पर भी विचार किया जायेगा। अंत में मैं यह कहूंगा कि यह विधेयक अपने में इतना पूर्ण है, स्वच्छ है, सजीव है और जनहितकारी है कि इस

पर किसी प्रकार विवाद करने की या विचार करने की आवश्यकता नहीं है।।श्रीमन् इसलिये इसे सर्वसम्मति से पारित करा दें, पूरा सदन आपका आभारी होगा।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मंत्री जी ने पहले प्रस्ताव किया था कि इस पर विचार किया जाय और अब कहते हैं कि इस पर किसी प्रकार विचार करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस विधेयक पर विचार संभव है या नहीं क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा कि विचार की आवश्यकता नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने जिस विसंगति की ओर ध्यान आकृष्ट किया वह बात आपकी समझ में आ गयी और आपने अपने जवाब में कहा कि विचार कर लेंगे। तो 4 ता0 को यह अवधि समाप्त हो रही है। जहां तक मेरी जानकारी है इस सदन का सत्रावसान करने का सरकार का इरादा नहीं है जो कि इसके लिये यह आर्डिनेंस लायें या फिर इन्हें संशोधन लाना पड़ेगा वर्ना तो इससे वह पूरा होता नहीं है

श्री अधिष्ठाता–

आपकी आशंकाओं के बारे में कहा होगा।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1988 का अननुमोदन करता है?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1988 को राय जानने के लिए 31 जुलाई, 1988 तक परिचालित किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1988 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1988 पर विचार किया जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 से 8, खण्ड 1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1988

संयुक्त प्रान्त मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1935 का अग्रतर संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के उनतालिसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1988 कहा जायगा ।

(2) यह 5 फरवरी, 1988 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 5 सन् 1935 की धारा 4 का संशोधन

2—संयुक्त प्रान्त मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1935 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 4 में, उपधारा (1) में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

"प्रतिबन्ध यह है कि परिवहन गाड़ी से भिन्न किसी मोटर गाड़ी का स्वामी, इस उपधारा के अधीन देय कर के बदले में, ऐसी मोटर गाड़ी के संबंध में लागू ऐसी दर पर, जैसी तृतीय अनुसूची के भाग "ख" में विनिर्दिष्ट है, एक बार देय कर का, यदि ऐसी मोटर गाड़ी, उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1988 के प्रारम्भ के पश्चात् उत्तर प्रदेश में मोटर यान अधिनियम, 1939 के उपबन्धों के अधीन प्रथम बार रजिस्ट्रीकृत की जाय, भुगतान करेगा, और किसी अन्य स्थिति में, भुगतान कर सकेगा और ऐसे एक बार देय कर का भुगतान करने पर उसके पश्चात् की किसी अवधि के लिए इस उपधारा के अधीन ऐसी गाड़ी के संबंध में किसी कर का भुगतान नहीं करना होगा" ।

धारा 5 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 5 में,—

(क) उपधारा (1) में, शब्द "धारा 6, 8 और 9 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, धारा 4 के अधीन देय कर इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन टोकन लिया जा कर तथा उसका भुगतान करके मोटर गाड़ी के स्वामी द्वारा प्रत्येक वर्ष में जनवरी के पन्द्रहवें दिन को या उसके पूर्व अग्रिम रूप से देय होगा" के स्थान पर शब्द "धारा 6 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, धारा 4 के अधीन देय कर का भुगतान मोटर गाड़ी के स्वामी द्वारा अग्रिम रूप से मोटर यान अधिनियम, 1939 के अधीन उसके रजिस्ट्रीकरण के समय और तत्पश्चात् प्रत्येक अनुवर्ती वर्ष में पन्द्रह जनवरी को या उसके पूर्व इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन

ट्रेजरी प्राप्त करके और उसका भुगतान करके किया जायगा'';

और

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्—

''(2) जहां किसी मोटर गाड़ी के संबंध में कर का भुगतान उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर न किया जाय, वहां राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त कोई अधिकारी धारा 13 के अधीन अभियोजन के बदले में और ऐसे सामान्य निदेशों के अधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जायें, ऐसी मोटर गाड़ी के स्वामी से प्रतिकर स्वीकार कर सकता है, जो ऐसी मोटर गाड़ी के लिए देय कर के अतिरिक्त एक बार देय कर का भुगतान किये जाने के मामले में, इस अधिनियम के अधीन देय ऐसे कर की धनराशि के आधे से अधिक न हो, और किसी अन्य मामले में उसके संबंध में एक वर्ष में देय कर की धनराशि से अधिक न हो । ऐसे प्रतिकर का भुगतान किये जाने पर, मोटर गाड़ी के स्वामी को, यदि अभिरक्षा में हो, उन्मोचित कर दिया जायगा और इस प्रकार शमन किये गये अपराध के संबंध में उसके विरुद्ध कोई और कार्यवाही नहीं की जायगी ।''

धारा 6 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 6 में, शब्द ''पहली बार देय हो'' के पश्चात् शब्द ''और यदि एक बार देय कर का भुगतान नहीं किया गया हो'' बढ़ा दिये जायेंगे ।

धारा 7 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा 7 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायगा, और—

(क) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) में, शब्द, ''कोई व्यक्ति जिसने'' के पश्चात् शब्द ''एक बार देय कर से भिन्न'' बढ़ा दिये जायेंगे;

(ख) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्—

''(2) जहां परिवहन गाड़ी से भिन्न ऐसी मोटर गाड़ी का, जिसके संबंध में अधिनियम के अधीन एक बार देय कर का भुगतान कर दिया गया है, स्वामी नियत रीति से कराधान अधिकारी के संतोषानुसार यह सिद्ध कर दे कि ऐसी मोटर गाड़ी का एक

महीने से अन्यून लगातार अवधि में प्रयोग नहीं किया गया है, वहां वह उक्त अवधि के लिये तृतीय अनुसूची के भाग "ग" में विनिर्दिष्ट दरों पर ऐसे कर की वापसी का हकदार होगा;

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी वापस की जाने वाली धनराशि तब तक अनुमन्य नहीं होगी, जब तक कि स्वामी द्वारा कराधान अधिकारी के पास गाड़ी के संबंध में जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र और टोकन जमा न कर दिया जाय;

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन वापस की जाने वाली कुल धनराशि अधिनियम के अधीन भुगतान किये गये एक बार देय कर से अधिक न होगी ।

(3) उपधारा (2) के अधीन वापस की जाने वाली धनराशि की गणना करने में, उक्त अवधि के किसी भाग को जो एक मास से कम हो, छोड़ दिया जायगा।

(4) किसी परिवहन गाड़ी से भिन्न ऐसी मोटर गाड़ी का जिसके संबंध में अधिनियम के अधीन एक बार देय कर का भुगतान कर दिया गया है, स्वामी तृतीय अनुसूची के भाग "घ" में विनिर्दिष्ट दरों पर ऐसे कर को वापस पाने का इस आधार पर हकदार होगा कि उसने ऐसे कर के भुगतान के पश्चात् ऐसी गाड़ी को स्थायी रूप से किसी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में लाने के फलस्वरूप ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में मोटर गाड़ियों पर कर संबंधी किसी अधिनियमिति के अधीन ऐसी गाड़ी के संबंध में कर का भुगतान किया है या ऐसी मोटर गाड़ी को परिवहन गाड़ी के रूप में परिवर्तित किया गया है या ऐसी मोटर गाड़ी का रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया गया है ।

(5) जहां किसी परिवहन गाड़ी से भिन्न ऐसी मोटर गाड़ी का जिसका रजिस्ट्रीकरण उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1988 के प्रारम्भ के पूर्व मोटर यान अधिनियम, 1939 के अधीन किया गया हो, स्वामी एक बार देय कर का भुगतान करने का विकल्प करे, वहां वह, एक बार देय कर का भुगतान करते समय, किसी ऐसे अग्रिम कर के, जिसका उसने ऐसी गाड़ी के संबंध में वर्ष 1988 के किसी भाग के लिये या किसी अनुवर्ती वर्ष

के लिए भुगतान किया हो, समायोजन का हकदार होगा, बशर्ते कि वह ऐसे एक बार देय कर का भुगतान उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1988 के प्रारम्भ से दो मास के भीतर कर दे।"

धारा 11 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा 11 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्—

"(2) जहां किसी परिवहन गाड़ी से भिन्न ऐसी मोटर गाड़ी को जिसके संबंध में एक बार देय कर का भुगतान कर दिया गया है, परिवहन गाड़ी के रूप में चलाया जाय, वहां उसका स्वामी ऐसी परिवहन गाड़ी पर अधिनियम के अधीन देय कर का देनदार होगा।"

नयी अनुसूची का बढ़ाया जाना

7—मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची बढ़ा दी जायगी, अर्थात्—

तृतीय अनुसूची

भाग "क"

गाड़ियां

परिवहन गाड़ियों से भिन्न गाड़ियों का वर्गीकरण

अनुच्छेद	गाड़ी का विवरण

एक– भारविहीन, 500 किलोग्राम से अनधिक वजन वाली मोटर साइकिलें (जिसके अंतर्गत स्कूटर और मोपेड भी हैं) :—

(1) भार विहीन, 80 किलोग्राम से अनधिक वजन वाली गाड़ी;

(2) भार विहीन, 80 किलोग्राम से अधिक वजन वाली गाड़ी;

दो– (1) केवल व्यक्तियों और हल्का वैयक्तिक सामान ले जाने के लिये बनायी गयी और प्रयोग में लायी गयी गाड़ी जिसमें ड्राइवर को छोड़कर छः व्यक्तियों से अनधिक व्यक्तियों के बैठने का स्थान हो ।

(2) इस अनुच्छेद के अंतर्गत आने वाली गाड़ियों द्वारा खींचे जाने वाले ट्रेलर ।

तीन– ड्राइवर को छोड़कर 6: व्यक्तियों से अधिक व्यक्तियों को ले जाने के लिए बनायी गयी या प्रयोग के लिए अपनायी गयी 500 किलो ग्राम से अधिक वजन वाली भार विहीन गाड़ियां जिसके अंतर्गत मोटर साइकिलें भी हैं :—

(1) (क) भार विहीन, वजन में 2000 किलोग्राम से अनधिक;

(ख) भार विहीन, वजन में 2000 किलोग्राम से अधिक किन्तु 3000 किलोग्राम से अनधिक;

(ग) भार विहीन, वजन में 3000 किलोग्राम से अधिक किन्तु 4000 किलोग्राम से अनधिक;

(घ) भार विहीन, वजन में 4000 किलोग्राम से अधिक किन्तु 5000 किलोग्राम से अनधिक;

(ङ) भार विहीन, वजन में 5000 किलोग्राम से अधिक;

(2) इस अनुच्छेद के अंतर्गत आने वाली गाड़ियों द्वारा खींचे जाने वाले ट्रेलर ।

सत्यमेव जयते

भाग "ख"

(धारा 4 (1) देखिय)

परिवहन गाड़ियों से भिन्न गाड़ियों पर कर की दरें

क्रम-संख्या	भाग "क" के अनुच्छेद के अनुसार गाड़ियां	1-1-1988 को या उसके पश्चात् रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1987 में रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1986 में रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1985 में रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1984 में रजिस्ट्रीकृत
		कर की दर रुपये में				
1	2	3	4	5	6	7
1	एक (1)	350.00	280.00	210.00	140.00	70.00
2	एक (2)	750.00	675.00	600.00	525.00	450.00
3	दो (1)	2500.00	2295.00	2090.00	1885.00	1680.00
4	दो (2)	500.00	460.00	420.00	380.00	340.00
5	तीन (1) (क)	4800.00	4400.00	4000.00	3600.00	3200.00
6	तीन (1) (ख)	6800.00	6240.00	5680.00	5120.00	4560.00
7	तीन (1) (ग)	9400.00	8620.00	7840.00	7060.00	6280.00
8	तीन (1) (घ)	11000.00	10090.00	9180.00	8270.00	7360.00
9	तीन (1) (ड़)	11000.00 और 1000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए 4400.00	10090.00 और 1000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए 4040.00	9180.00 और 1000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए 3680.00	8270.00 और 1000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए 3320.00	7360.00 और 1000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए 2960.00
10	तीन (2)	1000.00	920.00	840.00	760.00	680.00

रुपये में

वर्ष 1983 में रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1982 में रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1981 में रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1980 में रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1979 में रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1978 में रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1977 में या उसके पूर्व रजिस्ट्रीकृत
8	9	10	11	12	13	14
70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
375.00	300.00	225.00	150.00	75.00	75.00	75.00
1475.00	1270.00	1065.00	860.00	655.00	450.00	245.00
300.00	260.00	220.00	180.00	140.00	100.00	60.00
2800.00	2400.00	2000.00	1600.00	1200.00	800.00	400.00
4000.00	3440.00	2880.00	2320.00	1760.00	1200.00	640.00
5500.00	4720.00	3940.00	3160.00	2380.00	1600.00	820.00
6450.00	5540.00	4630.00	3720.00	2810.00	1900.00	990.00
6450.00	5540.00	4630.00	3720.00	2810.00	1900.00	990.00
और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए	और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्यक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए	और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए	और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए	और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए	और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए	और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए
2600.00	2240.00	1880.00	1520.00	1160.00	800.00	440.00
600.00	520.00	440.00	360.00	280.00	200.00	120.00

प्रतिबन्ध यह है कि निम्नलिखित वर्गों के स्वामियों के सिवाय मोटर गाड़ियों के समस्त स्वामियों के संबंध में कर की दर इस भाग के अनुच्छेद एक, दो और तीन के सामने विनिर्दिष्ट दरों की दुगुनी होगी, अर्थात्–

(क) एकल व्यक्ति;

(ख) नगरपालिका बोर्ड, नगर महापालिका, जिला परिषद्, नोटीफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी या क्षेत्र समिति;

(ग) किसी विधि के द्वारा या अधीन स्थापित विश्वविद्यालय;

(घ) कोई मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्था;

(ङ) कोई सार्वजनिक पूर्तिविन्यास;

(च) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट लोक प्रयोजनों के लिए मोटर गाड़ियों का प्रयोग करने वाले किसी अन्य वर्ग के व्यक्ति।

भाग "ग"

(धारा 7 (2) देखिये)

जहां गाड़ी प्रयोग में न हो, वहां कर की वापसी की दरें :—

क्रम संख्या	भाग "क" के अनुच्छेद के अनुसार गाड़ियां	मोटर गाड़ी के प्रयोग न किये जाने के प्रत्येक मास के लिए वापस की जाने वाली धनराशि (रुपये में)
1	2	3
1	एक (1)	2.00
2	एक (2)	3.00
3	दो (1)	10.00
4	दो (2)	2.00
5	तीन (1) (क)	20.00
6	तीन (1) (ख)	28.00
7	तीन (1) (ग)	39.00
8	तीन (1) (घ)	46,00
9	तीन (1) (ड़)	46,00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए 18.00
10	तीन (2)	4.00

प्रतिबन्ध यह है कि भाग "ख" के प्रतिबन्धात्मक खंड के खंड (क) से (च) के अधीन उल्लिखित गाड़ियों के सिवाय गाड़ियों के समस्त स्वामियों के संबंध में वापसी की दरे ऊपर विनिर्दिष्ट दरों की दुगनी होंगी ।

भाग "घ"

[धारा 7 (3) देखिये]

वापसी की दर

वापस की जाने वाली धनराशि (रुपयों में), यदि गाड़ी के मूल

क्रम-संख्या	भाग "क" के अनुच्छेद के अनुसार गाड़ियां	एक वर्ष से अनधिक	एक वर्ष से अधिक किन्तु दो वर्ष से अनधिक	दो वर्ष से अधिक किन्तु तीन वर्ष से अनधिक	तीन वर्ष से अधिक किन्तु चार वर्ष से अनधिक	चार वर्ष से अधिक किन्तु पांच वर्ष से अनधिक
1	2	3	4	5	6	7
1	एक (1)	210.00	140.00	70.00	शून्य	शून्य
2	एक (2)	600.00	525.00	450.00	375.00	300.00
3	दो (1)	2090.00	1885.00	1680.00	1475.00	1270.00
4	दो (2)	420.00	380.00	340.00	300.00	260.00
5	तीन (1) (क)	4000.00	3600.00	3200.00	2800.00	2400.00
6	तीन (1) (ख)	5680.00	5120.00	4560.00	4000.00	3440.00
7	तीन (1) (ग)	7840.00	7060.00	6280.00	5500.00	4720.00
8	तीन (1) (घ)	9180.00	8270.00	7360.00	6450.00	5540.00
9	तीन (1) (ङ)	9180.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके ग्राम के लिये	8270.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिये	7360.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिये	6450.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलाग्राम या उसके भाग के लिये	5540.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिये
10	तीन (2)	3680.00 840.00	3320.00 760.00	2960.00 680.00	2600.00 600.00	2240.00 520.00

रजिस्ट्रीकरण के मास से गाड़ी की आयु इस प्रकार हो :—

पांच वर्ष से अधिक किन्तु छः वर्ष से अनधिक	छः वर्ष से अधिक किन्तु सात वर्ष से अनधिक	सात वर्ष से अधिक किन्तु आठ वर्ष से अनधिक	आठ वर्ष से अधिक किन्तु नौ वर्ष से अनधिक	नौ वर्ष से अधिक किन्तु दस वर्ष से अनधिक	दस वर्ष से अधिक किन्तु ग्यारह वर्ष से अनधिक
8	9	10	11	12	13
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
225.00	150.00	75.00	शून्य	शून्य	शून्य
1065.00	860.00	655.00	450.00	245.00	शून्य
220.00	180.00	140.00	100.00	60.00	शून्य
2000.00	1600.00	1200.00	800.00	400.00	शून्य
2880.00	2320.00	1760.00	1200.00	640.00	शून्य
3940.00	3160.00	2380.00	1600.00	820.00	शून्य
4630.00	3720.00	2810.00	1900.00	990.00	शून्य
4630,00	3720.00	2810.00	1900.00	990.00	शून्य
और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिये	और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिये	और 5000 किलाग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिये	और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिये	और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिये	
1880.00	1520.00	1160.00	800.00	440.00	
440.00	360.00	280.00	200.00	120.00	शून्य

टिप्पणी :–निम्नलिखित के स्वामित्वाधीन गाड़ियों के सिवाय समस्त गाड़ियों के संबंध में वापसी की दरें ऊपर दर्शित धनराशि की दुगुनी होगी :–

(1) एकल व्यक्ति;

(ख) नगरपालिका बोर्ड, नगर महापालिका, जिला परिषद्, नोटीफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी या क्षेत्र समिति;

(ग) किसी विधि के द्वारा या अधीन स्थापित विश्वविद्यालय;

(घ) कोई मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्था;

(ङ) कोई सार्वजनिक पूर्त विन्यास;

(च) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट लोक प्रयोजनों के लिए मोटर गाड़ियों का प्रयोग करने वाली किसी अन्य वर्ग के व्यक्ति ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 1988

8–(1) उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अध्यादेश 1988 एतद्द्वारा निरसन और अपवाद निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 8 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री राम नाथ मुंशी–

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1988 पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1988 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1988 के अननुमोदन का संकल्प एवं उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1988

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1988 का अननुमोदन करता है ।

मान्यवर, इस समय अगर प्रदेश में सबसे ज्यादा अव्यवस्था कहीं है तो वह शिक्षा विभाग में है । आप देखें इस अध्यादेश द्वारा दो संशोधन किये गये हैं । पहला संशोधन यह है कि राज्यपाल को, कुलाधिपति को, जो विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् है उसके चार व्यक्तियों को नामित करने का अधिकार था क्योंकि इन्होंने यह अनुभव किया कि जो चार व्यक्ति नामित होते थे शिक्षा क्षेत्र से तो वह अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ हो सकते थे लेकिन विधि की जानकारी नहीं होती है, इसलिए अब बाधता है कि चार मे से एक व्यक्ति ऐसा होगा जो उच्च न्यायालय द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय का सदस्य हो अथवा रहा हो । मैं इसके गुण दोष में बाद में जाऊंगा ।

मान्यवर, दूसरा महत्वपूर्ण मामला यह है कि जो विश्वविद्यालय के स्टेट्यूट्स है उनको बनाने का अधिकार इनको बहुत पहले दिया गया था लेकिन वह नहीं बना सके धारा 50 के अनुसार, मुझे याद है आज से कई वर्ष पहले यहीं संशोधन आया था, जब श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी, शिक्षा मंत्री थीं, उन्होंने साफ-साफ घोषणा किया था, कि इस तरह का संशोधन दुबारा लाने का मौका नहीं दिया जायेगा, उसके बाद फिर संशोधन आया, फिर आया इस प्रकार चौथी बार यह आया है और हर बार सरकार कोई न कोई कारण बताती है कि स्टेट्यूट्स नहीं बन सके, इसलिये मौका दे दें। यह सरकार जानबूझकर स्टेट्यूट्स बनाने से कतरा रही है । इसलिये आज विश्वविद्यालयों में हास्यास्पद स्थिति पैदा हो गयी है । मान्यवर, इस संबंध में मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का एक मामला उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि यह मामला हमारे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के सुपुत्र का है, राज्यपाल के संबंध में कुछ नहीं कहूंगा, उनके पुत्र एल0 एल0 बी0, द्वितीय वर्ष के छात्र थे, वह अनुपस्थित हो गये थे, इसलिये मात्र एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिये विश्वविद्यालय ने अपने नियमों में परिवर्तन किया और उनको लाभ पहुंचा दिया, यह कहां का न्याय है ।

मान्यवर, अब मैं 2-3 उदाहरण गढ़वाल विश्वविद्यालय के संबंध में आपको बताना चाहता हूं क्योंकि हमारे यहां विश्वविद्यालय में जो सर्वोच्च स्थान पर हैं अपने पद का दुरुपयोग कर ऐसी परम्परा डाल सकते हैं जो घातक होंगी क्योंकि

कोई परम्परा व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखकर नहीं बनाना चाहिए . . . । कोई भी व्यवस्था लाभ पहुंचाने के लिए नहीं होनी चाहिए, व्यवस्था यदि एक व्यक्ति को ध्यान में रखकर की जाएगी तो वह व्यवस्था नहीं अव्यवस्था होगी और इससे एक गलत परिपाटी बनेगी । गढ़वाल विश्वविद्यालय ने अपने विश्वविद्यालय के लिए सन् 87 में श्री हिमांशु बाड़ाई की राजनीति शास्त्र के प्रवक्ता पद पर नियुक्ति की। यह सामान्य नियम है कि ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके निकट संबंधी, निकट रिश्तेदार का चयन होना है, उस हेतु गठित चयन समिति में अपने को भागीदार नहीं बनाएगा, लेकिन मैं इस संबंध में मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि गढ़वाल विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे, वह स्वंय उस चयन समिति के अध्यक्ष बन गये और अध्यक्ष बनकर उन्होंने अपनी सुपुत्री का चयन कर लिया । उसे चुनकर नियुक्त कर लिया । इसी तरह भूगोल के पद की बात है, उसमें प्रथम स्थान पर देवीदत्त का नाम था ।प्रतीक्षा सूची में प्रथम उनका नाम था, लेकिन जब चयन समिति ने अपनी सिफारिश कार्य परिषद् को भेजी तो उसमें यह क्रम बदल गया और देवीदत्त के स्थान पर किन्हीं मदन स्वरूप रावत का नाम करके भेजा गया । इसका परिणाम यह हुआ कि इस गड़बड़ी होने के कारण से परिषद् ने रीडर पद के उस चयन को निरस्त कर दिया । सूची में उसके नाम पर नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया, जिसका नाम प्रतीक्षा सूची में होना था । तो श्रीमन्, जो प्रमुख व्यक्ति है वही आकण्ठ भ्रष्टाचार में डूब जाए तो क्या होगा ।

इस तरह से एक उदाहरण मंत्री जी को और देना चाहूंगा, इसी विश्वविद्यालय के संबंध में, 1 लाख 20 हजार रुपये मूल्य की एक कालीन विश्वविद्यालय के कुलपति ने खरीदी है । लेकिन यह कहां से खरीदी गई ? श्री नगर जो मुख्यालय है और जहां पर यह विश्वविद्यालय स्थित है वहां के विक्रेता से न खरीद कर इसी देहरादून से खरीदा गया है । तो उस पर आडिट हुआ और यह गड़बड़ी पकड़ी गई, परन्तु चूंकि इसके लिए जिम्मेदार कोई प्रो0 नौटियाल थे, जो कुलपति के निकट सम्बन्धी हैं, इसलिए उनपर कार्यवाही नहीं की जाएगी ।

तीसरी बात यह है कि कोई छात्र या छात्रा किसी परीक्षा में शामिल हों और उसकी कापी कहीं खो जाए, नष्ट हो जाए या उसमें आग लग जाए, तो क्या इसके लिए उस संबंधित छात्र या छात्रा को दण्ड दिया जाएगा या जिसकी गलती और लापरवाही से वह कापी नष्ट हुई उसको दण्ड दिया जायेगा ? इससे संबंधित मान्यवर, हमारे जिले सीतापुर की एक छात्रा रेखा पाठक का केस है जो कानपुर विश्वविद्यालय का है । रेगुलर छात्रा के रूप में एम0 एड0 की परीक्षा में बैठी थी, जिसमें वह अपनी आशा के विपरीत असफल घोषित हुई तो उसने पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन पत्र दिया और उसका परीक्षाफल भी न घोषित होने पर उसने जब पता किया तो उसे अपने विश्वस्त सूत्रों से पता चला कि उसकी कापी ही परीक्षा की कहीं खो गई है तो परीक्षाफल कैसे घोषित हो पुनर्मूल्यांकन का परीक्षाफल कैसे घोषित हो । मान्यवर, वह सदा प्रथम श्रेणी के कैरियर की छात्रा रही है । उसने इस विषय में बड़ा प्रयास

किया किन्तु उसे सफलता नहीं मिली और उसे बिना किये का दण्ड मिला । तो मैंने खुद कुलपति से कहा कि आप इसकी बिना किसी दोष के जिन्दगी क्यों खराब कर रहे हैं, इसकी दुबारा परीक्षा ले ली जाए । कहने का तात्पर्य यह है कि जिसको दण्ड देना चाहिए, जिसने कापियां खोईं उसको सजा न देकर सम्बन्धित छात्रों को दण्ड क्यों दिया जा रहा है ?

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक नरेन्द्र देव एकेडमी है, वहां पर वहीं के प्राचार्य द्वारा और उनके गिरोह द्वारा जाली प्रमाण पत्र और अंकतालिकाएं देकर बी0 एड0 और एम0 एड0 में संख्या में प्रवेश दिए जा रहे हैं । ऐसा मालूम हुआ है कि वहां पर आधे से अधिक छात्रों को भ्रष्टाचार करके और जाली प्रमाण पत्रों और अंकपत्रों के द्वारा प्रवेश दिया गया है । यहां पर कुल 162 छात्रों में से 72 छात्र राजस्थान, बिहार और पंजाब प्रदेशों के तथा दूरस्त जिलों मैनपुरी और फर्रुखाबाद इत्यादि के हैं । अनेक संगठनों ने और यहां तक कि उत्तर प्रदेश शिक्षक कांग्रेस (ई0) के अध्यक्ष ने भी वहां पर प्राचार्य और उनके द्वारा किये जा रहे घोर भ्रष्टाचार की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए उच्च स्तर पर जांच कराने की बार-बार मांग की है, किन्तु उस विश्व-विद्यालय के विरुद्ध कोई जांच नहीं हो रही है । यह दो चार वर्षों से लगातार जांच हो रही है. पता नहीं उनके पास कौन सा सोर्स है कि कोई भी जांच आगे नहीं बढ़ पाती है, वह बीच में ही बन्द होकर रह जाती है । यद्यपि मैं जानता हूं कि केन्द्र और प्रदेश सरकार के कौन लोग हैं जिनसे उनका निकट का सम्बन्ध है और जिसके चलते वह मनमाना कार्य और भ्रष्टाचार वहां पर कर रहे हैं । विश्वविद्यालय में यह स्थिति क्यों आई ? क्योंकि कोई एक ऐसे नियम नहीं हैं सभी विश्वविद्यालयों में अलग-अलग नियम हैं और वे मनमाने तरीके से बने हुए हैं और लागू हैं । डिग्री कालेज का जो मैनेजमेंट है वह कालातीत हो गया है । तो जब आप पूरा रुपया देते हैं तो इस प्रकार की अनियमितताओं और गड़बड़ियों को रोकने का भी आपका ही काम है । जो डिग्री कालेज की कमेटियां हैं स्टेट्यूट्री बाड़ी होनी चाहिए । उसमें पता चल जायेगा कहां पार्टीबन्दी है कौन कहां से चला आ रहा है ।

जो शिक्षा का मन्दिर होना चाहिए वह राजनीति का मन्दिर बन गया है । समस्याओं को देखने की आवश्यकता है इससे पहले माननीय मंत्रियों ने वादे किए हैं और यह विधेयक प्रस्तुत किया है तो आप क्या बता सकते हैं कि आप दुबारा फिर इस पर संशोधन नहीं लायेंगे और साथ ही साथ आप यह घोषणा करें कि धारा-50 के अंतर्गत जो काम करने हैं वह पूरे हो जायेंगे । आपने थ्री ईयर्स कोर्स लागू किया इसमें न तो पाठ्यक्रम है और न शिक्षक है और न ही कुछ और है, आप क्यों ऐसी अव्यवस्थित शिक्षा की जिम्मेदारी ले रहे हैं ? आप और आगे समय न लें और यह बता दें कि इतने महीने में हम पूरी स्थिति के संबंध में जानकारी दे पायेंगे ।

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्री प्रवीण कुमार शर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1988 पर विचार किया जाए ।

मान्यवर, आज सदन के समक्ष जो संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है । मान्यवर, इसमें अभी माननीय गुप्ता जी ने भी अपनी बात कही मान्यवर, इसमें जो संशोधन हो रहा है उसमें खास एक संशोधन है–"इस प्रकार नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों में एक ऐसा व्यक्ति होगा जो उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रहा हो ।" मान्यवर, कार्य परिषद् का गठन होता है यूनीवर्सिटी के अन्दर, विश्वविद्यालय के अन्दर वह ऐक्ट के तहत होता है । हमारे उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-73 की धारा–20 की उपधारा एक में खण्ड (छ) को देखें इसमें स्पष्ट दिया गया है, यह मैं कार्य परिषद् के गठन की बात कर रहा हूं । इसमें स्पष्ट किया गया है– "कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट, शिक्षा क्षेत्र में प्रतिष्ठित चार व्यक्ति होगें ।" इसके गठन में यह बात महसूस की गई अभी कार्य परिषद् के गठन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो न्यायिक दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सके, यह सब देखते हुए जूरिस्ट जिसको कहते हैं जिससे जो वहां की प्रक्रिया है उसमें वह न्यायिक दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सके, यह बात इसमें बढ़ाई गई है और यह कहा गया है जैसा कि मैंने अभी कहा कि "कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट शिक्षा क्षेत्र में प्रतिष्ठित चार व्यक्ति होंगे" संशोधन विधेयक में कहा गया है "इस प्रकार नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों में से एक ऐसा व्यक्ति होगा जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रहा हो ।" इसमें शिक्षा क्षेत्र की बात आ गई । विधि जो है वह स्वंय शिक्षा की साझेदार है, जो जूरिस्ट होंगे वह शिक्षा विधि समझ जायेंगे, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिससे गुप्ता जी को कष्ट हुआ हो ।

दूसरी बात जो आपने कही कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी तो जैसा कि आप जानते हैं कि यह जितने विश्वविद्यालय हैं उनके लिए परिनियम बनते हैं । परिनियमों में संशोधन का अधिकार हमको इसलिए लेना पड़ा है, पहले इस संदर्भ में यह निवेदन कर दूं कि मूल अधिनियम की धारा 50 में हमने संशोधन किया है । धारा 50 में जो हमने (1–क) तथा (2) संशोधन किये हैं उनको मैं पढ़ रहा हूं–

धारा–1क में हमने संशोधन किया है "राज्य सरकार 31 दिसम्बर, 1990 तक किसी समय प्रथम परिनियम को, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, संशोधित कर सकेगी चाहे वे परिवर्तन प्रतिस्थापन या लोप के रूप में हों या और कोई ऐसा संशोधन ऐसे भूतलक्षी दिनांक से हो सकेगा जो इस प्रकार प्रारम्भ होने के दिनांक से पहले का न हो ।

उपधारा (2) को मैं पढ़ रहा हूं । इसमें है कि "कार्य परिषद् 13 दिसम्बर, 1990 के पश्चात् किसी समय नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगी या उपधारा (1) अथवा उपधारा (1–क) में निर्दिष्ट परिनियमों में संशोधन या उन्हें निरस्त कर सकेगी ।

मान्यवर, हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी ? अभी आपने देखा कि भारत सरकार ने प्राध्यापकों के वेतनमान संशोधन करने के लिए एक मेहरोत्रा कमेटी नियुक्त की थी और उस कमेटी ने रिपोर्ट दी । उसी की संस्तुतियों के आधार पर भारत सरकार ने अपनी सलाह दी तो उसी सलाह के अनुसार राज्य सरकार ने भी उन्हीं वेतन-मानों को लागू किया । जो उन्होंने कहा है उसमें एक बात कही है कि यह जो वेतन-मान होंगे, अंग्रेजी में यह है इसका मैं हिन्दी में तरजुमा कर दूंगा । वह कहते हैं :–

रिक्रूटमेन्ट टू दि पोस्ट्स आफ लेक्चरर्स, रीडर्स एण्ड प्रेफेसर्स इन यूनी-वर्सिटीज एण्ड कालेजज शेल बी आन दि बेसिस आल मेरिट थ्रू आल इण्डिया एडवरटाइजमेन्ट एण्ड सलेक्शन ।

वह आगे कहते हैं :–

दि मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फार अप्वाइन्टमेन्ट टू दि पोस्ट्स आफ लेक्चरर्स, रीडर्स एण्ड प्रोफेसर्स विल बी दोज प्रेसक्राइब्ड बाई दी यू0 जी0 सी0, फ्राम टाइम टू टाइम ।

श्री अधिष्ठाता–

मंत्री जी इक्जीक्यूटिव कमेटी में एक आदमी को दाखिल करने की बात है । आप और चीजों से उसको मिला रहे हैं ।

श्री प्रवीन कुमार शर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी थोड़ी सी तबज्जे चाहूंगा आप इसको गौर से पढ़ लें, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने जो अपेक्षा की है उसके संदर्भ में पढ़ रहा हूं ।

तो मान्यवर, यू0 जी0 सी0 न लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स आदि की जो क्वालीफिकेशंस हैं अभी उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं किया है । हमारे यहां जो स्टेट्यूट्स हैं उसमें क्वालीफिकेशन निर्धारित हैं और मान्यवर, जब यू0 जी0 सी0 से यह सूचना हमें प्राप्त हो जायेगी, मान्यवर, कितना समय लगेगा, यह तो हम नहीं कह सकते कि वह हमको सूचना कब तक भेज देंगे । मान्यवर, यह अधिकार हम अगर नहीं लेंगे, तो यूनिवर्सिटीज अपने आप जो चाहेंगी, अपनी इच्छानुसार नियम बनाने लगेंगी । उससे मान्यवर, एकरूपता और समानता नहीं आयेगी और उसके साथ-साथ जो नान-टीचिंग स्टाफ है, उसमें सर्विस रूल्स नहीं बन पाये हैं । मान्यवर इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो उचित न हो, यह तो शिक्षा के हित और उच्च शिक्षा के हित में बहुत ही जरूरी है। इस पर मान्यवर विचार किया जाय ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1988 को राय जानने के लिए 30 जून, 1988 तक परिचालित किया जाय ।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने विधेयक पर जो बातें कहीं, उनको मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था । मान्यवर, मंत्री जी ने यह भी कहा कि इसमें कोई खास बात नहीं है, थोड़ी सी मामूली सी बात है, इसलिए इसको करना जरूरी है। फिर उसके बाद उन्होंने काफी लम्बा भाषण दिया, जो संशोधन वह इस विधेयक के माध्यम से लाना चाहते थे, उसके समर्थन में कहने के लिए उनके पास कोई ऐसा विषय ही नहीं था, इसलिए आपको भी मान्यवर, मजबूर होकर कहना पड़ा कि मंत्री जी विषय से बाहर बात मत करिये

मान्यवर, उस पीठ पर बैठकर आपने सही कहा, क्योंकि वह विषय से हट कर बात कर रहे थे । मान्यवर, अपने संशोधन के संबंध में उनके पास कोई तर्क ही नहीं था । मान्यवर, वह बार-बार यह कह रहे थे कि इसमें कोई खास बात नहीं है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं—"इनकी हर बात को मैंने बड़े गौर से जांचा है, पर फरेब से खाली इनकी कोई बात नहीं ।" मान्यवर, इन्होंने नियम बनाने की बात बड़े भोलेपन से कह दिया । इन्होंने कहा कि जो हम परिनियम बनाने जा रहे हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। अगर हम इसे नहीं बनायेंगे, तो यूनिवर्सिटीज जो चाहेंगी, अपने आप, अपनी इच्छानुसार काम करने लगेंगी । मान्यवर, यह जो विधेयक 1973 में बना था, सरकार कितनी लीव् गति से काम कर रही है, मंत्री जी का विभाग कितनी तेजी से काम कर रहा है, उसकी मैं मिसाल रखना चाहता हूं । मान्यवर, 1973 में यह विधेयक बना, उसमें यह था कि 78 तक परिनियम बना लिया जायगा । मान्यवर, पांच वर्ष का समय इन्होंने ले लिया, उसके बाद संशोधन लाये 1981 तक बढ़ाये, 84 तक बढ़ाये, फिर 85 तक बढ़ाये, फिर 87 तक बढ़ाये और आज 90 तक बढ़ा रहे हैं। मान्यवर, जो सरकार इतनी निकम्मी और इतनी अक्षम हो, जो परिनियम भी न बना सकती हो, 15 वर्ष में उससे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं । मान्यवर, जो इनको यह अधिकार दे दिये गये थे कि ये अपने एयर कंडीशंड कमरे में बैठ कर, मंत्री जी और इनके विभाग के अधिकारी नियम और परिनियम बना लें, तब ये वह नहीं कर पाये, तो अब ये किस मुंह से यह आश्वासन दे रहे हैं कि हम परिनियम बना लेंगे । मान्यवर, हमें तो आशा नहीं है।

माननीय मंत्री जी जरा इस पर रोशनी डाल दें । मान्यवर, दूसरी बात इन्होंने बड़े भोलेपन से कहा, "कार्य परिषद् के संबंध में धारा 20 का संशोधन करने जा रहा हूं उसके खण्ड-4 के अनुसार 4 व्यक्ति नामित करने जा रहा हूं ।" उसमें विधि की राय लेनी आवश्यक है। मान्यवर, जो ये करने जा रहे हैं, वह तो संविधान के प्रति अपराध है और इस विधान सभा की विधायिनी शक्ति से भी बाहर है । उसका कारण यह है कि अगर यह किसी रिटायर्ड जज के बारे में कह देंगे कि नियुक्ति करेंगे तो समझ में आता है। मान्यवर, मैं आज सुबह भी यही जानना चाह रहा

था,. अभी तक यह स्थिति यहां पर बनी थी कि आप विधायिका को कार्यपालिका के नीचे रख रहे थे, जो कार्यपालिका के ऊपर है। अब इसमें जो इन्होंने उल्लेख किया है जो धारा रखी है, मैं उसको पढ़े देता हूं—"परन्तु इस प्रकार नाम-निर्दिष्ट व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ऐसा होगा जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रहा हो।"

मान्यवर, यह सरकार का दिमाग कहां चला गया है जो सिटिंग जज है हाई-कोर्ट का या जो सिटिंग जज है सुप्रीम कोर्ट का उनको कार्यपरिषद् में नामित करने की बात कैसे हो सकती है ? जो सिटिंग जज है हाईकोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का वह इस कुलपति के नीचे काम करेगा? पहले तो जो प्रशासनिक कार्यकलाप में भ्रष्टाचार में पूरी तरह नामित है उनको कुलपति बनायेंगे और वहां उसके अधीन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सिटिंग न्यायाधीश को बैठायेंगे उसको सलाह देने के लिए । आपने इस विधेयक को विधि विभाग में भेजा होता तो एक स्वस्थ राय आ जाती और यह न होता ।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को नामिनेट कर देंगे और कार्यपरिषद् ने कोई प्रस्ताव पारित कर दिया और जज भी उसमें शामिल होगा प्रस्ताव के बनाने में तो कानून के अन्दर यह व्यवस्था है कि जो भी कानून के तहत स्टेट्यूटरी बाडी बनी हुई है उसमें कहीं कोई भी ऐसी बात है कि अधिकारों के बाहर जाकर कुछ करने की बात है या अधिनियम के विपरीत कुछ करने की बात है तो किसी भी व्यक्ति को सिविल न्यायालय में जाने का अधिकार है और यह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को नामित करेंगे और वह डिस्ट्रिक्ट जज के यहां जाकर उसके यहां से स्थगन आदेश लायेंगे । मान्यवर, यह सरकार का एक षड़यंत्र है। पहले तो यह विधायिका को बदनाम करना चाहते हैं विधायिका को अपने अंकुश के नीचे लाना चाहते हैं।

मान्यवर, अब इन्होंने यह भी शुरू कर दिया है कि जुडीशियरी के लोगों को जो हाई कोर्ट में सिटिंग जज है या सुप्रीम कोर्ट में सिटिंग जज है उनसे कहेंगे कि हम तुमको विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद् में रख देंगे । मैं जानता हूं कि इसमें बहुत दिक्कत होगी । मान्यवर, माननीय मंत्री जी यह बता दें कि अगर उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा कोई सलाह दी जाती है और उसके बाद जब डिस्ट्रिक्ट जज उसके ऊपर आर्डर देगा तो क्या यह न्यायपालिका का अपमान नहीं होगा ? अब मैं, माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि यह हमारे संविधान में दिया हुआ है कि न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग रहेगा यह उसकी स्पष्ट अवहेलना करता है। इस आधार पर मैं यह आपके सामने निवेदन करता हूं कि अभी इस मामले को जो मैंने रखा है, इस पर मैं बल देता हूं और एक बात और कहना चाहता हूं क्या उस कुलपति के नीचे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को रखेंगे जो भ्रष्टाचार का जीता जागता नमूना है ?

मान्यवर, रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय जो है वहां के जो कुलपति हैं वह हमारे माननीय मुख्य मंत्री के गुरू हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी उनको गुरू दक्षिणा देना चाहते हैं, सहर्ष दें, हमें कोई एतराज नहीं है। उनके गुरू हैं वे उनका सम्मान करें, मैं भी उनका सम्मान करता हूं। पर मान्यवर, उनको गुरू दक्षिणा देने में हमारे यहां के बरेली के प्रत्येक नागरिक का, बेरोजगारों के अधिकारों का हनन होगा तो ऐसी गुरू दक्षिणा हमें स्वीकार नहीं है। मान्यवर, वहां पर 100 लड़के हैं उन लड़कों को वह ले आये और तदर्थ नियुक्तियां कर दी और जब हमने विधान सभा में मामला उठाया तो उनको परमानेन्ट कर दिया यह भ्रष्टाचार उनके कुलपति कर रहे हैं। ऐसा भ्रष्टाचार इनके विश्वविद्यालयों में हो रहा है, इनके कुलपति कर रहे हैं और उसके बाद मान्यवर, फिर जब इसके बाद यह मामला विधान सभा में उठाया गया तो 30 आदमी और अवैध तरीके से नियुक्त कर दिये । जो बरेली को, क्या वहां से 400–500 किलोमीटर की परिधि में भी रहने वाले नहीं हैं। इधर चेतराम जी बैठे हैं वह मंत्री जी बरेली के हैं। उनसे लोग कहते है कि विश्व-विद्यालय में नौकरी दिलवा दें। मंत्री जी कहते हैं कि उन्हें अधिकार नहीं है, हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि यह हृदय से बड़े परेशान हैं, व्यथित हैं।

इनकी शक्ति पर वास्तव में मुख्य मंत्री जी का अत्याचार हो रहा है और इन मंत्री जी के आदमियों को नहीं रखा जा रहा है। तो ऐसे कुलपति जो भ्रष्ट हैं, ऐसे हथकण्डे अपना रहे हैं कि विधान सभा में मामला उठने के बाद भी गलत काम कर रहे हैं, वहां उनके अधीन उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के मौजूदा न्याया-धीशों को रखा जा रहा है। इनकी मति भ्रष्ट हो गयी है । परन्तु, यह विधान सभा, संविधान और न्यायपालिका के अधिकारियों को भी भ्रष्ट करने पर उतारू हुए हैं । इसलिए मैं इस बात पर बल देता हूं कि यह विधेयक मा0 मंत्री जी वापस ले लें और इसको सबकी राय जानने के लिए परिचालित किया जाय ।

*श्री राम गोविन्द चौधरी–

मा0 अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1988 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ।

श्रीमन्, यह जो विधेयक मा0 मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, इस पर हमारी आपत्ति है और आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से निवेदन है कि इसको प्रवर समिति में भेज दें । क्यों भेज दें ? इसमें इन्होंने जो नाम निर्देशित 4 लोगों को रखा है, इसमें देख लें, प्रथम में ही रखा है कि 4 प्रतिष्ठित व्यक्ति रखे जायेंगे और श्रीमन्, अभी एक नया विश्वविद्यालय खुला है, जौनपुर में, आप उसकी लिस्ट मंगाकर देख लें । आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है जिसमें विश्वविद्यालय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

में सदस्यों को आप देखें तो या तो शिक्षाविद् हो या बहुत बड़ा सामाजिक कार्यकर्ता हो या किसी भी विषय का विशेषज्ञ हो तो ऐसे लोगों को उसमें नामित किया जाय और एक ऐसा अलग काम किया गया जौनपुर विश्वविद्यालय में जितने लोगों को इन्होंने नामित किया है, सब कांग्रेस (आई) के सक्रिय नेता हैं और उन्हीं को इन्होंने नामित कर दिया ।

पहली दफा प्रयोग किया कि विश्वविद्यालय के कोर्ट को भी यह कांग्रेस पार्टी के रूप में परिवर्तित कर दिये हैं। आप लिस्ट मंगाकर देख लें । मैं पीठ पर आक्षेप नहीं करता । आप कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, लेकिन इसमें पार्टी के सदस्यों को किसी विश्वविद्यालय के कोर्ट में नाम निर्देशित कर दिया, क्यों ? मा0 मंत्री जी बतावें कि एक भी प्रतिष्ठित व्यक्ति, मा0 मंत्री जी मैं चुनौती के साथ कहता हूं, जौनपुर विश्वविद्यालय में जितने लोगों को नामित किया है, वह किसी भी किनारे से प्रतिष्ठित हों तो मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि केवल पार्टी के नाम पर अप्रतिष्ठित लोगों को नामित कर दिया है ।

बरार साहब ने कहा कि आज तक किसी आयोग में किसी जज को रखने की व्यवस्था की गयी तो रिटायर्ड जज रहते हैं। रिटायर्ड न्यायाधीश या रिटायर्ड उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के सदस्य हों, उनको रखा जाता है लेकिन जो जज कार्य कर रहा हो और उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में; इन जजों को नियुक्त करने का कौन सा प्राविधान किया है। उसको भ्रष्टाचार में लिप्त क्यों करना चाहते हैं ? क्योंकि विश्वविद्यालय इस समय भ्रष्टाचार से बिल्कुल ओतप्रोत हो गया है । मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि इसी हाउस में 2 साल पहले मा0 मुख्य मंत्री जी ने स्पष्ट घोषणा की कि गोरखपुर विश्वविद्यालय से सम्बन्धित जो विद्यालय हैं हमारे बलिया में मुरली मनोहर टाउन महाविद्यालय, वहां पर एग्रीकल्चर की पढ़ाई होती है । तो जबसे एग्रीकल्चर को मान्यता मिली है केवल 24–25 सीटें हैं । जनसंख्या बढ़ गयी, छात्र संख्या बढ़ गयी, मैंने इस प्रश्न को यहां विधान सभा में उठाया कि वहां पर एडमिशन में दिक्कत हो रही है, आपके 9-10 इण्टरमीडिएट कालेज हैं एग्रीकल्चर के, अब मान्यवर, वहां बिहार के लड़के आ जाते हैं, आंध्र से लड़के आ जाते हैं, दूसरी जगह से लड़के आ जाते हैं, बलिया के लड़के ही हैं उत्तर प्रदेश की अन्य जगहों के लड़के हैं, उनका एडमिशन एग्रीकल्चर में नहीं हो पाता है। 2 साल पहले इसी विधान सभा में इसे उठाया था, इसी हाउस में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि 30 सीट हम टाउन महाविद्यालय में एग्रीकल्चर की बढ़ाने की घोषणा करते हैं यह उन्होंने 2 साल पहले कहा था। जब मैंने पूछा कि आखिर कब से यह सीटें बढ़ेंगी, तो माननीय शिक्षा मंत्री सिब्ते रजी साहब ने कहा कि इसी सत्र से करीब 30 सीट की संख्या हम वहां पर बढ़ा देंगे । मान्यवर, बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि दो साल बीत गया है उस घोषणा को हुए और आश्वासन के बावजूद कि इसी सत्र में बढ़ा देंगे, आज तक उस पर कार्यवाही नहीं हुई, आवश्यक संस्तुति नहीं गयी । मान्यवर, इसके अलावा कहना चाहता

हूं कि सतीश चन्द्र महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति बिल्कुल बेकार सी हो गयी है। आपको जब पैसा ही देना है तो उसे क्यों नहीं अपने हाथ में ले लेते हैं। मैनेजमेंट के लोग दो महीने बाद दूसरे प्रिंसिपल को रख देते हैं, 4 महीने बाद दूसरे प्रिंसिपल को रख देते हैं यह क्रम वहां लगातार चल रहा है । सतीश चन्द्र महाविद्यालय बलिया में 95 प्रतिशत टीचर-प्रिंसिपल के पद को सुशोभित कर चुके हैं। हर चार महीने बाद वहां दूसरा प्रिंसिपल हो जाता है।

श्री अधिष्ठाता –

माननीय सदस्य विधेयक की मंशा पर आ जायें ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, यह उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने बात कही । मान्यवर, तमाम भ्रष्टाचार की बातों को छिपाने के लिए, इस तरह से लोगों को वहां नाम निर्देशित करने के लिए, यह बिल आप यहां लाये हुए हैं। इसको आप विचार के लिए प्रवर समिति के पास भेज दें। प्रवर समिति इसको ठीक मानेगी तो ठीक है, अगर कोई संशोधन करती है तो उसे स्वीकार कर फिर आप दोबारा बिल को यहां लायें । मैं प्रवर समिति के अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं।

*श्री लाल प्रताप सिंह–

मान्यवर, इस एमेन्डमेंट के संबंध में, जो यूनिवर्सिटी एक्ट एमेन्डमेंट बिल है, उसमें दो बातों की ओर माननीय गुप्ता जी ने इशारा किया दो महत्वपूर्ण एमेंडमेंट हैं। एक तो यह कि चार व्यक्तियों में से जो एक्जीक्यूटिव काउंसिल में नामित किये जायेंगे, एक एसा व्यक्ति होगा, जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हो या सिटिंग जज हो । सिटिंग भी हो सकता है या जो रिटायर्ड है वह भी हो सकत्ता है। दूसरा, जैसा उन्होंने कहा कि स्टेच्यूरी बढ़ाने का जो अधिकार है, वह मांग रहे हैं । यह अधिकार 87 तक था, वह 90 तक कर दिया जाय । सबसे प्रथम बात तो यह है कि माननीय बरार जी ने इस पर एतेराज किया कि जज का नामिनेशन उचित नहीं है और उसके बहुत से तर्क दिये । मान्यवर, वास्तव में इस वक्त जजेज के वास्ट एक्सपीयरेंस और ला की ऊंची जानकारी से उसकी वर्किंग बेहतर होगी । एमीनेन्ट्स परसन्स 4 इन्होंने कह कह दिया, एक जज की बात आ गयी । मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इससे किस जगह और कहां बाधा पड़ रही है और कहां इसमें कमजोरी आ रही है। मान्यवर, बहुत से मुल्क तो एसे हैं जहां जजेज का इलेक्शन होता है। बहुत से मुल्कों में जो सिटिंग जजेज हैं, वे एजूकेशनल इंस्टीट्यूशंस से एसोसियेटेड हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

और बहुत से ऐसे मुल्क हैं, जहां जजेज पूरे तरीके से अपने विचार व्यक्त करते हैं। लेकिन जब वह कुरसी पर बैठ जाते हैं, तो उस नजरिये को एडाप्ट करते हैं, जो लीगल और ला का होता है। यहां पर उनका वर्किंग बेहतर हो जायेगा। जब एक आदमी एक्सपीरियंस्ड, और एक आदमी रिटायर जज या काम करता हुआ हो, उसके जाने से एक्जीक्यूटिव काउन्सिल का वातावरण ही बदल जायेगा, इससे उसमें एक दूसरी बात पैदा हो जायेगी। तो मैं कहना चाहता हूं कि इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि जज के आ जाने से किसी तरह की कोई परेशानी हो जायेगी। न इसमें किसी कानून का हनन है और न कोई भ्रष्टाचार वाली बात है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं निवेदन करूं कि जजेज को तो प्रेसीडेन्ट ही एप्वाइन्ट करते हैं और प्रेसीडेन्ट एलेक्टेड आदमी होता है, किसी पार्टी का आदमी होता है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के किसी जज का नाम निर्दिष्ट होगा, तो वह भी जज ही करेगा। इसमें किसी किस्म की बुराई कोई परेशानी नहीं है। यह वेल कन्सीवड् एमेन्डमेंट है। इसमें सरकार का इन्डीकेशन बहुत अच्छा है कि ऐसे व्यक्ति को लाया जाय, जो इन कठिनाईयों को दूर करने में सक्षम हो। बहुत सी कठिनाईयां पहले से ही बढ़ती जा रही है। अगर कोई एक्सपीरियन्साड आदमी एक्जीक्यूटिव में आयेगा तो यह त्रुटियां दूर हो जायेंगी। आपने कहा कि बहुत से नियम पारित हो गये, जो बाद में सब्जेक्ट मैटर आफ रिट हो सकते हैं, न्यायालय में जाया जा सकता है।

अगर कोई जज किसी नियम में भागीदार हुआ है, तो उसका मामला दूसरे के यहां चल जायेगा, यह इस तरह के नियम बने हुये हैं। वैसे किसी ने रिट दायर की, किसी ने एमेन्डमेंट के लिये, किसी ने सर्विस कन्डीशंस के लिये। तो जज की बात को वहां जज ही देख रहा है, यह तो एक परम्परा बनी हुई है कि जब वह देखता है तो नियम के अनुसार ही देखता है। कानून में जब आदमी आ गया, तो वह किसी विशेष की बात नहीं रह जाती जज तो नियमों को लेकर ही देखता है इसलिए जो बात चौधरी जी ने कही, वह बेबुनियाद है। माननीय मंत्री जी ने इसकी पूरी तरह विवेचना की है। इसका कारण यह है कि समय-समय पर यू0जी0सी0 के निर्देश आते रहते हैं और भी कमेटीज के निर्देश आते रहते हैं, उनको इनकारपोरेट करना जरूरी होता है। ऐसा इसलिये है कि इसमें यूनिफारमिटी हो जाय, इसलिये यह सरकार इसे लाना चाहती है। यू0जी0सी0 का निर्देश कब आये यह कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए इस अधिकार को लेने की आवश्यकता पड़ी है कि जरूरत पड़ने पर यूनिवर्सिटी भी नियमों को बदलकर के यूनिफारमिटी ला सके।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी को भी अपने आर्डिनेन्स बनाने का अधिकार है। वह खुद अपनी स्टेचटरी बना सकते हैं। लेकिन सरकार को भी अधिकार है। एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी का मतभेद न हो, इसलिये वह इस अधिकार को मांगते हैं, उनका अधिकार मांगना उचित है। जो अधिकार मांगा गया गया है, वह उचित दृष्टिकोण से मांगा गया है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपकी इजाजत से शिक्षा के सम्बन्ध में भी दो बात कहूंगा। इसमें कोई सन्देह नहीं कि थोड़ा विषय से विषयान्तर है। इस वक्त प्राइमरी स्टेज से लेकर यूनिवर्सिटी स्टेज तक

हर नागरिक की शिक्षा आज चिन्ता का विषय हो गया है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि कभी-कभी सख्त आपरेशन की जरूरत पड़ती है। कभी-कभी साधारण दवा से ही मर्ज ठीक हो जाता है और कभी-कभी शरीर पर आपरेशन करने की जरूरत होती है इस वक्त माननीय मंत्री जी आपको आपरेशन करने की जरूरत है। आज प्राइमरी शिक्षा की यह हालत है आप कहीं भी चले जायं, एक जबर्दस्त शिकायत है, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है । मेरा सुझाव है कि आप प्राईमरी स्कूलों में पेरेन्ट्स की एक मैनेजिंग कमेटी बना दें। आज शिक्षा में एक परिवर्तन की आवश्यकता है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि टीचर्स को सम्मान मिलना चाहिए लेकिन टीचर्स को शिक्षा के प्रति समर्पित भी होना चाहिए। यहां भी तनख्वाह लेते हैं, वहां भी तनख्वाह लेते हैं, यहां भी राजनीति करते हैं और वहां भी राजनीति करते हैं।

जब तक आप इसे राजनीति से अलग नहीं करेंगे तब तक पठन-पाठन का काम ठीक ढंग से नहीं चल पायेगा। सारी दुनिया में आज तक कहीं भी टीचर सड़क पर नहीं आया । मैंने जितना पढ़ा किसी भी यूरोपियन देश में या अन्य देशों में स्टेडेन्ट पालीटीशियन व टीचर्स पालीटीशियन शब्द मैंने नहीं पढ़े । शिक्षा को बिल्कुल सेक्युलर बनाया जाय और यही हमारा आधार है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बिल का समर्थन करता हूं ।

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी–

मान्यवर, श्री लाल प्रताप सिंह जी ने कहा कि यू0जी0सी0 से इन्स्ट्रक्शन्स आते रहते हैं इसलिए रिनियमों को बनाने में देरी हुई है। अगर ईमानदारी से हम इसे स्वीकार करें तो डेढ़ दशक में भी परिनियम नहीं बनाये गये, यह कितने शर्म की बात है। मैं तो कहता हूं कि आज भी यू0जी0सी0 के इन्स्ट्रक्शन्स आते रहते हैं। यदि इस संशोधन को स्वीकार आप करते हैं तो यह गलत परम्परा होगी । मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि वह घोषणा करें कि इस बार निर्धारित अवधि में इसे बना लेंगे और समय नहीं मांगेंगे । दफा-20 में जो संशोधन किया गया है उस के बारे में भी मैं कहना चाहता हूं कि श्री लाल प्रताप सिंह जी ने जो कहा है इस सम्बन्ध में मैं उनसे सहमत नहीं हूं। वह कहते हैं कि जज को रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं कहता हूं कि आज चाहे वह ज्युडिशियरी हो, एक्जक्युटिव हो या लेजिस्लेटिव हो, सबके बारे में भ्रष्टाचार की शिकायत है।

यदि आप ज्युडिशियरी को शामिल करेंगे तो वह भी भ्रष्टाचार की चपेट में आ जायेगा। वह जमाना चला गया कि यूनीवर्सिटी में डा0 राधाकृष्णनन व आचार्य नरेन्द्र देव जैसे लोग कुलपति व उप कुलपति होते थे, जिनके सबोर्डिनेशन में काम करने में लोग गर्व महसूस करते थे, लेकिन आज आपने सारे यूनीवर्सिटीज में रिटायर्ड आई0ए0एस0 बैठा दिये हैं जिनका अपना भ्रष्टाचार का इतिहास होता है। अगर उनके सबोर्डिनेशन में कोई जज को बैठा दिया जायेगा तो निश्चित तौर से ज्युडिशियरी का अपमान होगा ज्युडिशियरी का ट्युमिलिएशन होगा और ज्यूडिशियरी में भ्रष्टाचार की संभावनायें बढ़ेंगी। दूसरी बात जो माननीय बरार साहब ने कहा, वह गम्भीर बात है। हम वहां पर बैठेंगे, अगर जज रहेगा, एक फैसला लेगा और अगर कोई चुनौती देगा मुंसिफ की अदालत

में और मुन्सिफ को मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट के या हाईकोर्ट के जज बैठे थे, तो वह दस बार हिचकिचायेगा। एक्सेप्शनल केसेज मिलेंगे उन्हें छोड़ दीजिये नहीं तो मुन्सिफ को अगर मालूम हो जाय कि इस फैसले में हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज की भी शिरकत रही है, तो वह उसे कैंसिल नहीं कर पायगा। जुडिशियरी के जो सिटिंग जजेज को सम्मिलित करने का प्रावधान किया है, उसे वापस ले लीजिये। जहां तक लीगल ओपीनियन की बात है, स्टैण्डिंग काउन्सिल या एल0आर0 को शामिल किया जा सकता है जज की जगह पर लीगल ओपिनियन लेने के लिए। लेकिन जुडिशियरी का अपमानित करने का प्रयास न करें।

*श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

मा0 शिक्षा मंत्री जी स्वयं प्रिन्सिपल रहे हैं। आपका ध्यान पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर की ओर ले जाना चाहता हूं। जो 8 लीग एग्जीक्यूटिव काउन्सिल में नामीनेट किये गये हैं, उनको स्नातक होना चाहिये, लेकिन एक भी व्यक्ति स्नातक नहीं है। कोई जिला कांग्रेस कमेटी का सदस्य है, अध्यक्ष है या संसद सदस्य है। यह संशोधन जो रखा उसका ध्यान कर लें। क्या यह जो संशोधन रखा है, इसके तहत विश्वविद्यालय में नोमीनेशन करेंगे? जैसा बरार जी ने उठाया कि अगर हाईकोर्ट के जजेज को रखेंगे, तो क्या कठिनाई आएगी? इसे मा0 तिवारी जी ने भी कहा, एल0 आर0 या रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज को रख लें।

गाजीपुर में माननीय मुख्य मंत्री जी गये थे, वहां पर एग्रीकल्चर में दाखिले की बड़ी समस्या थी, 50 सीट बढ़ाने की बात थी, आज तक नहीं किया गया। इसी के साथ ही मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1988 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय सदस्य प्रतापगढ़ एक अच्छे वकील हैं, लेकिन कभी-कभी तकलीफ होती है जब पिटा हुआ मुकदमा लेकर उनके आरगूमेण्ट्स को हल्का होते हुए देखता हूं। एक साहब थे, उनका लड़का बीमार हो गया, इलाज किया, लेकिन वह चल बसा, जब दूसरा लड़का बीमार पड़ा तो उन्होंने उसका इलाज नहीं कराया, जब लोगों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि पहले लड़के का इतना इलाज किया लेकिन वह मर गया, अब इसका इलाज कराकर क्या करेंगे। यही बात माननीय लाल प्रताप सिंह जी ने भी कही। जैसा माननीय तिवारी जी ने कहा है और सदस्यों ने भी कहा है, अपनी तरफ से बल देता हूं कि निर्धारित तिथि तय करके परिनियम बना दीजिये कि यू0जी0सी0 से कोई निर्देश आयेंगे तो संशोधन कर दिया जायगा, पूरे विश्वविद्यालय की व्यवस्था एक सी रहे इसी लिए इसका बनाना आवश्यक है। रही नियुक्ति की बात को 4 व्यक्तियों की नियुक्ति का अधिकार तो है ही। पिछली बार लखनऊ विश्वविद्यालय के नोमीनेटेड व्यक्तियों की सूची से अवगत कराया था, आज मा0 सुरेन्द्र सिंह जी ने जौनपुर के बारे में बताया। इसीलिये आपने कहा कि एक जज भी होना चाहिये। आपने जो गलत नियुक्तियां की हैं,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसी से शंकित होकर आपने ऐसा प्राविधान बनाया है। यह भी इसलिये नहीं होगा कि जिस आदमी की गलत काम करने की आदत पड़ गयी है वह गलत काम करता ही रहेगा । इसलिये जुडीशियल सर्विस के लोगों को इसमें आप मत लाइये । आपने जो दो बातें कही हैं तो उसके लिये मेरा कहना है कि पहली को तो आप वापस ले लें और दूसरी के संबंध में माननीय मंत्री जी घोषणा करें कि इतने दिनों में यह लागू कर दिया जायेगा ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मैंने प्रस्ताव को प्रस्तुत करते समय ही अधिकतर बातें कह दी थीं परन्तु अब मैं कुछ बातों पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैंने जब संशोधन रखा था तब कहा था कि अगर कोई जज चाहे वह हाईकोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट का हों, कार्य परिषद् में नियुक्त होगा और उसकी राय से तय हुए किसी फैसले को लेकर आदमी अदालत में चला जाय और चैलेंज करे तो एक तरफ जैसे कि तिवारी जी ने कहा कि जज की हैसियत से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज का जहां पर संबंध है, उसका फैसला क्या होगा ? दूसरी बात यह कही थी कि सुप्रीम कोर्ट के जज का फैसला खारिज करके फिर न्यायपालिका का कितना अपमान होगा इसकी कल्पना मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी जरा आप करने की कोशिश करें ।

इससे जो स्थिति पैदा होगी और दूसरी बात जो कही गयी कि भूत पूर्व जज की नियुक्ति कर दिया जाय, मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूं । आज जो जज कार्यरत है उसके लिये आपने पहले से ही कुर्सी नियुक्त कर दी ? उनको लालच दे रहे हैं पहले से कि जब वह जज रिटायर होगा तो उसकी नियुक्ति हम यहां पर कर देंगे । यह कार्यपालिका की निन्दा करने की बात है, यह उसका कुत्सित प्रयास है । हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज जब कार्यकारी परिषद् में बैठेंगे तो फिर इस विधान सभा की विधायिनी शक्ति से बिलकुल परे की बात हो जायेगी ।

अभी दिल्ली में वकीलों की हड़ताल चल रही थी तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि दिल्ली प्रशासन को कोई अधिकार नहीं है कि वह कार्यरत हाई कोर्ट जज को किसी जांच आयोग में स्वयं नियुक्त कर दे । जज कार्यपालिका के अधीन नहीं है। वह कार्यपालिका में नहीं आता है, यदि उनके किसी जज की आवश्यकता है चाहे कार्यपालिका के कार्यों के खिलाफ जांच के लिए आयोग में ही उन्हें कार्य करना है तो भी वह हमारे पास आवेदन कर सकते हैं कि किसी जज को हम वहां नियुक्त कर दें । तो इस प्रकार की जो स्थिति है, हमारा मन्तव्य इस संशोधन को लाने का यही है कि हमारे हाथ से ऐसे कृत न हो जांय कि जिससे विधान सभा से विधायिनी शक्ति परे भी हो जाय और न्यायापालिका को अपमानित करने वाली हो ।

अभी मा0 लाल प्रताप सिंह ने कहा कि उनका वास्ट अनुभव होता है तो मैं समझता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री अन्य मंत्रियों को भी वास्ट अनुभव है, उनको कुलपति के नीचे कार्यकारी परिषद् ने नियुक्त करने का प्रस्ताव लाइये तब तो हम मानें ? लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आपकी एक ही थिंकिंग है कि विधायिका और न्यायपालिका को अपमानित किया जाय । मैं इसका घोर विरोध करता हूं और अपने प्रस्ताव पर पुनः बल देता हूं ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैंने प्रस्ताव के शुरु में ही कहा था कि अगर माननीय मंत्री जी जज वाली शब्द हटा लें तो हम लोग इस पर सोच सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि मा0 मंत्री जी ढ़ढ़ हैं जैसा कि मा0 बरार जी ने कहा है, मैं भी कहता हूं कि उत्तार प्रदेश की सरकार और केन्द्र की सरकार न्यायपालिका को प्रसन्न करने में पहले से ही लगी हुई है। जज चाहे कार्यरत हों या रिटायर हों, इनको जजों की नियुक्त करने का फल भी मिल गया है कि यह जो ठक्कर नटराजन आयोग बैठा था, इस लालच में यह गलत जजमेंट कर दिया कि जब तक यहां कार्यरत हैं, तो हैं, और इसके बाद जब रिटायर हो जायेंगे तो कहीं न कहीं एडजस्ट कर दिया जाए, इस लालच में इस तरह का फैसला दे दिया . . . .

श्री लाल प्रताप सिंह–

किसी भी जज के विरुद्ध इस प्रकार का आरोप यहां पर लगाना मान्यवर, उचित नहीं है, इसलिए ऐसा आरोप कदापि नहीं लगाया जाना चाहिए . . . . (व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

बिल तो आप जज का लाए हैं और हम बात करें क्लर्क की (हंसी)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

नहीं श्रीमन् इनका आशय सिर्फ इस बात से है कि जिस प्रकार से ठक्कर नटराजन के बारे में तमाम आदमियों की धारणाएं प्रदेश में चल रही हैं, इसलिए यदि फिर किसी जज का कोई मामला इसी प्रकार का आए और इनकी स्थिति फिर धूमिल हो, यह नहीं यह चाहते हैं ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, मैं कह रहा था कि जिस लालच के तहत उन्होंने उस पर उल्टा जजमेंट दिया और सरकार की मंशा भी हम लोग जान रहे हैं, दूसरी बात जैसी कि मैंने पहले कही थी, अपनी शंका को जाहिर किया था कि जौनपुर विश्वविद्यालय जो नया खुल रहा है तथा उसमें जो नामिनेशन्स किए गये हैं, उसमें ज्यादातर कांग्रेस आई के पदाधिकारी व कांग्रेस आई के ही मा0 सदस्य आदि हैं और इनमें ग्रेजुएट एक भी नहीं है जबकि इस ओर प्राविधान है कि ग्रेजुएट व्यक्ति ही को उसमें नामिनेट किया जायेगा । तो इस प्रकार से भ्रष्टाचार का दरवाजा आप खुद खोल रहे हैं इन जजों के लिए लेकिन मा0 लाल प्रताप सिंह जी कहते हैं कि इन जजों की बात न करिए इनका स्थान बहुत ऊंचा है . . .

(व्यवधान के मध्य)

श्री लाल प्रताप सिंह–

मान्यवर, मैंने तो यह व्यवस्था यहां पर इस लिए उठायी थी कि हर चीज की एक गरिमा, एक स्ट्रक्चर और अपना एक कांस्टिट्यूशन होता है, इसलिए यहां बैठकर हम ऐसा कुछ न कहें, जिस पर किसी के अधिकारों का हनन होता हो, इसलिए मैंने निवेदन किया ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय, जब लोग अपने और अपने पद की गरिमा के विरुद्ध काम करें तो ऐसा करके उस गरिमा वाले पद को कलंकित करना ही कहा जाएगा इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे भ्रष्ट लोगों को यदि पालिका से कार्य-पालिका की तरफ लाया गया तो इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है अगर इसे कुछ उपयोगी बनाना ही चाहते हैं तो इस ओर आप कुछ अच्छे लोग लाईए उनका नामीनेशन करिए जो ईमानदार हों, शिक्षित हों, कार्य-कुशल और व्यवहार कुशल हों उनको नामिनेट करिए । इसलिए मैं फिर कहूंगा अंत में ऐसे लोगों को जो इसमें आए ले आए हैं, दुबारा प्रारूप बनाकर फिर से इस ओर विचार करके रखिए अन्यथा मैं इस विधेयक को बल देते हुए प्रवर समिति के सुपुर्द करने की बात कहूंगा ।

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

माननीय, मैं अपनी बात को सिर्फ साढ़े तीन मिनट में ही कह दूंगा, इससे अधिक समय नहीं लूंगा . . (व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मा0 मंत्री जी एक गाना तो केवल 3 मिनट का होता है और आप साढ़े तीन मिनट लोंगे . . . . (हंसी)

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

माननीय, जैसा कि मा0 राम गोविन्द चौधरी व मा0 तिवारी जी ने जो बातें कहीं और जैसा कि माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्ता जी ने बड़ी ही तर्क संगत बातें कहीं मैं इन सब को धन्यवाद देता हूं और एक बिन्दु उन्होंने कार्य परिषद् के गठन का उठाया है, जिसमें 4 कुलाधिपति द्वारा नियुक्त होने हैं । इन चार में से इस संशोधन में यह कहा गया है कि एक पद के लिए कहा गया है कि जो रिटायर या कार्यकारी जज होंगे, उनको यहां स्थान दिया जायेगा और इसका कुल कारण यह है कि उससे न्याय की दृष्टि कोण प्राप्त हो सकेगी और कार्य परिषद् जब कोई एक्शन लेगी, वह न्यायिक व्यक्ति और न्याय में दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति आगे की मुकदमेबाजी में उनको बचा सकेंगे । दूसरी बात यह कही गयी है कि इसकी अवधि जो बढ़ाई गयी है, तो मेरा कहना है कि हमारी मंशा इसके कार्यकाल को बढ़ाने की नहीं है, वह दिसम्बर, 1987 तक है और उसको 1990 तक बढ़ा दिया है ।

मैं माननीय गुप्ता जी क ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जैसा मैंने बतलाया कि हर समय बढ़ाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जब जरूरत पड़ जाती है, तो समय को बढ़ाना पड़ा है । बरार जी ने बहुत लम्बा चौड़ा भाषण दे दिया और जो बात उन्होंने कही है, उसका उत्तर आधे मिनट ही में देने का प्रयास करूंगा, उन्होंने किसी तर्क की बात नहीं कही है, उन्होंने तो केवल भ्रष्टाचार की बात कही है और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि मुख्य मंत्री जी दक्षिणा देना चाहते हैं, तो ऐसी बात नहीं है, यह आरोप उनका गलत है । बरार साहेब ने एक शेर पढ़ दिया था, अगर आप की आज्ञा हो तो मैं भी उनके लिये जवाब में शेर पढ़ दूं ।

''खिले गुलशने वफा में, गुले नामुराद ऐसे :
न बहार ही ने पूछा, न खिजा के काम आये ।''

श्री शतरुद्र प्रसाद–

मान्यवर, लम्बा टीका मधुरी बानी, दगाबाज की यही निशानी ।

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

तो मान्यवर, मेरा निवेदन है कि चौधरी साहेब ने जो संशोधन का प्रस्ताव रखा है, उसको वापस ले लें और विधेयक को पास होने दें ।

श्री अधिष्ठाता–

श्री राम गोविन्द चौधरी जी क्या आप इसे वापस ले रहे हैं ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जी नहीं ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1988 का अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता –

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1988 को राय जानने के लिए 30 जून, 1988 तक परिचालित किया जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1988 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1988 पर विचार किया जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 से 5, खण्ड–1 प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1988

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उन्नतालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1988 कहा जायगा ।

(2) धारा 3 पहली जनवरी, 1988 को प्रवृत्त हुई समझी जायगी, धारा 2 और 4 पन्द्रह जनवरी, 1988 से प्रवृत्त हुई समझी जायगी और शेष उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा यथासंशोधित और पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973 की धारा 20 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 को, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 20 में उपधारा (1) में, खण्ड (छ) में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

"परन्तु इस प्रकार नाम-निर्दिष्ट व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ऐसा होगा जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रहा हो ।"

धारा 50 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 50 में, —

(क) उपधारा (1-क), में शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1987" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1990" रख दिए जायेंगे ; और

(ख) उपधारा (2) में, शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1987" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1990" रख दिये जायेंगे ।

4—इस धारा के प्रारम्भ के पूर्व मूल अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (1) के खंड (छ) के अधीन कार्य परिषद् के सदस्य के रूप में नाम-निर्दिष्ट कोई व्यक्ति ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से ऐसी कार्य परिषद् का सदस्य नहीं रह जायगा ।

कार्य परिषद् के कुछ वर्तमान सदस्य जो अब सदस्य नहीं रह जायेंगे

5—उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1988 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तद्नुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्यवाही समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन् 1988

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि इस विधेयक के खण्ड 2 से खण्ड 5 तक खण्ड 1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री प्रवीण कुमार शर्मा—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1988 पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1988 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड अध्यादेश, 1988 के अननुमोदन का संकल्प एवं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड विधेयक, 1988

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह संकल्प रखता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड अध्यादेश, 1988 का अननुमोदन करता है । माननीय मंत्री जी ध्यान देने की कृपा करें । इन्होंने आर्डिनेन्स जारी कर दिया । पता नहीं क्या जल्दी थी । 15 फरवरी को यह जारी किया गया और आज यह विधेयक की शक्ल में सदन में रखा गया है । मान्यवर, इसके अध्याय दो में बोर्ड की स्थापना के बारे में लिखा है कि ऐसे दिनांक से जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे, एक बोर्ड स्थापित किया जायेगा जिसे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड कहा जायेगा ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अभी तय नहीं है केवल आर्डिनेन्स लाकर यह तय किया गया है । इसका गठन कब किया जायेगा, लागू कब किया जायेगा । शंका हमारे दिमाग में हुई । क्योंकि इन्होंने एक उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास विकास परिषद् बनाई है, उसके लिए रुपया का प्राविधान कर लिया था, तीन बजट यहां पर उसके लिए रखे । वह पैसा बराबर सरेन्डर होता था और अब तीन वर्ष के बाद उसका काम प्रारम्भ हुआ। जल्दबाजी में बिना कुछ सोचे समझे ही आपने निर्णय ले लिया । इसकी वास्तविकता में न जाकर मान्यवर, मैं केवल कुछ सुझाव देना चाहूंगा क्योंकि अगले विधेयकों पर लोग ज्यादा रुचि लेना चाहते हैं । मान्यवर, यहां पर इन्होंने सचिवालय का दर्जा तो दे दिया । यह एक अच्छी बात उन्होंने की कि यह अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड बनाया और यह उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सचिवालय पर लागू नहीं होगा । यह जो फैसला इन्होंने किया है मैं इसकी तारीफ करना चाहता हूं ।

मान्यवर, यह इन्होंने क्यों किया है? इसलिए किया है कि हमारा जो संविधान है उसके अन्दर न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका—ये तीन अंग हैं । इन तीन में से दो को आपने अलग कर दिया । इससे मालूम होता है कि सरकार की नीति ठीक नहीं है । इसलिए नहीं है कि सरकार का यह फैसला था कि जब कभी कार्यपालिका के कर्मचारियों का वेतन और उनकी सुविधाएं बढ़ेंगी, वही विधान मंडल सचिवालय के कर्मचारियों पर भी लागू रहेंगी । यह आपने सिद्धान्ततः स्वीकार की है । लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि यह सरकार कार्यान्वयन के समय तो हस्तक्षेप करती है लेकिन नये वेतन के हिसाब से जब परिलब्धियां बढ़ती हैं तो उसका लाभ इस सचिवालय के कर्मचारियों को नहीं देती है ।

इस बात को ध्यान में रखते हुए, अपने कर्मचारियों की सेवाओं को ध्यान में रखते हुए उनकी अधिक काम करने की स्थिति में उन्होंने एक माह का एक्स-ग्रेसिया स्वीकार किया है । लेकिन शासन ने माननीय अध्यक्ष के निर्णय के ऊपर भी एक कमेटी बनाई है जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है । एक तरफ तो यहां पर यह कहा जाता कि यहां के लोगों के संबंध में हम नहीं बोलेंगे और दूसरी तरफ माननीय अध्यक्ष के निर्णय को भी प्रभावित करने की चेष्टा की गई है । यह सरकार की दो-मुंही नीति है । इसलिए मुझे यह कहना पड़ा है ।

मान्यवर, अन्त में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं । क्यों यह चयन बोर्ड बनाने की बात आयी । इसकी कुछ करना नहीं है । डेढ़ लाख पद उत्तर प्रदेश में खाली पड़े हैं । भर्ती पर रोक लगी हुई है । उस पर कुछ नहीं होना है । ऐसा काम करें कि जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिले । विधेयक में यदि यह किया जाता कि कोई लड़का यदि इन्टरव्यू के लिए या लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाता है, जैसा कि हरियाणा में है, आप उसके लिए फ्री पास भेज दीजिए उसको दिखाकर वह इन्टरव्यू देने के लिए या परीक्षा में बैठने के लिए चला आवेगा । इसमें सरकार पर कोई व्ययभार नहीं पड़ेगा । एक बात यह होती है कि जब कहीं से 20 जगहों के लिए विज्ञापन निकलता है तो हमारे यहां इतनी बेरोजगारी है कि उनके लिए 20 जगहों के लिए 4,

6 हजार से ज्यादा अप्लीकेशन आती है । अभी विद्युत परिषद् से 3 सौ कुलियों की जगहें निकली थीं उसमें 30 हजार से ज्यादा एप्लीकेशन मेरी जानकारी में है आई हैं । तो यह सब रजिस्टर्ड आई होंगी तो उन पर कितना व्यय हुआ होगा एक आदमी को कम से कम पांच रुपया रजिस्ट्री में खर्च करने पड़े होंगे । अगर इसमें यह व्यवस्था कर दें कि जिस व्यक्ति को एप्लाई करना है वह अपने जिले के इम्पलाइमेंट एक्सचेंज में जमा कर दे और वहां से सारे प्रार्थना-पत्र संबंधित विभाग में आ जायं । इससे शासन पर कोई व्यय भार नहीं पड़ेगा । इसी तरह से उन बेरोजगारों से कोई शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए ।

अब ओवरेज के संबंध में कहना चाहता हूं । अगर किसी बेरोजगार ने इम्पलायमेंट एक्सचेंज में नाम रजिस्टर कराया है और उसे आप नौकरी नहीं दे पाए तो 28 साल होने पर आप कहते हैं कि ओवरेज हो गए । यह उनके साथ न्याय नहीं है । मैं बेरोजगारी भत्ता देने की बात नहीं कह रहा हूं आप केवल ओवरेज होने की बात खतम कर दें जब तक उनको नहीं देंगे कोई ओवरेज नहीं होगा जब वह क्वालिफाई कर लेगा नौकरी में चला जायेगा । तो यह दो तीन सुझाव जो दिए हैं अगर उनको इसमें सम्मिलित कर लें तो बेरोजगारों का कल्याण होगा और समझ में आयेगा कि सरकार की नियत काम करने की है । मैं अधिक विस्तार में न कह कर अपनी बात खतम करता हूं और अपनी बात पर बल देता हूं ।

*ऊर्जा एवं पर्यटन राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड विधेयक, 1988 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, यह बहुत ही चिर प्रतीक्षित और बहुत ही मासूम विधेयक है । पता नहीं क्यों इनको शक की आदत पड़ गयी है । माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी को जितनी चिन्ता है उससे ज्यादा चिन्ता हमको है और उसी को दूर करने के लिए हम यह विधेयक लाये हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

दोनों को चिन्ता है ।

*श्री प्रमोद कुमार–

मैं जानना चाहता था कि इस विधेयक के विरोध में क्या हो सकता है उसे मैं सुनना चाहता था क्योंकि इसका विरोध करने की कोई गुंजाइश नहीं है । हम इसको लाए क्यों हैं इस संबंध में दो तीन बातें बताना चाहता हूं । आज हमारा जो लोक सेवा आयोग है उस पर निरन्तर भार बढ़ता चला जा रहा है जिसके मैं एक-दो उदाहरण देना चाहता हूं 1982 में जो सुपरवाइजर कानूनगो के लिए जो अभ्यर्थी आए थे उनकी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संख्या 50763 थी वह 83 में बढ़ कर 70 हजार 83 हो गई और वह दिन दूर नहीं है कि यह संख्या बढ़ कर एक लाख पहुंच जायेगी । नित्य नए पद सृजित हो रहे हैं और उनको लोक सेवा आयोग की परिधि में लाते जा रहे हैं तो उन पदों को भरना उनके लिए असम्भव सा हो गया है वह इसको संचालित नहीं कर पा रहे हैं । इसके अलावा लोक सेवा आयोग को एक और जिम्मेदारी निभानी पड़ती है लगभग 19 परीक्षाएं संघ लोक सेवा आयोग की संचालित करनी पड़ती हैं और इसके लिए लगभग 70 कार्य दिवस निश्चित करने पड़ रहे हैं ।

अगर इन सब पर नजर डालें तो आज जनवरी 87 तक के जो आंकड़े हैं उसमें 146 अध्याचन लम्बित हैं जिनमें से 11 अध्याचन 5 वर्ष से 9 वर्ष तक लम्बित हैं, 46 अध्याचन 2 वर्ष से अधिक समय से है । तो हमारा इरादा यही तो है कि इस परेशानी को दूर किया जाय और उसके लिए एक आयोग बना दें ताकि उनका बोझ हलका हो सके और इसमें जो संख्या बढ़ रही है उसका बंटवारा कर दिया है । मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि इससे मात्र "ग" श्रेणी के लोगों को सम्मिलित किया जायेगा , और उसके पीछे हमारा एक अनुभव भी है ।

भारत सरकार ने एक ऐसा ही आयोग बनाया है केन्द्रीय स्तर पर और वह सफलता के साथ कार्य कर रहा है। तो क्या माननीय सदस्य अपने विचार रखेंगे तो उन नवजवानों का ध्यान नहीं रखेंगे जो एक बार लोक सेवा आयोग में बैठ जाते हैं और 6–7–8 सालों तक अपने परीक्षाफल का इन्तजार करते हैं और 7 साल बाद पता चलता है कि वह असफल हो गये और जो ओवर एज की बात करते हैं तो वह आ जाती है और दुबारा नहीं बैठ पाते हैं, इसलिए उनकी चिन्ता के साथ मैं अपनी चिन्ता मिलाकर जो समाधान किया है उसको वह स्वीकार कर लेंगे ।

मान्यवर, यह चिन्ता माननीय सदस्यों की हो सकती है कि इसका स्तर न गिरने पाये और गरिमा न गिरने पाये जिसका हमने पूरा ध्यान रखा है और लोक सेवा आयोग के पैटर्न पर इसको स्थापित किया जाये और ग श्रेणी का जो चयन है जिसमें अभी तक ज्यादा समय लगता है, 6 से 8 साल तक, उसको कम करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए यह एक ऐसा प्रयास है जिसकी सर्वत्र सराहना होनी चाहिए, इसमें कोई विरोध की गुंजाइश नहीं है और विरोध होगा तो मैं समझता हूं कि केवल विरोध के लिए होगा।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड विधेयक, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अंदर सदन में प्रस्तुत करें।

(इस समय 5 बजे श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्रीमन्, मैंने मा0 मंत्री जी का भाषण सुना, वह बड़ी चालाकी से अपनी बात को यहां रखा । मान्यवर, सबसे पहले मेरी आपत्ति है कि लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के तहत हुआ है और संविधान के तहत गठन किये हुए लोक सेवा आयोग की शक्ति को घटाने का काम इस विधेयक द्वारा कर रहे हैं । लोक सेवा आयोग जो एक निष्पक्ष बाडी थी काम करने में नौकरी देने में, परीक्षा लेने में लेकिन इन्होंने अलग से जो यह बोर्ड बनाया है इसमें भ्रष्टाचार का दरवाजा खोल दिया है।

हम सभी और मंत्री जी भी जानते हैं कि जो भ्रष्टाचार का नंगा नाच बेरोजगारों के साथ इस देश और प्रदेश में हो रहा है वह एक विचारणीय विषय है । देश में कितने बेरोजगार हैं और प्रदेश में कई छोटी-छोटी कमेटियां हैं जो कर्मचारियों की नियुक्तियों के लिए, चपरासियों की नियुक्ति के लिए बनी हैं। आजकल चयन समितियां जिलों में भंग कर दी गयी हैं, उनमें होता था कि चार जगहें खाली हैं लेकिन हजारों प्रार्थना पत्र आ जाते थे। एक-एक चपरासी के पद के लिए 10–15 हजार रुपये लेकर कमेटियां चयन करती थीं। मुझे शंका है कि इस बोर्ड में भी उन बातों को पूरी-पूरी छूट होगी जिससे भ्रष्टाचार फैलेगा । जबकि लोक सेवा आयोग से भ्रष्टाचार बंद था लेकिन इस चयन बोर्ड में भ्रष्टाचार की शंकायें बढ़ेगी और जिस बेरोजगारी की समस्या के समाधान की बात आप कर रहे हैं उसमें अनियमिततायें होंगी।

मान्यवर, इस प्रदेश में पालीटेक्नीक जूनियर इंजीनियर की ट्रेनिंग देता है लेकिन उसके पास कितने ही लड़के बेकार पड़े हैं और नियुक्तियां उनकी कैसे होती हैं यह सबको मालुम है। इस संबंध में मेरा सुझाव है कि एक वर्ष में जितने लोग पास होते हैं यदि उनका एडजस्टमेंट हो जाये तो इनको चाहिए कि दूसरे साल के लड़कों को लें । मंत्री जी जो लोग हल्ला कर रहे हैं, पहले इनको आप शान्त करा दीजिए । होता क्या है कि 80, 86 और 89 प्रतिशत तक लड़के नम्बर पा लेते हैं, तो मैरिट के हिसाब से कुछ की नियुक्तियां होती हैं, लेकिन जिनकी मैरिट नहीं बनती हैं, वह नियुक्ति पाने से छूट जाते हैं। फिर दूसरे साल भी यही होता है कि ज्यादा नम्बर वाले को नियुक्ति दे दी जाती हैं और कम नम्बर वाले, जो ट्रेनिंग भी पा चुके हैं, उनका कभी नम्बर ही नहीं आ पाता है। तो क्या आप कोई ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि जो पास करके आए हैं उनकी उसी साल में नौकरी की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके।

दूसरे जो विधेयक आप लाए हैं, उसमें टाईम बाउण्ड नहीं किया है कि कितने दिनों में यह लोगों को नौकरी दे देंगे। कोई अवधि नहीं तय है। इस राज्य सरकार में सवा लाख के करीब पद वर्तमान समय में रिक्त हैं और ऊपर नियुक्तियां नहीं हो रही हैं, लोक सेवा आयोग से भी । तो क्या मंत्री जी यह आश्वासन सदन को देंगे कि इस चयन बोर्ड के माध्यम से एक, दो, तीन या छः माह के अन्दर जो सवा लाख पद रिक्त हैं, उन पर तत्काल वह नियुक्ति कर देंगे। लेकिन यह असम्भव है। मान्यवर, आप बत्ती अपनी बुझवा दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है, लेकिन समय कम है, उसका ध्यान रखिये।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

फिर यह कहना चाहता हूं जो उन्होंने यह कहा है कि जो चयन बोर्ड का अध्यक्ष होगा, उसको यथा समय यह हटा सकते हैं, उसके स्थान पर दूसरे को रख सकते हैं। उसमें यह प्राविधान तो बड़ा ठीक है–शारीरिक अक्षमता वाले व्यक्ति व मानसिक दुर्बलता वाले व्यक्ति, लेकिन इसका होगा क्या? यदि सरकार के लोग भ्रष्टाचार के तरीके से अपने खास लोगों को, समस्त सीमाओं को लांघकर मनमानी नियुक्ति दिलाने में सफल नहीं हो पायेंगे, तो अध्यक्ष से कहेंगे कि आप हट जाइये और यह अन्य बोर्ड के दूसरे आदमी को उस बोर्ड का अध्यक्ष बनवाकर अपना काम निकाल लेंगे, यह आशंका इसमें स्पष्ट झलक रही है। इसलिए इसको आप प्रवर समिति में भेजें, जैसा गुप्ता जी ने कहा है।

जो लोग नौकरी के लिए प्रार्थना पत्र देते हैं या इम्पलाएमेंट एक्सचेंज से जिनके नाम जाते हैं, उनसे परीक्षा फीस ली जाती है और उनको कोई मार्ग व्यय नहीं मिलता है। जिसके चलते उसको एक-एक पद के आवेदन-पत्र के साथ दो-चार सौ रुपया खर्च करना पड़ जाता है। चयन में कुछ लोग चयनित नहीं हो पाते हैं, तो क्या मंत्री जी जिनका चयन नहीं होता है उनका पैसा वह वापस करते हैं? नहीं होता है, इसलिए इसमें इसका प्राविधान होना चाहिए कि जिन लोगों का चयन होगा, उनके अलावा जिनका चयन नहीं होगा पैसा वापस कर दिया जाएगा।

इसके अतिरिक्त इस पैसे का क्या होता है, उसका क्या उपयोग होता है, इस बारे में भी उन्होंने कुछ नहीं बताया है। आप बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दे सकते हैं, नहीं देना चाहते हैं, तो उनसे निःशुल्क प्रार्थना पत्र लीजिए परीक्षा हेतु आने जाने का मार्ग व्यय दीजिए। इम्पलाएमेंट में बहुत घूसखोरी चल रही है, वहां भारी संख्या में बेरोजगारों के नाम दर्ज हैं, 10–15 वर्षों से बिना नौकरी के पड़े हैं, लेकिन फिर भी उनके नाम नहीं भेजे जाते हैं, बल्कि जो लोग उनके बाद रजिस्टर्ड हुए हैं, कई-कई वर्ष बाद नाम लिखवाए हैं, उनके नाम भारी-भारी रिश्वत 1-1, 2-2 हजार रुपया लेकर भेज दिये जाते हैं।

क्या आप वहां भी मेरिट की व्यवस्था करेंगे। जैसे-जैसे नामिनेशन करते हैं वैसे-वैसे नाम भेजने का प्राविधान होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तमाम विसंगतियां इसमें हैं। आप जल्दबाजी न करें इसे आप प्रवर समिति को भेज दीजिए, इसमें जो त्रुटि होगी जो विसंगतियां होगी उस पर प्रवर समिति विचार विमर्श करेगी। फिर वह हाउस में आ जाएगा, फिर उसको हम पास कर देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसे प्रवर समिति को भेजने पर बल देता हूं।

श्री जयदीप सिंह बरार–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो हमारे सामने विधेयक रखा गया है इसमें जो प्रस्ताव माननीय रामगोविन्द चौधरी ने रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं। माननीय, मंत्री जी को लगता है कि हम विधेयक पर संशोधन प्रस्ताव जो रखते

हैं या प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव करते हैं, तो यह समझते हैं कि हम विधेयक की भावना का अनादर कर रहे हैं। इस विधेयक को तो आज से बहुत पहले आ जाना चाहिए था। सरकार जो विधेयक लाई है तो इसमें बधाई देने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है, लेकिन जो काम आप करते हैं उससे आपकी नीयत का पता चलता है। नेक-नीयती का दावा आप करते हैं और सब काम बदनीयती के करते हैं।

मान्यवर, पहले अध्यादेश के जरिये इसको यह सरकार लाई, गुप्ता जी ने भी कहा अध्यादेश सिर्फ इसीलिए लाया जाता है कि इसमें ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं कि तत्काल कार्यवाही करने की आवश्यकता थी, लेकिन कोई भी कार्यवाही आज तक इस अध्यादेश के तहत मंत्री जी ने नहीं की। उसके तत्काल बाद विधान सभा आहूत हो रही थी और उससे पहले सदन आहूत हो चुका था, अध्यादेश जरूरी था एक काम सरकार कर सकती थी इस रूप में यदि विधेयक आता तो विधान सभा में इस समय कम से कम चर्चा तो होती। सरकार की नीयत यह रही है कि यह अध्यादेश के रूप में लाते हैं। अपनी पार्टी के सदस्यों में यह न रखें, विधान सभा के सदस्यों में यह न रखें, जनता के सामने भी यह नहीं बताते हैं। एक ऐसा विधेयक लाने के बाद व्हिप जारी करके यह अपने दल के सदस्यों से उसको पारित करवा लेते हैं।

मान्यवर, खण्ड–2 में देखें, किसी पद को बोर्ड के कार्य क्षेत्र से हटा सकती है। मान्यवर, अधिसूचना द्वारा घोषित हटा तब देंगे जब सरकार की मर्जी होगी तो उन पदों को वापस ले लेंगे जो इन्होंने लिखा है उससे इनकी नीयत जाहिर होती है। जनतंत्र आयोग की स्थापना करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। अब जब चाहेंगे यह अपनी मर्जी से पद भरेंगे, जब दखल नहीं देनी होगी तो आयोग को भेज देंगे। मान्यवर, इसी तरह से खण्ड तीन में आप देखें–इसमें लिखा है पुलिस अधिनियम, 1861 द्वारा नियंत्रित कोई पद इसमें नहीं आएगा। मान्यवर, जिलों में जो कांस्टेबिल की भर्ती होती है, उसमें हजारों रुपये की रिश्वत चल रही है जिस पुलिस कांस्टेबिल की भर्ती रिश्वत लेकर होती है वह अगर गांव में जाएगा तो पहले तो वह रिश्वत लेगा और अपनी रिश्वत का पैसा उससे बराबर करेगा। सरकार की नीयत इस प्रदेश की जनता के ऊपर पुलिस के जरिए से शासन कराने की है। पुलिस को थाना हथियार बनाये रखने के लिए और उससे जनता का दमन करने के लिए नियुक्ति के अधिकार को अपने पास रखा है।

मान्यवर, इसी तरह से खंड–6 को देखें उसमें आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों की नियुक्ति के बारे में कहा गया है। इसमें आपने सदस्यों के लिये लिखा है कि उनका स्तर संयुक्त सचिव के पद से नीचे का नहीं होगा लेकिन और दूसरे पदों के बारे में उनकी योग्यता के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। मान्यवर, इससे पहले अभी जब विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पर विचार हो रहा था तो पता चला कि 8 आदमी जौनपुर विश्वविद्यालय में नियुक्त कर दिये गये जो स्नातक होने चाहिए लेकिन वह अंगूठा छाप थे लेकिन चूंकि कांग्रेस पार्टी के थे इसलिए नियुक्त कर

दिया । तो मैं कहूंगा कि मंत्री जी अगर आप अपनी पार्टी के लोगों को नियुक्त करना चाहें तो करें लेकिन इसमें लिख दें कि कांग्रेस के जो सदस्य पांच साल तक रहे होंगे उनकी नियुक्ति करेंगे तो कम से कम आपकी मंशा तो साफ हो जायगी। वरना इस नेकनीयती की आड़ में आप बदनीयती का काम कर रहे हैं।

मान्यवर, इसी तरह से और खण्ड हैं। आपने निलम्बन का अधिकार ले रखा है। तो यह सारे का सारा विधेयक है वह अपनी पार्टी के लिए अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए बनाया है। आप इसको दूसरा जामा पहनाकर अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति कर रहे हैं। मैं इसका स्वागत करता यदि इसके लाने से लोक सेवा आयोग का बरडेन कम हो जाता। लेकिन आपने जो सारे के सारे प्राविधान इसमें रखे हैं वह भर्त्सना योग्य हैं। मेरा निवेदन है कि मंत्री जी इसको अभी प्रवर समिति को भेज दिया जाय, अप्रैल तक सदन चलेगा प्रवर समिति में 15–20 दिन में इस पर विचार हो जायेगा और उसके बाद यह बिल आयेगा तो जो इसकी मंशा है वह पूरी हो सकेगी। इसलिये इसको प्रवर समिति को भेजने का कष्ट करें ।

श्री प्रेमपाल सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो यह विधेयक रखा है तो यह आयोग बन जाने से नियुक्ति में जो देरी होती थी वह समाप्त हो जायेगी और नौजवानों को प्रतियोगिता के लिए अवसर मिलेंगे। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे उन्होंने खंडशः ध्यानाकर्षण किया। मैं एक बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि खण्ड–12 आप देखें। इसमें आपने कहा है कि बोर्ड की कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होंगी, यदि बोर्ड के गठन में रिक्ति या त्रुटि है, उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाली किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि या अनियमितता है या ऐसे कार्य या कार्यवाही में कोई ऐसी त्रुटि या अनियमितता है जिसका तत्वतः कोई पड़ता है । तो मान्यवर, यह क्यों किया गया है।

अभी आपको याद होगा कि पिछले सत्र में, परिवहन विभाग द्वारा 6200 कर्मचारियों को निकाल दिया गया तो वह कोर्ट में चले गये और उच्च न्यायालय ने उनको बहाल कर दिया क्योंकि परिवहन निगम की त्रुटि थी। तो इस सरकार ने एक संशोधन किया जिसके 7 साल पहले का हुआ मान लिया और 6200 कर्मचारियों को निकाल दिया । तो सरकार की गलती अगर कहीं होगी और हाईकोर्ट कहीं स्ट्रक्चर न पास कर दे उससे बचने के लिए यह नियम बना दिया है। इसी तरह की इसमें अनेक कमियां हैं। इसलिए बरार जी की बात पर बल देते हुए मैं भी प्रवर समिति को भेजने की मांग करता हूं। प्रवर समिति में आपका बहुमत होगा, मंत्री जी अध्यक्ष होंगे वहां 15–20 दिन में विचार हो जायेगा और कोई अच्छी चीज अच्छे

नियम बनाकर जो इसमें कमियां हैं उनको दूर करके विधेयक आ जायगा उसके बाद सरकार यह विधेयक पेश करे तो उचित होगा। इसलिए मैं प्रवर समिति में भेजने की बात पर बल देता हूं।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरे इस प्रवर समिति को भेजने के प्रस्ताव पर पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों ने अपन विचार व्यक्त किये, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, जिस बात की मैंने आशंका व्यक्त की थी, जैसा कि सत्ता पक्ष के कुछ माननीय सदस्य यह कह रहे थे कि इससे जो बेरोजगार लोग पड़े हैं, उनकी नियुक्तियां जल्दी हो जायगी, मान्यवर, इसमें टाइम बाउण्ड नहीं किया गया है कि नियुक्तियां कब तक हो जायेंगी। इस समय मान्यवर, प्रदेश भर में लगभग सवा लाख पद रिक्त हैं, उन पदों पर किस प्रकार से भर्ती करेंगे, इसका इसमें कोई प्राविधान नहीं है और बोर्ड कब तक बनायेंगे, इसका भी कोई उल्लेख नहीं है। ये मान्यवर, खाली लोक सेवा आयोग को विघटित करने के लिए अपने चयन बोर्ड का विधेयक लाये हैं, जिससे भ्रष्टाचार के रास्ते राज्य सरकार के लिए खुल जायेंगे । मान्यवर, जो इनकी पार्टी के अनुरूप काम करेगा, उनको ये भर्ती करेंगे, जो इनकी हां में हां मिलायेंगे, उन्हीं को ये भर्ती करेंगे। चूंकि मान्यवर चुनाव नजदीक आ रहा है, ये उस चुनाव में लाभ पाने के लिए, अपने सारे लोगों को भर्ती करेंगे । इसी कारण से मान्यवर, हमको आशंका है, ये बोर्ड गठन करने जा रहे हैं, अन्यथा ये इसमें टाइम बाउन्ड कर दें और तिथि निर्धारित कर दें कि इस तिथि तक बोर्ड का गठन कर देंगे । इसलिए मान्यवर, मैं कह रहा हूं कि इसको प्रवर समिति में भेज दें । प्रवर समिति में इस पर पूर्णतया विचार हो जायगा । इन शब्दों के साथ मान्यवर, मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इसमें विरोध करने के लिए कुछ नहीं है। मान्यवर, मैं देख रहा हूं कि तीन-चार लोगों के अतिरिक्त किसी ने इसका विरोध नहीं किया । मान्यवर, इसमें माननीय राम गोविन्द चौधरी ने यह आशंका व्यक्त की कि इसमें भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा । इसमें मान्यवर, आगे क्या होगा, उसके लिए मैं आश्वासन देता हूं कि भ्रष्टाचार इससे खत्म होगा । लोगों को जल्दी नौकरी मिलेगी । अगर भ्रष्टाचार कहीं पर होगा, तो वह भी समाप्त हो जाएगा । मान्यवर, माननीय राम गोविन्द चौधरी ने एक बात कही कि जिसको सरकार हटाना चाहेगी, तो उसे मानसिक रूप से विक्षिप्त कह कर या अक्षम कह कर या शारीरिक रूप से विक्षिप्त कह देगी ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, इनका जो कहना नहीं करेगा, उसको यह कह देंगे कि शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से वह विक्षिप्त है और उसे हटा देंगे ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, ऐसी बात नहीं है कि जिस किसी को सरकार चाहे यह कह दे कि वह शारीरिक और मानसिक रूप से विक्षिप्त है, और उसे हटा दिया जायगा, बल्कि उसका बाकायदा मेडिकल होगा, मेडिकल रिपोर्ट में यदि वह शारीरिक या मानसिक रूप से विक्षिप्त पाया जायगा, तब उसे हटाने की बात आती है। अगर मान्यवर, माननीय राम गोविन्द चौधरी को शारीरिक और मानसिक रूप से विक्षिप्त कह दिया जायगा, तो वही बात मान ली जाएगी ? मान्यवर, ऐसी बात नहीं है। मान्यवर, इसमें प्राविधान किया गया है कि जो डाक्टरी कराने के बाद मानसिक और शारीरिक रूप से विक्षिप्त पाया जायगा, तो उसे हटा दिया जायेगा । मान्यवर, मैं इसे पढ़ दूं इसमें है–

> "यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के अभिकथित अवचार या दुर्बलता की जांच उच्च न्यायालय के आसीन न्यायाधीश द्वारा ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, जैसी विहित की जाय, की जायेगी ।"

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, विहित का क्या अर्थ है, माननीय मंत्री जी बता दें ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, एक होता है निहित और एक होता है विहित और एक होता है पूर्णतः विक्षिप्त । मान्यवर, आप मुझे यह बता दें, एक प्रीकाशन इसमें दिया गया है, इसमें पूरी तरह से एक प्रीकाशन दिया गया है कि जिसको हम शारीरिक या मानसिक रूप से विक्षिप्त घोषित करेंगे, उसकी जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से करायेंगे । आप संविधान की सौगन्ध लेकर इस पीठ पर बैठे हुए हैं आप हाईकोर्ट के जज की निष्पक्षता पर विश्वास करते हैं या नहीं अगर विश्वास करते हैं तो इस पर निश्चित रूप से कोई रोक नहीं लगाया जा सकता था ।

मान्यवर, उसके बाद अब दिक्कत यह है कि आप अपने आपमें विश्वास नहीं करते हैं । माननीय वरार साहब ने कहा कि उनको आपत्ति सिर्फ यह है कि इस आयोग को पहले बनाया जाना चाहिए था । मान लीजिए पहले हमने गलती कर दी और आज सही कार्य कर रहे हैं तो आज तो कर लेने दें। तो कम से कम जो आज बन रहा है उसका उपयोग होना चाहिए । मान्यवर, दूसरी चीज बहुत महत्वपूर्ण कही गयी है मान्यवर, बड़े ज्ञान की बात कही गयी है, इसको सुन तो लें इसमें लिखा है कि आधे व्यक्ति सरकारी होंगे इसमें भी निश्चित कर दिया है बाकी आधे जो बचे हैं उसमें कौन लोग भर्ती करेंगे । मान्यवर, लोक सेवा आयोग में भी यही है कि आधे लोग सरकारी हैं और आधे जो हैं वह अलग से होंगे । श्रीमन्, जो लोक सेवा आयोग में है इसमें उस के आधार पर लिया है।

राम गोविन्द चौधरी जी को एक और एतराज है कि उसमें यह कांग्रेसी को भर देंगे । हमारा इरादा विद्वान लोगों को, शिक्षाविदों को और वैज्ञानिकों को भरने का है । यह तो इस देश का भाग्य है कि जितने शिक्षाविद् हैं, विद्वान हैं और वैज्ञानिक हैं वह कांग्रेस में हैं और आयेंगे कांग्रेसी विचारधारा के लोग, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

समाप्त करें ।

श्री जयदीप सिंह दरार–

मान्यवर, शहंशाह हैं, वह भी इसी कटेगरी में आते हैं।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, जो विद्वान नहीं थे, शिक्षाविद् नहीं थे वह इधर चले आये हैं, उनकी छटनी हो गयी है।

मान्यवर, जहां तक 12 की बात कही गयी, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह ईमानदारी भरा प्रयास है कि किसी तरह से न्यायालय लोग न जायं यह इसमें रोक लगायी गयी है। पिछली बार जैसा कि आपको प्रशंसा करनी चाहिए इसकी नेक-नीयती पर आपको एतवार होगा । अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है आप उत्तर प्रदेश की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप ईमानदार होंगे ।

श्री उपाध्यक्ष–

समाप्त करें ।

श्री प्रमोद कुमार–

आपका इस पर पूरी तरह से नियंत्रण होगा । अतः मैं चाहता हूं कि जो इस प्रदेश के हित के लिए, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, जल्दी निर्णय करने के लिए, संख्या घटाने के लिए एक विधेयक लाया गया है उसको स्वीकार करें और इसको वापस ले लें।

श्री उपाध्यक्ष–

गुप्ता जी वापस ले रहे हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जो मैंने सुझाव दिया था उस पर तो मंत्री जी ने कोई टिप्पणी नहीं दिया है, इसलिए वापस नहीं ले रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

राम गोविन्द जी वापस ले रहे हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जी नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड अध्यादेश, 1988 का अननुमोदन करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड विधेयक, 1988, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड विधेयक, 1988 जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 से 30, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड विधेयक, 1988

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

अधीनस्थ सेवाओं की कतिपय श्रेणियों के लिये एक अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड स्थापित करने और उससे सम्बद्ध और आनुषंगिक विषयों के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के उनतालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1988 कहा जायगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

(3) यह 15 फरवरी, 1988 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

लागू होना

2–(1) इस अधिनियम के उपबन्ध समूह "ग" के ऐसे समस्त सीधी भर्ती वाले पदों के संबंध में जिसके अन्तर्गत सचिवालय के पद भी हैं, जैसा राज्य सरकार द्वारा, इस निमित्त अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाय, लागू होंगे;

परन्तु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी पद को बोर्ड के कार्य-क्षेत्र से हटा सकती है ।

(2) बोर्ड, किसी प्राधिकरण, सरकारी कम्पनी या सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन निगम या सार्वजनिक संस्था के अनुरोध पर और राज्य सरकार के अनुमोदन से, ऐसे निबन्धन और शर्तों पर जिसके अंतर्गत फीस भी है, जैसा संमत हो, ऐसे प्राधिकरण, कम्पनी, निगम या संस्था के अंतर्गत पदों पर भर्ती से संबंद्ध विषयों के बारे में उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है।

अपवाद

3—इस अधिनियम की कोई बात—

अपवाद

(क) राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के सचिवालय में,

(ख) उच्च न्यायालय या उसके अधीनस्थ न्यायालय के अधीन,

(ग) राज्य लोक सेवा आयोग के अधीन,

(घ) उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 के अधीन नियुक्त लोक आयुक्त के अधीन,

(ङ) पुलिस अधिनियम, 1861 द्वारा नियंत्रित,

किसी पद पर भर्ती के संबंध में लागू नहीं होगी।

परिभाषाएं

परिभाषाएं

4—जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य किसी सेवा या पद के संबंध में तत्समय ऐसी सेवा में या पद पर नियुक्ति करने के लिए सशक्त प्राधिकारी से है;

(ख) "बोर्ड" का तात्पर्य इस अधिनियम की धारा 5 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड से है;

(ग) "अध्यक्ष" का तात्पर्य बोर्ड के अध्यक्ष से है;

(घ) "सदस्य" का तात्पर्य बोर्ड के सदस्य से है और सदस्य के अंतर्गत बोर्ड का अध्यक्ष भी है;

(ङ) "सचिव" का तात्पर्य बोर्ड के सचिव से है;

(च) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

अध्याय–दो

बोर्ड की स्थापना

बोर्ड की स्थापना

5–(1) ऐसे दिनांक से जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे, एक बोर्ड स्थापित किया जायेगा जिसे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड कहा जायगा ।

(2) बोर्ड एक निगमित निकाय होगा ।

बोर्ड की संरचना

6–(1) बोर्ड में एक अध्यक्ष और पांच से अनधिक उतने अन्य सदस्य होंगे जितने राज्य सरकार समय-समय पर अवधारित करे।

परन्तु बोर्ड के कम से कम आधे सदस्य यथासम्भव ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपनी-अपनी नियुक्ति के दिनांक को केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधीन ऐसे पद या पदों को कम से कम दस वर्ष तक धारण कर चुके हों जो राज्य सरकार के संयुक्त सचिव के पद से या ऐसे अन्य पद से नीचे का न हो जिसे राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष घोषित किया जाय ।

(2) यदि अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाय या यदि ऐसा अध्यक्ष अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तो उन कर्तव्यों का पालन, जब तक कि धारा 7 के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति पद ग्रहण न कर ले या, यथास्थिति, जब तक कि अध्यक्ष अपना कार्यभार पुनः ग्रहण न कर ले, बोर्ड के ऐसे एक सदस्य द्वारा किया जायगा जिसे राज्य सरकार इस प्रयोजन के लिए निक्त करे।

सदस्यों की नियुक्ति

7–बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जायगी ।

8–(1) राज्य सरकार, आदेश द्वारा, यथास्थिति, अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को उसके पद से हटा सकती है, यदि–

(क) वह राज्य सरकार की राय में अवचार या मानसिक शारीरिक दुर्बलता के कारण पद पर बने रहने के लिए अनुपयुक्त हो, या

(ख) वह दिवालिया न्याय-निर्णीत किया जाय ।

(2) यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के अभिकथित अवचार या दुर्बलता की जांच, उच्च न्यायालय के असीन न्यायाधीश द्वारा ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, जैसी विहित की जाय, की जाएगी ।

(3) यदि अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से की गयी किसी संविदा में किसी प्रकार से सम्बद्ध या हित-बद्ध है या हो जाता है या उसके लाभ में या उससे उद्भूत होने वाले किसी फायदे या उपलब्धि में किसी प्रकार से सम्मिलित होता है तो उसे उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए अवचार का दोषी समझा जायगा ।

(4) राज्य सरकार किसी सदस्य को जिसके संबंध में उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही अनुध्यात हो, लिखित आदेश द्वारा निलम्बित कर सकती है ।

सदस्यों द्वारा अन्य पदों को धारण करने के संबंध में प्रतिषेध

9—पद पर न रहने पर कोई सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा, किन्तु राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य सेवायोजन के लिए पात्र न होगा ।

सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें

10—(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कोई सदस्य अपना पद ग्रहण करने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि के लिए या जब तक कि उसकी आयु बासठ वर्ष की न हो जाय, इसमें जो भी पहले हो, पद धारण करेगा ।

(2) कोई सदस्य अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होगा, किन्तु उप धारा (1) में उल्लिखित अवधि के पश्चात अध्यक्ष या सदस्य के पद पर पुनर्नियुक्त किये जाने या बने रहने के लिए पात्र नहीं होगा ।

(3) कोई सदस्य राज्य सरकार को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है, किन्तु वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका त्याग-पत्र स्वीकार न कर लिया जाय।

(4) किसी सदस्य की सेवा के निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जायं, तथापि किसी सदस्य की सेवा के निबन्धन और शर्तों में उसके पद पर बने रहने के दौरान प्रतिकूल परिवर्तन नहीं किया जायगा ।

सहयुक्त करने की शक्ति

11—बोर्ड अपने साथ ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिए जो धारा 27 के अधीन बनाये गये विनियमों द्वारा अवधारित सहायता या सलाह वह इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए लेना चाहे ।

बोर्ड की कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होगी

12—बोर्ड का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं समझी जायगी कि—

(क) बोर्ड के गठन में कोई रिक्ति या त्रुटि है;

(ख) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि या अनियमितता है; या

(ग) ऐसे कार्य या कार्यवाही में कोई ऐसी त्रुटि या अनियमितता है जिसका तात्वत: कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ।

बोर्ड का कर्मचारी वर्ग

13—(1) बोर्ड का एक सचिव होगा जो राज्य सरकार द्वारा पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जायगा और उसकी सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जायं ।

(2) बोर्ड ऐसे अन्य कर्मचारियों को, जिन्हें वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने के लिए आवश्यक समझे, नियुक्त कर सकता है ।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट कर्मचारियों की भर्ती की रीति और सेवा के निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी विनियमों में निर्धारित की जायं ।

बोर्ड के आदेशों का अधि प्रमाणीकरण

14—बोर्ड के सभी विनिश्चय और आदेश सचिव या इस निमित्त बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर से अभिप्रमाणित किये जायेंगे ।

अध्याय—तीन

बोर्ड की शक्तियां और कर्तव्य और कार्य का आबंटन

शक्तियां और कर्तव्य

15—(1) बोर्ड की निम्नलिखित शक्तियां और कर्तव्य होंगे, अर्थात्—

(क) भर्ती की रीति से संबंधित विषयों पर मार्ग दर्शक सिद्धान्त तैयार करना;

(ख) परीक्षाएं संचालित करना, साक्षात्कार करना और अभ्यर्थियों का चयन करना;

(ग) खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए विशेषज्ञों का चयन करना और उन्हें आमंत्रित करना और परीक्षक नियुक्त करना;

(घ) विशेषज्ञों और परीक्षकों की उपलब्धियां और यात्रा भत्ते और अन्य भत्ते नियत करना;

(ङ) बोर्ड को सौंपी गयी निधि का प्रबन्ध करना;

(च) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना, जैसी विहित की जायं ।

(2) बोर्ड उपधारा (1) में निर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करने या कर्तव्यों का पालन करने में ऐसे नियमों और विनियमों द्वारा जैसे इस निमित्त बनाये जायं, मार्गदर्शित होगा ।

कार्य जो बोर्ड द्वारा किया जायगा

16—बोर्ड अपना कार्य, जिसके अंतर्गत उसके कृत्यों का अध्यक्ष या अन्य सदस्यों या उसकी किसी समिति द्वारा सम्पादन करना भी है, सुविधा से करने के लिए राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से विनियम बनायेगी और ऐसे विनियमों के अनुसार किया गया कार्य, बोर्ड द्वारा किया गया कार्य समझा जायगा :

परन्तु राज्य सरकार के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह किसी ऐसे विनियम को मूल या उपान्तरित रूप में अपना अनुमोदन दे ।

अध्याय—चार

रिक्तियों की अधिसूचना और नियुक्तियां

रिक्तियों की अधिसूचना

17—(1) नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान बोर्ड के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना बोर्ड को देगा ।

(2) रिक्तियों की सूचना बोर्ड को ऐसी रीति से दी जायगी जैसी विहित की जाय ।

बोर्ड द्वारा चयन

18–(1) बोर्ड, धारा 17 के अधीन रिक्तियों की सूचना के पश्चात् यथासम्भव बोर्ड द्वारा शीघ्र, परीक्षा आयोजित करेगा या साक्षात्कार करेगा या दोनों ही करेगा और उपयुक्त चयन पाये गये अभ्यर्थियों की एक सूची विहित रीति से तैयार करेगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट सूची नियुक्ति प्राधिकारी को भेजी जायेगी और नियुक्ति प्राधिकारी इस प्रकार भेजी गयी सूची से नियुक्तियां उसमें उल्लिखित क्रम में करेगा ।

अध्याय–पांच

बोर्ड के समक्ष कार्य

बैठक में निर्णय

19–बोर्ड की किसी बैठक में सभी प्रश्नों का अवधारण अध्यक्ष को छोड़कर उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जायेगा और अध्यक्ष या इस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमत: मतदान नहीं करेगा किन्तु मतों के बराबर-बराबर होने की स्थिति में उसका निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा।

गणपूर्ति

20–बोर्ड की किसी बैठक के लिए गणपूर्ति तत्समय सदस्यों की कुल संख्या की गणपूर्ति आधी से होगी:

परन्तु गणपूर्ति के अभाव में स्थगित की गयी किसी बैठक के लिए गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी ।

अध्याय–छ:

बोर्ड की निधि, वार्षिक रिपोर्ट और लेखा

बोर्ड को धनराशि संदत्त करना

21–राज्य सरकार अपने द्वारा इस निमित्त सम्यक विनियोजन किये जाने के पश्चात् बोर्ड को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसी धनराशि का संदाय करेगी, जैसी इस अधिनियम के अधीन बोर्ड के कृत्यों का सम्पादन करने के लिए आवश्यक हो ।

बोर्ड की निधि

22–(1) बोर्ड की अपनी निधि होगी और राज्य सरकार द्वारा उसे संदत्त समस्त धनराशि और बोर्ड की समस्त प्राप्तियां उस निधि में जमा की जायेंगी और बोर्ड द्वारा सभी भुगतान उस निधि से किये जायेंगे ।

(2) उस निधि का सभी धन ऐसे बैंकों में जमा या ऐसी रीति से विनिहित किया जायगा जैसा बोर्ड, राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन रहते हुए अवधारित करे ।

वार्षिक रिपोर्ट

23—बोर्ड प्रत्येक वर्ष ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाय, वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें गत वर्ष के कार्यकलाप का सही और पूरा विवरण दिया जायगा, और उसकी प्रतियां राज्य सरकार को अग्रसारित की जायेंगी और राज्य सरकार उसे राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखवायेगी ।

लेखा और लेखा परीक्षा

24—(1) बोर्ड ऐसी लेखा बहियां और अन्य रजिस्टर या अभिलेख ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से, जैसा राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे, रखवायेगा ।

(2) बोर्ड, अपना लेखा बन्द करने के पश्चात् यथाशीघ्र लेखा-विवरण ऐसे प्रपत्र में, जैसा विहित किया जाय, तैयार करेगा और उसे नियंत्रक-महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अधीन लेखा-परीक्षा के लिए महालेखाकार को ऐसे दिनांक तक अग्रसारित करेगा जैसा राज्य सरकार महालेखाकार के परामर्श से अवधारित करे ।

(3) बोर्ड का वार्षिक लेखा-परीक्षा, परीक्षा रिपोर्ट के साथ, राज्य सरकार को अग्रसारित किया जायगा और राज्य सरकार उसे राज्य विधान मण्डल के दोनों सदस्यों के समक्ष रखवायेगी ।

अध्याय—सात

प्रकीर्ण

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

25—(1) राज्य सरकार किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए, अधिसूचित आदेश द्वारा, निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसी अवधि के दौरान, जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, चाहे वे उपान्तर, परिवर्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे:

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् नहीं दिया जायगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश पर इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायगी कि उपधारा (1) में यथा निर्दिष्ट कोई कठिनाई विद्यमान नहीं थी या उसे दूर करना अपेक्षित नहीं था ।

नियम बनाने की शक्ति।

26—राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है ।

विनियम बनाने की शक्ति

27—(1) बोर्ड, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के सम्पादन से जिसके अंतर्गत इस अधिनियम के अधीन चयन करने के लिए परीक्षाएं आयोजित करने या साक्षात्कार करने या दोनों के लिए फीस लेना भी है, संबंधित विनियम बना सकती है या उन्हें संशोधित कर सकती है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाये गये विनियम इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों से असंगत नहीं होंगे।

सद्भावना से किये गये कार्य का संरक्षण

28—किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसे कार्य के लिए जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिए आशयित हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य कार्यवाही नहीं की जा सकेगी ।

अधिनियम का अधिभावी प्रभाव निरसन और अपवाद

29—किसी अन्य अधिनियम, नियम या आदेश में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी होंगे ।

30—(1) उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा बोर्ड अध्यादेश, 1988 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 1988

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 30, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड विधेयक, 1988, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड विधेयक, 1988, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

मद संख्या 24 एवं 25 को पहले लिये जाने का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष–

यह जो मद संख्या 24 और 25 हैं, कल इसकी अंतिम तिथि है । अगर सदन सहमत हो तो मद संख्या 24 और 25 को पहले ले लिया जाय । गवर्नर साहब बीकानेर में हैं, वहां यह जायेगा, इसलिये 24 को पहले ले लेते हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, यह मद संख्या 21 और 22 काफी महत्वपूर्ण है और कई माo सदस्य इसमें भाग लेना चाहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने इसीलिये कहा कि कल इस विधेयक की लास्ट डेट है और गवर्नर साहब बीकानेर में हैं, इसलिये किसी आदमी को बीकानेर भेजा जायगा । इसलिये इसको पहले ले लेते हैं, उसके बाद मद संख्या 21, 22 ले लेंगे । आप सब सहमत हों तो मद संख्या 24 और 25 पहले ले लें ।

(सदन की सहमति से मद संख्या 24 एवं 25 पहले लिया गया)

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1988

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि . . .

प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री चेतराम गंगवार)–

मान्यवर, इसमें अननुमोदन नहीं है, इसलिये पहले मुझे प्रस्तुत करना चाहिये ।

(अनुमति मिलने पर)

श्री चेतराम गंगवार–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1988, जैसा विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, जैसा कि आप और सदन के सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 की धारा 2 के अधीन जिला परिषदों की शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य जो जिला मैजिस्ट्रेटों में निहित किये गये थे, उसकी अवधि 31 मार्च, 1988 तक है । आज 30 मार्च है । यह विधेयक

जनहित में है और सामयिक है और वह इस पक्ष के और विपक्ष के विद्वान सदस्यों की इच्छाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाला है और इस प्रदेश की 12 करोड़ जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाला है ।

इसमें मान्यवर, मैं कोई ज्यादा नहीं बोलना चाहता । इसमें हमने 6 महीने का समय मांगा है । यह केवल कल तक के लिये था । हम चाहते हैं कि इसको 30 सितम्बर, 1988 तक के लिये बढ़ा दिया जाय और ज्यादा न कह कर मैं चाहता हूं कि इसे आप भी उपयोगी समझते हैं । आपने इसको पहले लेना स्वीकार किया, इसके लिये धन्यवाद देता हूं । मैं चाहूंगा कि माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी बिना संशोधन पेश किए हुए इसे पारित करा दें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से संशोधन प्रस्तुत करता हूं ।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1988, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे । समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे ।

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने बड़े भोले अंदाज से कहा कि हमने केवल 6 महीने का समय लिया है । मान्यवर, बड़ी जिनौनी परम्परा है, जब इससे पहले इस तरह का संशोधन यहां आया था तो माननीय सदस्यों ने उसकी बड़ी आलोचना की थी, उस समय सरकार ने वायदा किया था कि आगे समय बढ़ाने का मौका नहीं लिया जायेगा, लेकिन फिर यह समय मांग रहे हैं ।

मान्यवर, जो पार्लियामेंटरी इंस्टीट्यूशन है उनमें इनकी कोई आस्था नहीं रह गयी है उन पर से इनका विश्वास नष्ट हो गया है । सभी जगह शासन को अपना सिक्का जमाना रहता है । मान्यवर ब्लाक प्रमुख तय हो गये, जिला परिषद् के सदस्यों का निर्वाचन हो गया, जिला परिषद् का गठन नहीं हो पाया, उसमें ऐसी कौन सी कमी रह गयी थी ? सरकार को कुछ प्रतिनिधि नामित करने थे, अब वह आपके बीच का झगड़ा था, सरकार ऐसे आदमी तय नहीं कर पायी, प्रतिपक्ष उसमें कुछ नहीं कर सकता था, मान्यवर सारी स्टेज तय हो जाने के बाद भी, जिला परिषद् का गठन नहीं किया । इसकी जितनी निन्दा की जाय, कम है ।

मान्यवर, इसके दुष्परिणाम क्या हैं । सीतापुर में 81-82 से 84-85 तक, हमारे यहां डिस्ट्रक्ट बोर्ड में 60 डिस्पेंसरियां हैं, 1.58 लाख रु0 वार्षिक पे-बिल डाक्टरों, वार्ड ब्वाय, चौकीदारों का बना, इसके अगेंस्ट केवल 350 रु0 प्रति औषाधालय पर खर्च किया गया । दवाओं पर लाखों रु0 का पे बिल कर्मचारियों का बन रहा है और 350 रु0 प्रति वर्ष प्रति औषाधालय पर जा रहा है, आप ही देखें इस हिसाब से कितने रुपये रोज खर्च हुये ? मान्यवर, जब ध्यान आकृष्ट किया गया जिला परिषद् अधिकारियों का तो उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है । इन्हीं वर्षों में

29·66 लाख रु0 की जिला परिषद् की अतिरिक्त आय हुई, जो अलग अलग सेविंग एकाउंट में पैसा रहा था । करीब 30 लाख की सेविंग और दवाओं पर खर्च प्रति प्रतिवर्ष 350 रु0 प्रति औषधालय।

मान्यवर, हमारे यहां 58 कांजीहाउस हैं। आमदनी हुई 5 लाख 68 हजार रु0 और खर्चा हुआ 12·52 लाख रुपये कर्मचारियों पर। इस तरह से पैसे का अपव्यय हो रहा है। मान्यवर वहां जनता के प्रतिनिधि हैं नहीं जनता के दुख दर्द को समझने वाले लोग वहां पर हैं नहीं। जिला परिषद् नियमावली 1978 है, यह नियमावली हमने बनायी थी, ध्यान दें, सरकारी आदेशानुसार जो व्यक्ति जिला परिषद् से कर्ज ले उस व्यक्ति को स्टाम्प शुल्क, रजिस्ट्री यह सब भुगतान करने के लिये और बंधक रखना चाहिए । बस्ती का उदाहरण देना चाहूंगा, 48 मामले ऐसे हैं, 15·32 लाख रु0 के कर्जे बिना शर्त के दे दिये जिसमें 2 लाख रु0 के राजस्व की हानि हुई। यह आपके डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की हालत चल रही है । जब जनता पार्टी की सरकार थी हमारी भागीदारी थी तो एक अच्छा काम किया गया था, जिला परिषद् के माध्यम से छोटे उद्यमी को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए कर्ज देने की व्यवस्था की थी ।

कर्ज का पहला इंस्टालमेंट दिया गया, आपकी सरकार आ गयी, आपकी सरकार ने आते-आते उस व्यवस्था को खत्म कर दिया, उसको बदल दिया। अब उसमें तमाम संदर्भ यह आये कि किसी को बीस हजार डेरी के लिए दिया गया, उसे पहले 5 हजार रुपये उसमें से दिया गया उसने शेड बना लिया, नांदें बना ली बाकी रुपया दिया नहीं गया, अब उसका ब्याज लगाकर रुपया 15-16 हजार हो जाता है, उस आप वसूल कर रहे हैं या तो आपने पूरा रुपया दिया होता तो कोई बात भी थी वरना जितना रुपया दिया गया था मूल रूप में उतने ही वापस लेते । उसने सर्टीफिकेट दिया कि शेड बन गयी, नादें बन गयीं।

मान्यवर, जिला परिषद् में तमाम लोग काम करते हैं और यह लोग 10-12 साल से वहां काम कर रहे हैं। उनको 299 रुपये प्रतिमास की पगार दी जाती है जो करीब 11 रुपया प्रतिदिन होती है। इसके अलावा 4 रविवार की छुट्टियां होती हैं, वह भी काट ली जाती हैं। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि हर जिले का मिनिमम वेजेज स्टैण्डर्ड बना हुआ है, जो हमारे जनपद में साढ़े 13 रुपया है। जबकि जिला परिषद् सरकारी संस्थान है, उनको मंहगाई भत्ता देना तो दूर रेगुलर करना तो दूर उनको मिनिमम वेजेज एक्ट के अन्तर्गत तनख्वाह भी नहीं दी जाती है। जबकि मिनिमम वेजेज एक्ट में दिया हुआ है कि 6 महीने के बाद मंहगाई भत्ता लागू हो जाता है, वह भी न देकर आप उसे 11 रुपया दे रहे हैं। ऐसी तमाम विसंगतियां चल रही हैं।

मान्यवर, सन् 78 में जो टीचर्स रिटायर हुये, उन सबको आपने पेंशन देने का प्राविधान कर दिया, लेकिन जो इसके पहले रिटायर हुये, उनको आपने पेंशन नहीं दी। मैं इस मामले को बराबर सदन में उठाता रहा हूं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ऐसे 60-70 लोग हैं, जो बिल्कुल वृद्ध हो गये हैं। तमाम लोग मर भी चुके हैं। उनको पेंशन देना शासन ने स्वीकार किया है और यह न्यायसंगत बात है कि पेंशन का लाभ उन लोगों को भी मिलना चाहिये। जो सन् 78 के समय के ही अवकाश प्राप्त लोग हैं, उनको बेचारों को पेंशन न देने का क्या कारण है? ऐसी तमाम विसंगतियां चल रही हैं।

माननीय, आज जिला परिषद् इर्रिलीवेन्ट हो गया है। मैं कहता हूं कि आप चुनाव न कराते और कम से कम जन प्रतिनिधियों की कमेटी बना देते और वह उसका संचालन करते। तो मैं कहना चाहता हूं कि वह आपके कर्मचारियों की मुकाबले कहीं ज्यादा अच्छा होता। वह जनप्रतिनिधि चाहे इस पार्टी के होते चाहे उधर के होते, लेकिन आप उनको नामित कर देते। उनके न आने का परिणाम यह हुआ है कि जिला परिषद् आज चरागाह हो गई है, खाने और लूटने के लिये। किस तरह से वहां पैसे का अपव्यय हो रहा है, यह कोई देखने वाला नहीं है। जनप्रतिनिधियों की बिल्कुल उपेक्षा हो रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और यह चाहता हूं कि यह सरकार आज ही घोषणा करे कि आगे इस तरह का संशोधन नहीं लायेंगे।

माननीय, यहां पर रोज राजीव गांधी-जिन्दाबाद के नारे लगाये जाते हैं, इनके लोगों द्वारा हाहाकार मचाया जाता है। लेकिन मेरी स्पष्ट जानकारी है कि राजीव गांधी, जो भारत के प्रधान मंत्री और आपकी पार्टी के नेता हैं, ने भी इस बात की निन्दा की है कि आप ग्राम सभाओं के चुनाव, नगर पालिकाओं के चुनाव, महापालिकाओं के चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर इनको राजीव गांधी में जरा भी आस्था है तो आज ही घोषणा करें कि यह संशोधन फिर कभी आगे नहीं लायेंगे। आज अगर इनमें जरा भी हिम्मत है तो यह घोषित करें कि ऐसा संशोधन आगे नहीं लाया जायगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करता हूं कि आप इसे प्रवर समिति को भेज दें।

*श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

माननीय, उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1988 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

माननीय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस साल भी और पिछले साल भी जिला परिषद् का कार्यकाल बढ़ाया गया है जबकि जिला परिषद् के ग्राम प्रधानों का चुनाव 1982 में हुआ था। वर्ष 1983 में ब्लाक प्रमुखों का चुनाव हुआ और उनका भी कार्यकाल बढ़ाया गया। माननीय, जिला परिषदों की जो स्थिति है। माननीय मंत्री जी तो स्वयं नवाबगंज के सदस्य रहे हैं और जिला बरेली रूरल एरिया से आते हैं। क्या उनके कार्यकलाप हैं? किसी जनप्रतिनिधि की कोई बात नहीं सुनी जाती है।

माननीय, जिला परिषद् को जो सूखा राहत के लिये पैसा दिया गया, सड़कें बनाने के लिये पैसा दिया गया, उसका आज कोई सदुपयोग नहीं हो रहा है। गाजीपुर के अंदर जिला परिषद् को 48 लाख रुपया कोश दिया गया और इतने ही रुपये के फूडग्रेन्स दिये गये, उसका भी कोई सदुपयोग नहीं हुआ। जिला परिषद् की सड़क गाजीपुर में बनी है, लेकिन जिला परिषद् के लोग उसका कभी निरीक्षण नहीं करते हैं और जो जिला परिषद् के इंजीनियर हैं, जो सस्पेंडेड हैं, जो टर्मिनेटेड हैं, उनकी वहां पर पुनः बहाली कर दी जा रही है। इसी तरह जो जिला परिषद् के माध्यम से अस्पताल चल रहे

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं उनकी क्या स्थिति है, वहां दवा तक नहीं है । मेरे ही गाजीपुर में एक जिला परिषद् का अस्पताल है, डाक्टर खाली बैठे रहते हैं, वहां पर देने के लिए दवा तक नहीं है।

प्राइमरी स्कूलों व जूनियर स्कूलों में आज स्थिति बहुत खराब है, जन प्रतिनिधि का न होने से उन पर कोई कन्ट्रोल नहीं है। माननीय मंत्री जो 1967 से सदस्य हैं मुझे विश्वास था कि वह ऐसा संशोधन पेश नहीं करेंगे। जिलाधिकारी आज वहां पर मनमानी कर रहा है। छोटे उद्यमियों को सहायता देने, लोहार आदि को सहायता देने की जो बात इसमें थी, आज वह बिल्कुल नहीं हो रही है । इसलिए मैं चाहता हूं कि इसे प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय जिससे इस पर विस्तार से विचार हो सके ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, जब मैंने माननीय मंत्री जी के श्रीमुख से यह सुना कि इस संशोधन का इधर के लोगों को और उधर के लोगों को स्वागत करना चाहिए तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। आज जो जिला परिषदों की वास्तविक स्थिति है और उसका माननीय मंत्री जी बयान कर दें तो हम अपने संशोधन को वापस लेने को तैयार हैं। 1978 से जिला परिषदों में नौकरशाही की लूट मची हुई है और उस पर भी यह सरकार जिला मजिस्ट्रेटों की सुविधा को बरकरार रखना चाहती है। मुझे माननीय मंत्री जी से पहले भी, जब वह मंत्री नहीं थे, बात करने का सौभाग्य मिला है, मंत्री जी का हमेशा नजरिया यह रहा है, पता नहीं आज वह ऐसा कैसे कह गये, उन्हें तो यह संशोधन अपने बड़े मंत्री जी से रखवाना चाहिए था और कहना चाहिए था कि इसे पेश करते हुए मेरी आत्मा गवाही नहीं दे रही है, कि नौकरशाही के नियंत्रण में लोकतांत्रिक संस्थाओं को नहीं होना चाहिए यह जन प्रतिनिधियों के हाथ में होना चाहिए।

माननीय मंत्री जी बरेली से इस विधान सभा के सदस्य हैं। जब वहां बहुत से आदमी मंत्री जी के पास जाते हैं तो माननीय मंत्री जी उन्हें राहत नहीं दे पाते हैं। जिला परिषद् के टैक्स इन्सपेक्टरों के माध्यम से फर्जी नोटिसें जाती है, जो घास छील रहा है, बकरी खरीद रहा है, जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं, जिनको ऋण दिया जाता है, उनसे इनका इन्सपेक्टर 200 रुपए लेता है सिर्फ फर्जी नोटिस से धमका कर। जब इस प्रकार के मामलों को लेकर लोग मेरे पास आते हैं तो मैं उनसे कहता हूं कि मंत्री जी के पास जाओ। मंत्री जी कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, जिलाधिकारी वहां बैठा हुआ है, वह अपनी मनमानी करेगा। दूसरी बात मैं और कहना चाहता हूं कि 10 दफा आप इस संशोधन को ले आये हैं और हमेशा यही आश्वासन देते हैं कि चुनाव करा दिये जायेंगे। पहले भी जब यह संशोधन आया तो उस समय भी संबंधित मंत्री ने यही कहा कि चुनाव करा दिये जायेंगे।

जो जिला परिषद् के सदस्य चुने गये, आज तक उनको वहां बैठने का मौका नहीं मिला । आपने जिला परिषद् के सदस्यों की ऐसी हालत कर दी जैसे शादी हो जाय, गौना न हो और उससे पहले आप उन्हें बेवा करने जा रहे हैं । इनके आश्वासन का कोई यकीन नहीं है । अगर इस विधेयक में कोई ऐसी बात इनकारपोरेट कर

दें कि लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हो जाए तब तो हम इसका समर्थन कर सकते हैं । इसी पर अर्ज है–

"कुफ्र साजी है जिसे मंत्री जी आश्वासन कहते हैं,
करते अय्यारियां हैं और बात बनाना न गया ।"

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मा0 राज्य मंत्री जी ने बड़े सहज भाव से कहा कि 6 महीने के लिये विधेयक ला रहे हैं । इनकी न कोई नीति है, न दिशा है, न हया है, न शर्म है । यह हम लोगों के साथी थे मंत्री बनने से पहले, कई दौरे भी किये । अक्सर खाली वक्त में कहते थे कि सरकार नौकरशाहों के हाथ में है । आज बदकिस्मती से आपको भी मौका मिला है नौकरशाहों के लिये बिल पेश करने का । जरा भी अगर साहस होता तो इस पर कड़ी व्यवस्था देते कि 6 महीने के बाद कार्यकाल नहीं बढ़ाया जायगा । यह किसके लिये विधेयक ला रहे हैं । जिला परिषदें 1977 से भंग हैं, अगर व्यवस्था कर देते कि 6 महीने के बाद चुनाव करा देंगे और जनप्रतिनिधियों को नामीनेट कर देंगे, लेकिन आपने जिलाधिकारी को ही अध्यक्ष बनाये रखने का समय बढ़ाया है ।

इसका मतलब है कि नौकरशाही के गुलाम हो गये हैं आप । जब मंत्री नहीं रहेंगे तो भाषण खिलाफ करेंगे, जब ताकत आयगी तो जो वह कहेंगे वही आप कहेंगे । जब आप मंत्री नहीं रहेंगे तो बाद में आपको भी बुरे शब्दों में याद किया जायगा ।

माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि कथनी और करनी में अन्तर नहीं होना चाहिये । जो विचार आपके पहले थे, वही कुर्सी पर बैठने के बाद भी होने चाहिये थे । हमने भी जिला परिषदें भंग की थीं, लेकिन जिलाधिकारियों को स्वेच्छाचारी अधिकार नहीं दिये थे, हमने परामर्शदात्री समितियां बनायी थीं और उनका अध्यक्ष बनाया था, लेकिन आपने तो जिलाधिकारियों को स्वच्छन्द रूप से अधिकार दे दिया । इससे ज्यादा लोकतांत्रिक परम्पराओं का हनन करने वाला कोई विधेयक नहीं हो सकता है । सदन के अन्दर और बाहर आप घोषणा करते हैं कि चुनाव करा देंगे, लेकिन आज तक आपको साहस नहीं हुआ चुनाव कराने का, इसका क्या कारण है ? जो लोग चुने गये, उनकी मुहर बन गयी, लेकिन उनको शपथ लेने का मौका नहीं मिला । आप लोकतंत्र को अपमानित कर रहे हैं । मेरा आपसे अनुरोध है कि आप विचारों से अच्छे आदमी लगते हैं, आजाद मुल्क में पैदा हुए हैं आप गुलामी की भाषा न बोलें और आज घोषणा करें कि 6 महीने के बाद इसका चुनाव अवश्य करा देंगे नहीं तो कुर्सी छोड़ देंगे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि अल्पकालिक व्यवस्था है, 85 से आप अल्पकालिक व्यवस्था कह रहे हैं, हर 6 महीने के बाद फिर अल्पकालिक व्यवस्था कर देते हैं । इस अल्पकालिक शब्द की व्यवस्था करा दें या तो इसे दीर्घकालिक कर दें । इस ''अल्पकालिक'' शब्द का दुरुपयोग होने से बचा लें, यह निवेदन करना चाहता हूं । इस अल्पकालिक व्यवस्था को आप दीर्घकालिक करा लें । आपसे सबसे बड़ी मांग मेरी यही है कि अल्पकालिक शब्द के दुरुपयोग को रोकें यही सबसे बड़ा आपका धर्म होगा । अल्पकालिक शब्द अब दुबारा इस सदन में न प्रस्तुत करें जिसे कि आप बराबर करते रहे हैं ।

माननीय मंत्री जी, महात्मा गांधी जी ने बराबर कहा था कि जब स्थानीय निकायों के और जिला परिषदों के चुनाव नहीं होंगे, वहां सदस्य चुन कर नहीं आयेंगे तो लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती है । इसलिये इन संस्थाओं के चुनाव कराना अवश्यम्भावी है । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप बराबर इन संस्थाओं के चुनाव को टाल कर, बराबर आगे चुनाव कराने की दुहाई देकर अच्छा नहीं कर रहे हैं । आखिर कब तक इस प्रक्रिया को आप टालते रहेंगे ? आखिर में एक दिन ऐसा भी आयेगा कि आप कहने के लिये मजबूर हो जायेंगे कि अगर देश में लोकतंत्र को जिन्दा रखना है तो इन संस्थाओं के चुनाव कराने जरूरी हैं ।

मैं आपसे आगरा की बात कहता हूं कि आगरा की जिला परिषद् सबसे बड़ी जिला परिषद् है और वहां पर जो घंटेश्वर का मेला है वह सबसे बड़ा मेला है । वहां की जो स्थिति है भ्रष्टाचार की कि घाटों के लेखों में जो भ्रष्टाचार है, इसलिये जरूरी है कि आप इसके चुनाव जल्दी करा दें ।

श्री चेतराम गंगवार–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा अधिक बोलने का इरादा नहीं था, मैंने केवल दो सैन्टेन्स में अपनी बात को समाप्त कर दिया था लेकिन हमारे पुराने मित्र हैं, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्ता जी और विद्वान सदस्य भी हैं, उनका कहना है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय अब मेरे पास समय नहीं है क्योंकि पता नहीं कितने महीनों में प्रवर समिति की रिपोर्ट आयेगी और कब इस पर विचार होगा । हमारी सरकार की नियत है कि हम इसके चुनाव जल्दी से जल्दी करायें । माननीय वर्मा जी ने 1977-78 की बात कह दी । अरे, आप उसके लिये याद न दिलाया करें सारी जनता जानती है कि 1977-78 में आपने, वह काला दिन मा0 उपाध्यक्ष जी, आप भी जानते हैं कि 10 अगस्त, 1977 का वह दिन था जब आपने एक अध्यादेश लाकर. . .

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, 1977-78 की आलोचना मंत्री जी कम से कम न करें क्योंकि उस समय यह भी हमारे ही साथ थे ।

श्री चेतराम गंगवार–

10 अगस्त, 1977 का वह दिन था जब जन प्रतिनिधियों को आपने वहां से समाप्त कर दिया था । माननीय बरार जी और भू0 पूर्व मंत्री जिनके हस्ताक्षर उस पर मौजूद हैं कि साल भर के लिये इसे और बढ़ा दिया जाय, ऐसी बात न करें । हमने साल भर के लिये नहीं बल्कि अपनी कलम से केवल 6 महीने का समय और मांगा है । यदि हम चाहते तो मार्च, 1989 इसमें कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि हमारी नियत साफ है कि चुनाव करायेंगे । इसमें परसीमन में और वोटर लिस्ट तैयार होने में देरी हो रही है । माननीय बरार साहब विद्वान आदमी हैं और मा0 सुरेन्द्र सिंह जब ये दोनों इधर बैठते थे तो बड़ी अच्छी-अच्छी बातें किया करते थे लेकिन अब उधर जाकर पता नहीं क्या-क्या कहने लगे हैं । अरे, इलाज तो बरेली में होता है, आप रामपुर से होकर आये हैं, फिर कैसे ऐसी बातें कह रहे हैं ? तो मैं अब ज्यादा न कुछ कहकर केवल यह निवेदन करूंगा कि इसको पारित करने की कृपा करें क्योंकि विधेयक जनहित में है और सामयिक है, इसलिए इसको पास कराने की कृपा करें . . . . । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1988, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) बिधेयक, 1988, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित हुआ और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1988

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उनतालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम 1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1988 कहा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधि- नियम संख्या 15 सन् 1977 की धारा 2 का संशो- धन

2–उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 की धारा 2 में उपधारा (1) में, शब्द और अंक "31 मार्च, 1988" के स्थान पर शब्द और अंक "30 सितम्बर, 1988" रख दिये जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, खण्ड 1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग बनें जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री चेतराम गंगवार–

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1988, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाए ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1988, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) अध्यादेश, 1988 के अननुमोदन का संकल्प एवं उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 1988

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता–

यह सदन उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) अध्यादेश, 1988 का अननुमोदन करता है। मान्यवर, हमने एक लोक आयुक्त अधिनियम बनाया और इसके उद्देश्य यह थे कि उत्तर प्रदेश के जो राजनीतिक या गैर राजनीतिक तथा उच्च स्तर के पद के जो लोग भ्रष्ट हैं, उनका उन्मूलन करेंगे, लेकिन यह जो संशोधन विधेयक आया है, इसमें कोई शक नहीं है कि इसके द्वारा सभी भ्रष्ट लोगों के उन्मूलन करने की संभावनाएं ही समाप्त कर दी गयी है बल्कि इन संभावनाओं का ही उन्मूलन कर दिया गया है । वस्तुस्थिति मान्यवर, यह है कि अगर ऐसा ही होता रहेगा कि जिनके ऊपर हम सब की उम्मीद और आस्था बनी है, यदि उन्हीं को लालच द्वारा दूसरे अन्य प्रकार के प्रलोभनों द्वारा भ्रष्ट करने के यदि प्रयास करेंगे तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार से प्रदेश के अन्दर के भ्रष्टाचार को दूर करने की कोई सम्भावनाएं नहीं रह जायेंगी । जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इनका कार्यकाल 5 साल का होता था, अब 6 साल कर दिया गया और जब मा0 मंत्री जी खड़े होंगे बोलने के लिए तो यही कह देंगे कि मात्र यह एक छोटा सा संशोधन है ।

मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ऐसा करने की नौबत क्यों आयी और मान्यवर, जब यह अधिनियम बन रहा था तो उन्होंने इतना ही समय क्यों रखा क्योंकि इसके बनाने वालों के दिमाग में यह बातें अवश्य आयी होंगी कि भविष्य में कहीं ऐसी कोई खराब परिस्थितियां न पैदा हो जाएं कि इस ऊंचे पदों पर काम करने वाले लोगों में कहीं पक्षपात की जगह निष्पक्षता न आ जाए क्योंकि ऊंचे और भ्रष्ट लोगों का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ही उनका सामना रहेगा, इसलिए उन्हें प्रलोभित भी किया जा सकता है, का कार्यकाल 5 वर्ष का ही रखा और दूसरा प्राविधान यह भी उन अधिनियम निर्माताओं ने रखा कि इसमें काम करने वालों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद इन्हें कहीं अन्यत्र सेवा में दुबारा न रखा जाए यह इसलिए रखा गया है, जिससे कि उनके मन में लोभ और लालच की भावना न आये, लेकिन आपने इस अवधि को 5 साल से 6 साल कर दिया, इसका अर्थ है कि आपने कार्यकाल बढ़ा दिया है। 5 साल का समय होते-होते आपने उसे 6 साल का कर दिया ।

दूसरी बात यह है कि इस अध्यादेश की धारा 3 में यह प्राविधान है कि जब लोकायुक्त की नियुक्ति की जायेगी तो माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सम्पर्क किया जायेगा और उसमें इस बात का प्राविधान किया गया है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि वह केवल एक व्यक्ति ही नहीं है, विधान मंडल का प्रतिनिधि है, वह अपनी जांच रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत करता है, इसीलिये प्राविधान किया गया कि उसकी नियुक्ति के समय नेता विरोधी दल से परामर्श की जायेगी और यहां तक प्राविधान किया गया है कि अगर नेता विरोधी दल कोई नहीं है तो पूरे विरोध पक्ष से किसी एक व्यक्ति को चयनित किया जायेगा और उसकी परामर्श की जायेगी और तब लोकायुक्त की नियुक्ति की जायेगी । नेता विरोधी दल हैं, लेकिन उनसे परामर्श नहीं ली गयी, उनसे परामर्श करके आप कार्य करते तो भी एक बात थी ।

मान्यवर, जादू वह है जो सर पर चढ़ कर बोले । लोकायुक्त के सामने बहुत महत्वपूर्ण मामले जाते हैं, नगर विकास मंत्री जी बैठी हैं, उनके साथ ही 16 वरिष्ठ आई0 ए0 एस0 अधिकारी जो हैं उनके विरुद्ध मामले लोकायुक्त के सामने विचाराधीन हैं, उनके भ्रष्टाचार की जांच चला रही है । उनके समक्ष कुछ आई0 ए0 एस0 अधिकारी साक्ष्य देना चाहते थे, जो प्रक्रिया थी उससे मुक्त कर दिया गया और उनकी अवधि 5 साल बढ़ा दी । श्री कमल पान्डे व श्री धर्म सिंह रावत, आई0 ए0 एस0, आर0 एन0 भाटिया व योगेश कुमार शर्मा, पी0 सी0 एस0 ने मामले में गवाही देने की पेशकश की थी, किन्तु लोकायुक्त ने उन्हें अवसर नहीं दिया और मामले का निस्तारण कर दिया । यह कहा गया कि आरोपों के बारे में गवाही देने का अवसर प्रदान किया जाता है, लेकिन उसका पालन नहीं किया गया ।

दूसरी बात यह है कि 12 बड़े नगरों में सीलिंग की जमीन के घोटालों का है। आपने लोकायुक्त को लाभ देकर उन मामलों को समाप्त कराने का प्रयास किया गया है । इसलिए मैं सरकार पर भ्रष्टाचार और पक्षपात का आरोप लगाता हूं और मैं चाहता हूं कि सदन इस अध्यादेश का अननुमोदन करे और मैं यह प्रस्ताव पेश करता हूं। मान्यवर, भ्रष्टाचार की गंगा ऊपर से नीचे आती है। अगर ऊपर भ्रष्टाचार नहीं होगा तो नीचे के लोगों को हिम्मत नहीं होगी, लेकिन आज क्या हो रहा है, आप किसी भी कार्यालय में चले जाइये, सभी जगह पर भ्रष्टाचार फैल गया है और बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है और यह बात मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, वे कहते हैं कि जब हिन्दुस्तान के शीर्षस्थ पद पर बैठे हुए प्रधान मंत्री जब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं तो आप हमारे लिए बोलने वाले कौन हैं। देश के सर्वोच्च स्थानों पर बैठे हुए लोगों का जो इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनका उन्मूलन होना

चाहिए । न्याय का एक सिद्धान्त है उसका प्रतीक भी होना चाहिए । आपने लोक आयुक्त का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया इससे आपने न्याय के सिद्धान्त की हत्या कर दी है। अभी-अभी वह मामला साफ हुआ है। बड़े-बड़े लोग उसमें थे । प्रधान मंत्री सचिवालय के लोग उसमें थे जिनकी साजिश के तहत इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है।

न्याय प्रतीक स्वरूप होना चाहिए । लोकायुक्त का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल जब वर्तमान लोकायुक्त चले जाते और दूसरे लोकायुक्त की नियुक्ति हो जाती । उससे जनता को संदेह नहीं होता । लोक आयुक्त ने एक फैसला किया लेकिन वह खुद उसमें फंस गये, यह सरकार फंस गयी। इसलिये मान्यवर, मैं अपने इस अननुमोदन के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

गृह, न्याय एवं जेल राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त और उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 1988 पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, इस अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में यह व्यवस्था है कि लोक आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष होगा । मान्यवर, इस 5 वर्ष के स्थान पर शब्द 6 वर्ष करना है। सिर्फ एक वर्ष की अवधि बढ़ाने की बात है। जहां आपने अन्य बातें कहीं, मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक सम्मानित सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि हमें लोक आयुक्त और उसके इंस्टीट्यूट पर सम्पूर्ण रूप से (एब्सोल्यूटली) आस्था रखनी चाहिए । मान्यवर, इस अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत बड़े स्पष्ट शब्दों में यह कहा गया है कि "जब कोई लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त का उस समय जब कि लोक आयुक्त या उपलोक आयुक्त इस अधिनियम के अधीन किसी अन्वेषण का संचालन कर रहा हो शासन कोई अपमान करता है या उसके कार्य में कोई विघ्न डालता है, व दोषी सिद्ध होने पर सादा कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा ।"

(2) जो कोई या तो बोले या पढ़े जाने के लिए आशयित शब्दों द्वारा ऐसा कोई कथन करता है या प्रकाशित करता है या कोई अन्य कार्य करता है जो लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त की अपकीर्ति के लिए प्रकल्पित हो वह दोषी सिद्ध होने पर कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकती है या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा ।

मान्यवर, मेरे कहने का मतलब यह है कि लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त के आचरण पर कोई प्रतिक्रिया नहीं कर सकते हैं और न करनी चाहिए । इसलिए सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं...

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, सदन में लोक आयुक्त की रिपोर्ट पर पूरी की पूरी चर्चा यहां पर होती है तो उनके कण्डक्ट पर बोलने के लिए हमें कोई मना नहीं कर सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष–

आचरण पर नहीं बोल सकता ।

संसदीय कार्य एवं राजस्व मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, माननीय गुप्ता जी ने जो बात कही है बहुत सही कही है कि जब हम लोक आयुक्त की रिपोर्ट सदन में रखते हैं तो उस पर चर्चा होती है लेकिन उनके आचरण पर यहां पर क्या प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, क्या कार्यवाही हो रही है, उस पर विचार नहीं कर सकते ।

श्री उपाध्यक्ष–

उनके आचरण पर चर्चा नहीं कर सकते हैं, रिपोर्ट पर कर सकते हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

इस सरकार ने अपने कण्डक्ट से लोकायुक्त के पद को कलंकित करने का काम किया है । उसकी हम भर्त्सना कर रहे हैं । (व्यवधान)

श्री लाल प्रताप सिंह–

जो बात किसी के आचरण को रिफ्लैक्ट करती है वह नहीं कहनी चाहिए ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

माननीय मंत्री जी ने जो धारा पढ़ी उससे वह इस सदन में हमको धमकी देना चाहते हैं । इस विधान सभा के अन्दर हमें अपनी बात कहने की वाक स्वतंत्रता है यह अधिकार हमें संविधान में मिला हुआ है । तो इनके कहने से तो यह हमारे विरुद्ध कार्यवाही करना है ।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

हमारी मंशा हरगिज नहीं है । इस सदन में माननीय विधायकों को अपनी बात रखने की पूरी स्वतंत्रता है लेकिन लोकायुक्त और उप लोकायुक्त के आचरण पर, उनकी कार्यविधि पर, या उनकी कार्यकुशलता पर पब्लिकली आलोचना करना परिधि से बाहर है, आचरण पर चर्चा नहीं कर सकते हैं । मेरा कोई धमकी देने का आशय नहीं है पता नहीं बरार साहब जो काफी अच्छे पार्लियामेंट्रेरियन माने जाते हैं जब वह इधर बैठते थे अच्छी बात करते थे लेकिन उधर जाने के बाद उनकी बुद्धि कुंठित होती जा रही है।

मान्यवर, धारा 5 उपधारा 4 में द्वितीय अनुसूची में संशोधन की बात है जो उनके वेतनमान के संबंध में है । उसमें कोई बड़ा फर्क नहीं है उसमें पहले धनराशि लिखी थी अब उसमें यह कर दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति के बराबर वेतन मिलेंगे । तो जैसे-जैसे उपलब्धियां उनको होंगी उसी तरह से लोकायुक्त और उपलोकायुक्त को उपलब्ध होती रहेंगी । यह इसलिए करना पड़ा है चूंकि एक अप्रैल 86 से हाईकोर्ट के जजेज और सुप्रीम कोर्ट के जजेज और चीफ जस्टिस के वेतनमान बदल गए थे उनका पुनरीक्षण हुआ था इस लिए इसमें भी आवश्यकता पड़ी है और उसके लिए यह संशोधन लाया गया है । इसमें यह कर दिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज और हाईकोर्ट के जजेज और चीफ जस्टिस

को जो वेतन मिलता है उसी के बराबर इनको मिले । और वहां से सेवानिवृत्ति के समय जो वेतन वहां पा रहे थे उसी के बराबर वह पायेंगे । केवल मात्र इतना सा संशोधन है जहां तक आपने भ्रष्टाचार की बात कही इसमें भ्रष्टाचार बढ़ने की कोई बात नहीं है और न किसी प्रकार की कोई शंका है । मुझे आश्चर्य जरूर इस बात का है कि माननीय सदस्य जो उधर बैठे हैं या कल तक जो इधर बैठते थे आज उधर बैठे हैं उनको हर अच्छे काम में आशंका होती है, संदेह होता है। तो वहीं संदेह आपको इसमें है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो सम्मानित लोकायुक्त ने कोई ऐसा कार्य किया हो जिसके परिणाम स्वरूप यह दिया जा रहा हो । जो आपका भय है वह सत्य से परे है। चूंकि लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है इसलिये लोकायुक्त का भी कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया है । जो वेतनमान की बात थी उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, कुल मिलाकर 7 हजार के आस-पास वह पा रहे हैं, इस संशोधन से मात्र एक हजार या 12 सौ रु0 का फर्क पड़ता है और वह जब उच्च न्यायालय में उस पद पर थे, यहां आने के पूर्व और आज भी उस पद पर हैं तो वेतनमान जो देते हैं उसमें किसी प्रकार की आशंका नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैं अपनी बात को रखते हुये माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि इसको बिना किसी बहस के पारित करें और जैसा निवेदन किया था कि जो यह गरिमामय पद है और हमारी आलोचनाओं की परिधि से बाहर है उस पद के संबंध में कोई आलोचना न करे ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशाधन) विधेयक, 1988 की राय जानने के लिए 31 जुलाई, 1988 तक परिचालित किया जाय ।

मान्यवर, आज जितने भी संशोधन विधेयक सरकार की तरफ से आये उसमें यही कहा गया कि यह छोटा सा विधेयक है। इस संशोधन विधेयक को लाने की हमारे सामने यह कठिनाई पैदा हुयी है, जिसके लिए यह संशोधन लाये हैं उसमें हमको यह कहना रहा है। कि मान्यवर लोक आयुक्त के पद का सृजन 1975 में हुआ था, अगस्त में यह अधिनियम पास हुआ था और उस समय देश में इमरजेंसी लगी थी, उस समय तक नेता विपक्षी जेल में बन्द थे तो उस समय भी इस पर चर्चा नहीं हो पाई थी जैसी कि चर्चा होनी चाहिए थी । आज जो संशोधन विधेयक मंत्री जी लाये है तो फिर वह चाहते हैं कि 1975 की तरह इसको तत्काल पास करा दिया जाय। इस लिए मेरा निवेदन है कि लोक आयुक्त का पद ऐसा पद है जिससे उम्मीद है कि वहां से न्याय मिलेगा और सरकार के प्रभावशाली लोग जो भ्रष्टाचार करते हैं उन पर अंकुश लगेगा। लोक आयुक्त के पद पर उम्मीद करते हैं कि इस सदन में कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे लोक आयुक्त की जो संस्था है इस पर कोई धब्बा लगे। धब्बा लगाने का काम तो शासन स्वयं करता है। जब एक आदमी का कार्यकाल पांच साल में समाप्त होने जा रहा है, जैसे कोई नौकर या दिहाड़ी का मजदूर रखते है और शाम को कहते हैं कि कल काम मिलेगा कि नहीं तो वैसा ही काम सरकार ने किया है।

यदि सरकार चाहती थी कि पांच वर्ष के बजाय कार्य काल 6 वर्ष हो जाय तो नए लोक आयुक्त की नियुक्ति के बाद भी किया जा सकता था लेकिन रिटायर होने का समय जब आया तो घोषणा किया । इससे सरकार का इरादा स्पष्ट हो गया । सरकार उनको इस तरह से तोड़ना और मजबूर करना चाहती है कि इन्हीं के मामले में वेतन और समय बढ़ाने की आवश्यकता पड़ी। मैं साफ कहना चाहता हूं कि इस तरह से उनके मनोबल को तोड़ने के लिए यह कार्यवाही की गयी है । दूसरी तरफ कहते हैं हमने जो वेतन बढ़ाया है वह हाई कोर्ट जजों के बराबर कर दिया इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हमें आपत्ति इस बात की है कि 3 अप्रैल, 1986 को हाई कोर्ट के जजों का वेतन बढ़ा उस समय से लेकर अब तक सरकार को लोक आयुक्त के बारे में कोई चिन्ता क्यों नहीं हुई।

दो साल बाद इनके वेतन बढ़ा रहे हैं जिस पर गुप्ता जी ने इशारा किया कि इसलिए यह करना पड़ रहा है, ऐसे व्यक्ति, लोक आयुक्त के बारे में कहना चाहता हूं कि उनको ख्याति रही है जब वह जिला जज और हाई कोर्ट के जज थे उनकी ईमानदारी की ख्याति रही है, यह सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकी कि उनकी छवि बनी रहे, इसीलिए इस संशोधन से लोक आयुक्त को संदेह के घेरे में खड़ा कर दिया जिसके कारण लोगों के दिलों में ऐसा विचार उठ रहा है कि लोक आयुक्त को दिहाड़ी मजदूर से भी बदतर कर दिया है।

तो मान्यवर, ऐसी स्थिति में हमारा लोक आयुक्त की आलोचना का कोई उद्देश्य नहीं है, बल्कि हमारा इशारा इस सरकार की तरफ है । यह भी देख लें कि जो इन्होंने यह तनख्वाह बढ़ाई, उसके बारे में बता दें कि कोई प्रस्ताव कब इनके यहां आया है या 3 अप्रैल, 86 से कोई प्रस्ताव आया था ? क्या लोक आयुक्त कार्यालय से वह प्रस्ताव आया था या इसे इन्होंने अपनी ओर से किया ? यह अचानक इतने फराख-दिल कैसे हो गए ? जब इनके भ्रष्टाचार के मामले उनके पास थे, तो इन्होंने दो साल पहले से उनकी तनख्वाह बढ़ा दी और तामाम अपने खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों को दबाने के लिए घूस की इन्होंने कानूनी जामा पहना दिया और इन्होंने उनको जो रिश्वत दी है, उसको कानून के जरिए से देने का कुत्सित प्रयास किया है, उसकी जितनी भी निन्दा की जाए कम है ।

हम लोक आयुक्त के आचरण पर कोई चर्चा नहीं करना चाहते हैं, परन्तु जो कानून बना हुआ है, वह इसी विधान सभा ने बनाया है और जो लोक आयुक्त है वह उसी कानून में बनी हुई स्टेच्वेरी अथारिटी है, उसमें दी गई है, उसकी एक रिपोर्ट हमारे सामने आती है, उस पर हम चर्चा कर सकते हैं । तो क्या सरकार ने, लोक आयुक्त अधिनियम को आप पढ़ लें, जैसे बाहर के लोगों को यह हड़का लेते हैं, समझते हैं वैसे ही यहां के लोगों को आतंकित कर लेंगे, उनकी अर्हताओं को ठीक से देख लिया है। उनके ऊपर जो इस बारे में बंदिशें हैं उनको क्या उन्होंने पढ़ लिया है? और क्या यह देख लिया है कि उनके ऊपर जो बंदिशें लगी हुई हैं, उनमें से किसी को तोड़ा तो नहीं है? और यदि तोड़ा है तो क्या वह उसी सदन को सूचित कर देंगे? उन्होंने कोई बंदिश तोड़ी है या नहीं इससे अधिक कुछ नहीं मैं कहना चाहूंगा । इसके साथ मैं इस संशोधन पर बल देता हूं ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से संशोधन रखता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उपलोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 1988 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जाएगें । श्रीमन् लोक आयुक्त जो संस्था है, इसका सृजन हमारे यहां उसी आधार पर किया गया था, जिस आधार पर लोक सेवा आयोग के सभापति और अन्य सदस्यों की नियुक्ति होती है, जिसका आधार संविधान के अनुच्छेद 377 के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक और लेखा परीक्षक के बारे में यह व्यवस्था है कि अपने कार्यकाल के बाद वह किसी अन्य पद पर कार्य नहीं कर सकेंगे । ठीक उसी का अनुसरण करते हुए भ्रष्टाचार के मामलों पर जांच करने हेतु लोक आयुक्त और उप लोक आयुक्त की संस्थाओं का सृजन किया गया था ।

इसलिए मैं आपका ध्यान, इसकी जो मुख्य-मुख्य धाराएं है उनकी ओर आकर्षित करना चाहूंगा और उसके पहले मैं आपको एक बात की याद दिलाना चाहूंगा कि राजनीति शास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान डायसी ने कहा है कि एक्जीक्यूटिव में भ्रष्टाचार हो कम या ज्यादा भ्रष्टाचार होता ही है, और जूडिशियरी के फैसले भी कभी-कभी गलत हो सकते है, लेकिन जिस देश में व्यवस्थापिका द्वारा भ्रष्टाचार को संरक्षण मिलने लगता है, वहां के लोकतन्त्र का भविष्य अन्धकारमय हो जाता है। हमारे मंत्री जी कहते है कि लोक आयुक्त के कार्य कलापों पर इस सदन में चर्चा नहीं हो सकती है। क्यों? वह इस सदन द्वारा निर्मित संस्था है, कुछ विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उसको इस सदन ने नियुक्त किया है। इसलिये जब उसके पग डगमगाएंगे तो उसपर चर्चा करने का पूरा अधिकार इस सदन को है। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि जिन परिस्थितियों में इस संशोधन विधेयक को लाया गया, आर्डिनेंस को जारी किया गया उस ओर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा लोकायुक्त अधिनियम के सेक्शन पांच के सब-क्लास-3 की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिसमें लिखा है–

> आन कैसिंग टू होल्ड आफिस दि लोकायुक्त आर एन उप लोकायुक्त शैल बी इनलेजिबिल फार फदर इम्पलायमेंट बेदर एस दि लोकायुक्त आर एन उप-लोकायुक्त आर इन एनीदर कैपिसिटी अन्डर दि गवर्न्मेन्ट आफ उत्तर प्रदेश आर फार एनी इम्पलायमेन्ट अन्डर आर आफिसा इन एनी सच लोकल एथारिटी कारपोरेशन गवर्मेन्ट कम्पनी आर सोसाइटी एस इज रिफर्ड टू इन सब-क्लास (थ्री) आफ क्लाज (आई) आफ सेक्शन टू ।

मान्यवर, इसका अनुवाद यह है–"पद पर न रह जाने पर लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन (लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त के रूप में या किसी अन्य हैसियत से) अग्रेतर सेवायोजन का, या किसी भी ऐसे संथानीय प्राधिकारी, निगम, सहकारी कम्पनी या सोसायटी के अधीन जैसी धारा-2 के खण्ड (1) के उप खण्ड (4) में निर्दिष्ट है, किसी भी सेवायोजन या किसी भी पद का पात्र नहीं होगा।" यह स्पष्ट व्यवस्था इसमें की गई है। मान्यवर, सेक्शन 3-ए का जिक्र माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्ता जी ने किया है जिसमें व्यवस्था है कि लोकायुक्त का

एपाइन्टमेंट 6 जी होगा उसमें चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और माननीय नेता विरोधी दल से परामर्श किया जाएगा । सेक्शन-4 में मान्यवर कहा गया है :—

दि लोकायुक्त शैल बी ए पर्सन हू इज आर हैज बीन ए जज आफ दि सूपरीम कोर्ट आर ए हाई कोर्ट एंड दि लोकायुक्त आर एन उप लोकायुक्त डोल बी ए पर्सन हू इज नाट हैज नेवर बीन ए मेम्बर आफ पार्लियामेंट आर ए मेम्बर आफ दि लेजिस्लेचर आफ एनी स्टेट एण्ड शैल नाट होल्ड एनी आफिस आफ ट्रस्ट आर प्राफिट अदर दैन हिज आफिस एज दि लोकायुक्त आर एज दि केस में बी एन उप लोकायुक्त बी कनेकटेड विथ एनी पौलिटिकल पार्टी आर कैरी आन एनी विजनेस आर प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन एण्ड एकारडिउनी विफोर ही इन्टर्स अपान हिज आफिस ए परसन अप्वाइन्टेड एज द लोकायुक्त आर एज दि केश में बी एन उप-लोकायुक्त शैल—

इसका हिन्दी में अनुवाद यह है कि—लोकायुक्त सेवा व्यक्ति होगा जो उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है और लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त ऐसा व्यक्ति होगा जो संसद या किसी राज्य के विधान मण्डल का सदस्य नहीं है और कभी नहीं रहा है और न्यास लाभ का कोई पद (लोक आयुक्त या यथास्थिति, उप लोक आयुक्त के अपने पद से भिन्न) धारण नहीं करेगा या किसी राजनीतिक दल से सम्बन्ध नहीं होगा या कोई कारोबार या वृत्ति नहीं करेगा, और तदनुसार लोक आयुक्त या, यथा-स्थिति उप लोक आयुक्त के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने के पूर्व "मान्यवर ए0 बी0 सी0 डी0 मैं नहीं पड़ेगा। मान्यवर, जिस समय यह आर्डिनेंस लाया गया और फिर से टेन्योर बढ़ाया गया उसमें मान्यवर मौजूदा लोकायुक्त मुर्तजा हुसैन कोआपरेटिव बैंक, जो बैंकिंग संस्था है के अध्यक्ष हैं। जो संस्था बिजनेस करती है। मान्यवर, अगर यह इस एक्ट का पालन करते तो उनको लोकायुक्त बनाते ही नहीं क्योंकि वह बैंकिग संस्था के अध्यक्ष हैं। लेकिन मान्यवर, जिस तरह से एपाइन्टमेंट किया गया, जैसा शुरु में राजेन्द्र कुमार गुप्ता जी ने कहा सेक्शन-5 में है कि पांच साल के बाद उनका कार्यकाल किसी भी दशा में नहीं बढ़ाया जा सकेगा।

उसके बाद आपने उनका कार्यकाल बढ़ाया, किस तरह से बढ़ाया वह मैं बताना चाहता हूं। पिछली विधान सभा का सत्र चल रहा था, सत्रावसान भी नहीं हुआ था और आपने आर्डिनेंस ला दिया । श्रीमन्. आप लाल बत्ती जला रहे हैं, मैं तो लीगल प्रोविजन्स की बात करता हूं किसी बात को रिपीट नहीं कर रहा हूं। कायदा यह है कि जब तक सत्रावसान न हो कोई आर्डिनेंस नहीं आ सकता है। लेकिन 7 जनवरी को, मेरी स्वयं की जानकारी है, मुख्य मंत्री जी ने विधि सचिव को निर्देश दिया कि फाइल तैयार करके आर्डिनेंस ईशू करने की कार्यवाही करे।

उनके निर्देश पर 8 जनवरी 8 बजे रात में फाइल की सारी खानापुरी करके राज्यपाल महोदय के पास फाइल भेजी गयी । वहां पर यह चीज डिक्टेट हुयी कि सत्रावसान नहीं हुआ है तो रात के 10 बजे सत्रावसान की फाइल भेजी गयी और सत्रावसान कराया गया और 8 जनवरी को आर्डिनेंस पर दस्तखत हुये । तो इस तरह से, श्री मुर्तजा

हुसैन साहब के कार्यकाल को आपने बढ़वाया । श्रीमन्, मेरी जानकारी है कि 8 जनवरी को शुक्रवार था उनका विदाई समारोह दफ्तर वाले कर चुके थे । 9 तारीख को सेकेंड सैटरडे था, मुर्तजा हुसैन साहब जा चुके थे और रविवार को एक आर्डनेंस के जरिये उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया । मेरा एक निवेदन है कि कहीं पर तो ला की सैंकीटटी रखोंगे या नहीं ।

संशोधन पर भाषण हेतु समय बढ़ाने का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष–

आधा घंटा तय हुआ था वह बीत चुका है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

श्रीमन्, जब भी भ्रष्टाचार का कोई मामला होता है । [xxx]
समय सदन में तय किया है मैंने तो तय नहीं किया।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, आंच उनको लगनी चाहिये लेकि [x x x]
(श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी अपने आसन पर बैठ गये।)

श्री उपाध्यक्ष–

[x x x] सदन का एक प्रस्ताव था आधा घंटे समय का मैं कितना समय दे दूं?

संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, नियमों का निलंबन करके चर्चा करवायें।

संसदीय कार्य एवं राजस्व मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

इस पर 15 मिनट के लिये और बढ़ा दें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं समझता हूं कि इस मामले में सभी माननीय सदस्य रुचि ले रहे हैं तो कृपया मौका दे दीजिये । हम और कुछ नहीं कर सकते कम से कम सरकार के असंसदीय, गैर कानूनी, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले कृत्यों, कदमों को उजागर तो कर कर सकते हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि मौका दे दें।

श्री उपाध्यक्ष–

संसदीय कार्य मंत्री जी इस पर आधा घंटा और कर दिया जाय।

(सदन की सहमति से आधा घंटा समय और बढ़ा दिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है, आधे घंटे का समय और किया जाता है।

नोट:–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर, प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) अध्यादेश, 1988 के अननुमोदन का संकल्प एवं उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक 1988 (क्रमागत)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

श्रीमन्, अभी भूमि सीमारोपण निदेशालय से संबंधित 300 करोड़ रुपयों के गबन मामला इसी सदन में आया था। उस समय माननीय अधिष्ठाता के रूप में वहां पर जाहिदी साहब स्थापित थे और यहां पर माननीय राज्यमंत्री पद्मा सेठ जी ने स्टेटमेंट दिया था और कहा था कि 13 आई0 ए0 एस0 अधिकारियों के बारे में सी0आई0डी0 की रिपोर्ट आयी है जिनको घूस के रूप में प्लेट दिये गये। आदेश हुआ कि इस पर पूरी जांच करके बयान दें, लेकिन सरकार ने बयान नहीं दिया। वह मामला परिवाद की शक्ल में मुर्तजा हुसैन साहब के सामने गया । लोकायुक्त के रूप में जिस तरह का फैसला उन्होंने दिया, गवाही में मेरा नाम था लेकिन मुझे तलब नहीं किया गया। राजेन्द्र कुमार गुप्त जी अपने भाषण में नाम लिये थे अन्य गवाहों के लेकिन उन गवाहों को तलब नहीं किया गया। मेरा स्पष्ट आरोप है, चूंकि उन्होंने सरकार के भ्रष्टाचार को छिपाने में पूरा सहयोग दिया इसलिये नियमों को तिलांजलि देकर, कानून का गला घोंटकर, संविधान की मंशा की हत्या करके यह बिल लाया गया है इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

*श्री लाल प्रताप सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय तिवारी जी ने अभी इस बिल को क्रिटिसाइज किया, आलोचना किया और माननीय तिवारी जी ने डायसी को कोट किया, बड़ी अच्छी बात है, डायसी आज से 300 साल पहले थे और वह आउट आफ डेट हो गये । डायसी उस समय थे जब बादशाह थे, इम्परर थे, उस समय व्यवस्था दूसरी थी और रिप्रजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं थी । उन्होंने जो उस वक्त कहा, अब वह लागू नहीं होता है। जय प्रकाश नारायण बाबू ने भी डायसी को कोट किया था कि सरकार ओवर थ्रू की जा सकती है, परन्तु वह उस वक्त कहा था कि जब इम्परर थे, किंग थे, अब लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसलिए डायसी को कोट करना उचित नहीं है। डायसी, एडवर्ड या हेनरी सेवेन्थ या एर्थ के जमाने में थे, अब समय बिल्कुल बदल गया है। एक बात की ओर माननीय गुप्ता जी और माननीय तिवारी जी का ध्यान आकर्षिक करना चाहता हूं कि लोकतंत्र में किसी फिलास्फर ने कहा है कि "ला इज दि जनरल विल आफ दि पिपुल, इट शुड बी रेसपेक्टेड।"

संविधान में जज की पोजीशन आलोचना के परे है, इसकी एक व्यवस्था बनायी है। यदि वह व्यवस्था टूट जायगी, तो हमारा लोकतंत्र समाप्त हो जायगा, संविधान ने यह व्यवस्था दी है, इसलिए उसकी इज्जत करना हमारा फर्ज है। हमको किसी भी जज या ऐसे व्यक्ति के ऊपर रिफ्लैक्शन नहीं करना चाहिए । जब एक आदमी को लिबर्टी करटेल होती है, तो इसके माने है कि दूसरे को लिबर्टी आपको देना है । दूसरे किसी व्यक्ति पर प्रहार करना उचित नहीं है । नटराजन और ठक्कर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ने जो रिपोर्ट दी है, वह बहुत ही उचित रिपोर्ट है, स्वतंत्र रिपोर्ट है। जब कोई निर्णय हमको पसन्द आये, तब तो सब ठीक है, अगर नापसन्द आये, तो जज की गलती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि नटराजन और ठक्कर ने जो रिपोर्ट दी है, उसको दुनिया में कोई चुनौती नहीं दे सकता। मैंने उसके उद्धरण पढ़े हैं और वह बहुत ही कंविंसिंग रिपोर्ट है और माननीय चौधरी साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप अपने दिल पर हाथ रख कर पूछें कि किसी बाहर की कम्पनी को अन्दरूनी मामले में दखल देना उचित है ? आप क्या निर्णय देंगे, बतायें? नटराजन और ठक्कर ने अपनी रिपोर्ट में बहुत कोजेंट आर्गूमेंट दिये हैं कि उसको दुनिया का कोई भी व्यक्ति काट नहीं सकता। आप क्या जजमेंट चौधरी साहब देंगे ? मुझे बताइये और फिर भी आप रिफ्लेक्शन करते हैं, फिर भी गुप्ता जी रिफ्लेक्शन करते हैं। मैं माननीय चौधरी साहब आपसे, गुप्ता जी से और तिवारी जी से हाथ जोड़ कर निवेदन करूंगा कि इस व्यवस्था को खराब न करें, नहीं तो हमारा लोकतंत्र खराब हो जायगा। इसकी रिस्पेक्ट आप नहीं करेंगे, तो यह व्यवस्था टूट जायगी। इसलिए किसी जज के ऊपर रिफ्लेक्शन करना ठीक नहीं है और यह जो बिल पेश हुआ है, उचित है। मान्यवर, मालूम होता है कि माननीय गुप्ता जी शिशु मंदिर के पढ़े हुए हैं, इसलिए रिफ्लेक्शन करते हैं, क्योंकि वहां यही पढ़ाया जाता है। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

संसदीय कार्य एवं राजस्व मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, माननीय गुप्ता जी शिशु मंदिर के पढ़े हुए नहीं हैं, बल्कि ये खुद अभी शिशु हैं।

*श्री अकबर हुसैन बाबर–

मान्यवर, लोक आयुक्त स्वतंत्र है, सरकार के अधीन नहीं है, विधान मण्डल दल के अधीन है, वह हमारे प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। उसके निर्णय की अपील हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकती है। हम जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता से बड़े नहीं हैं। लोक आयुक्त हमारा प्रतिनिधि है, हमसे बड़ा नहीं है। उसके फैसले के बाद कोई अपील नहीं हो सकती है। सदन में उसके बारे में चर्चा हो सकती है। जो लोग यहां पर आये हैं, जनता के प्रतिनिधि चुनकर आये हैं, वे हथकड़ी, जेल, बेड़ियों से नहीं डरते हैं। "रक्स करना है, तो फिर पांव की जंजीर न देख"। आप 6 महीने की सजा तीन महीने की सजा की धमकी दे रहे हैं। श्रीमन्, यह मामूली बात नहीं है, [x x x]

यहां लोकतंत्र है यह जियाउलहक का राज्य नहीं है यह कहां लिखा है कि कत्ल करने के बाद फांसी न दी जाय। दूसरा तर्क दिया जा रहा है कि हमने 6 साल कर दिया। मान्यवर, यह मामला गम्भीर है और इस मामले में पूरी चर्चा होनी चाहिए। [xxx]

नोट :–[x x x] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, मुझे आपत्ति है ।

श्री उपाध्यक्ष–

जो ठीक नहीं होगा, निकाल दिया जायेगा ।

श्री अकबर हुसैन बाबर–

मान्यवर, मुख्य मंत्री ने यहां के इतिहास को कलंकित किया । जहां राजा हरिचन्द्र के न्याय का जिक्र है, जहांगीर का अदल है, उसको कलंकित किया है । मैं इन शब्दों के साथ प्रस्तुत संकल्प पर बल देता हूं ।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, मेरा कोई इस डिबेट में भाग लेने का इरादा नहीं है । मैं एक बात को कहना चाहता हूं कि आखिर यह जो जजेज हैं हाईकोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के या जुडीशियल आफिसर्स हैं , उनके बारे में उनके कंडक्ट के बारे में, उनके निर्णय के बारे में चर्चा क्यों नहीं हो सकती है, इसके बारे में कहना चाहता हूं– यह सदन सुप्रीम है, सर्वोच्च है , यहां हर बात आ सकती है । एक उसका तरीका है जब आपके सामने रिपोर्ट आ जाय तब चर्चा कर सकते हैं। यह व्यवस्था प्रजातंत्र में इस वजह से रखी गयी कि जब कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या उस रैंक का कोई जज है, उसके बारे में आप यहां चचा करने लगेगें तो कुछ दिनों में उनको जिन कंडीसन में काम करना पड़ता है, उसको यह सोचना पड़ेगा कि हमारा निर्णय जो है वह निर्णय इस अनुरूप होना चाहिए और इसके ऊपर यह रिएक्शन यह प्रतिक्रिया है, वह भी एक्सन, रिएक्सन की बात सोचने लगेगा और वह निष्पक्ष तरीके से कोई फैसला कर सकता है या करना चाहेगा तो उसमें बाधा उत्पन्न होगी, उसमें अवरोध होगा। इस वजह से यह मूल सिद्धान्त है।

प्रजातंत्र और जुडीशियरी को आजाद रखने का और इन जजेज को स्वतंत्र रखने का और इस लिए उनके कंडक्ट पर , उनके बारे में हम चर्चा नहीं करते और यह जो लोकायुक्त के बारे में अगर आप देखें तो इसके अन्दर प्राविधान किया गया है कि हटाया किस प्रकार जायेगा । मान्यवर, जैसा कि आपकी पीठ के ऊपर बैठे हुए अध्यक्ष के ऊपर कोई चर्चा कंडक्ट के ऊपर नहीं कर सकते हैं या तो अविश्वास प्रकट करें नहीं तो यहां उस पर चर्चा नहीं कर सकते हैं और इसी तरह से लोकायुक्त को हटाने का एक प्रोसीजर है उसका कंडक्ट करना होगा (व्यवधान) प्रजातंत्र की भावना को रखने के लिए, स्वतंत्र भावना रखने के लिए कुछ सीमायें हैं, कुछ प्रतिबंध हैं उन प्रतिबन्धों को जरूर मानना पड़ेगा। हम जन प्रतिनिधि के रूप में यहां बात उठायें लेकिन ऐसे नहीं कि न्याय-पालिका, या कार्यपालिका या विधायिका के अन्दर टकराव पैदा हो या उनकी स्वतंत्रता पर किसी प्रकार का धक्का लगे, यही निवेदन करना है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने बड़े कुशलता पूर्वक यह कहने का प्रयास किया कि लोकायुक्त के आचरण पर हम लोग यहां वाद-विवाद नहीं कर सकते हैं । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि धारा 6 इस लोकायुक्त के अधिनियम को देख लें इसको हटाया जा सकता है भ्रष्ट कार्यों के लिए (व्यवधान) राज्यपाल हमारी सिफारिश पर हटायेगा और लोकायुक्त न जज है और न राज्यपाल है । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

जब हटाने का प्रस्ताव लायेंगे तो कह सकते हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, हम लोग लोकायुक्त के आचरण पर कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

यह जो प्रवर समिति का प्रस्ताव माननीय रवीन्द्र तिवारी जी ने जो संशोधन पेश किया है मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । श्रीमन, उनके प्रस्ताव पेश करने के बाद बहस चली कि लोकायुक्त के आचरण पर हम चर्चा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं ।

श्रीमन्, जब यह विधान सभा लोकायुक्त को नियुक्त कर सकती है, उनको इम्पीच कर सकती है, रिकाल कर सकती है, वापस बुला सकती है तो फिर उनके चरित्र पर बहस क्यों नहीं कर सकती ?

श्री उपाध्यक्ष–

नहीं कर सकती ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

आप जो निर्देश दे दें, ठीक है । मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। 6 साल का कार्यकाल बढ़ाया गया । मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि यह लोक आयुक्त का कार्यकाल नियमों के विरुद्ध बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। क्यों, इसलिए कि नगर भूमि सीमारोपण के 12 नगरों की 6 हजार फाइलें श्रीमन्, गायब कर दी गयीं? उनकी चोरी हो गयी । चोरी चली गयीं तो उसमें इसकी जो मंत्री थीं, पद्मा सेठ, उनके सामने 10 आई0 ए0 एस0 अफसरों के खिलाफ लोक आयुक्त के यहां भ्रष्टाचार का मामला चलाया गया । मैं उनके नाम पढ़े देता हूं। उन 10 अफसरों के नाम हैं ए0 पी0 सिंह, सुरेन्द्र मोहन, आर0 एल0 माथुर, अतुल चतुर्वेदी, महेश प्रसाद, हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव, ए0 के0 रस्तोगी, पी0 एम0 एल0 श्रीवास्तव, बाबूराम, प्रेम नारायण श्रीवास्तव । यही नहीं मान्यवर, दो पी0 सी0 एस0 अफसर रामकुमार और राजकुमार सिंह विसेन का भी नाम है। इसके अलावा गोरखपुर विकास प्राधिकरण के चीफ इंजीनियर एच0 डी0 असरानी का मामला भी लोकायुक्त के सामने गया था । इसमें भ्रष्टाचार का मामला प्रमाणित था । [x x x] सीलिंग में निकली भूमि को बेच दिया और उसमें 10 आई0 ए0 एस0 अफसरों को खुश करने के लिए फ्लैट दिये गये । सीलिंग की जमीन बेची थी इसलिए [x x x] मुख्य मंत्री पर दबाव डाला गया और मुख्य मंत्री ने लोकायुक्त पर दबाव डाला ।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, प्रधान मंत्री से सम्बन्धित जो बात कही गयी, उसको कार्यवाही से निकाल दिया जाय और जो चर्चा हो रही है, केवल वही बात की जाय । वजाहत हुसैन अब प्रधान मंत्री कार्यालय में नहीं हैं, लक्षद्वीप में हैं। इसलिए इन्होंने गलत सूचना दी है । उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष–

उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता है। मैं इसको निकलवा दूंगा ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, सब लोगों ने दबाव डाला लोकायुक्त पर कि इस मामले को समाप्त कर दें, उन्होंने समाप्त कर दिया । इसलिए इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। इसलिए मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय ।

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, चूंकि आपने व्यवस्था दे दी है कि लोकायुक्त के चरित्र के चर्चा नहीं कर सकते, इसालए उनके चरित्र पर चर्चा करने की पूरी इच्छा रखते हुए भी हम नहीं करेंगे । आपकी व्यवस्था का आदर करते हुए। हालांकि, हम संतुष्ट नहीं हैं । श्रीमन्, हम चर्चा करेंगे सरकार की नीयत की । सरकार की नीयत इस मामले में बिल्कुल साफ नहीं रह गयी है और भ्रष्ट नीयत रह गयी है। लोकायुक्त का गठन इमरजेंसी में हुआ था । क्यों हुआ, उस समय भ्रष्टाचार के खिलाफ जय प्रकाश नारायण का आन्दोलन चल रहा था, सरकार पर दबाव था कि वह अपनी नैतिकता को स्पष्ट करे । उस समय मंत्रियों के खिलाफ चार्जशीट चल रही थीं ।

मुख्य मंत्री पर आरोप लग रहे थे । इसलिए लोकायुक्त को बनाया गया । राजनीति में नैतिकता को बनाने के लिए लोकायुक्त की कल्पना की गयी । सन् 75 में पहली बार लोकायुक्त का गठन किया गया, उसकी नियुक्ति की गयी । तब यह विधेयक बना, लेकिन उस समय इसमें जो प्राविधान किया गया था, उसका पालन नहीं किया गया । इसकी मंशा थी कि दलीय हितों से ऊपर उठकर लोकायुक्त विधेयक बनाया जाय और लोकायुक्त की नियुक्ति की जाय । लेकिन उस समय मैं समझता हूं कि लोकायुक्त की नियुक्ति के संबंध में जो प्रक्रिया बनी है कि नेता विरोधी दल से राय ली जायेगी, कोई राय नहीं ली गयी । आपने कार्यकाल बढ़ाने के लिए विधेयक में जो संशोधन किया है, उस विधेयक की जो मूल भावना है, उसका आपने पालन नहीं किया, नेता विरोधी दल की कोई राय नहीं ली है । आपने तानाशाही तरीके से लोकायुक्त का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया है। आपने जिस तरह से कार्यकाल बढ़ाया है, उससे इस सरकार की नीयत पर शक है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, एक वरिष्ठ पत्रकार श्री राम दत्त त्रिपाठी ने कुछ आई0 ए0 एस0 अफसरों के विरुद्ध शिकायत की थी, अरबन सीलिंग की 12 नगरों की हजारों फाइलें गायब कर दी गयीं, बिना श्री रामदत्त त्रिपाठी को बुलाये, लोकायुक्त ने उस मामले का निस्तारण कर दिया । श्री राम दत्त त्रिपाठी जी ने विधान सभाध्यक्ष को भी एक प्रतिवेदन दिया कि उनको बगैर सुने हुए मामले का निस्तारण लोकायुक्त के यहां से हो गया । उन्होंने कहा कि उन्हें सुनने का मौका दिया जाय, श्री राम दत्त जी से कहा गया कि आप अगले लोकायुक्त के सामने अपना प्रतिवेदन रखिये । लेकिन, इनको डर था कि अगले लोकायुक्त निष्पक्ष रूप से फैसला करेंगे, अरबन सीलिंग का मामला है इसके घोटाले में तमाम आई0 ए0 एस0 अधिकारी, मंत्री, मुख्य मंत्री फंसेंगे, इसलिए इस लोकायुक्त का कार्यकाल बढ़ाया गया है ।

एक प्रकार से उनको रिश्वत देने की कोशिश की गयी है। 8 जनवरी को यह आडिनेन्स लाये, राजभवन में जब वह गया, जब इनको मालूम हुआ कि अभी सत्र का सत्रावसान ही नहीं हुआ और उस स्थिति में अभी यह आर्डिनेंस जारी नहीं हो सकता है, तो उसके बाद तुरन्त सत्रावसान की कार्यवाही करायी गयी और फिर आर्डिनेंस जारी किया गया । सरकार की मंशा, लोकायुक्त के संबंध में जिस पवित्र भावना के साथ बिल यहां लाया गया था, उसको कलंकित कर रही है, उसको भ्रष्ट कर रही है । मान्यवर, इससे निंदनीय कार्य कोई दूसरा नहीं हो सकता है । आप ही इन्हें निर्देशित करें कि इस बिल को यह वापस ले लें ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, प्रस्तुत बिल माननीय सदस्य तिवारी जी ने जो प्रवर समिति को सुपुर्द किये जाने का प्रस्ताव रखा है, उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। पूर्व इसके कि मैं अपनी बात कहूं, मुझे लोकायुक्त जैसे पद के संबंध में दो पंक्तियां याद आती हैं। विशेष तौर से माननीय संसदीय कार्य मंत्री के सामने यह पंक्तियां रखना चाहता हूं, वे कृपया इसे सुनें, उसके बाद अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा ।

"सारे गुलशन का चलन चाहे बिगड़ जाये लेकिन
बदचलन होने से खुशबू तो बचा ली जाय ।"

मैं बड़ी वेदना और पीड़ा के साथ कहना चाहता हूं कि जिस लोकायुक्त की नियुक्ति होने के पीछे, हम लोगों की यह सोच थी कि कांग्रेस शासन की जो सड़ा गला भ्रष्टाचार है, उसकी खुशबू बच गयी थी, सोचा था शायद वह लोकायुक्त संस्थान उस भ्रष्टाचार को दूर करने में बहुत बड़ी सहायक होगी । लेकिन, उसकी भी निष्ठा पर अब संदेह पैदा हो गया है। मैं उस संस्थान की आलोचना नहीं करना चाहता हूं, पूर्ण सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि यह परिस्थिति क्यों पैदा हुई ? आज लोकायुक्त के पद पर जो व्यक्ति आसीन है, उसके ऊपर भी संदेह किया जा रहा है । उसकी निष्ठा पर संदेह क्यों किया जा रहा है ? अगर वह सत्ता पक्ष के बैठे हुए लोग कार्यकाल बढ़ाने की परिस्थितियां उत्पन्न न करते, तो संभवत: यह बात न पैदा होती । व्यक्ति झूठ बोल सकता है, लेकिन परिस्थितियां झूठ नहीं बोलती हैं। उनका 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो रहा था, उससे ठीक एक सप्ताह पूर्व

ही उन लोगों को दोषमुक्त कर देना, जिसके ऊपर कई करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार का आरोप था, जिसके लिए आई0 ए0 एस0 अफसर तक ने त्याग पत्र दे दिया था। यह एक ऐसी स्थिति है जो संदेह उत्पन्न करती है। एक ओर संदेह उत्पन्न होता है वह जो निर्णय लिया गया वह अन्तिम निर्णय नहीं था। उसमें अवसर नहीं दिया गया लोगों को। जो न्याय की प्रक्रिया है उसके जो मौलिक सिद्धान्त हैं, उसके अनुसार जो व्यक्ति आरोप लगाता है, उसको सुनना जरूर चाहिए। उसको मान्यवर, सुनने का कोई अवसर नहीं दिया गया। कुछ परिस्थितियां रही होंगी, मैं उनको नहीं जानता। जो निर्णय दिया गया है, उसको अगर झांक-कर देखें। अगर कोई परिस्थितियां विशेष हो जायें तो पुनर्विचार कर लेने की बात है, वरना दूसरा लोक आयुक्त आसीन हो, तो फिर से उन सब बातों की खोज कर सकता है। मान्यवर, इसमें ड्राप कर दिया गया है, लेकिन वह उठाया जा सकता है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं। मान्यवर, एक निषेधात्मक प्राविधान किया गया था, लोक आयुक्त अधिनियम की धारा 5 में, उसमें यह दिया गया था कि वह कोई न तो बिजनेस कर सकता है न रिटायर होने के बाद कोई जाब उसे दिया जा सकता है।

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि आखिर इस बात की आवश्यकता क्या थी? यह अधिनियम इस सदन ने ही बनाया और यह उम्मीद की गयी थी कि जो लोक आयुक्त इस पवित्र आसन पर बैठने जा रहा है, वह निष्पक्ष हो, वह न इस पक्ष से प्रभावित हो और न उस पक्ष से। उसके निर्णय ऐसे हों, जो दोनों पक्षों को मान्य हों और दोनों पक्ष समान रूप से उसका आदर कर सकें। लेकिन किया क्या, जा रहा है? उनका प्रनैतिक तरीके से कार्यकाल बढ़ाकर एक हमदर्दी पैदा करने की कोशिश की जा रही है तो ऐसी स्थिति में निषेधात्मक पद नहीं दिया जायेगा। लेकिन मान्यवर, यह किसी व्यक्ति के हृदय में प्रलोभन देकर उसकी सहानुभूति बटो-रने की प्रक्रिया है। दूसरा व्यक्ति जो योग्य होता है, ईमानदार होता है, उसे यह लोक आयुक्त के रूप में नियुक्त कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और यह लोभ और लालच देकर ऐसा अवसर दिया जा रहा है, जिससे इन मामलों को दबाया जा सके।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय लाल प्रताप सिंह जी चले गये। मैं तो शिशु मन्दिर में नहीं पढ़ा, इसीलिए मेरी जहनियत ऐसी नहीं है। लेकिन विश्वविद्यालय की पढ़ाई समाप्त करने के बाद साइकिल लेकर गांव-गांव में मैंने बीसों विद्यालय खड़े किये हैं और इसका गौरव मुझे प्राप्त है। लेकिन मैं यह नहीं समझ पाया कि लाल प्रताप सिंह किस स्कूल में पढ़े हैं? मान्यवर, उन्होंने डायसी का उदाहरण दिया और कहा कि इनकी युक्तियां अप्रसांगिक हो गयी हैं। मान्यवर, मुझे भय लगता है कि कहीं यह महात्मा गांधी के कथनों को भी अप्रसांगिक न कह दें और कहें कि उस समय तो विदेशी लोगों के अधीन देश था। भगवान, लाल प्रताप सिंह को सद्बुद्धि दे। अभी पूर्व में एक माननीय सदस्य बोल रहे थे, उनकी सूचना थोड़ी

गलत थी। श्री वजाहत हुसैन सचिवालय में तैनात थे और इसीलिये प्रधान मंत्री के निकटस्थ होने के कारण, उनका उत्तर प्रदेश के अधिकारियों और मंत्रियों पर हौवा हो गया था। मैं इस जानकारी को आगे बढ़ाना चाहता हूं। जब प्रधान मंत्री राजीव गांधी को लक्षद्वीप छुट्टियां मनाने जाना था, तो उनको पिकनिक स्थल का प्रशासक बनाकर भेज दिया गया था।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मान्यवर, इन्होंने जो बात कही है, यह जो चाहें इनफेरेंस निकालकर बात कहें, वैसे यह बात बिल्कुल अलग है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मेरे एक साथी ने गलत सूचना दी, उसको मैंने सही किया है और यह मेरा नैतिक दायित्व था। मान्यवर, एक बात यहां पर बड़े जोर से कही गयी कि लोक आयुक्त के आचरण पर चर्चा नहीं हो सकती। मैं भी इससे सहमत हूं। लेकिन इनके आचरण पर कन्टेम्प्ट हो जायेगा, अगर इसको अखबारों में छाप दिया जाय, या सड़क पर लोग इसको कहने लग जायें। धारा–6 में उल्लेख है कि हम चर्चा कर सकते हैं। मान्यवर, यहां पर लोक आयुक्त की बड़ी प्रशंसा की गयी। मैं याद दिलाना चाहता हूं "मीठी-मीठी हड़प, कड़ुवी-कड़वी थू" लोकायुक्त ने दो सुझाव दिए थे। अगर हिम्मत है तो उन्हें आप स्वीकार कर लें! पहला उनका सुझाव था कि 1000 रुपए फीस ज्यादा है, इसे कम करके 100 रुपए कर दिया जाय। दूसरा, उन्होंने यह कहा था कि मध्य प्रदेश, कर्नाटक व बिहार में लोकायुक्त की परव्यू में मुख्य मंत्री को कर दिया गया है। यहां तो मुख्य मंत्री के पास 50–60 डिपार्टमेंट हैं, भ्रष्ट डिपार्टमेंट हैं, हिम्मत है तो मुख्य मंत्री को क्यों न आप लोकायुक्त के परव्यू में कर देते हैं। यदि आप ऐसा कर देंगे तो हम आपकी भूरि-भूरि प्रशंसा करेंगे। कहा गया कि लोकायुक्त के आचरण की चर्चा हम नहीं कर सकते हैं।

मान्यवर, हमारे एक साहसी पत्रकार को मैं बधाई देना चाहता हूं। वह हमारे साथ बनारस में जेल में थे। जब वह एल0 एल0 बी0 कर रहे थे, तो उन्होंने जे0 पी0 के आन्दोलन में भाग लिया था। उन्होंने बड़े साहस के साथ एक परिवाद को लेकर वह लोकायुक्त के यहां गये। निर्णय किनारे पर आ गया था, उस समय संयोग से उनके रिटायरमेंट का समय आ गया। एक वर्ष तक उस परिवाद के संबंध में शासन ने आख्या नहीं भेजी मंत्री के बारे में मुख्य मंत्री को भेजनी थी और कर्मचारियों के बारे में मुख्य सचिव को भेजनी थी, लेकिन एक प्रेशर था और इतनी जल्दी में निर्णय दिया गया जो एक ऐतिहासिक बात हुई। कहा गया कि निर्णय के बाद आप अपनी बात कह लें। फिर बात कहने से क्या फायदा। इसलिए शंका पैदा होती है। फिर शासन ने यह सोचा कि कहीं वह अपील न कर दे, इसलिए एक साल का एक्सटेन्सन दे दिया गया, जिससे टाइम बार हो जायेगा, इसलिए हमें सरकार के आचरण व बदनीयती पर शक है। इन्होंने लोकायुक्त जैसे पवित्र पद को कलंकित करने का प्रयास किया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने अनुमोदन के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, ज्यादातर बातें इस आदरणीय सदन के समक्ष आ गयी हैं । मान्यवर, सरकार ने लोकायुक्त के पद की गरिमा को गिराने का षडयंत्र किया है । संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि किसी न्यायालय के बारे में हम यहां पर चर्चा नहीं कर सकते हैं । मान्यवर, नियमों में साफ प्राविधान है कि यदि कोई मामला न्यायालय में चल रहा हो तो उस समय हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं । यहां जब आप चर्चा स्वीकार करते हैं, और जो आपका अधिकार भी है, नियमों में भी स्पष्ट लिखा हुआ है–"परन्तु यदि अध्यक्ष का समाधान हो जाय कि इससे न्यायाधिकरण, संबिहित प्राधिकारी, आयोग या जांच न्यायालय द्वारा उस विषय के विचार किये जाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका नहीं है तो अध्यक्ष स्वविवेक से एसे विषय को सदन में उठाने की अनुमति दे सकेंगे जो जांच की प्रक्रिया या व्याप्ति या प्रक्रम से सम्बन्धित हो।"

मेरे कहने का मतलब यह है कि उस विषय के बारे में हमें कहने का अधिकार है । इसलिए मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि भविष्य में वह इस प्रकार का तर्क न दें । गुप्ता जी ने कहा कि लाल प्रताप सिंह जी ने तो डायसी को आउट आफ डेट कह दिया, इस हिसाब से तो वह महात्मा गांधी जी को भी आउट आफ डेट कह देंगे, मुझे लगता है लाल प्रताप जी भगवान राम को भी आउट आफ डेट कह देंगे, वह सच्चाई को भी आउट आफ डेट कह देंगे और स्वच्छ आचरण को भी आउट आफ डेट कह देंगे । यदि सब चीजें आउट आफ डेट हो ही गई हैं और सरकार का पक्ष यह है कि यह सब सिद्धान्त आउट आफ डेट हो गये हैं तो हमें इसके बारे में कुछ नहीं कहना है ।

श्री उपाध्यक्ष–

समय बहुत ज्यादा हो गया है, कृपा करके अपनी बात को जल्दी समाप्त करें ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, अगर कोई काम अच्छे से अच्छा आदमी भी चोर इरादे से करे, तो उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा एसा महात्मा गांधी जी ने कहा था एक मिसाल देकर अपनी बात समाप्त करता हूं ।

[x x x]

(व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी–

यह कौन सी बात कह रहे हैं कि हजरत खिज्र ने आबे हयात पिया था । पहले पूरी जानकारी कर लिया करें । हजरत खिज्र मुसलमानों के पैगम्बर कहलाते हैं । [xxx] इसे कार्यवाही से निकलवा दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

इसे देख लेंगे ।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

अगर किसी को कोई ठेस पहुंची है तो मैं स्वयं ही अपने शब्दों को वापस लेता हूं, कार्यवाही से निकलवाने की कोई बात नहीं है ।

इन्होंने जो लोकायुक्त के पद को कलंकित करने का प्रयास किया है । यह हमारे ऊपर भी टिप्पणी करते हैं, शिक्षा मंत्री जी भी टिप्पणी करते हैं । हमारा "व्यू" तो सबके सामने स्पष्ट है, इनका सदा परदे के अन्दर रहता है । इनके तथा लोकायुक्त महोदय के लिए एक शेर अर्ज करके अपनी बात समाप्त करता हूं–

"वो एक हम हैं कि हैं रूशनासे खल्क ऐ खिज्र
न तुम कि चोर बने उम्रे जाविदां के लिए ।"

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मैं कुछ ज्यादा न कहकर केवल मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि कौन सी परिस्थिति ऐसी थी कि सेक्शन–5 के सब-क्लाज (3) में दिया था कि कार्यकाल किसी भी कीमत पर नहीं बढ़ाया जायगा । उसका गला घोटकर एक्सटेंशन के लिये कार्यवाही चालू की । यदि 6 साल का कार्यकाल बढ़ाते तो कोई आपत्ति नहीं थी । इस प्रक्रिया के पीछे अगर कोई भ्रष्टाचार या संरक्षण देने की बात न हो तो हम मान लें । यह बता दें कि क्या इन्होंने नेता, विरोधी दल से परामर्श किया था ? चीफ जस्टिस से पूछा था ? कार्यकाल बढ़ाने से एक तरह से नई नियुक्ति हो गयी । इसी के साथ ही मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

गृह, न्याय एवं जेल राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)–

जो अभी तक इस छोटे से संशोधन पर पूरे सदन में बहस हुई, उससे ऐसा परिक्षित होता है कि संशोधन के आने से लोकायुक्त के पद पर जो व्यक्ति हैं, उनके रहने से भ्रष्टाचार बढ़ेगा । इसमें तो भ्रष्टाचार की कल्पना या परिकल्पना है ही नहीं। उस व्यक्ति को जो लोकायुक्त के पद पर है, वर्तमान में है या आगे भविष्य में होगा, उसके लिये सोचा नहीं जा सकता कि भ्रष्टाचारी हो सकता है या भ्रष्ट हो सकता है या उसको भ्रष्ट किया जा सकता है । सेक्शन–6 है, जब उसे हटा सकते हैं, रिमूवल कर सकते हैं तो उसकी आलोचना भी कर सकते हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

धारा–6 पढ़वा लीजिये ।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

आप उत्तेजित क्यों हो रहे हैं ? धैर्यपूर्वक सुन लीजिये ।

रिमूवल आफ दि लोकायुक्त आर आफ लोकायुक्त सबजेक्ट टू दि प्रोविजन आफ आर्टिकल 311 आफ दि कान्स्टीट्यूशन दि लोकायुक्त आर एन आफ लोकायुक्त में बी रिमूव्ड फाम हिज आफिस बाई दि गवर्नर आन दि ग्राउन्ड आफ मिस बिहैवियर आर इनकैपासिटी एण्ड आन नो अदर ग्राउन्ड ।"

किसी अन्य ग्राउण्ड पर नहीं बल्कि अक्षम होने पर या दुर्व्यवहारी होने पर हटाया जाय और किसी अन्य कारण से नहीं । इसका तात्पर्य बिल्कुल स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार की कल्पना और परिकल्पना नहीं की जा सकती है । यदि हटाना भी पड़ेगा तो उसकी प्रक्रिया है कि इन रेसपेक्ट आफ.....

श्री उपाध्यक्ष–

आप उसे कोट न करें, हिन्दी में ही अपनी बात को कह दें ।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

कि लोकायुक्त किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जायेगा जो कि उच्च न्यायाधिपति या उच्च न्यायालय का उच्च न्यायाधिपति हो या रह चुका हो । मेरा इतना ही कहने का मतलब है कि इसमें हटाने के लिये दो बातें कही गयी हैं । अभी कुछ सदस्यों ने कुछ अधिकारियों का नाम पढ़ा, वे कुछ सबूत पेश करना चाहते थे । यह आवश्यक नहीं है कि वह सबूत लिये जायं । लोक आयुक्त जिसकी चाहे गवाही ले, जिसका चाहे बयान ले । इसमें सेक्शन 10 की उपधारा (3) में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, आप उसको बाध्य नहीं कर सकते हैं ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी भ्रष्टाचार को संरक्षण देने पर आमादा हैं इसलिये हम लोग सदन का बहिष्कार करते हैं ।

(श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी ने अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

(श्री बेनी प्रसाद वर्मा भी अपने दल के साथ सदन के बाहर चले गये।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, यह सरकार भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देने पर आमादा है इसलिये हम सदन का त्याग करते हैं ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त भी अपने समुदाय के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष जी, यह सरकार भ्रष्टाचार को बराबर संरक्षण दे रही है, हम लोगों की बातों को अनसुनी कर रही है इसलिये हम लोग सदन का बहिष्कार करते हैं।

(श्री दिवाकर विक्रम सिंह भी अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गयें ।)

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

तर्क के लिये विरोधी दल के पास कुछ है नहीं इसलिये उन्होंने इस संशोधन को प्रस्तुत किया है । मेरा निवेदन है कि मा0 बरार साहेब अपने संशोधन को वापस ले लें।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय बरार जी, क्या आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं ?

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, सरकार बहुमत के आधार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, इसमें संशोधन को वापस लेने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है । मैं इसके विरोध में सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री जयदीप सिंह बरार सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर), कैप्टन बल्देव सिंह आदि अन्य कई सदस्य भी सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि क्या यह सदन उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) अध्यादेश, 1988 का अननुमोदन करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 1988 को राय जानने के लिये 31 जुलाई, 1988 तक परिचालित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 1988 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 1988 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2 से 4, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 1988

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 का अग्रेतर संशोधन करने के लिये,

विधेयक

भारत गणराज्य के उनतालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) अधिनियम, 1988 कहा जायगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 42

(2) धारा 2 आठ जनवरी, 1988 को प्रवृत्त हुई समझी जायगी, धारा 3 पहली अप्रैल, 1986 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी और शेष उपलब्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।

सन् 1975 की धारा 5 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 5 में, उपधारा (1) में शब्द "पांच वर्ष" के स्थान पर शब्द "छः वर्ष" रख दिये जायेंगे ।

द्वितीय अनुसूची का प्रतिस्थापन

3–मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रख दी जायगी, अर्थात्–

द्वितीय अनुसूची

[धारा 5 (4) देखिये]

लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त को वास्तविक सेवा में बिताये गये समय के बारे में निम्नलिखित दर से प्रति मास वेतन दिया जायगा अर्थात्–

लोकायुक्त

यदि वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या किसी उच्च नायायालय का मुख्य न्यायाधिपति या किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति या किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को समय-समय पर क्रमशः अनुमन्य वेतन।

उप लोक आयुक्त

यदि वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को समय- समय पर अनुमन्य वेतन और किसी अन्य स्थिति में भारत सरकार के किसी अपर सचिव को समय-समय पर अनुमन्य वेतन :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि लोक आयुक्त या किसी उप लोक आयुक्त को अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार या उसकी पूर्ववर्ती सरकारों में से किसी सरकार के अधीन या राज्य सरकार या उसकी पूर्ववर्ती सरकारों में से किसी सरकार के अधीन पहले की गई सेवा के बारे में (नियोग्यता या क्षत पेंशन से भिन्न) कोई पेंशन मिलती हो तो लोक आयुक्त या, यथास्थिति, उप लोक आयुक्त की हैसियत से सेवा के बारे में उसके वेतन में से निम्नलिखित राशियां घटा दी जायेंगी :

(क) पेंशन की राशि, और

(ख) यदि उसने ऐसी नियुक्ति से पूर्व, ऐसी पूर्व सेवा के सम्बन्ध में, अपने को देय पेंशन के एक भाग के बदले में उसका संराशीकृत मूल्य प्राप्त किया हो तो पेंशन के उस भाग की राशि, और

(ग) यदि उसने ऐसी नियुक्ति से पूर्व, ऐसी पूर्व सेवा के सम्बन्ध में निवृत्ति उपदान प्राप्त किया हो तो उस उपदान का पेंशन समतुल्य ।''

निरसन और अपवाद

4–(1) उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) अध्यादेश, 1988 एतद्वारा निरसित किया जाता है । उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 1988

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 4 तक खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेक के अंग माने जाएं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 1988 पारित किया जाए,

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 1988 पारित किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

आज नियम 51 के अन्तर्गत 14 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें से केवल एक सूचना श्री बदन सिंह जी की जो आगरा जनपद के फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में लगे हुए राजकीय नलकूपों के खराब हो जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, वक्तव्य के लिए स्वीकार की गयी है और बाकी सारी सूचनाएं मैं अस्वीकार करता हूं ।

महात्मा गांधी मेमोरियल डिग्री कालेज सम्भल, मुरादाबाद में पोस्ट ग्रेजुएट कक्षायें खोले जाने विषयक वक्तव्य का स्थगन

श्री उपाध्यक्ष–

मद संख्या 27 स्थगित की जाती है क्योंकि इसकी अनुमति मा0 अध्यक्ष जी ने दे दी है ।

मेडिकल कालेज लखनऊ के इमरजेंसी वार्ड में सुई, पट्टी, ए0टी0एस0 आदि के उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष–

वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)–

[नियम–56 की प्रश्नगत सूचना में मा0 विधायक महोदय ने के0 जी0 मेडिकल कालेज में दिनांक 14 मार्च, 1988 को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती हेतु मरीज श्री रेवत सिंह से ड्यूटी पर तैनात डाक्टरों द्वारा निडिल सिंरिज तथा पट्टी आदि खरीद कर लाने की एक घटना को लेकर ऐसा ही व्यवहार अन्य गरीब तथा निराश्रित मरीजों के साथ किये जाने की ओर संकेत है । इस संबंध में स्थिति निम्नवत् है ।

मान्यवर, सुई, सिरिंज, एट्टी व ए0 टी0 एस0 आदि की उपलब्धता इमरजेंसी वार्ड में रहती है और भविष्य में उपलब्धता रखने के लिए सुपरिन्टेंडेंट डा0 बी0एस0 सलूजा/ डा0 टी0 आर0 कालरा एवं सर्जन इन्चार्ज इमरजेंसी वार्ड को लिखित रूप से अवगत करा दिया गया है कि भविष्य में ऐसी मामूली चीजों व दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करायें । इस वर्ष साज-सज्जा हेतु जिससे सुई सिरेंज इत्यादि खरीदी जाती हैं का आवंटन छः लाख रुपया था । रु0 छः लाख में से सर्जरी विभाग को रु0 80,000/- आवंटित किया गया था । आज भी सर्जरी विभाग में इस समय हजारों की तादात में सुईयां, सिरिंज उपलब्ध है। टेटवैक के 200 इन्जेक्शन स्टोर में उपलाध है। रूई के करीब 10 हजार पैकेट है और कुछ मात्रा में पट्टियां भी है इस वर्ष 1987-88 में सर्जरी विभाग में पट्टियां 2700×12 दी गई है। और वहां से स्टरलाईज होकर प्रतिदिन इमरजेंसी वार्ड में सर्जरी विभाग द्वारा भेजी जाती है इस बात को और विधिवत बनाया जा रहा है जिसके निर्देश दिये जा चुके है। उपलब्धता की हर कोशिश की जा रही है और इस शिकायत की विधिवत रूप से सुपरिन्टेंडेंट द्वारा जांच करायी जा रही है जांचोपरान्त यथोचित कार्यवाही की जायगी । जो पर्चियां मा0 विधायक जी ने संलग्न की है उस पर विश्वास या अविश्वास का प्रश्न नहीं उठता। मुझे इसका खेद है।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है, इसकी आखिर की पंक्तियों में जो दिया है कि उपलब्धता की हर कोशिश की जा रही है और शिकायत की विधिवत रूप से सुपरन्टिडेंट द्वारा जांच कराई जा रही है और जांचोपरांत यथोचित कार्यवाही की जायेगी । जो पर्चियां माननीय विधायक जी ने संलग्न की हैं उस पर विश्वास या अविश्वास का प्रश्न नहीं उठता है, मुझे खेद है । मान्यवर यह जो विश्वास और अविश्वास की बात कही गयी है, इस संबंध में मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगा कि कुछ प्रतियां तो हमने फोटो प्रति की लगायी है और कुछ प्रतियां हैं जिन पर हस्ताक्षर हैं, मान्यवर यह पर्चियां हमने इसलिये प्रस्तुत की थीं ताकि जांच ज्यादा लम्बी न हो, क्योंकि ज्यादी लम्बी जांच की आवश्यकता नहीं थी, इसके पीछे दूसरी भावना यह थी कि जांच जल्दी हो जाए। इसलिए मान्यवर, अब मैं केवल दो बातें ही जानना ही चाहूंगा कि यह जांच अब कब तक पूरी हो जायेगी और दूसरी बात प्रागदर्शन में क्या कार्यवाही हुयी और इन चीजों की उपलब्धिता में जो प्रयास किये जा रहे हैं, यह केवल लखनऊ का मामला तो प्रतीक में आता है, वरन् स्थिति यही पूरे प्रदेश की है। इसलिए मान्यवर आप इस ओर सिर्फ यह बता दें कि यह सारी जीजें उपलब्ध कराने में क्या सरकार शीघ्र कोई प्रबन्ध कर रही है ? इसके बारे में आप बता दें कृपा करके ।

(इस समय 7 बज कर 12 मिनट पर अधिष्ठाता श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए ।)

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने इस बात की सूचना दी है कि इमरजेंसी वार्ड में सुई, पट्टियां तथा ए0 टी0 एस0 आदि की किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है और हमने मान्यवर इसको स्वीकार किया और जो पर्चियां दीं, उसमें किसी प्रकार की शंका की बात नहीं, मा0 सदस्य के विचार ही काफी हैं और यह सही है कि हमारे इस विभाग में आए दिन दुर्घटनाएं और घटनाएं इमरजेंसी वार्ड में होती रहती है। जिला चिकित्सालयों में इसीलिए आपके सम्मुख जब मैंने अनुदान की मांगें रखीं तो आपको याद होगा प्रति शैय्या पर यह सारी चीजों के लिए धन की अलग व्यवस्था-कर दी थी ।

5 हजार रुपया जिला चिकित्सालय में दिये गये हैं, 250 रुपया प्रति शैय्या, 500 रुपया रुई आदि के लिये, 300 रुपया प्रति शैय्या पिलो कवर आदि के लिये और 500 रुपया इमरजेंसी में प्रति शैय्या देने का प्राविधान किया गया है, जिससे इस तरह की दुर्घटनायें न हों । हम प्रयास कर रहे हैं कि यह प्रति शैय्या मेडिकल कालेज में भी कर दिया जाये । इसे दो डाक्टर डा0 सलूजा और डा0 कालरा के जिम्मे रखा गया है । एक दिक्कत है, कसूर अपना है । इमरजेंसी में मात्र रेजीडेंट या जूनियर डाक्टर काम करते हैं । यह निर्धारित नहीं है कि फलां डाक्टर काम करेगा । जिस दिन की घटना है, उस दिन इमरजेंसी के स्टाक में सुई, ए0टी0एस0, रुई, पट्टी आदि सभी चीजें भी, इसके बावजूद भी मरीज या मरीज के संरक्षक को खरीदकर लाना पड़ा, उसके लिये खेद है । हम प्रयास करेंगे कि इस प्रकार की दुर्घटना पुनः न हो । जहां तक इसकी जांच कराने का सवाल है, इसकी जांच चिकित्सा शिक्षा के अपर निदेशक से करायी जायेगी ।

आलू के दामों में गिरावट आने एवं उसके भण्डारण की व्यवस्था न होने से किसानों में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में चर्चा

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, जो आशंका आपके मन में है, वही आशंका बहुत से साथियों में थी, वह अब समाप्त हो गयी है । आलू की दयनीय स्थिति के बारे में जिस दिन मैंने सूचना दिया था, उस दिन उसके बारे में कह चुका हूं । अब हमें यह देखना है कि जो मैं अपना पक्ष रखूं, उसका स्पष्टीकरण माननीय मंत्री जी दें और बतावें कि आलू की स्थिति क्या है और उसके बारे में सरकार क्या कर रही है, इसकी बारे में सरकार को परीक्षण करना चाहिए । मान्यवर, इस प्रदेश में देश के कुल उत्पादन का 45 प्रतिशत भाग हमारे यहां पर पैदा होता है और मान्यवर, फरवरी 1987 तक जो आपने आंकड़े दिये हैं, उनके उनके अनुसार 55 लाख टन आलू का उत्पादन देश में होगा। यह अनुमानित आंकड़े हैं ।

कृषि मंत्री जी ने भाषण दिया और कहा कि 80 प्रतिशत आलू का भन्डारण कर चुके हैं । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह अपने आंकड़ों को सत्यापित कर लें । मान्यवर, उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर 726 शीत गृह हैं, जो आपके आंकड़े हैं इनमें 665 निजी हैं, 58 सहकारी हैं और 3 सरकारी हैं और इस प्रकार से कुल मिलाकर 726 हैं, और उनमें कुल मिलाकर 22.27 लाख टन आलू भरा जा सकता है । मान्यवर, इनमें से 31 कोल्ड स्टोरेज ऐसे हैं, जो बन्द हो गये हैं । मैं उनके नाम गिनाना चाहता हूं जिससे मंत्री जी अपने उत्तर में कह सकें,

जौनपुर	2
गोरखपुर	4
बलिया	3
इटावा	8
सुलतानपुर	3
आजमगढ़	2
इलाहाबाद	2
लखनऊ	3
मेरठ	4

जो उनकी कैपेसिटी है, उससे कम हो गयी है । इसके अलावा में भण्डारण व्यवस्था के बारे में कहना चाहता हूं। आपने कहा कि 29 जिलों में 69 क्रय केन्द्र केन्द्र खोले गये हैं और यह कहा कि 60,000 टन आलू का क्रय किया जायेगा और बाद में एक प्रेस वक्तव्य में आपने कहा कि 36 जिलों में 139 आलू क्रय केन्द्र खोलेंगे । उसका विवरण आपने दिया कि जैसे नैफेड और पी0 सी0 एफ0 बीस-बीस हजार टन, हॉर्टिको और एग्रो 10-10 हजार टन आलू क्रय करेंगे । इस प्रकार 60 हजार टन आलू क्रय करेंगे । प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 12 लाख टन आलू प्रदेश से बाहर चला जाता है और 8 लाख टन आलू की खपत प्रदेश में ही हो जाती है यह आपके अनुसार 20 लाख टन आलू की खपत हो गई और 22 लाख टन की शीतगृहों में भंडारण करेंगे । इस प्रकार कुल 42 लाख टन भन्डारण की क्षमता हुई इसके अलावा 60 हजार टन आप क्रय

करेंगे । इस प्रकार कुल 42.60 लाख टन आलू की आपने व्यवस्था की और आप कहते हैं 55.43 लाख टन की हमारे पास व्यवस्था है । तो यह 12 लाख टन की व्यवस्था कौन करेगा । वैसे इस वर्ष वास्तविकता यह है कि उत्तर प्रदेश से 12 लाख टन आलू जो बाहर जाता था वह इस साल नहीं गया । यह मेरी निश्चित जानकारी है । आगरे में खदौली और सादाबाद से सबसे ज्यादा आलू बाहर जाता था, इस साल नहीं गया । 12 लाख टन आलू नहीं गया और 12 लाख टन आपके पास बचा है । इस तरह से 24-25 लाख टन आलू भण्डारण के लिये आपके पास पड़ा है और आप कहते हैं कि 80 प्रतिशत आलू भंडारण हो जायेगा । तो मान्यवर, यह स्थिति है कि 25 लाख टन आलू आज बाजार या किसानों के खेत में पड़ा सड़ रहा है ।

अब मैं शीतगृहों के बारे में कहना चाहता हूं । यह आपके लिये भी समस्या है और हमारे लिये भी समस्या है । हम यह उम्मीद कर रहे थे कि आप शीतगृहों की कैपे-सिटी बढ़ाते चले जायेंगे तो आगे चलकर हमारे लिये सुधारात्मक व्यवस्था हो जायेगी तो हमने अपनी छाती पर पत्थर रखकर हिम्मत करके यह सोचा कि अगले साल स्थिति ठीक हो जायेगी लेकिन स्थिति सुधरी नहीं । मान्यवर, आपके यहां कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए तीन एजेन्सियां ऋण देती है पिक अप है, वित्त निगम है और स्टेट बैंक है। इन तीनों ने शीत गृहों को घाटे का व्यवसाय मानकर उसे लाभदायक नहीं समझा लिहाजा इन्होंने ऋण देना बन्द कर दिया । आगे भी 25 लाख टन आलू बचता है, उसकी क्या व्यवस्था होगी । यह बात मेरे समझ में नहीं आती है ।

मान्यवर, शीतगृहों के मालिकों और सरकार के बीच जो विवाद है वह यह है कि शीत गृहों के मालिक बराबर दबाव डाल रहे हैं कि वह हमारा भाड़ा बढ़ाकर दें । यह विवाद किसने पैदा किया है, आपने पैदा किया है । कारण यह है कि जब सरकार पर दबाव पड़ता रहा किराया वृद्धि के लिये, तो सरकार इसके लिये आयोग बिठाती रही और आयोग शीतगृह मालिकों के हाथों बिकते रहे अपने पैसे के बल पर अपने ही पक्ष में रिपोर्ट दिलाते रहे । हमेशा आयोग बिठाते रहे और स्वयं सरकार ने कभी इस सम्बन्ध में निर्णय नहीं लिया कि उनकी बात जायज है या नहीं । उन्होंने रिपोर्ट दी कि भाड़े में वृद्धि कर दी जाय जिसका नतीजा यह होता चला गया कि भाड़े में वृद्धि होती चली गई । इस आयोग को बिठाने की क्या आवश्यकता थी । विवाद आपने खड़ा किया है । जैसा आप अब कह रहे हैं वैसा पहले भी कह सकते थे जब आप आयोग बिठा रहे थे ।

मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि 18 अगस्त, 1983 को तत्कालीन कृषि मंत्री श्री यशपाल सिंह ने सरकारी शीतगृहों को प्रभार से मुक्त कर दिया इससे शीतगृहों के मालिकों के तर्क में बल पड़ गया । वह विवाद भी आप ही ने पैदा किया है । वे आपसे स्थिति स्पष्ट कर देते और आप उन्हें समझा लेते । ऐसा करने की जरूरत नहीं थी । जो आपसे पहले के कृषि मंत्री माननीय यशपाल सिंह ने मान लिया कि कोल्ड स्टोरेज घाटे में चल रहे हैं उनको प्रभार से मुक्ति मिलनी चाहिये । तो उनको मौका मिल गया यह कहने का कि हमारा भी फायदा नहीं हो रहा है हम भी घाटे में जा रहे हैं । उनकी इस बात में बल है इसी पर वह हाईकोर्ट चले गये और उनके पक्ष में फैसला हो गया और उनका किराया बढ़ाकर लखनऊ में 19 रु0 से 27 रुपये और लखनऊ के बाहर 24 रु0

कर दिया । इसके बाद 1985 में आपने पुनः एक कमीशन बैठा दिया डा0 भवर सिंह कमीशन उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट दे दी जो 250 पृष्टों की रिपोर्ट है और उन्होंने सारा रिकार्ड तोड़ दिया और 41 रु0 प्रति क्विटल किराया करने की संस्तुति कर दी । तो आपने स्वयं अपने आप यह बाधा खड़ी कर दी ।

इसके बाद 3 सितम्बर, 86 को उद्योग विभाग के सामान्य प्रबंधक हार्टिकों और शीतगृह के मालिकों के बीच बात हुई उसमें 37.95 पैसे से 40.92 के बीच रखने की बात स्वीकार हुई । फिर 25 जनवरी, 86 को राजेश कुमार जो चारटर्ड एकाउन्टेंट है उन्होंने एक रिपोर्ट दे दी जिसमें उन्होंने कहा कि शीतगृह में रखने पर 32.75 पैसे प्रति क्विंटल मालिकों का खर्च आता है । लाभ अलग रहा । तो मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि यह झगड़ा तो आपने ही कराया सरकार और शीतगृह मालिकों के बीच का यह झगड़ा किसानों के पक्ष में नहीं है । मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आयोग की रिपोर्ट में किसानों के पक्ष में नहीं है । पर शीतगृह मालिकों के साथ सरकार का विवाद भी आगे चल कर आलू उत्पादकों का हित इसमें सुरक्षित नहीं है क्योंकि उसमें भविष्य उनका सुरक्षित नहीं है ।

अगर उनका भविष्य सुरक्षित रखना चाहते हैं तो शीतगृह और सरकार के बीच का झगड़ा खत्म करना होगा । आज शीतगृह मालिक बढ़ा कर किराया मांग रहे हैं । एक बात क्यों नहीं करते हैं वह लोग जो आयकर की चोरी करके, मंडी शुल्क में चोरी करके और बिजली क चोरी करके पैसा कमाते हैं उसको क्यों नहीं रोकते हैं । कमीशन जो किराया बढ़ाने की संस्तुति करते हैं उनको इन बातों की जानकारी नहीं होती है। इस-लिए आप उस चोरी को रोकने की व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं । इसलिये आप उस चोरी को रोकने की व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं। इसी तरह से उनकी भंडारण की क्षमता 4 सौ क्विंटल है तो वह 6 सौ क्विंटल या 6 सौ बोरी रखते हैं । इस तरह से मुनाफा कमाते हैं । इस पर आप प्रतिबंध क्यों नहीं लगाते हैं या फिर उनसे इसकी फीस वसूल करें अगर वह कैपेसिटी से ज्यादा रखते हैं तो उसके लिये पैसा दें ।

इसके अलावा शीतगृह के मालिक खुद आलू खरीद कर रखते हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि फर्रुखाबाद से इतना बैगन आलू बाहर गया है । मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बाहर नहीं गया है बल्कि आगरा के कोल्ड स्टोरों में वह आया है । व्यापारी या कोल्ड स्टोर के मालिक उसे अपने शीतगृहों में रखे हैं । इसलिये उसको आप नियंत्रित करें।

वह व्यापारियों के माध्यम से खरीद करके रख लेते हैं और उसमें मुनाफा कमाते हैं। इसमें मेरा सुझाव है कि कोल्ड स्टोरेज मालिकों का जो भाड़ा है चार पैसे या कितना उसे बढ़ा दीजिये । उस किराये को सरकार वसूले उन पर सख्ती करे और जो पैसा वसूल हो उसकी किसानों को सब्सिडी दे दीजिये । व्यवस्था हो जायगी पर कुछ करना पड़ेगा । इसलिए इन चारों चीजों को प्रतिबन्धित करना होगा । और जो लोग चोरी कर रहे हैं उसकी वसूली करें और किसानों को सहायता दें । यह व्यवस्था करने की बात है ।

मंत्री जी संतुष्टि के लिए आप चाहे जो कर दें लेकिन ईमानदारी से कहना पड़ता है कि प्रदेश में आलू का किसान आज तबाह हो गया है वह आलू शीतगृह में न रखकर सड़क पर फेंक कर घर लौटकर आ जाता है, इसको बर्दाश्त करने की छमता किसान के अलावा किसी में नहीं है। मान्यवर, माननीय सदस्य मुझसे कह रहे थे कि आज यह चर्चा हटा दें लेकिन मैंने उनसे कहा कि हम कौन सा मुंह अपने घर जायेंगें, वहां जाने पर किसान हमको घेरेंगे तो उनको हम क्या जवाब देंगे और चुनाव जीतना मुश्किल हो जायेगा इसलिए, मैंने आवश्यक समझा कि यह चर्चा आज हो जाय, इसलिए इस पर गम्भीरता से आप विचार करें

कृषि मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)–

मान्यवर, अभी राणा जी ने बड़े दु:ख के साथ किसानों की स्थिति का बयान किया । यह बात सही है कि इस समय आलू उत्पादक कठिनाई में है, उसे कठिनाई है, मुझे इस बात को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है । लेकिन हमारे मित्र राणा साहब को तथ्यों की पूरी जानकारी नहीं है । मान्यवर, प्रदेश में 726 कोल्ड स्टोरेज नहीं है बल्कि इस समय 788 कोल्ड स्टोरेज है । पिछले साल 1987-88 में 739 कोल्ड स्टोरेज थे और इस साल इनकी तादाद 788 हो गयी है ।

श्री विजय सिंह राणा–

726 कोल्ड स्टोरेज पुराने है और 39 नये लाइसेंस दिये है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप बाद में कह लेंगे, मंत्री जी को अपनी बात कहने दें।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मैंने आपकी बात को धैर्य से सुना है, आपने सुझाव भी दिये है लेकिन मेरी बात को भी आप धैर्य से सुन लें ।

मान्यवर, कुछ कोल्ड स्टोरेज बन्द है किन्तु 744 शीत गृह इस साल भी चालू है, उनकी भण्डारण क्षमता पिछले साल 23 लाख 10 हजार मैट्रिक टन थी और इस साल जो चालू कोल्ड स्टोरेज है उनकी क्षमता 24 लाख 92 हजार मैट्रिक टन है । मतलब यह कि 23 से बढ़कर 25 लाख मी0 टन यह हो गया यानी दो लाख मी0 टन भण्डारण क्षमता हमारी बढ़ी है । इसलिए यह कहना कि कोल्ड स्टोरेज नए नहीं बनाए गये, सही नहीं है । यह बात नहीं है । नये कोल्ड स्टोरेज बने है और उनकी अच्छी प्रगति है । यह कोल्ड स्टोरेज 83-84 में 701 थे, 84-85 में 708 हुए, 85-86 में 726 हुए 86-87 में यह 739 हो गये है और 87-88 में यह बढ़कर 788 की तादाद में हो गये है। यह नए-नए बन रहे है और भण्डारण क्षमता भी बढ़ी है।

दूसरी बात, राणा साहब ने जिक्र किया कि शीतगृह मालिकों और सरकार में विवाद है । यह बात भी उनकी अपनी जगह सही हो सकती है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि शीतगृह मालिक अगर हमारे किसानों का शोषण करना चाहेंगे, वह ज्यादा रेट मागेंगे तो सरकार कभी उसके लिए तैयार नहीं होगी, इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूं । और कोर्ट का जिक्र किया राणा साहब ने, पिछले साल 23 रुपया प्रति क्विन्टल की दर से भण्डारण दर तय की गई थी, तो उसके खिलाफ कोल्ड स्टोरेज मालिक हाई-

कोर्ट गए । हाईकोर्ट में यह लोग हार गए । पहले तो उन्हें स्टे आर्डर मिल गया, लेकिन हाईकोर्ट में जो अन्तिम फैसला हुआ, तो सरकार ने जो 23 रुपया रेट तय किया था वही हुआ । उसके विरोध में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की, लेकिन उनकी वह अपील स्वीकार नहीं हुई और जो सरकार ने 23 रुपये की दर तय की थी, वही निश्चित रही और काईकोर्ट ने यह कहा था अपने अन्तरिम आदेश में कि ठीक है आप 26 रुपया ले सकते हैं, लेकिन जो यह 3 रुपया प्रति क्वींटल ज्यादा लेंगे, उसके किसानों की सूची बनाएंगे और यदि यह तय हो गया कि सरकार द्वारा तय रेट ठीक है तो यह रुपया आपको किसानों को वापस करना पड़ेगा ।

यह मैं खुशी की बात बताना चाहता हूं कि सरकार ने कितना न्यायिक दृष्टिकोण अपनाया कि न्यायालय में भी जो सरकार ने 23 रुपये का निर्णय लिया था वह बरकरार रहा और वह सुप्रीम कोर्ट तक से हार गये और जो अतिरिक्त पैसा शीतगृह मालिकों ने लिया था, उसके बारे में सरकार की तरफ से आदेश दिया गया है कि वह हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहद जल्दी से जल्दी और टाईम-बाउन्ड ढंग से डिस्ट्रिक्ट उनसे रुपया जमा करा कर शासन को बताएं । वह कार्यवाही हो रही है और मेरा अपना तो ख्याल है कि प्रत्येक शीतगृह पर शिविर लगाकर यह पैसा उन किसानों का हम वापस करेंगे, ऐसा हमने फैसला लिया है । जो काफी धनराशि है वह किसानों को मिलेगी। तो यह कहना कि सरकार का इरादा शीतगृह मालिकों के खिलाफ है, नहीं है । यह बात तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से भी तय हो चुकी है कि सरकार का जो फैसला था, वह उचित और न्यायोचित था ।

मेरी समझ में नहीं आता है कि राणा साहब कोल्ड स्टोरेज की तरफ ज्यादा हमदर्दी रखते हैं या, 'व्यवधान' या मैं जानता हूं कि वह एक बड़े और अच्छे किसान हैं, पता नहीं कोल्ड स्टोरेज वालों के प्रति उनकी हमदर्दी कैसे हो गई . . .।

श्री भगौती सिंह–

मान्यवर, मंत्री जी मसले से अलग जाकर चर्चा को बढ़ा रहे हैं । मैं समझता हूं कि इस वक्त तात्कालिक रूप से आलू के भण्डारण और आलू किसानों का जो समस्या है उस पर ही वह प्रकाश डालें कि इस पर उनकी क्या नीति है । इसमें तमाम इतिहास बताने से कोई समस्या का निराकरण होना नहीं है ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं चाहूंगा यह थोड़ा धैर्य रखें । राणा जी ने जो बिन्दु उठाये थे मैं उनके बारे में बता रहा था।

श्री अधिष्ठाता–

आप संक्षेप में कहें।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मुझे इस बात में कोई शंका नहीं है, मुझे आश्चर्य हुआ कुछ बहस सुनकर, यह जरूरी है कि हमने क्या-क्या किया और क्या करने वाले हैं। यह बतायें। मान्यवर, आलू का उत्पादन बहुत अच्छा हुआ है सब भाई कहते थे और हम भी कहते थे कि सूखा है, बड़ी दिक्कत है, लेकिन मान्यवर इस सूखे की स्थिति में भी हमारे यहां 60 लाख मीट्रिक टन आलू पैदा हुआ। प्रदेश में, जो बहुत अच्छा उत्पादन है। पिछले साल से इस बार तीन लाख टन ज्यादा उत्पादन हुआ है। ऐसा जरूर लगता है कि कहीं-कहीं पर जो व्यापारी हैं और जो शीतगृह के मालिक हैं, बहुत मुमकिन है कि कहीं मिले हुए हों। और वह किसानों के हित की बात न सोचते हों। लेकिन हमारी तरफ से निर्देश है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कहा गया है कि वह अपने-अपने जिलों को देखें। किसानों का आलू प्राथमिकता के आधार पर भंडारित किया जाए। यदि शीतगृह मालिकों ने किसानों को परेशान किया है, तो कहीं-कहीं फिजीकल वैरीफिकेशन, अधिकारियों को मौके पर भेज कर देखा जाएगा। अगर फर्जी नाम पर, किसानों के नाम पर, आलू रख लिया है तो ऐसे शीतगृह मालिकों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

श्री अधिष्ठाता–

आप इसके बाद उत्तर भाषण में बतायें। हमारे वर्मा जी बहुत पुराने सदस्य हैं जो चर्चा का उद्देश्य है उसी पर बोलें। कोई बात रिपीड न करें।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, मान्यवर, जो शीतगृह चल रहे हैं यह तीन तरह के शीतगृह चल रहे हैं। एक तो निजी शीतगृह, दूसरे कोआपरेटिव तीसरे शीतगृह इनके विभाग द्वारा चलाए जाते हैं। इन तीनों के जो रेट हैं उसमें अंतर है इसलिए विवाद शुरू हो गया है। कोआपरेटिव वालों ने 32 रुपया दर बढ़ा दी तो निजी शीतगृह वालों ने भी अपनी दर बढ़ा दी, इस दर के विवाद को लेकर यह हाईकोर्ट में चले गये। 1985 से पिछले साल तक यह मामला हाईकोर्ट में लम्बित पड़ा रहा। इसमें आपका विभाग अक्षम और निकम्मा हो गया है। उसका नतीजा यह हुआ कि किसानों से जो पैसा वसूल किया गया था 26 रुपये और 28 रुपये और 32 रुपये वह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार 23 रु0 होने के बावजूद वापस नहीं किया गया। मंत्री जी ने घोषणा की थी कि ज्यादा लिया है उसको वापस दिलवायेंगे । मैंने पिछली बार एक प्रश्न किया था तो माननीय मंत्री जी ने सदन में आश्वासन दिया था कि किसानों का पैसा जो शीतगृह मालिकों पर बकाया है उसको वापस दिलवायेंगे लेकिन आज तक उसको वापस नहीं दिलवा पाये हैं।

मेरा निवेदन है कि जिन शीतगृहों को सरकारी महकमा चलाता है, पता किया जाय कि उनकी क्या लागत आती है और उसी को आधार मानकर नो प्राफिट नो लास के आधार पर एक दाम तय किया जाय जिससे किसान का नुकसान न हो। शीतगृह को इण्डस्ट्री मानकर जब तक चलते रहेंगे तब तक किसान का भला नहीं हो पायेगा। दूसरी बात मैं नीति संबंधी कहना चाहता हूं कि मंत्री जी ने 2 लाख

टन क्षमता बढ़ाने की बात कही। राणा जी ने कहा कि 55 लाख टन आलू हुआ है और मंत्री जी कहते हैं कि 60 लाख टन हुआ है। यह साफ तौर पर निश्चित है कि आलू की पैदावार निरन्तर बढ़ रही है तो भंडारण की क्षमता को बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन भंडारण की जो क्षमता है वह दिन प्रतिदिन घट रही है। किसान के हित को सर्वोपरि मानकर भंडारण की सुविधा को सरकार को बढ़ाना चाहिए। आपने कहा था कि आलू से चिप्स बनाये जायेंगे, शराब बनायी जायगी और आलू का पाउडर (आटा) बनाया जायगा, उसके कारखाने लगाये जायेंगे। मेरा कहना है कि यदि इस बात की व्यवस्था कर दी गयी होती और यह कारखाने लगाये गये होते तो किसानों के सामने आज यह दिक्कत न आती। हमारे आगरा में फिरोजाबाद क्षेत्र में, पूरे आगरा मंडल में सारे का सारा आलू व्यापारियों का रखा गया है। इनके जो हार्टीकल्चर डिपार्टमेन्ट है वह श्रीमान् सबसे ज्यादा गलत काम करता है और आपका उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप किसानों का हित करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आगरा में और सारे जनपदों में जहां जहां आपके डिपार्टमेन्ट हैं उनको किन किन किसानों ने एप्लीकेशन दी और किनका आलू रखा गया इसकी जांच करवायें।

इससे यह पता चल जायगा कि किसानों का आलू रखा गया है या नहीं। यदि एक एकड़ किसान के पास जमीन है और 300 मन आलू रखा गया है तो पता चल जायगा कि यह व्यापारी का है या किसान का। ऐसा किया गया है यही कारण है कि किसान आन्दोलन पर उतारू है। मैं और राणा जी अपने अपने क्षेत्रों में गये तो जिस सड़क पर गये वहां जगह जगह पर आलू रखा दिखाई दिया और सारे किसान हमको घेर कर खड़े हो गये। मंत्री जी यदि आप अपने जिले में जायं, लाल प्रताप जी अपने जिले में जायं तो यह हालत हो जायगी कि आपके कुरते फट जायेंगे हम तो विपक्ष के आदमी हैं। हार्टीकल्चर विभाग आलू के भंडारण में किसानों की कोई मदद नहीं कर रहा है। मेरा निवेदन है कि इस विभाग के जरिये किसानों के आलू के भंडारण की सुविधा करवायें।

दूसरी नीति संबंधी जो बात मैंने कही है कि नो प्राफिट नो लास पर रेट तय करें। एक निवेदन और करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में आलू के बढ़े हुए उत्पादन को भंडारण सुविधा प्रदान करें तथा आलू से चिप्स, शराब और आलू से आटा बनाने के कारखाने लगाये जायं। दूसरी बात कहना चाहता हूं कि नेफेड जो खरीदता है, 40 रुपये बोरी के हिसाब से भी कोई आलू को खरीदने के लिए तैयार नहीं है पिछले साल फिरोजाबाद में आपने वादा किया था कि नेफेड के माध्यम से आप खरीदेंगे लेकिन नहीं खरीदा गया। फिरोजाबाद और आगरा में खरीद केन्द्र खोले। अभी लखनऊ में कल एक बड़ा आन्दोलन हुआ है जिसमें डी0 पी0 बोरा और चन्द्रजीत यादव की गिरफ्तारी हुयी। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि किसानों के हित को सर्वोपरि रखते हुए आलू के संबंध में सरकार व्यवस्था करे।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

माननीय, समय बढ़ा दिया गया है?

श्री अधिष्ठाता–

नहीं, समय नहीं बढ़ाया गया है।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, आलू के संबंध में जब चर्चा हो रही है, तो मैं इस चर्चा को दो हिस्सों में बांटता हूं। एक आलू के भंडारण की स्थिति और दूसरी है आलू का उचित मूल्य काश्तकारों को मिलना। मान्यवर, मैंने जो उस दिन प्रश्न दिया था, मेरी चिन्ता मुख्यतया यही थी कि आलू का समुचित मूल्य काश्तकारों को नहीं मिल रहा है। जहां तक भंडारण का सवाल है, मैं उस संबंध में कहना चाहता हूं कि अभी मंत्री जी ने जो आंकड़े दिये थे, उस आंकड़े को देखने से यही मालूम होता है कि गत वर्ष से ज्यादा इस वर्ष भयंकर स्थिति नहीं हो गयी है। आपके हिसाब से 58 लाख मीट्रिक टन उत्पादन पिछले वर्ष हुआ था, और इस वर्ष 60 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुआ है अर्थात् 2 लाख मीट्रिक टन उत्पादन में वृद्धि हुई है। आपने भंडारण की क्षमता भी दो लाख मीट्रिक टन बढ़ा दिया, इस प्रकार मंत्री जी के हिसाब से आलू की स्थिति में गत वर्ष से इस वर्ष कोई अन्तर नहीं पड़ा फिर भी जो गत वर्ष आलू उत्पादक की स्थिति थी, उससे इस साल ज्यादा खराब है आखिर क्यों? इस वक्त क्यों परेशान हैं, काश्तकार जबकि गत वर्ष परेशानी नहीं थी? इसका मतलब यह है कि कोई गड़बड़ी है।

मान्यवर, भंडारण क्षमता में वृद्धि होने के बावजूद भी जो कोल्ड स्टोरेज के सामने झगड़ा हो रहा है, काश्तकार इस तपती हुई दोपहरी में बाहर इस इन्तजारी में बैठा हुआ है कि उसकी आलू कोल्ड स्टोरेज में रखी जायगी, लेकिन फिर भी उसकी आलू कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखी जा रही है, उसकी आलू बाहर रखे-रखे सड़ती जा रही है। मान्यवर, इसमें व्यवस्था का दोष है। इनके जो पी0 डी0 ओ0 हैं, फर्रुखाबाद को तो मैं जानता हूं, उसको बहुत जबरदस्त सांठ-गांठ 20 कोल्ड स्टोरेज के मालिक से है। वहां तो षड़यंत्र इसलिए है कि उत्तर प्रदेश में जितना आलू पैदा होता है, फर्रुखाबाद में अकेले उतना आलू पैदा होता है। फर्रुखाबाद में इस वर्ष आलू की अनुमानित पैदावार 12 लाख मीट्रिक टन है।

मान्यवर, आलू उत्पादक यह कहते हैं कि कोल्ड स्टोरेज मालिक जानबूझ कर फाटक बन्द कर देते हैं, कोल्ड स्टोरेज में कैपेसिटी है, फिर भी नहीं रखते हैं और भीड़ लगाये रहते हैं। आलू उत्पादक 10-10 दिन तक गेट पर पड़े रहते हैं और जब वे यह महसूस करने लगते हैं कि उनका आलू सड़ जायगा, तो वे मजबूर होकर कोल्ड स्टोरेज के मालिक और पी0 डी0 ओ0 की साठ-गांठ का शिकार हो जाते हैं और कोल्ड स्टोरेज के मालिक सस्ते दामों पर आलू भरने लगते हैं। इसके अलावा कुछ आलू उत्पादक तो निराश होकर कम दामों पर आलू बाहर बेंच देते हैं।

मान्यवर, यह जो कोल्ड स्टोरेज के मालिक और पी0 डी0 ओ0 की साठ-गांठ से आलू उत्पादकों का आलू सस्ते दामों पर रखा जाता है, इससे उनको काफी फायदा होता है। इस पर चेक कैसे लगाया जायगा? इस पर चेक इस तरह से लग सकता है कि माननीय मंत्री जी अटरैंडम किसी न किसी कोल्ड स्टोरेज को चेक करें और वहां के पी0 डी0 ओ0 से न चेक करावें, बल्कि दूसरी जगह के पी0 डी0 ओ0 से चेक करावें या इनके जो सेल हों, उससे चेक करावें। मान्यवर, यह बहुत ही अहम् मसला है, मान्यवर, मुझे दो मिनट और दे दिया जाय।

मान्यवर, दूसरा मेरा एक और सुझाव है। दूसरा मान्यवर, सुझाव यह है कि यह बात सुनिश्चित कर लिया जाय कि जो आलू रखा जा रहा है वह काश्तकार का ही है या बिचौलिया का है। एक परम्परा, प्रक्रिया अपनाएं और उसमें जिसका आलू रखी है जिस नाम से रखा है, उसका इंतखाब तलब करायें। इंतखाब हर आदमी का आ जायेगा तो मालूम हो जायेगा कि इसके पास कितना खेत है और उसमें कितना आलू पैदा हुआ और इसने इतना कैसे रख लिया है। हमारे फर्रुखाबाद में इसकी जांच कराई जाय। मुझे मालूम है कि जो व्यापारी हैं उन्होंने एक हजार, दो हजार नहीं 10-10 हजार बोरे रखे हैं।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी कह देंगे कि हमने फर्रुखाबाद से आलू काफी भिजवाया लेकिन गलत है, हमारे यहां फर्रुखाबाद से जो आलू बाहर गया है वह बेवर कोल्ड स्टोरेज में रखा है या कानपुर देहात के कोल्ड स्टोरेज में रखा गया है या आगरा में रखा गया है। इस वर्ष जो हम बाहर भेजते थे आसाम या दूसरे प्रदेशों के लिए वहां आलू गया ही नहीं तो इससे स्थिति खराब होगी। एक तरफ तो मान्यवर, आलू उत्पादकों को समुचित मूल्य मिले इसके लिए उसका लागत मूल्य कम करें। यह मेरा सुझाव है। क्योंकि लागत मूल्य कम से कम 75 रुपये प्रति क्विन्टल आता है और इस समय 30–35 रुपये में बिक रहा है। जबकि इस समय 5 रुपये क्विन्टल की खुदाई है, 5 रुपये कुन्तल ढुलाई पड़ जाती है और बोरा भी 8 रुपये में आता है, पल्लेदारी अलग लेते हैं, कृषि मण्डी शुल्क अलग लेते हैं, चुंगी अलग लेते हैं इस तरह से 25 रुपये कुन्तल का खर्च आता है और 30-35 रुपये मिल रहे हैं। एक तो मेरा सुझाव यह है कि लागत मूल्य कम करने के लिए सस्ता बीज दें। जो बीज फर्रुखाबाद में काश्तकारों को दिया गया आप उसकी जांच करवा लें, जो आपके डिपार्टमेन्ट से दिया गया वह सड़ा हुआ था। काश्तकारों को सस्ती बिजली दें।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मान्यवर, मैं केवल 3 सुझाव देकर अपनी बात खत्म करूंगा। एक तो लागत मूल्य कम करें। दूसरी बात यह है कि जब आलू के काश्तकार बरबाद हो गये हैं तो दूसरी फसल की बीमा योजना हो। आलू की फसल की बीमा योजना शुरू करें और जो

आलू फसल बीमा योजना हो उसमें एक बात करें, उसमें जो इकाई माना है, यूनिट माना है वह जिले को माना है, जिले को इकाई मानते हैं, मैं समझता हूं कि उसमें काश्तकार को ही एक इकाई माने । क्योंकि बहुत से गरीब काश्तकार ऐसे हैं जो आलू नहीं रख पाये हैं, उनका सड़ जायेगा।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मान्यवर, प्रदेश के लिए कह रहा हूं आप आलू के काश्तकार नहीं हैं इसलिए आपको पीड़ा नहीं मालूम पड़ती है।

मान्यवर, जो आलू के काश्तकार हैं पूरे प्रदेश में। इस समय उनका एक दाना भी आलू का नहीं खरीदा गया है। गत वर्ष खरीद हुई थी, तो जितना आलू का प्रोडक्शन है और जितनी भंडारण क्षमता है उसको देखते हुए अगर आप आलू की खरीद नहीं करेंगे तो आलू सड़ जायेगा। 60 लाख मीट्रिक टन पैदा हुआ है, 25 लाख मीट्रिक टन का भंडारण हुआ और 5 लाख मीट्रिक टन बिका है और बाकी 30 लाख मीट्रिक टन खरीद के लिए चाहिए। मान्यवर, 3 वर्ष हो गये, हर वर्ष माननीय कृषि मंत्री जी आश्वासन दे देते हैं कि आलू पर आधारित उद्योग शीघ्र लगाया जा रहा है। अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो बोटका में उपयोग करें, चिप्स का उद्योग लगा सकते हैं, मिथाइल एलकोहल का उद्योग लगा सकते हैं, वे इण्डस्ट्री में उपयोग हो सकता है।

श्री अधिष्ठाता–

सबको 5 मिनट दिये हैं, अब आप बैठें, आप सुझाव लिखकर भेज दें, मैं समय नहीं देता हूं।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मान्यवर, अंतिम सुझाव है, माननीय मंत्री जी ने अभी कहा है कि जो आलू का भंडारण हुआ है उसका जो रुपया बढ़ा है, सुप्रीमकोर्ट ने आदेश दिये हैं, उसके लिए कम्पलसरी आप यह करिये कि मनीआर्डर से इन काश्तकारों को भिजवाएं। मान्यवर, गांव में शिविर लगाकर कराएंगे तो वहां भी लोग फर्जी अंगूठा लगाकर पैसा ले लेंगे। इसलिए उस पैसे को मनीआर्डर से भिजवाएं।

*श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

मान्यवर, मैं सिर्फ एक बात अपने जिले के बारे में कहना चाहता हूं। दो मिनट में समाप्त हो जायगा। बहुत सी बातें तो अन्य मा0 सदस्यों ने रखी हैं पूरे प्रदेश में आलू भण्डारण की समस्या के बारे में, मान्यवर, गाजीपुर जनपद में मैं मा0 मंत्री जी का ध्यान ले जाना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में मैंने पत्र भी लिखा था। आलू के भण्डारण और उसके मूल्यों के बारे में। मान्यवर, 9 प्राइवेट कोल्ड स्टोरेज गाजीपुर में हैं। चार कोआपरेटिव के कोल्ड स्टोरेज हैं, जिनमें से तीन चल रहे हैं। स्थिति यह है कि कोआपरेटिव के कोल्ड स्टोरेज के सदस्यों से कह दिया गया कि

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनकी डेट एक्सपायर हो गयी। वहां किसानों का आलू न रखकर व्यापारी और कई तरह के लोगों का आलू का भण्डारण किया जा रहा है। जो प्राइवेट कोल्ड स्टोरेज हैं, उनमें तो किसी तरह से जो बड़े बड़े किसान हैं 10-5 एकड़ की खेती करते हैं, उनका भण्डारण हो पा रहा है। मैं आपका ध्यान गाजीपुर की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। वहां के 61 फीसदी किसान 1/2 हेक्टेयर से नीचे के हैं। छोटे-छोटे इन किसानों के आलू का भण्डारण नहीं हो पा रहा है। उनका आलू सड़ रहा है। द्विवेदी जी ने तो 30-35 रुपये की बात कही, गाजीपुर में 25-30 रुपये क्विंटल आलू बिक रहा है।

मैं मा0 मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करता हूं कि इस पर ध्यान दें और आलू के भण्डारण की व्यवस्था करावें। सदन में मा0 मंत्री जी ने सोमवार को नियम 56 में कहा कि विभिन्न जिलों में क्रय केन्द्र खोले गये हैं। गाजीपुर में आज तक किसी भी केन्द्र से जो सपोर्ट प्राइस है, उसके अन्तर्गत आलू नहीं खरीदा जा रहा है। उसकी लागत 75 रुपया आ रही है। मैं कहना चाहता हूं कि जो विश्व बैंक के कोल्ड स्टोरेज बने हुए हैं, उनसे 32 से 37 रुपये का रेट वहां के आलू उत्पादकों से लिया जा रहा है। इसी प्रकार से प्राइवेट कोल्ड स्टोर जो चालू नहीं हैं, उनके बारे में मा0 मंत्री जी ने कहा कि जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि उनका निरीक्षण करके जानकारी करें ।

मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि आप अपने स्तर पर, प्रदेश स्तर से एक दो अधिकारी इस तरह के लगावें जो अचानक इस बात को चेक करें कि उनमें किसानों का आलू लिया जा रहा है कि नहीं। यहीं लखनऊ में चिनहट के आस-पास बैठा दीजिये। कहीं भी गरीब किसानों का आलू नहीं लिया जा रहा है। दो-चार-पांच दिन के बाद उनका आलू सूखने लगता है तो किसान परेशान होता है। मंत्री जी भी किसान हैं। मैं **आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इस स्थिति में** किसानों की स्थिति को देखते हुए आपने जो आंकड़े दिये, मैं उनके अन्दर नहीं जाना चाहता, लेकिन आलू के भण्डारण की व्यवस्था करें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और मा0 मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि प्रदेश में कुल पांचवां भाग फर्रुखाबाद में आलू का होता है तो गाजीपुर में भी कम नहीं होता। लेकिन गाजीपुर के कोल्ड स्टोरेज में आलू का भण्डारण नहीं हो पा रहा है। किसानों में बड़ा असंतोष है। उनके आलू के भण्डारण की व्यवस्था कराने का कष्ट करें।

श्री भगौती सिंह–

माननीय, आलू का जो संकट है, वह कोल्ड स्टोरेज के मालिकों और समाज के निकम्मेपन की वजह से पैदा हुआ है।

माननीय सरकार पूरी तौर से अक्षम है कि वह कोल्ड स्टोरेज के मालिकों पर नियंत्रण कर सकें और कोल्ड स्टोरेज के मालिक रोजगारियों से मिलकर के खुद अपना आलू खरीद कर कोल्ड स्टोरेज में भर रहे हैं । यह राजधानी का स्थान है ।

माननीय मंत्री जी यहां लखनऊ के शीतगृहों पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, तो पूरे प्रदेश के दूरदराज के इलाकों की क्या स्थिति होगी, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है । मान्यवर, आप चले जाइये सीतापुर रोड पर, आप चले जाइये फैजाबाद रोड पर, आप चले जाइए कानपुर रोड पर, जिधर भी जायेंगे, कोल्ड स्टोरेज के सामने किसानों की लाइन लगी हुई पायेंगे । खेतों में इस समय आलू सड़ना शुरू हो गया है, धूप में किसानों का आलू सड़ रहा है ।

किसान कोल्ड स्टोरेज के, उद्यान विभाग के, डी0 एम0 के चक्कर लगा रहा है, लेकिन कहीं से उनको कोई राहत नहीं मिल रही है । स्थिति क्या है, कोल्ड स्टोरेज के जो मालिक हैं, इन्होंने उसमें अपने आलू भरे हैं । करीब-करीब सभी कोल्ड स्टोरेजों में जगहें हैं, अगर सरकार उधर थोड़ा सा ध्यान दे । आप चले जाइये फैजाबाद रोड पर, हर विलास कोल्ड स्टोरेज है बहुत बड़ा कोल्ड स्टोरेज है, उनमें जिन लोगों का आलू रखा गया, उनमें से ज्यादातर किसान ऐसे किसान हैं, जिनकी चार बीघा जमीन है, और उनके हजारों बोरे स्टोर में रखे हुए हैं । आप महानगर कोल्ड स्टोरेज में चले जाइये, बहुत बड़े पूंजीपति हैं उनका वह कोल्ड स्टोरेज है, उनके यहां पांच कैटिगरियां बनी हुई हैं ए0 बी0 सी0 डी0 ई0, उन पर मार्किंग हैं, वह सारा का सारा आलू उनका खुद का है, उसका कहीं लेखा जोखा नहीं मिलेगा । जितने भी स्टोरेज हैं, कोई भी स्टोरेज ऐसा नहीं है जिसमें जगह न हो ।

मंत्री जी कहते हैं कि मैंने आदेश दे दिये हैं। मान्यवर, मैंने 25 तारीख को पत्र लिखकर के जिलाधिकारी को दिया है, 26 तारीख को मैं जिलाधिकारी लखनऊ से मिला हूं और सारी स्थिति से उन्हें अवगत कराया है लेकिन यहा के जिलाधिकारी अक्षम हैं, उनका यह निकम्मापन रहा है कि आज तक किसी कोल्ड स्टोरेज के ऊपर छापा नहीं पड़ पाया और न जांच हुई है कि जो यहां के कोल्ड स्टोरेज में आलू रखा हुआ है वह किसान का है या रंगबाजों का है । अगर यही तरीका रहा तो किसान का आलू सड़ जायेगा, सरकार आदेश चलता ही रह जायेगा । किसान की बरबादी होगी । मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी यहां पर हैं, यह राजधानी का स्थान है, आप तत्काल यहां के डी0 एम0 को, एस0 डी0 ओज0 को और अन्य अधिकारियों को आदेश दें कि विशेष परिस्थितियों में तीन दिन के अन्दर वह सारे स्टोरेजों की चेकिंग करें और जो स्थान हैं उनमें किसानों का आलू रखवायें। अगर वहां रंगबाजों का आलू भरा हुआ है, तो कोल्ड स्टोरेज के मालिकों को दंडित करें और उस आलू को जब्त करायें । दूसरी चीज हमको याद आती है माननीय मंत्री जी ने कहा था कि क्रय केन्द्र खोले जायेंगे । मान्यवर, कहीं क्रय केन्द्र नहीं खोले गये हैं । लखनऊ में कहीं एक भी क्रय केन्द्र खुला है, तो माननीय मंत्री अपने जवाब में उसके बारे में बतायें कि वह क्रय केन्द्र कहां खोला है तथा उसमें अब तक कितना आलू किसानों का लिया गया है । क्रय केन्द्र के बारे में माननीय मंत्री जी बतायें, ताकि किसान वहां अपना आलू देकर कुछ राहत पा सके ।

सरकार के निकम्मेपन की वजह से, शीतगृह मालिकों और रोजगारियों के गठ-बंधन की वजह से किसान मजबूर है कि अपना आलू अन्यत्र 30 रु0 35 रु0 क्विंटल में बेचे, 35 रु0 में अपना आलू बेचने के लिए आज किसान मजबूर है । मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि इस समस्या का तत्काल निकराकरण निकालें, नहीं तो मजबूर होकर किसान उत्तेजित होगा कल आपको भी बुरा लगा होगा, हमको भी बुरा लगा, परम्परा टूटी है, इस सदन की गरिमा गिरी है, लेकिन जब किसान की बरबादी होगी, तो फिर इसकी गरिमा रह नहीं सकती है । इसी कारण कल यहां सदन में दर्शक दीर्घा में हल्ला मचा और आवाजें उठीं और पर्चे फेंके गये । इस घटना के बाद भी मंत्री जी के बहरे कान नहीं खुले तो वह दिन दूर नहीं, जब मंत्री जी के घर पर आलू लगेगा इस असेम्बली के फाटक पर आलू लगेगा, सदन के इन गलियारों में किसान बैठकर आपका सदन चलने में व्यवधान डालेंगे ।

*श्री लाल प्रताप सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने जनपद प्रतापगढ़ की तरफ दिलाना चाहता हूं । मान्यवर, हमारे यहां आलू उत्पादक हैं, उनको बड़ी कठिनाइयां हैं। मैं अभी पिछले बार जब अपने यहां गया हुआ था, तो बहुत से किसान मुझसे मिले और अपने दुख की अभिव्यक्ति मुझसे की । आज भी माननीय मंत्री जी, किसान हमारे पास आये थे और कह रहे थे कि सहकारी मंत्री जी से लिखवा दें कि जो पी0 सी0 एफ0 का गोदाम है, उसमें हमारा आलू रख लिया जाय । मान्यवर, आज तमाम लोग अपना आलू कम दामों पर बेच चुके हैं । किसानों की फलीट बहुत बड़ी है ।

किसान की यह भी परेशानी है कि वह कैश क्राप से बड़ी उम्मीद लगाये रहता है कि वह उसे बेचकर शादी ब्याह करेगा, अपने ट्रैक्टर, हल बैल के कर्जे चुकायेगा । लेकिन जब ऐसा नहीं होता, तो किसान का भविष्य अंधकारमय हो जाता है । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्रतापगढ़ के डी0 एम0 को लिख दें या टेलेक्स कर दें कि किसान का आलू, जिस तरह से भी हो सकें, उसे गोदाम में रखवा दें । अगर प्रतापगढ़ में उनको रखवाने में कोई कठिनाई हो, तो इलाहाबाद में अगर कोल्ड स्टोरेज में जगह हो, तो वहां प्राथमिकता के आधार पर किसानों का आलू रखवाने की कृपा करें । मैं आपसे आशा करता हूं कि आज ही आप यह टेलेक्स जारी करा देंगे ।

श्री भगौती सिंह–

मान्यवर, एक बात मेरी जानकारी में है, उसके और बताना चाहता हूं कि लखनऊ शहर में अलीगंज में एक राजकीय शीतगृह है, उसमें भी स्थान खाली है । उसमें सिर्फ उन्हीं लोगों का आलू रखा जा रहा है, जो रुपया देते हैं और जो रुपया दे पाने में असमर्थ हैं, उनका आलू नहीं रखा जा रहा है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री संतोष चतुर्वेदी–

मान्यवर, आलू के दामों में गिरावट और भंडारण की व्यवस्था से संबंधित चर्चा पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । श्रीमन् यह जो व्यवस्था में संकट पैदा हो गया है, यह तो होना ही था । इसके बीज तो उसी दिन बो गये थे, जिस दिन सर्वोच्च न्यायालय में यहां के पूंजीपति शीतगृहों मालिकान को रेट्स के बारे में किसान के हितों की संरक्षण सरकार से मुंह की खानी पड़ी थी, उस दिन ही मालूम हो गया था कि दाम तो गिरने ही थे । उन्होंने किसानों व सरकार को सबक सिखाने के लिए तब एक षड़यन्त्र रचा । श्रीमन्, आपके संज्ञान में भी है कि जैसे ही 3 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से वसूली किये जाने के लिए सरकार ने योजना बनाई, तभी से उन्होंने अपना यह कुचक्र प्रारम्भ कर दिया ।

मान्यवर, मेरे जनपद फर्रुखाबाद में 28 रुपये क्विंटल के दामों पर आलू खरीदा जा रहा है । इन दामों की गिरावट और भंडारण की अनियमितता में पी0 डी0 ओ0 का पूरा हाथ है । मान्यवर, सरकार की तरफ से गत वर्ष कहा गया था कि आलू की खरीद की जायेगी । मान्यवर, छिबरामऊ विधान सभा क्षेत्र में तमाम शीतगृह बने हुये हैं । उसमें से कई इस बर्ष प्रारम्भ हुये हैं, लेकिन जो पहले के शीतगृह हैं, उनमें तमाम स्थान अभी खाली है । मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोल्ड स्टोरेज पर किसानों का लाया हुआ आलू गाड़ियों में दिन भर धूप में खड़ा रहता है और रात में उसी आलू को भंडारगृह के मालिकों द्वारा 28 रुपये में खरीदा जाता है । मैं दो-तीन सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करूंगा । एक तो यह फर्रुखाबाद में जो कोल्ड स्टोरेज बन्द हैं, उन्हें तुरन्त चालू करवाया जाये ।

हमारे छिबरामऊ में एक कोल्ड स्टोरेज हैं, गत वर्ष वहां किन्हीं कारणों से आलू सड़ गया था, हो सकता है कोई तकनीकी खराबी हो गयी हो । उसको भी लाइसेन्स न दिए जाने से अव्यवस्था उत्पन्न हो गयी है। मैं वहां के पी0 डी0 ओ0 से मिलने के लिए गया था लेकिन मुझे बताया गया कि वह दौरे पर गये हैं । मान्यवर, यह पी0 डी0 ओ0 फर्जी दौरा दिखाकर अपनी सीट से गायब रहते हैं । तीसरा सुझाव मेरा यह है कि आलू की सपोर्ट प्राइस पर खरीद प्रारम्भ कराई जाये। गत वर्ष से यह आश्वासन दिए जा रहे हैं कि आलू से संबंधित कारखाने लगाये जायेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं किया गया है । मैं कहना चाहता हूं कि सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर ऐसे कारखानों को प्रारम्भ कराया जाये छिबरामऊ में प्रमुखता से कारखाने का निर्माण प्रारम्भ कराया जावे ।

मान्यवर, किसानों के हितों का संरक्षण करने का सरकार का जो संकल्प है और आपने किसान के बेटे होकर जिस तरह पूंजी पति शीत गृह मालिकों का मुंह की खिलाई है, अब वक्त और आ गया है, जब आपको यह भी कहना होगा कि देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है ।'' आपने जो कहा था कि हम शिविर लगाकर उन लोगों से पैसा किसानों को वापस करवायेंगे । उन लोगों ने आपको चैलेन्ज कर रखा है कि हम पैसा वापस नहीं करेंगे, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि उन्हें आप एक बार फिर बता दें कि तुम्हें पैसा वापस करना होगा । और पैसा शिविरों के माध्यम से ही वापस करना होगा । सरकार सरकार ही है, पूंजी पति कभी भी सरकार को नहीं खरीद सकता है और सरकार पूंजीपति के आगे झुक नहीं सकती ।

श्री राजित प्रसाद यादव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यहां पर 85 प्रतिशत माननीय सदस्य गांव से चुनकर आते हैं । आलू का उत्पादन वर्ष भर नहीं होता है, इसी सीजन में होता है। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से कहना है कि वह इस समय सारा काम छोड़कर केवल इस काम पर लग जायें और स्वयं तथा अपने विश्वसनीय अधिकारियों से कोल्ड स्टोरेज का इन्सपेक्सन करवायें । मान्यवर, जब किसान अपना आलू लेकर कोल्ड स्टोरेज पर जाता है तो या तो वह अपना आलू वहां गिरा देता है या फिर जिस गाड़ी में उसे ले जाता है, उसी में रहने देता है और फिर खुद पैरवी करके बिचौलियों से कहता है कि आप हमसे इतना पैसा ले लीजिए और हमारा आलू रखवा दीजिए । आपके जो सरकारी कोल्ड स्टोरेज है इनके अधिकारियों ने निजी शीत गृह मालिकों से सांठ-गांठ कर ली है । यह एक बहुत ही संवेदनशील है और केवल एक जिले का मामला नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश का मामला है और किसानों के प्रति यदि आप हमदर्द हैं तो किसानों के आलू को कोल्ड स्टोरेज में रखवाने के कार्य को प्राथमिकता दें । आज पूरे प्रदेश में आलू का भंडारण न होने की वजह से किसान परेशान हो गया है । किसानों के ऊपर तिहरी मार पड़ी है । एक ओला, दूसरी बाढ़ और तीसरा शताब्दी का सबसे भयंकर सूखा और अब कोल्ड स्टोरेज में आलू का न रखा जाना । मेरी मांग है कि किसानों की इस समस्या का समाधान करें ।

*श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, कोल्ड स्टोरेज के मालिकों ने जंग शुरू कर दी है सरकार से ।यदि आपको इस जंग को जीतना नहीं है, हारना है, तो किसान के बेटे का गौरव तो प्राप्त नहीं कर पायेंगे। फिरोजाबाद, आगरा, बनारस सब जगह दयनीय दशा हो गयी है। किसानों ने भयंकर सूखे के समय भी 3 लाख टन आलू ज्यादा पैदा किया । आपके 288 में से 44 कोल्ड स्टोरेज बन्द हैं । यह आलू के चिप्स भी नहीं बना पा रहे हैं, न उससे शराब बना पा रहे हैं, न उसको कोई दाई-प्रोडक्ट बना पा रहे हैं । जो आलू मेघालय, शिलांग और आसाम में जाता था, मिर्जापुर में 40 रु0 प्रति क्विंटल के हिसाब से भी खरीदकर बेचना शुरू करें तो 3-4 टन तो वैसे ही बिक जायगा ।

लेकिन आप भी क्या करें ? एक ओम प्रकाश जी भूतपूर्व मंत्री थे उनका कोल्ड स्टोरेज है, ऐसे कोल्ड स्टोरेज पर तो आपका कोई नियंत्रण है नहीं । उद्यान अधिकारी हैं, पोटैटो डेवलपमेंट अफसर हैं। फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, आगरा और इलाहाबाद में इतनी खराब स्थिति है कि आपका वहां जाना मुश्किल हो जायगा । तत्काल 40 रु0 प्रति क्विंटल किसानों का आलू खरीदने की घोषणा करें । मैं भाव के मामले में परिवर्तन करना चाहता हूं, आप 60 रु0 और 70 रु0 में खरीदने की घोषणा करें । जिन कोल्ड स्टोरेज के मालिकों ने आलू बिना हिसाब-किताब के खसरा-खतौनी के बिना रखा है, उनका आलू जब्त करें । कुछ लोग आलू की चिन्ता ज्यादा करते हैं, आलू की चिन्ता नहीं करते हैं । शीतगृह मालिकों को सही रास्ते पर लाने का प्रयास करें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री विजय सिंह राणा–

मुझे खुशी है कि ईमानदारी से इस विषय पर चर्चा की सत्ता पक्ष के लोगों ने भी और हमारे पक्ष के लोगों ने भी । माननीय मंत्री जी ने दो बातें कह दीं, एक तो कहा कि कोल्ड स्टोरेज बढ़ा दिये हैं। अपने जवाब में बता दें कि आपने जो आंकड़े बताये हैं कि 788 हो गये, मैंने 726 बताया था, 62 का अन्तर हुआ, 2 लाख टन आलू बढ़ा, मैंने 55 बताया था आपने 60 बता दिया । मैंने बताया था 25 लाख टन आलू का भंडारण नहीं हो पा रहा है, अब आपके आंकड़ों के हिसाब से 28 लाख टन हो गया, दूसरी बात यह मान्यवर, कि आपने अपने भाषण में कहा कि मैं शीतगृह मालिकों का पक्ष ले रहा हूं, ऐसी बात नहीं है।

मैंने यह कहा था कि यह विवाद समाप्त होना चाहिये और प्रदेश में शीतगृहों को और खोला जाय । मैं सुझाव देता हूं कि जो प्रदेश में शीतगृह हैं उनकी आप चेकिंग करा लें और जितने किसान हैं उनको खसरा और खतौनी निकलवा लें कि उसने कितना आलू बोया है। और दूसरा नाम से जो आलू का भण्डारन वहां पर हो रहा है उसे आप जब्त करा लें। आप देखेंगे कि आप के इस कदम से प्रदेश में खलबली मच जायेगी और पूरे प्रदेश में किसानों का आलू शीतगृहों में पहुंचने लगेगा।

दूसरा सुझाव यह है कि आलू की 75 रु0 की लागत आती है इसलिये आप आलू का मूल्य कम से कम 70 रु0 निर्धारित कर दें और इसके लिये आप क्रय केन्द्रों की व्यवस्था करा दें और यह भी व्यवस्था सुनिश्चित करा दें कि क्रय केन्द्रों पर व्यापारी अपना आलू न बेच आवे, वरना खसरा और खतौनी के साथ आलू का क्रय निर्धारित करा दें।

तीसरी बात यह है कि प्रदेश के लिये आप यह घोषणा आज करें। कि आलू उत्पादन से संबंधित उद्योग धन्धे आप स्थापित करने जा रहे हैं। जिन जिलों में आलू का अधिक उत्पादन होता है वहां पर कोई न कोई एक आलू से संबंधित उद्योग जरूर लगवायें।

मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि किसानों की यह हृदय विदारक समस्या है इसलिये इस पर बिना शासकीय मोहजाल में फंसे हुए, किसान के घर में आप पैदा हुए हैं, इसका विचार करके इस समस्या का आप उत्तर दें।

संसदीय कार्य एवं राजस्व मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, दिवाकर विक्रम जी आपत्ति करते थे कि इस तरफ मंत्री गण नहीं बैठते हैं। आप इस समय देख लीजिये कि 7 प्रतिशत मंत्रिगण बैठे हुए हैं।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, इससे साबित होता है कि सत्ता पक्ष के लोग किसानों की समस्या से कितने जुड़े हुए हैं।

श्री सन्तोष चतुर्वेदी–

मान्यवर, अभी मा0 राणा जी ने जो खसरा और खतौनी की बात कही है आलू भाडारन के संबंध में, तो इसमें मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं की, काम्पलीकेशन्स पर भी आप विचार लें तब फिर इसका उत्तर दें ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, अभी माननीय राणा जी, मा0 रघुवर दयाल वर्मा जी, मा0 ब्रह्म दत्त द्विवेदी जी, मा0 सुरेन्द्र सिंह, मा0 भगौती सिंह, मा0 संतोष चतुर्वेदी जी, मा0 लाल प्रताप सिंह जी, मा0 दिवाकर विक्रम सिंह जी, मा0 राजित प्रसाद यादव जी, मा0 भगवती सिंह जी तथा मा0 यदुनाथ सिंह जी आदि तमाम मित्रों ने जो सुझाव दिये, आलू के संबंध में चर्चा बहुत अच्छी रही और बड़ी लाभप्रद रही । मान्यवर बहुत संक्षेप में निवेदन करना चाहूंगा कि हमने इस बात का पूरा प्रयास किया और हमारा प्रयास बराबर इस बात का रहा है कि किसानों को आलू का ठीक पैसा मिले और उनके आलू में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो । हमने पहले से ही इसकी व्यवस्था की थी और 29 जिलों में 69 क्रय केन्द्र खोलने का फैसला किया था और यह बात भी अपनी जगह सही है कि बहुत से केंद्रों पर अभी क्रय करना शुरू नहीं हुआ था क्योंकि आलू की कीमत बाजार में अच्छी थी 60 रु0 में लाल वाला 70 रु0 में सफेद वाला आलू प्रति कुन्तल के हिसाब से था उससे ज्यादा कीमत बाजार में थी, इसीलिए इसकी खरीद की आवश्यकता नहीं समझी गयी थी। मान्यवर, मैंने कल ही एक बैठक की और उस बैठक में हमारे पास जो सूचनाएं आयीं उसके मुताबिक जो सबसे कम कीमत आज की तारीख में थी वह फर्रुखाबाद में थी 50 से 55 रु0 प्रति क्विंटल तक, आगरे में 62 रु0 प्रति क्विंटल . . .

(व्यवधान)

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

नहीं मान्यवर यह आंकड़े सही नहीं है, इन्हें फाड़कर फेंक दीजिए । 40 रु0 में भी आगरे में कोई पूछने वाला नहीं था । . . .

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा–

नहीं मान्यवर 40 भी नहीं 32 में कोई पूछ नहीं रहा था, यह आंकड़े सही नहीं हैं ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर सुन तो लीजिए पहले बरेली में 65 रु0 प्रति क्विंटल और आज की ही तारीख में बनारस में 85 रु0 का रेट था आलू का । हां मान्यवर यह सही है कि भण्डारण में कुछ कठिनाइयां हुई हैं। हम इस संबंध में कल ही एक बैठक की है और इसके लिए हम पहले से चिंतित थें, इसी लिए हमने क्रय केन्द्र खोलने की बात

शुरू में ही रखी, इसी लिए दूसरी तरफ हमारा यह भी प्रयास रहा कि कोल्ड स्टोरेज के लोग ज्यादती न करने पायें । जैसा कि माननीय भगवती सिंह जी ने कहा मेसर्स हर बिलास कोल्ड स्टोरेज के बारे में, मैं इस संबंध में उनको यह जानकारी देना चाहूंगा कि मेसर्स हर बिलास के यहां कल ही अचानक छापा डाला गया और उनके खिलाफ एफ0 आई0 आर0 भी दर्ज करायी गयी इसी प्रकार से दो कोल्ड-स्टोरेज के खिलाफ और एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराई गयी, एक हैं मेसर्स जीत कोल स्टोरेज और दूसरे हैं मेसर्स सहकारी उभयानी और मान्यवर यहीं नहीं जिला स्तर पर भी और मुख्यालय में भी अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गयी है जो अलग-अलग भ्रमण कर रहे हैं और जैसा कि आपने सुझाव दिए अचानक चेकिंग के, वह भी मान्यवर, की जायेंगी ।

वैसे आलू तो दूसरी प्राइवेट लोगों के भी कोल्ड स्टोरेज में रखे हैं लेकिन जहां तक प्राथमिकता की बात है, तो वह केवल किसानों को ही दी जायेगी और इनके आलू पहले ही रखे जायेंगे । इसलिए मैं मा0 सदस्यगण को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमने इस ओर जिलाधिकारियों को भी टेलेक्स दिए हैं और हमारे कृषि सचिव ने भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को आलू की खरीद की व्यवस्था के संबंध में कड़ाई से लिखा है और यह भी कह दिया गया कि उनसे कि यदि अतिरिक्त क्रय केन्द्र खोले जाने की जरूरत हो तो बगैर किसी संकोच के इन केन्द्र को खोला जाए । और आलू को दूसरी जगह भेजने के बारे में भी हमने पिछले साल के मुकाबले में अच्छा इन्तजाम किया है, जैसा कि फर्रुखाबाद से 302 वैगन बाहर हमने भेजे थे और इसी 28-3-88 को भी 944 वैगन भेजे जा चुके हैं और यह भी हमारी रेलवे विभाग से यह बात तय हो रही है कि अगर एक साथ पूरी रैक हो जायेगी तो उसके लिए एक स्पेशल गाड़ी चलाई जायेगी । तो मान्यवर हमारे अधिकारी लगे हुए हैं इस काम में और जो परचेजिंग एजेन्सी हैं, राजस्थान, एम0 पी0 और आसाम जहां पर आलू का मार्केट है, वहां पर आलू खरीदकर भेजा जाये । हमारी तरफ से पूरा प्रयास है और हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि जितनी चिन्ता उधर के माननीय सदस्यों की है, उससे अधिक चिन्ता हमको है और हम चाहते हैं कि किसानों के साथ न्याय हो । एक बात कही गयी कि रेट्स में अंतर है, प्राइवेट लोगों के शीतगृहों में और कोआपरेटिव और सरकारी शीतगृहों के रेट में अंतर है । इसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि सहकारिता विभाग के जो शीतगृह हैं वह वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट के अन्तर्गत बनाये गये हैं और ऐसे स्थानों पर बनाये गये हैं जहां पर कोई व्यापारी शीतगृह बनाना नहीं चाहता है, इसलिए उनको सुविधा दी गयी है । जहां पर किसानों की जरूरत है, वहां पर उनकी शीतगृह बनाये गये हैं ।

तो मान्यवर, जो सुझाव दिये गये हैं, उनका उपयोग करने की कोशिश करूंगा । हम सभी की जिम्मेदारी है, 4 दिन की छुट्टी हो रही है और सभी लोग लखनऊ के बाहर रहेंगे और मेरा निवेदन है कि सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में देखें और अगर अतिरिक्त क्रय केन्द्र खोलने की आवश्यकता हो तो इत्तिला करें । हमने एक कन्ट्रोल रूम बनाया है, सरला साहनी, विशेष सचिव हैं, उनको आप इत्तिला दे सकते हैं और उद्यान निदेशक को भी इत्तिला दे सकते हैं ।

श्री रघुवर दयाल धर्मा–

माननीय मंत्री जी ने वर्ड बैंक की बात कही, तो मैं जानना चाहता हूं कि जो आपने उनको ज्यादा रेट रखने की परमीशन दे दी है, इसीलिये तो वहां पर घपला होता है । आप उनको जो लास नो प्राफिट पर चलायें । मान्यवर, इसमें घपला नहीं है । यह नीतिगत प्रश्न है । हमको उन स्थानों पर भण्डारण की सुविधा देनी है, जहां पर कोई निजी व्यक्ति शीतगृह नहीं बनाना चाहता है और यह छूट केवल 10 वर्ष के लिये है । सरला साहनी जी का टेलीफोन नम्बर है 48625 और उद्यान निदेशक का नं0 33195, मान्यवर, एक बात सतौनी की कही गयी, तो मान्यवर, इसके बारे में कोई न कोई प्रमाण तो चाहिये ही कि यह किसान का आलू है या व्यापारी का आलू है । जो मौके पर अधिकारी होगा उसको भी दिक्कत हो सकती है, आजकल फर्जी बात बहुत हो जाती है।

मैं समझता हूं कि किसान भी और व्यापारी भी दोनों दूर से अलग दिखते हैं। लेकिन अगर किसी क्रय केन्द्र के बारे में आपको शिकायत हो तो हम जरूर उसको दिखवा लेंगे । मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जैसे एक विशिष्ट कोल्ड स्टोरेज के बारे में माननीय भगौती सिंह जी ने जानकारी दी है उसी प्रकार की शिकायत अगर कहीं किसी कोल्ड स्टोरेज के बारे में आप दें तो आप मुझे अवगत करा दें हम जरूर उसकी जांच करा लेंगे। हमारे सम्मानित सदस्य भी इसको देखें और जब लौटकर आयें तो उसकी जानकारी हमें दें और उसके सम्बन्ध में सुझाव दें। हमें आशा है कि इस बीच स्थिति में अवश्य सुधार होगा क्योंकि आलू का क्रय प्रारम्भ हो गया है और ट्रांसपोर्ट के लिए भी जिलाधिकारियों को कह दिया गया है कि उन्हें यदि ट्रक्स आदि की रिक्विजिशन की आवश्यकता हो तो वे आलू को वहां से बाहर भेजने की व्यवस्था करें। इसी तरीके से बहुत सी व्यवस्थायें की गई हैं। सरकार की ओर से मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि हम किसानों के हितों की रक्षा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमारा प्रयास जारी है।

श्री भगौती सिंह–

एक बात मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप इन क्रय केन्द्रों को कब से चालू कर देंगे?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि हमारे क्रय केन्द्र खुल गये हैं और वे चालू हैं। अभी 4/5 दिन पहले तक लखनऊ में जो मार्केट इन्टर्वेन्शन प्राइस थी वह उससे ज्यादा थी। वही शुरू भी हो गई है। आप जाकर देख लें। मैं आपको सूची भिजवा दूं। लखनऊ में इटौंजा और चिनहट [illegible]

श्री भगौती सिंह–

मान्यवर, एक भी केन्द्र चालू नहीं हुआ है, यह दोनों हमारे क्षेत्र में हैं।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

अगर क्रय केन्द्र चालू नहीं है तो मैंने जो आपको नम्बर दिया है, उस पर आप फोन कर दें या मुझे फोन कर दें, मैं देख लूंगा।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, हमारे यहां जैना कोल्ड स्टोरेज चालू नहीं हुआ है। इसको चालू करायें । आपने यह भी घोषणा की है कि आलू की दूसरी इण्डस्ट्रीज खोलेंगे जिसमें आप चिप्स और शराब भी बनायेंगे । इस काम में कितनी देरी है ताकि यह समस्या हल हो जाय?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं चाहता था कि जो-जो बिन्दु माननीय सदस्यों ने उठाये हैं उन सब का मैं जवाब दे दूं। आप इजाजत दें तो मैं शुरू करूं। मुझे पता नहीं कि वह कोल्ड स्टोरेज क्यों बन्द है। इसको दिखवा लेंगे। कोई मामूली वजह से बन्द हो तो उसको हम जरूर खुलवाने का प्रयास करेंगे। सभी जिलों के जो 44 कोल्ड स्टोरेज बन्द हैं उनके लिए जिलाधिकारियों को कहा गया है कि वे अपने तरीके से उनको खुलवाने का प्रयास करें। जहां तक आलू के उद्योग का सवाल है, पिकअप की तरफ से भारत सरकार को प्रस्ताव भेज दिया गया है कि आलू के कंजम्शन शराब बनाने के लिए किया जाय, यह बात विचाराधीन है। कायमगंज में हार्टिको की फैक्ट्री है वहां पर लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है लेकिन हमारी कुछ समस्या उसका कुछ हल नहीं निकला है। इस पर गाभीरता से विचार भी हुआ है।

श्री अम्मार रिजवी–

एक स्पष्टीकरण में भी माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि क्या माननीय कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आलू से जो वोदका बनाने की बात है, वह बनाकर क्या वे माननीय राणा साहब के यहां भिजवाने की कृपा करेंगे?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

राणा साहब को जरूरत होगी तो वे खुद खरीद लेंगे।

श्री अधिष्ठाता–

इस सदन ने आलू के विषय पर बहुत अच्छी चर्चा की है। यह अत्यन्त गम्भीर विषय है। गन्ने के बाद यह ही एक कैश क्रोप है। यह मसला अक्सर सदन में उठता रहता है। . . .

श्री अधिष्ठाता–

माननीय कृषि मंत्री जी कृषि विशेषज्ञ भी हैं और कृषि घराने से आते हैं । मैं समझता हूं कि जो चिन्ता यहां माननीय सदस्यों ने व्यक्त की है उनको देखते हुए उन पर जो उत्तरदायित्व आया है उसका वह स्थायी हल निकालेंगे। इसे इण्डस्ट्रीज से जोड़ने और कोल्ड स्टोरेज चलाने आदि के सारे प्रकरण पर पुनः विचार करके कोई ऐसा कदम उठाया जाय जिससे इस समस्या का हल निकल सके। माननीय कृषि मंत्री जी जैसे जिम्मेदार मंत्री, जो यहां पर चिन्ता व्यक्त की गयी है उसको सामने रखते हुए कुछ प्रभावी फैसला अवश्य करेंगे।

अब हम उठते हैं 4 अप्रैल को हम 11 बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन 8 बजकर 45 मिनट पर सोमवार, 4 अप्रैल, 1988 दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
30 मार्च, 1988

भाग चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी "क"

(देखिये अतां0 प्र0 सं0 3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 35 पर)

विभिन्न पशुओं द्वारा चालित वाहनों के लिये निर्धारित भार मात्रा की तालिका

नाम पशु	वाहन प्रकार	भार मात्रा जो निर्धारित है
1—छोटा बैल या	दो पहिये वाला वाहन	
छोटा भैंसा	(अ) हवादार टायर वाला	550 किलोग्राम
	(ब) बिना हवादार टायर वाला	400 किलोग्राम
2—मध्यम बैल या	दो पहिये वाला वाहन	
मध्यम भैंसा	(अ) हवादार टायर वाला	700 किलोग्राम
	(ब) बिना हवादार टायर वाला	500 किलोग्राम
3—बड़ा बैल या	दो पहिये वाला वाहन	
बड़ा भैंसा	(अ) हवादार टायर वाला	850 किलोग्राम
	(ब) बिना हवादार टायर वाला	600 किलोग्राम
4—घोड़ा या खच्चर	दो पहिये वाला वाहन	
	(अ) हवादार टायर वाला	750 किलोग्राम
	(ब) बिना हवादार टायर वाला	500 किलोग्राम
5—पोनी (छोटा	दो पहिये वाला वाहन	
घोड़ा)	(अ) हवादार टायर वाला	600 किलोग्राम
	(ब) बिना हवादार टायर वाला	400 किलोग्राम
6—ऊंट	दो पहिये वाला वाहन	1000 किलोग्राम

(क) अगर वाहन चार पहिये वाला है और हवादार टायर युक्त है तो उपरोक्त तालिका में दी गई भार मात्रा का ड्योढ़ा भार मात्रा निर्धारित है। यदि बिना हवादार टायर वाला चार पहिये वाला वाहन है तो सवाया भार मात्रा निर्धारित है।

(ख) अगर वाहन दो या चार पहिये वाला है और दो पशुओं से चालित है, तो भार मात्रा उपरोक्त तालिका में अंकित भार मात्रा की दुगुनी निर्धारित है। यह स्थिति बिना हवादार टायर वाले वाहन हेतु है, लेकिन यदि वाहन हवादार टायरयुक्त है तो भार मात्रा उपरोक्त तालिका में अंकित भार मात्रा की ढाई गुनी निर्धारित है।

नत्थी 'ख'

(देखिए अतां0 प्र0 संख्या0 4 का उत्तर पीछे पृष्ठ 35 पर)

1—मेसर्स गीता कोल्ड स्टोरेज एण्ड एलाइड इन्डस्ट्री देवरिया	..	135 के0वी0ए0
2—मेसर्स उपकार कोल्ड स्टोरेज एण्ड आइस फैक्ट्री, जसराना रोड थिरोर, जिला मैनपुरी		200 के0वी0ए0
3—मेसर्स गैल एथारिटी आफ इण्डिया लि0 ग्रा0 कैल जिला बदायूं		590 के0वी0ए0
4—सहकारी शीतगृह मड़ियाहूं जिला मैनपुरी	..	210 के0व0ी0ए0
5—मेसर्स नार्दन कोल फील्ड्स लि0 वीना प्रोजेक्ट, सिद्धौ	..	2500 के0वी0ए0
6—मैसर्स श्री बांके बिहारी शीतगृह, आगरा	..	200 के0 वी0ए0
7—यू0 पी0 स्टेट सुगर कारपोरेशन लि0 यूनिट धुघली, जिला गोरखपुर		1–235 के0वी0ए0 2–50 किलोवाट
8—अधिशासी अभियन्ता, अतिरिक्त निर्माण खण्ड, अल्मोड़ा	..	1–50 के0वी0ए0 2–51 किलोवाट
9—अधीक्षण अभियन्ता, उ0 प्र0 जल निगम, वाराणसी	..	1–1200 के0वी0ए0 2–2000 के0वी0ए0 3–200 के0वी0ए0
10—मैसर्स मुजफ्फरनगर स्टील्स लि0 मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर	..	350 के0वी0ए0
11—मुख्य अभियन्ता, हेडक्वार्टर सेन्ट्रल कमान्ड, लखनऊ	..	1200 के0वी0ए0
12—मैसर्स मार्निंग ब्रेड प्रा0 लि0 सूरजपुर, गाजियाबाद	..	60 के0वी0ए0
13—असिस्टेन्ट गैरीसन इंजीनियर, फैजाबाद	..	470 के0वी0ए0
14—प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 स्टेट मिनरल डेवलमेन्ट कारपोरेशन लि0 अर्लगंज, लखनऊ		75 किलोवाट
15—अधिशासी अभियन्ता, सिचाई खंड, टाण्डा, फैजाबाद	..	951 के0वी0ए0
16—मैसर्स मोदी रबर लि0, मोदीपुरम्	..	450 किलोवाट
17—प्रधानाचार्य स्पोर्ट्स कालेज, कुर्सी रोड, लखनऊ	..	75 किलोवाट
18—श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल, बरेली	..	130 के0वी0ए0
19—मैसर्स यू0 पी0 स्टेट सुगर कारपोरेशन यूनिट, भटनी	..	150 के0वी0ए0
20—सहकारी कोल्ड स्टोरेज कमालगंज, फर्रूखाबाद	..	112 के0वी0ए0
21—मैसर्स सी0पी0 कोल्ड स्टोरेज (प्रा0) लि0 सफेदाबाद, बाराबंकी		250 के0वी0ए0
22—मैसर्स मोदी रबर लि0 मोदीनगर	..	250 किलोवाट
23—मैसर्स राजपूत राइस मिल, सुल्तानपुर	..	75 हार्स पावर
24—मैसर्स गोमित आइस एण्ड कोल्ड स्टोरेज, प्रा0 लि0, आगरा	..	12 के0वी0ए0
25—मैसर्स जगदम्बा इन्डस्ट्रीज, गोरखपुर	..	75 हार्स पावर
26—मैसर्स अनुज इन्डस्ट्रीज इटौंजा, लखनऊ	..	60 हार्स पावर
27—मैसर्स मुन्नी देवी आइस एण्ड कोल्ड स्टोरेज, मथुरा	..	200 के0वी0ए0
28—मैसर्स गोविन्द कोल्ड स्टोरेज, कानपुर देहात	..	260 के0वी0ए0
29—मैसर्स गोविन्द कोल्ड स्टोरेज, कानपुर देहात	..	160 के0वी0ए0
30—मैसर्स नीरज पोटैटो प्रिजर्वेशन एण्ड फूड प्रोडक्ट्स प्रा0	..	160 के0वी0ए0
31—मै0 स्टील एथारिटी आफ इण्डिया, गुलधर, गाजियाबाद	..	550 के0वी0ए0
32—मैसर्स शनल थर्मल पावर कारपोरेशन लि0 मुराद नगर	..	375 के0वी0ए0
33—मैसर्स उपाध्याय कोल्ड स्टोरेज, जौनपुर	..	200 के0वी0ए0
34—असिस्टेन्ट गैरीसन इंजीनियर, हल्द्वानी	..	800 के0वी0ए0
35—मैसर्स खाण्डसारी एण्ड एलाइड इंडस्ट्रीज, ग्राम ऊधोवाला, बिजनौर		101 के0वी0ए0
36—इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेन्ट, सीतापुर रोड, लखनऊ	..	1500 के0वी0ए0

नत्थी 'ग'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 13 का उत्तर पीछे पृष्ठ 38 पर)

बोर जलाशय में अनधिकृत रूप से रबी 1395 फसली में फसल बोये जाने पर दायर मुकदमों की सूची

क्र0 सं0	नाम अभियुक्त	पिता का नाम	पता
	सर्वश्री--		
1	प्रीतम सिंह	श्री करतार सिंह	ग्राम पडकिया गुलरभौज
2	तारा सिंह	श्री जगत सिंह	ग्राम मारकन्डे गुलरभौज
3	गुरमुख सिंह	श्री हजारा सिंह	ग्राम पड़किया गुलरभौज
4	बूढ़ी सिंह	श्री अर्जुन सिंह	ग्राम कटपलिया गुलरभौज
5	अतरसिंह	श्री करतार सिंह	ग्राम हरिपुरा हरसान
6	रामदत्त	श्री गंगा राम	ग्राम गुलरभौज
7	करमसिंह	श्री बंजारा सिंह	ग्राम गजरौला पो0 आ0 जोगीपुर
8	भगवान सिंह	श्री राज सिंह	ग्राम बेरिया दौलत
9	दलबीर सिंह	श्री गुरुदयाल सिंह	ग्राम मौहली (बड़ा भोज)
10	शेर सिंह	श्री करतार सिंह	ग्राम पडकिया गुलरभौज
11	पूरन सिंह	श्री हजारा सिंह	ग्राम पलपुरा गुलरभौज
12	गजनसिंह	श्री नारायन सिंह	ग्राम पडकिया गुलरभौज
13	करमसिंह	श्री बंजारा सिंह	ग्राम गजरौला पो0 आ0 जोगीपुरा
14	इन्दरसिंह	श्री सारासिंह	ग्राम गजरौला
15	सिंघाड़ा सिंह	श्री मेजर सिंह	ग्राम पड़किया
16	जगासिंह	श्री शेर सिंह	ग्राम कटपुलिया
17	काला सिंह	श्री गहना सिंह	ग्राम कटपुलिया
18	नांजर सिंह	श्री मोहन सिंह	ग्राम पड़किया
19	श्रीमती इन्दरा	पत्नी अर्जुन सिंह	ग्राम कटपुलिया
20	इन्दर सिंह	श्री जोगेन्दर सिंह	ग्राम कटपुलिया
21	जीत सिंह	श्री गुरदत्त सिंह	ग्राम कटपुलिया
22	जहांगीर सिंह	श्री अर्जुन सिंह	ग्राम कटपुलिया
23	तारासिंह	श्री अर्जुन सिंह	ग्राम कटपुलिया
24	चन्दी सिंह	श्री अर्जुन सिंह	ग्राम कटपुलिया
25	करतार सिंह	श्री राजा सिंह	ग्राम पड़किया
26	जीत सिंह	श्री गुरुदत्त सिंह	ग्राम कटपुलिया
27	बलकार सिंह	श्री करतार सिंह	जाट सिख
28	श्री हरनाम सिंह	श्री सरदार सिंह	राय सित
29	इन्दर सिंह	श्री सरदार सिंह	राय सिख
30	बग्गा सिंह	श्री बलवान सिंह	जाट सिख
31	धारा सिंह	श्री करम सिंह	कटपुलिया
32	नयाल सिंह	श्री जागर सिंह	राय सिख
33	खुशाल सिंह	श्री जागर सिंह	राय सिख
34	मुख्तार सिंह	श्री सन्तासिंह	जाट सिख
35	दीवान चन्द्र	श्री मुहावा राम	जाति कम्बोह
36	कश्मीर सिंह	जगत सिंह	जाट सिख
37	चाननसिंह	गुरनाम सिंह	जाट सिख
38	बलकार सिंह	श्री सोहन सिंह	जाट सिख

क्र0सं0	ना म अभियुक्त	पिता का नाम	पता
39	जहांगीर सिंह	श्री जौजा सिंह	जाट सिख
40	गुरुदेव सिंह	श्री दलबीर सिंह	जाट सिख
41	दर्शन सिंह	श्री जगत सिंह	खत्री सिख
42	ज्ञान चन्द्र	श्री सहावाराम	जाति कम्बोह
43	विचित्र सिंह	श्री निरंजन सिंह	जाट सिख
44	हजारा सिंह	श्री हरनाम सिंह	जाट सिख

असाधारण गजट

नत्थी 'घ'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 38 का उत्तर पीछे पृष्ठ 49 पर)

जनपद गाजीपुर में वर्ष 1987-88 में हरिजन बस्ती तथा एल0 टी0 मेन्स बिछाकर ग्रामों के विद्युतीकरण की सूची

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	ग्राम का नाम	ग्रामों का विद्युतीकरण एल0टी0 मेन्स बिछाकर	हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण
1	2	3	4	5
1	देवकली	रामपुर	..	..
2	तदैव	वासूपुर	..	..
3	तदैव	पियरी	..	..
4	तदैव	मोहम्मदपुर हथनी	..	..
5	तदैव	देवचन्दपुर	..	..
6	तदैव	वेलसड़ी	..	..
7	तदैव	मऊपारा	..	..
8	गाजीपुर	लंगरपुर	..	..
9	तदैव	जमलापुर	..	..
10	तदैव	खीदिरपुर	..	..
11	विरनों	चकापेल	विद्युतीकरण हो. चुका	..
12	तदैव	नखतपुर	विद्युतीकरण हो चुका	विद्युतीकृत है।
13	तदैव	मलेठी	..	विद्युतीकृत हो गया।
14	तदैव	बोगना	..	विद्युतीकृत हो गया है।
15	करण्डा	सिकन्दरपुर	..	..
16	तदैव	सहेड़ी	..	..
17	तदैव	पुरना	..	..
18	तदैव	धरेम्मापुर	..	..
19	तदैव	तुल्लापट्टी	..	..
20	मरदह	पारा	..	..
21	तदैव	धरोहां	विद्युतीकृत है	विद्युतीकृत है।
22	तदैव	रायपट्टी	विद्युतीकृत है	विद्युतीकृत है।
23	जखनिया	नसरतपुर	..	..
24	तदैव	माखनपुर	..	..
25	तदैव	बारोडीह मुबारकपुर	..	..
26	जखनियां	जुमेसरा	..	..
27	तदैव	शंकरपुर	..	..
28	तदैव	छतमा	..	..
29	तदैव	हथियाराम	..	..
30	तदैव	चौजाखास	..	..
31	तदैव	धरमागतपुर	..	..
32	मनिहारी	सरौली उर्फ पहेतिया	विद्युतीकृत हो गया है	विद्युतीकृत हो गया है।
33	तदैव	सरायगोकुल	..	..
34	तदैव	बखरा	..	..

1	2	3	4	5
35	मनिहारी	बसेवा	..	..
36	तदैव	खुदाबख्तपुर	..	..
37	सादात	कएयां	विद्युतीकृत हो गया है	विद्युतीकृत हो गया है ।
38	तदैव	तदरौल	..	..
39	तदैव	सरदरपुर	..	..
40	तदैव	बरहपुर मोजाराम	..	..
41	तदैव	दौलत नगर	..	..
42	तदैव	भरतपुर	..	..
43	तदैव	बघांव	..	..
44	सैदपुर	गोपालपुर	..	..
45	तदैव	लौलेहरा	..	विद्युतीकृत हो गया है ।
46	तदैव	थाटा	..	तदैव
47	तदैव	भुंवरपुर	..	तदैव
48	तदैव	नेवादा	..	..
49	तदैव	बेलहरी	..	विद्युतीकृत हो गया है ।
50	मुहम्मदाबाद	सिलाइच	..	..
51	तदैव	हैदरिया	..	..
52	तदैव	चकमुकुन्द	..	..
53	तदैव	सिलियाचक	..	..
54	तदैव	चकफरीद	..	..
55	तदैव	राजापुर	..	..
56	तदैव	माधौपुर	..	..
57	तदैव	तिवारीपुर	..	..
58	तदैव	कमालपुर लोदी	..	..
59	तदैव	उत्तमपुर	..	..
60	तदैव	मुकीबुजुर्ग	..	..
61	कासिमाबाद	मुस्फाबाद	विद्युतीकृत हो गया है	..
62	तदैव	इमामउद्दीनपुर	..	..
63	तदैव	नासिरुद्दीनपुर	..	..
64	तदैव	महमूदपुर	..	..
65	भांवरकोल	कठार	..	..
66	तदैव	मिर्जाबाद	..	..
67	तदैव	कनुवान	..	..
68	तदैव	सोनावारी	..	..
69	तदैव	गौढ़ीगोदईखास	..	..
70	तदैव	मुड़ेराबुजुर्ग	..	..
71	तदैव	सेमौरा	..	..
72	तदैव	बेलसड़ी	..	..

1	2	3	4	5
73	रेवतीपुर	आंसाव	..	..
74	तदैव	हसनपुरा	..	..
75	तदैव	सुहवतिया	..	..
76	तदैव	पियंजुआ	..	..
77	वाराचवर	दहन्दु	..	..
78	तदैव	पातेपुर	..	..
79	मदौरा	सिहासी	..	..
80	तदैव	बोटावर	..	..
81	जमानियां	मंझरिया	.	..
82	तदैव	बढनी	..	..

नत्थी 'ङ'

(देखिए अता प्र0 सं0 79 का उत्तर पीछे पृष्ठ 63 पर)

जनपद आजमगढ़ के ब्लाक दोहरीघाट में वर्ष 1985-86 में दिये गये जनता कनेक्शनों की सूची

क्र0 सं0	उपभोक्ता का नाम व पता
1	श्री लक्ष्मी पुत्र श्री द्वारिका ग्राम भुगवानपुर, दोहरीघाट
2	श्रीमती भगवानी देवी सोनकर पत्नी छेदी लाल, दोहरीघाट
3	श्री राम सुमेर वारी पुत्र श्री डोमरी वारी, दोहरीघाट
4	श्री योगेशचन्द्र पुत्र श्री विश्वनाथ, दोहरीघाट
5	श्री रामधारी पुत्र मरछू ग्राम सरया, दोहरीघाट
6	श्री जैराम प्रसाद पुत्र श्री बुद्ध राम, दोहरीघाट
7	श्रीमती सोमारी देवी पत्नी दधिवल, दोहरीघाट
8	श्री सोचू प्रसाद पुत्र श्री श्याम लाल, दोहरीघाट
9	श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री रामदेव, दोहरीघाट
10	श्रीमती अशरफी देवी पत्नी राजा विश्वकर्मा, दोहरीघाट
11	श्री सतीश चन्द्र पुत्र श्री काशीनाथ, ग्रा0-दीपनपुर, पो0 वनकटिया दोहरीघाट
12	श्री भोला पुत्र श्री सुक्खू राम, दोहरीघाट
13	श्री जयमंगल पुत्र श्री सुखदेव, दोहरीघाट
14	श्री मदनलाल पुत्र श्री जगदम्बा प्रसाद ग्रा0 पतनई, दोहरीघाट
15	श्री नेबू लाल गुप्ता पुत्र श्री मेवालाल ग्राम व पो0 लालघाट
16	श्रीमती जैवुनिशा पत्नी नूर मोहम्मद, नगरपालिका, दोहरीघाट
17	श्री एकबाल अहमद अंसारी पुत्र मो0 हनीफ, दोहरीघाट
18	श्री शिवनाथ पुत्र श्री सुक्खू राम, दोहरीघाट
19	श्री सीताराम हरिजन पुत्र श्री भिखारी, दोहरीघाट
20	श्री किशोरी लाल पुत्र श्री भुल्लन राम, दोहरीघाट
21	श्री अच्छेला पुत्र श्री दशरथ, दोहरीघाट
22	श्री राम नगिना पुत्र श्री जगदीश, ग्राम–बनई, दोहरीघाट ।
23	श्री सुखराम पुत्र श्री राधेश्याम गोठा, दोहरीघाट
24	श्री झीनक सोनकर पुत्र श्री वंशराज खटिक, दोहरीघाट
25	श्री समसुलहक पुत्र श्री अकबर अली, दोहरीघाट
26	श्री श्यामदेव पुत्र श्री जयमंगल ग्राम- शुक्लापुर, पो0 करूंगा
27	श्री केशवचन्द्र पुत्र श्री इन्द्रदेव, ग्राम–कारउली, पो0 कोंठा
28	श्री रामवृक्ष पुत्र श्री रामदेव, नई बजार, दोहरीघाट
29	श्रीमती बन्धुयी देवी पत्नी श्री शंकर राम दोहरीघाट
30	श्री मंगरू राम पुत्र श्री जगदेव राम बहादुरपुर, दोहरीघाट
31	श्री रहमत पुत्र श्री रमजान दोहरीघाट
32	श्री वकील अहमद पुत्र श्री अब्दुल हसन, दोहरीघाट
33	श्री सरयू चौधरी पुत्र श्रीविन्दा डोम, दोहरीघाट
34	श्री विन्ध्याचल पुत्र श्री उमाशंकर, दोहरीघाट
35	श्री चिन्ता मनी पुत्र श्री राम कुंवर कोंठा, दोहरीघाट
36	श्री जगरनाथ पुत्र श्री जत्तनराम नायी, दोहरीघाट
37	श्री छेदी लाल पुत्र श्री हरिद्वार प्रसाद, दोहरीघाट
38	श्री जय प्रकाश प्रसाद पुत्र श्री जयमंगल, दोहरीघाट

क्र0सं0	उपभोक्ता का नाम व पता
39	श्री अजीमुद्दीन पुत्र श्री अब्दुल जब्बार गोंठा, दोहरीघाट
40	श्री आदिनरायन सिह पुत्र श्री दशशंकर, ग्राम–बुढ़ावल, पो0 दोहरीघाट
41	श्री अजय कुमार पुत्र श्री कृष्णानन्द, पो0 दोहरीघाट
42	श्रीं वेचन पुत्र श्री हरदेव गोंठा, पो0 दोहरीघाट
43	श्री जितेन्द्र पुत्र श्री राम नयन, ग्राम–कुरंगा, पो0 दोहरीघाट
44	श्री पीर मोहम्मद पुत्र श्री खौरुल्लाह, पो0 दोहरीघाट
45	श्रीमती शकुन्तला उपाध्याय पत्नी श्री सुधाकर गोधनी, पो0 दोहरीघाट
46	श्रीमती नोहरा देवी पत्नी श्री विन्ध्यवासनी, पो0 दोहरीघाट
47	श्री चन्द्रपत पुत्र श्री पुरयी ग्राम–महुला बगिया
48	श्री कोमल प्रसाद पुत्र श्री सूदन ग्राम–बेनीवरमोली
49	श्री संतोष कुमार पुत्र श्री चिल्लर दोहरीघाट
50	श्री अशोक कुमार पुत्र श्री जोती शंकर, ग्राम–गोधनी, दोहरीघाट
51	श्री लालू प्रसाद पुत्र सदरी गोंठ, दोहरीघाट
52	श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री हरिश्चन्द्र, ग्राम–गोधनी, दोहरीघाट
53	श्री बद्रीनाथ पुत्र श्री बल्ली महुला, दोहरीघाट
54	श्री चन्द्रशेखर पुत्र श्री विल्लर, दोहरीघाट
55	श्री बालचन्द्र पुत्र श्री नरसिंह दोहरीघाट
56	श्री अच्छे लाल पुत्र श्री वसन्ती दोहरीघाट
57	श्री रामहित पुत्र श्री कालीचरन दोहरीघाट
58	श्री बहादुर दास द्वाराखाकीदासकी कुटी,दोहरीघाट
59	श्री मगरू पुत्र श्री राम लगन बहुलग्र, दोहरीघाट ।

ह0 (डी-0पी0सिह)
अधिशासी अभियन्ता

विद्युत वितरण खण्ड, मऊ ।

प्रतिहस्ताक्षरित

ह0 (एस0 पी0 श्रीवास्तव)
अवीक्षण अभियन्ता

नत्थी 'च'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 106 का उत्तर पीछे पृष्ठ 75 पर)

आर0 पी0 सुमन
मेम्बर आफ पार्लियामेंट
(लोक सभा)

4800 पी 2/87
24, मीना बाग,
न्यू दिल्ली–110011
टेल : 3017351
कार्यालय
राज्य मंत्री, ऊर्जा एवं पर्यटन,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।

दिनांक 27 जुलाई, 1987
पत्रांक 1063/वीआईपी/एम
दिनांक 31/7/87
एफ नं0 359 ई/86
ए0 एल नं0 7

मा0 ऊर्जा (राज्य) मंत्री,

उ0 प्र0 शासन, ।

आपको यह जानकर शायद आश्चर्य होगा कि विधान सभा सत्र 1987 के प्रथम शुक्रवार को निर्धारित संलग्न प्रश्न संख्या 50 का उत्तर सदन में सत्य से परे दिया गया। जिलाधिकारी, फैजाबाद को उत्तर से सम्बन्धित न तो कोई धन और न कोई पत्र प्राप्त हुआ है। ऐसा उन्होंने इसी माह में मुझको बताया। फलतः उनको मेरी जानकारी के बाद विभाग को उक्त धन के संबंध में पुनः पत्र भी लिखना पड़ा है ।

मेरा आपसे निवेदन है कि आप कृपया इसकी जांच कराने की कृपा करें और देखने का कष्ट भी करें कि उत्तर क्यों सदन के पटल पर सत्य से परे दिया गया और इसके लिए कौन अधिकारी दोषी है। कृपया यह भी सुनिश्चित करने की कृपा करेंगे कि सम्बन्धित व्यक्ति को अनुग्रह भुगतान तुरन्त प्राप्त भी हो जाय ।

आशा है आप कृत कार्यवाही से मुझको भी अवगत कराने का कष्ट करेंगे ।

धन्यवाद ।

ह0 (अस्पष्ट)
(आर0 पी0 सुमन)

पी0एस0यू0पी0—एल0 94 वि0 सभा (148)—1988—813।